' नवम माला,

, 17 अगस्त, 1990
भाद्रपद, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

श्री पुरुषो ाला, खंड 8, तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)
र, 17 अगस्त, 1990/26 श्रावण, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्नों के मौखिक उत्तर :	2—18
*तारांकित प्रश्न संख्या : 123 से 125	
के लिखित उत्तर :	19—216
तारांकित प्रश्न संख्या : 126 से 136 और 138 से 142	19—27
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1414 से 1417, 1419 से 1421, 1423 से 1450, 1452 से 1510, 1512, 1513 और 1515 से 1647	27—191
सभा पटल पर रखे गए पत्र	216—219
सभा का कार्य	219—220
कार्य-मंत्रणा समिति	220—221
चौदहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	
नियम 377 के अधीन मामले	221—224
(एक) कर्नाटक में सीमेंट कारखानों को बंद होने से बचाने के लिए उन्हें कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति किए जाने की मांग	
श्री बी० एस० बासवराज	221
(दो) उत्तर बिहार को बार-बार आने वाली बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए कदम उठाए जाने की मांग	
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	221
(तीन) चूहों और बंदरों के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की मांग	
श्री अनादिचरण दास	222

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	
(चार) दिल्ली और उदयपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की और उनके आने-जाने के समय पुनः निर्धारित किए जाने की	
श्री गुलाब चन्द कटारिया	222
(पांच) उड़ीसा में प्राचीन स्मारकों की उचित मरम्मत और देखरेख के लिए विशेष अनुदान दिए जाने की मांग	
श्री लोकनाथ चौधरी	223
(छः) कारगिल के लिए विमान सेवा शुरू किए जाने की मांग	
श्री मोहम्मद हसन कमान्दर	223
(सात) कर्नाटक के लिए दक्षिण-पश्चिम रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय बंगलौर में हो, स्थापित किए जाने की मांग	
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा	224
(आठ) केरल के त्रिचूर जिले में कोराट्टी कुष्ट रोग चिकित्सालय में कुष्ठ रोगियों के लिए पुनर्वास केन्द्र खोले जाने की मांग	
प्रो० सावित्री लक्ष्मणन	224
मंत्री द्वारा वक्तव्य	225—230
कुवैत में भारतीयों की स्थिति	
श्री हरि किशोर सिंह	225
गो-हत्या पर प्रतिबन्ध के बारे में संकल्प—जारी	230—257
श्री हरीश रावत	230
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा	232
श्री रेशम लाल जांगड़े	234
श्री सूर्य नारायण यादव	235
श्री सन्तोष कुमार गंगवार	235
श्री हरी शंकर महाले	236
श्री के० मानवेन्द्र सिंह	236
श्री गंगा चरण लोधी	238
श्री बाबूभाई मेघजी शाह	239
प्रो० रासा सिंह रावत	240
श्री नन्द कुमार साय	242
श्री पीटर जी० मरबनिआंग	244

विषय	पृष्ठ
प्रो० एन० जी० रंगा	245
श्री पुरुषोत्तम कौशिक	246
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	247
श्री नीतीश कुमार	248
श्री गुमान मल लोढा	250
किसानों के हितों की रक्षा के लिए उपायों के बारे में संकल्प	258—261
श्री दिलीप सिंह भूरिया	258
आधे घंटे की चर्चा	262—271
महाराष्ट्र में अलग-अलग विकास बोर्डों की स्थापना	
प्रो० राम गणेश कापसे	263
श्री हरीश रावत	265
श्री बनवारी लाल पुरोहित	267
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	269

लोक सभा

शुक्रवार, 17 अगस्त, 1990/26 श्रावण, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री जे० माता गौडर के, जिन्होंने वर्ष 1971-77 के दौरान पांचवीं लोक सभा में तमिलनाडु के नीलगिरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, निधन की दुखद सूचना सभा को देनी है। इससे पहले वर्ष 1957-60 के दौरान वह तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य रहे थे।

श्री गौडर एक सक्रिय मजदूर नेता थे और श्रमिकों तथा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में संलग्न अनेक संगठनों के साथ सम्बद्ध रहे थे।

श्री गौडर एक योग्य सांसद थे, उन्होंने सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया और उसमें बहुमूल्य योगदान दिया।

12 अगस्त, 1990 को 70 वर्ष की आयु में श्री गौडर का कोयम्बटूर में निधन हो गया।

हम अपने इस साथी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में सदन मेरे साथ है।

अब सभा दिवंगत नेता के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : महोदय, तमिलनाडु में चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें रिहा नहीं किया गया है। मैं सभा पटल के निकट फर्श पर बैठता हूं।

इस समय श्री सी० के० कुप्पुस्वामी आये और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, उन्हें पहले ही रिहा किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपने स्थान पर बैठे जाइए। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मुझे

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया है कि लोक सभा के जो साथी तमिलनाडु में हिरासत में थे उन्हें रिहा कर दिया गया है।

इस समय श्री सी० के० कुप्पुस्वामी अपने स्थान पर वापस चले गए।

11.04 म० पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रुग्ण एकक पुनः चालू करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को निदेश

[हिन्दी]

123. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय संस्थाओं को यह निदेश जारी करने का निर्णय किया है कि वे रुग्ण एकक पुनः चालू करने हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करें;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने रुग्ण एकक हैं जिनके बारे में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु निदेश जारी किए गए हैं ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) संभावित रूप से अर्थक्षम रुग्ण एककों के पुनरुद्धार के पहलू को सरकार द्वारा प्रदत्त महत्व के अनुक्रम में, वित्तीए संस्थाएं उन रुग्ण एककों के पुनरुद्धार के लिए आवश्यकता पर आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं जिन्हें तकनीकी और आर्थिक रूप से सक्षम पाया जाता है। लेकिन, सरकार ने वित्तीय संस्थाओं को इस आशय के कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने संभावित रूप से अर्थक्षम रुग्ण/कमजोर एककों के वास्ते पुनरुद्धार पैकेज तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने के संबंध में समय-समय पर विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। पुनरुद्धार पैकेजों के अंतर्गत राहतें/रियायतें प्रदान करने के वास्ते विस्तृत पैरामीटर भी तैयार किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :— बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वर्तमान देय रकमों को बढ़ी हुई अवधि में उसकी वापसी अदायगी के लिए चरणबद्ध रूप से निधिबद्ध करना, ब्याज में रियायत प्रदान करना, नए सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी की सुविधाएं मंजूर करना।

इसके अलावा, ऐसी कम्पनियों के लिए निरोधात्मक, सुधारात्मक, उपचारात्मक और अन्य आवश्यक उपायों का शीघ्र निर्धारण करने के लिए रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष

उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन किया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश में स्थित रुग्ण एककों को वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : मान्यवर, अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न उद्योगों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिक यूनिट्स की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। 1987 तक यह संख्या करीब 1,58,226 एस० एस० आई० की और नॉन एस० एम० आई० की 1057 थी। उसके बाद निरन्तर यह संख्या बढ़ रही है। इस संबंध में मैं कई अधिकारियों से मिला और कई बार सम्पर्क किया कि उनके रीहैबीलीटेशन की क्या योजना है? यहां पर जो विवरण मुझे दिया गया है वह काफी विस्तार से है, बहुत-सी बातें उसमें लिखी हुई हैं परन्तु मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि जिले पर एक जिला उद्योग केन्द्र होता है, जिले पर एक उद्योग बन्धु होता है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमैंट्स की संस्थाएं होती हैं। वे अपनी रिकमैंडेशन्स एस० एम० आई० यूनिट्स या नान एस० एस० आई० यूनिट्स के रीहैबीलीटेशन के लिए करती हैं। मैं जानकारी चाहता हूं कि क्या इन बातों पर भी ध्यान दिया जाता है कि इनके आधार पर जिले स्तर की जो शासकीय संस्थाएं हैं और जिनके माध्यम से ऋण दिया जाता है, बैंक क्या इनके बारे में विचार करता है या अपने मनमाने तरीके से फैसला करती है। ऐसा देखने में आया है कि बैंक जिसके प्रसन्न हो गया उसका तो रीहैबीलीटेशन कर दिया। इन संस्थाओं के रीहैबीलीटेशन जिला स्तर और प्रदेश सरकार की संस्कृतियों पर भी गम्भीरता से विचार होता है या नहीं?

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, बीमार उद्योगों के सिलसिले में निश्चित प्रक्रिया तय हुई है। जैसा अपने जवाब में मैंने कहा कि डायरैक्टली, प्रत्यक्ष तरीके से सरकार उस सिलसिले में निदेश नहीं देती है लेकिन रिजर्व बैंक के जरिए कोई निदेश तैयार किए हैं। ये सारे निदेश विभिन्न बैंकों को, वित्तीय संस्थाओं को तथा बी० आई० एफ० आर० को दिए जाते हैं और नान एस० एस० आई० लघु उद्योगों के बिना जो दूसरे उद्योग हैं उनके सारे सवाल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के सवाल बी० आई० एफ० आर० के पास जाते हैं। उनका एक बोर्ड है, उस बोर्ड के तहत चार बैंचेज हैं, हर बैंच में चेयरमैन है, उसके दो मैम्बर्स हैं और चेयरमैन की जिम्मेदारी कई जगहों पर वित्तीय तबकों को दे दी है, एक जगह पर ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को दी है, दूसरी जगह बैंकिंग इंडस्ट्रीज में जो मशहूर लोग हैं उन्हें दी है और उनकी रिकमैंडेशन्स के आधार पर सर्वसम्मति से ये सारे केसेज सम्बन्धित बैंकों के पास दिए जाते हैं और बैंकों के जरिए उन्हें मदद की जाती है। जहां तक लघु उद्योगों का सवाल है, वे बी० आई० एफ० आर० के तहत नहीं हैं, उनकी कार्यकक्षा में नहीं है, इसलिए आल इंडिया बैंक्स के जरिए उनको मदद दी जाती है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं मुख्य एस० एस० आई० यूनिट्स के बारे में प्रश्न करना चाहता था क्योंकि नान एस० एस० आई० यूनिटस तो अपने को मैनेज कर लेती हैं। एस० एस० आई० यूनिट्स के बारे में बैंक्स अपने आप ही फैसला लेती है, ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। मेरे प्रश्न के "ग" पार्ट का उत्तर मुझे नहीं मिला। मेरा प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश में ऐसे रुग्ण एकक कितने हैं जिनके बारे में निर्णय की सहायता उपलब्ध निदेश जारी किए गए हैं? मैं जानना चाहता

हूं कि यू० पी० में ऐसे कितने सिक एस० एस० आई० यूनिट्स हैं जिनके रीहैबीलीटेशन की सहायता की बात की गई है और पिछले वर्षों में सहायता दी गई है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं दोनों सवालों का जवाब देना चाहता हूं। पहले तो सारे राज्य की परिस्थिति यह है, अगर एस० एस० आई० यूनिट्स के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो जितने बीमार उद्योग या यूनिट्स हैं उनकी संख्या 2,17,436 है। उनमें से जो यूनिट्स वायबल हैं, अर्थक्षम हैं, उनकी संख्या 12,954 है और जिनके बारे में सहायता देकर या बैंकों के जरिए कनसेशन या राहत देकर उनकी बीमारी हटाने की कोशिश हो रही है, ऐसे यूनिट्स 8,347 हैं। आपने उत्तर प्रदेश का दूसरा सवाल पूछा है। उत्तर प्रदेश के सिलसिले में हालत यह है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की सिक यूनिट्स की तादाद 22,498 और नान एस० एस० आई० सिक यूनिट्स की 70 और नान एस० एस० आई० वीक यूनिट्स 72 हैं। हमारे पास सारे देश का ब्यौरा है लेकिन हर राज्य के आधार पर कितने लोगों को इस प्रकार की मदद दी है उसका ब्यौरा मेरे पास नहीं है। इसलिए आपकी इजाजत से यह आखिरी जानकारी मैं माननीय सदस्य को पत्र द्वारा भेज दूंगा। (व्यवधान) यह आपकी गलतफहमी है। एस० एस० आई० यूनिट्स 22,499 हैं और नान एस० एस० आई० यूनिट्स जिनमें मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं वह 70 और 72 हैं।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में ऐसी रुग्ण इकाइयों के विषय में जो आंकड़े माननीय मंत्री जी ने दिए हैं, वे बहुत ही चिन्ताजनक हैं। उन्होंने बी० आई० एफ० आर० की बैंचिज का भी जिक्र किया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने बी० आई० एफ० आर० के कितने मामलों में रिहैबिलीटेशन पैकेज बहाने के निर्देश दिए हैं और उसको बैंकों ने कहां तक अमल किया है ? इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए क्या उनके मंत्रालय में कोई सैल है ? मेरी जानकारी में ऐसे बहुत से केसिज हैं जिनमें बी० आई० एफ० आर० ने रिहैबिलटेशन पैकेज बनाया लेकिन विभिन्न फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन के द्वारा उस पैकेज को फॉलो नहीं किया गया है ? अगर इसको समय पर अमल में नहीं लाया जायेगा तो सारा का सारा पैकेज आउटडेटिड हो जायेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे केसिज में जिसमें बी० आई० एफ० आर० ने पैकेज बनाकर दिया है रिहैबिलटेशन का, बैंक और फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए कोई मानिटरिंग सैल उन्होंने अपने मंत्रालय में बनाया है या नहीं ?

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी जाननी चाही है, वह सारी जानकारी मेरे पास है। मेरे पास 30-4-90 तक के लेटेस्ट फीगर्स हैं। बी० आई० एफ० आर० को 848 केसिज रैफर किए गए। आपरेटिंग एजेंसी एपायन्ट हुई और फाइनैंशल इंस्टीट्यूशन्स के द्वारा उनको जो मदद दी जाती हैं, उनकी संख्या 422 है।

[अनुवाद]

जिन मामलों के संबंध में आपरेटिंग एजेंसी ने पहले ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा···

[हिन्दी]

फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन ने जिनके बारे में रिपोर्ट दिया है, उनकी संख्या 309 है। उनकी बीमारी हटाने के लिए जो कुछ काम करना है, उनके लिए एप्रूवल हुआ, काम शुरू हुआ उनकी

संख्या 94 है। रिकमंडेशन होने के बाद और फाइनैंशल इंस्टीट्यूशन के जरिए सहायता देने के बाद भी यह काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं, इसको देखने व जांच करने के लिए मॉनिटरिंग एजेंसी है जोकि लगातार उस काम को देखती है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : वित्त मंत्री महोदय यह भली-भांति जानते हैं कि पूर्वी भारत अर्थात् पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में चाय उद्योग प्रमुख उद्योगों में से एक है। मुझे नवीनतम स्थिति का पता नहीं है परन्तु छः महीने पहले मुझे पता लगा कि 110 चाय बागान रुग्ण थे। चाय उद्योग श्रम पर आधारित है।

मंत्री महोदय ने बी० आई० एफ० आर० का उल्लेख किया है, दुर्भाग्यवश मेरी जानकारी के अनुसार चाय उद्योग की जिन परियोजनाओं को बी० आई० एफ० आर० के पास भेजा गया है उनमें से किसी को भी इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया है कि ये व्यावहारिक नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है और क्षेत्र में बेरोजगारी फैल रही है। (व्यवधान) चाय उद्योग को स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छे मूल्य मिल रहे हैं इसलिए इसमें सुधार करने का यह उचित समय है।

इस पृष्ठभूमि में क्या मैं यह जान सकता हूं कि उन्हें इसके बारे में क्या जानकारी है, कितने चाय उद्योगों ने इसे अपनाया है और इसके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा यदि ऐसा नहीं है तो क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि चाय उद्योग को पुनः व्यावहारिक बनाया जाए ?

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य ने यह सही मूल्यांकन किया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्यों में रुग्ण एककों की बुरी हालत है। उदाहरणार्थ असम में जहां तक छोटे पैमाने के एककों का संबंध है, रुग्ण एककों की संख्या 11,438 है, लघु उद्योग के अलावा अन्य रुग्ण एककों की संख्या 4 है और लघु उद्योगों के अलावा अन्य कमजोर एककों की संख्या 30 है। परन्तु सामान्यतः हम जिन उद्योगों को रुग्ण समझते हैं उनमें प्रमुख घटक हमें यह प्रतीत होता है कि उनका कारोबार 100 प्रतिशत बिगड़ गया है।

कमजोर एकक वे हैं जिनके कारोबार में एक अवधि विशेष के दौरान 50 प्रतिशत की कमी आ गयी है।

इस प्रकार जहां तक असम का संबंध है, इसकी बड़ी निराशाजनक स्थिति है। मेघालय में यह 657 और 1.24 है तथा मिजोरम में 154 और 75.26 है। इस तरह इन आंकड़ों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आपने जो कुछ कहा है वह ठीक है। हम उत्तरी क्षेत्र पर ध्यान देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बी० आई० एफ० आर० और अन्य एजेंसियां, जिनका गठन छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए किया गया है, समस्या पर ध्यान दें और उद्योग की रुग्णता को समाप्त करने का प्रयास करें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : उद्योगों में रुग्णता अक्सर कुप्रबंध तथा उन्हें चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा धन के दुर्विनियोजन के कारण पैदा होती है। जब रुग्णता पैदा होती है तो श्रमिकों को सबसे अधिक नुकसान होता है। रुग्ण उद्योगों द्वारा श्रमिकों को देय भुगतान की प्रक्रिया इतनी

व्यापक और जटिल है कि श्रमिकों को अक्सर उनके देय राशि नहीं मिल पाती हैं। ऐसा विशेषतः उन मामलों में होता है जिनमें किसी उद्योग का नया प्रवर्तक सभी श्रमिकों को पुनः रोजगार नहीं देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत अधिक निराशा के कारण श्रमिक आत्महत्या कर रहे हैं और बीमारियों तथा भुखमरी से मर रहे हैं। मैं, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बी० आई० एफ० आर० के अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के सुधार और कार्यकरण के विषय में दिए गए सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? कपड़ा श्रमिकों के पुनर्वास के लिए एक कोष है लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि श्रमिकों को इससे लाभ नहीं मिल सकता। क्या सरकार का विचार अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे बोर्ड स्थापित करने और उनके कार्यकरण को सरल बनाने का है ?

प्रो० मधु दण्डवते : प्रश्न का पहला भाग रुग्णता के विभिन्न कारणों के बारे में है। इसके कुछ कारण अवसंरचना संबंधी हैं और कुछ अन्य सहयोग संबंधी हैं जैसे—पुरानी प्रौद्योगिकी, अव्यवस्था, उद्योग के संचालन में धोखाधड़ी और उचित तकनीक का अभाव। इसके अतिरिक्त, कभी-कभी किसी परियोजना के स्थल के गलत चयन के कारण भी अत्यधिक घाटा होता है। इसलिए, जब कभी भी रुग्णता को यथासंभव दूर करने का प्रयास किया जाता है तो उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाता है जिसके कारण औद्योगिक रुग्णता पैदा होती है। जहां तक दूसरे भाग का संबंध है यह बी० आई० एफ० आर० यानि बोर्ड के कार्यचालन के संबंध में है। बहुत सारे मतभेद चल रहे हैं। एक ओर बी० आई० एफ० आर० के अध्यक्ष ने अपने लेख में कुछ ठोस सुझाव दिए हैं और एक सुझाव जिसका हम लोगों ने उल्लेख किया है वह वास्तव में वह बी० आई० एफ० आर० के अध्यक्ष का ही एक सुझाव है। उन उद्योगपतियों द्वारा आलोचना की जाती है जिन्होंने धोखा किया है तथा अव्यवस्था फैलाई है जिसका परिणाम यह है कि या तो उन्हें सहायता नहीं मिल रही है या उन्हें अपनी इकाइयों को समेटने के लिए कह दिया गया है। यह विवाद उन्होंने स्वयं ही पैदा किया है। उनका कहना है कि उनके साथ अन्याय किया गया है। वास्तव में दोनों में से कोई भी आरोप सही नहीं है। वे एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक माननीय सदस्य के सुझाव का संबंध है विभिन्न उद्योगों के लिए अलग-अलग बोर्ड गठित करने का प्रश्न नहीं है। सभी उद्योगों के लिए बी० आई० एफ० आर० मुख्य एजेंसी है। हमें केवल यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए प्रकोष्ठ बनाए जाएं जो उनकी रुग्णता को दूर करने का प्रयास करे।

श्री बसुदेव आचार्य : लघु उद्योग क्षेत्रों में रुग्णता अधिक है। मंत्री महोदय ने कहा है कि दो लाख से अधिक लघु उद्योग रुग्ण हैं और बहुत से लघु उद्योगों को बंद कर दिया गया। बड़े और मध्यम उद्योगों के लिए एक बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) गठित है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लघु उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए सलाह देने वाली कोई संस्था अथवा बोर्ड नहीं है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि लघु उद्योग, जो कि दो लाख से अधिक हैं, को पुनः चालू करने हेतु उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए क्या एक बोर्ड के गठन का विचार है ? माननीय मंत्री ने कहा है कि जांच की जा रही है। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ पेपर मिल बी० आई० एफ० आर० के पास था और बी० आई० एफ० आर० ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। उन सुझावों में एक सुझाव उत्पाद शुल्क को माफ करने का है जो मंत्रालय के पास विचार के लिए है। यह उत्पाद शुल्क करोड़ों रुपयों के लगभग है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : यह पेपर मिल देश का सबसे पुराना पेपर मिल है जहां करीब पांच हजार श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बी० आई० एफ० आर० द्वारा उत्पाद-शुल्क माफ करने के लिए दिये गए सुझाव जो उनके पास वर्षों से है, पर विचार करेगी ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह लम्बा प्रश्न है। मुझे संक्षेप में उत्तर देने की अनुमति दें। जहां तक उनके पहले सुझाव का संबंध है, चूंकि लघु उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में बिखरे पड़े हैं इसलिए हम उनके लिए केन्द्रित तन्त्र तैयार नहीं करना चाहते हैं चूंकि यह रुग्णता दूर करने की समस्या को और उलझा देगा। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और विशेष कर अग्रणी संगठनों ने बड़े उद्योगों की रुग्णता को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकोष्ठ बनाए हैं जिनका काम उनके कार्यों की निगरानी करना है और वास्तव में सभी लघु उद्योगों की संयुक्त रूप से वित्त पोषित इकाइयां एक ही बैंक से सहायता नहीं लेती। ये एक से अधिक बैंकों से सहायता लेते हैं। और इसलिए जिस बैंक ने अधिकतम सहायता दी है वह अग्रणी संगठन है। वे जिम्मेदारी लेते हैं और प्रायः सभी संयुक्त रूप से वित्त पोषित इकाइयां अग्रणी की संकल्पना के आधार पर आई० डी० बी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई०, आई० एफ० सी० आई० और आई० आर० बी० आई० में विभक्त हैं और जिसका भी सबसे अधिक योगदान होगा वही जिम्मेवारी लेता है और उनकी देखरेख करता है।

उनके प्रश्न का अंतिम भाग ही वास्तविक प्रश्न है। वह यह जानना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के पेपर मिल का क्या होगा। बी० आई० एफ० आर० के द्वारा उत्पाद-शुल्क माफ करने का पहले ही सुझाव दिया जा चुका है। हम उस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम उन सुझावों पर सकारात्मक रवैय्या अपनाएंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : वह चाहते थे कि एक बोर्ड का भी गठन किया जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने उन्हें बता दिया है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल आश्वासन चाहता हूं। उन्होंने जो बात बताई है, वह तो बहुत पहले से चली आ रही है। उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े हुए जिले हैं, जैसे झासी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और जालौन आदि, इनमें उद्योगों की शून्यता है। वहां पर जो भी उद्योग हैं, उनमें आधे से ज्यादा उद्योग बंद हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकारों से जो उनको सहायता और सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिनका कि राज्य सरकार वायदा करती है, वे नहीं मिल पाती हैं। वित्तीय संस्थाऐं तो कर्ज दे देती हैं, जैसे विद्युत और पानी के अभाव में बहुत-सी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया हुआ ऋण बढ़ता चला जाता है और वह इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसकी वापसी नहीं हो पाती है। इस कारण से वहां पर सारे उद्योग बीमार पड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल आश्वासन चाहता हूं, क्या वे इसकी जांच करायेंग और राज्य सरकार को यह निर्देश देंगे कि अगर उनके कारणों से सारे उद्योग बन्द हैं, तो उनको पुनः वित्तीय सहायता दी जाए, ताकि उनकी बीमारी दूर हो सके ?

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की शिकायत यह है कि जहां वित्तीय

संस्थाओं की तरफ से बीमार उद्योगों को मदद दी जाती है वहां बुनियादी सहुलियतें न होने की वजह से जो राज्य सरकारों की तरफ से मदद दी जाती है उन सुविधाओं का कोई फायदा नहीं होता है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ सम्पर्क स्थापित करके आपकी जो शिकायत है, उनके सामने रखूंगा और कोशिश करूंगा कि जो बुनियादी सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिएं, वह उपलब्ध हों, वित्तीय संस्था इस बीमारी को दूर करने के लिये मदद कर पायेगी।

निर्यात और आयात लक्ष्य

[अनुवाद]

*124. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान किए जाने वाले निर्यात और आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आयात की व्यवस्था के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए निर्यात लक्ष्य 36000 करोड़ रुपये का निर्धारित किया गया है। आयात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, 1990-91 वित्तीय वर्ष की अप्रैल-जून प्रथम तिमाही के लिए भारत से 7428 करोड़ रु० के निर्यात किए गए जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के निर्यात से 23.0 प्रतिशत अधिक हैं। भारत के आयात 9305 करोड़ रु० के हुए जो पिछले उसी अवधि के दौरान हुए आयात से 19.7 प्रतिशत अधिक है।

(ख) और (ग) आयात को वर्ष 1990-93 की अवधि के लिए 31 मार्च, 1990 को घोषित आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाता है। इस नीति के मुख्य उद्देश्य हैं, शीघ्रता से और लगातार बनी रहने वाली निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक वृद्धि को कायम रखने के लिए आवश्यक आयातित इनपुटों की उपलब्धता को सुलभ बनाना, आयात लाइसेंसिंग और निर्यात संवर्धन के लिए प्रक्रियाओं को सरल और युक्तिपूर्ण बनाना, मान्यता प्राप्त स्वदेशी अनुसंधान और विकास संस्थानों को अपनी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्षमता बनाने के लिए सहायता देना और कुशल आयात प्रतिस्थापन और आत्मनिर्भरता का संवर्धन करना/गैर-जरूरी आयात को कम करने और व्यापार घाटे को कारगर सीमा तक सीमित रखने के लिए अभी हाल में अनेक कदम उठाए गए हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, इस सरकार ने आर्थिक प्रबंध के कार्य इस टिप्पणी से प्रारम्भ किए कि खजाना खाली है और विशेष तौर पर भुगतान संतुलन की बुरी स्थिति के लिए पिछली सरकार को जिम्मेवार ठहराया। तथ्यों पर प्रमाणिकता आधारित होती है। पिछले सात-आठ

महीनों में आयात-निर्यात के क्षेत्र में तथा भुगतान संतुलन की स्थिति के बारे में सरकार की क्या उपलब्धि है ? विगत वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अक्तूबर तक, छह माह के दौरान—प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर व्यापार घाटे में 8 डालर के संदर्भ में 34.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। व्यापार घाटा कम होने का कारण यह है कि निर्यात में अधिक उपलब्धि मिली जबकि आयात खर्च में कटौती की गई। जैसा कि मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है विगत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में इस वर्ष के पिछले तीन महीने में इस सरकार में घाटा बढ़ कर 8.2 प्रतिशत हो गया है। अब मैं निर्यात की बात करूंगा। विगत वर्ष इसी अवधि में निर्यात बढ़ कर 26 प्रतिशत हो गया था। सरकार यह स्वीकार करती है कि निर्यात में ठहराव-सा आ गया है और विगत वर्ष के 26 प्रतिशत की तुलना में घट कर 23 प्रतिशत रह गया है। जहां तक आयात में वृद्धि का संबंध है वह बढ़ कर 19.7 प्रतिशत हो गया है जबकि उसी अवधि में आयात की वृद्धि दर बहुत कम थी। इसलिए सरकार निर्यात बढ़ाने में पूरी तरह असफल रही है और अनावश्यक आयात बढ़ा है। नकारने के बावजूद इसने वास्तव में व्यापार घाटे को बढ़ाया है।

मेरा पहला प्रश्न यह है। विगत वर्ष की तुलना में निर्यात में ठहराव अनावश्यक आयात में वृद्धि और घाटे में वृद्धि के क्या कारण हैं बावजूद इसके कि इस सरकार ने दृढ़तापूर्वक कहा था कि भुगतान संतुलन को ठीक किया जाएगा ?

श्री अरुण कुमार नेहरू : महोदय, मैं इस अवसर का सदुपयोग करते हुए माननीय सदस्यों को कुछ आंकड़े दे सकता हूं। मैं समझता हूं कि किसी भी आंकड़े का पहला अभिप्राय यह है कि आप किसी भी अवधि विशेष को लेकर लम्बी अवधि के लिए आयात निर्यात की स्थिति के बारे में निर्णय नहीं दे सकते हैं। यदि आप मेरी बातों पर ध्यान दें तो मैं इस संबंध में विगत तीन चार वर्षों के आयात निर्यात आंकड़ों के विवरण को प्रस्तुत करना चाहूंगा। निर्यात के कम होने और आयात खर्च में वृद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि आप अचानक एक अवधि विशेष जनवरी, फरवरी को लेकर उसी अवधि में पिछले वर्ष की तुलना करेंगे तो पूरे वर्ष के रुझान को प्रतिबिम्बित नहीं किया जा सकता।...(**व्यवधान**)

आप कृपया हमारी बात सुनें। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं। ये मुझे कुछ तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करने दें।

वर्ष 1987 में जनवरी से दिसम्बर तक 14,400 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात हुआ था। वर्ष 1988 में यह 18,000 करोड़ रु० तक हो गया था। वर्ष 1989 में यह 25,000 करोड़ रु० हो गया। वर्ष 1990 में पहले छः महीनों में 15,576 करोड़ रु० का निर्यात हो चुका है। हमारा निर्यात का लक्ष्य 36,000 करोड़ रु० है जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 30 प्रतिशत अधिक है। वर्ष के पहले तीन महीनों में निर्यात हमेशा कम होता है तथा वर्ष के अन्तिम तीन महीनों में निर्यात हमेशा अधिक होता है। माननीय सदस्य ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि केवल डालर के हिसाब से आज भी निर्यात में वृद्धि लगभग 14 प्रतिशत है। अतः इसे दूसरे प्रकार से भी कहा जा सकता है। परन्तु सच्चाई यह है कि इस समय निर्यात में तीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा हमें पूरा विश्वास है कि हम इसे बनाए रखेंगे। जहां तक आयात का सम्बन्ध है, वर्ष 1989-90 के मुकाबले घाटा 7731 करोड़ रु० का हुआ था तथा इससे पिछले वर्ष में घाटा 7892 करोड़ रु० था। परन्तु इन आंकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता क्योंकि हमें कुल आयात के संदर्भ में आंकड़े लेने हैं। यदि आप कुल आंकड़े देखें तब आप पायेंगे कि आयात में थोड़ी-सी गिरावट आई है। मैं

माननीय मन्त्री जी को एक अन्य परामर्श देना चाहूंगा जहां तक आयात का सम्बन्ध है, सभा को यह जानना चाहिए कि तीन प्रकार से आयात किया जाता है। जहां तक वाणिज्य मन्त्रालय का सम्बन्ध है, जिस आयात से हमारा सीधा सम्बन्ध है वह आयात है जिनका निर्यात से सीधा सम्बन्ध होता है। जब आप निर्यात करते हैं तब आप आपूरण लाइसेंस, अग्रिम लाइसेंस इत्यादि जैसे कुछेक प्रोत्साहन देते हैं। परन्तु उससे केवल एक तिहाई ही बनता है। जहां तक शेष दो-तिहाई का सम्बन्ध है, उनमें आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे उर्वरक, इस्पात तथा अन्य मदें जिनके सम्बन्ध में विभिन्न मन्त्रालय हमें परामर्श देते हैं तथा उनकी ओर से आयात करते हैं। अन्य मदों में औद्योगिक विकास के लिए पूंजीगत माल है जिसमें नए कारखानों के लिए तथा वर्तमान कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए उन्हें कुछेक आयात करने की अनुमति दी जाती है। अतः आयात के तीन प्रकार हैं। मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता। परन्तु यदि आप चाहें तो मैं माननीय सदस्य को वे कुछेक उपाय पढ़कर सुना सकता हूं जो हमने अनावश्यक आयात को कम करने हेतु उठाए हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। हमने लगभग 100 करोड़ रु० बचत करने के लिए उठाए गए उपायों के बारे में पहले ही घोषणा कर दी है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : सरकार ने अनावश्यक आयात को रोकने के लिए कुछेक उपायों की घोषणा की है। दूसरी ओर उसी सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति के माध्यम से उपभोक्ता क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश की अनुमति दी है जिससे अपने आप ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की साझा भागीदारी चालीस प्रतिशत तक हो जाती है जिससे उनकी पुरानी प्रौद्योगिकी जो वे हमारे देश में लायेंगी उससे आयात बढ़ जाएगा। आयात पर नई औद्योगिक नीति का क्या असर पड़ा है ? दूसरे, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में एक डालर की वृद्धि से आयात में 400 करोड़ रु० की वृद्धि हो जाती है। पहले ही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें सात डालर अधिक हो गई हैं जिससे 3000 करोड़ रुपए अधिक खर्च होगा। हम समझते हैं कि यह पूर्णतया उनके काबू की बात नहीं है, परन्तु पैट्रोलियम उत्पादों के लिए आगामी महीनों में भुगतान किए जाने के बारे में उनकी क्या योजना है। उनके अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे स्थिति बिल्कुल ही अनियंत्रित हो जाएगी।

श्री अरुण कुमार नेहरू : जहां तक माननीय सदस्य महोदय की बहुराष्ट्रीय तथा औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों का सम्बन्ध है, यह एक ऐसा मामला है जो उद्योग मन्त्रालय के अधीन आता है। परन्तु मैं उनकी इस बात का उत्तर देने में भी बुरा नहीं मानूंगा यदि वह किसी विशेष बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण दें, तब मैं उनकी बात का उत्तर दे सकता हूं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : इसमें कोई भी कम्पनी हो सकती है।

श्री अरुण कुमार नेहरू : नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूं कि उन्हें पुनः उन बातों का अध्ययन करना चाहिए। उन्हें नियमों की जानकारी नहीं है। एक अन्य बात यह है कि यदि आप सावधानीपूर्वक इसके माध्यम से इसे देखें तो आप देखेंगे कि जो भी कंपनी वहां आती है वह निर्यात के फलस्वरूप ही आती है। अतः जो भी उस तरीके से आता है तो उससे कुछ आयात हो सकता है परन्तु हमारी वस्तुस्थिति यह होगी कि लाभ हमेशा हमें ही होगा क्योंकि निर्यात अधिक होगा। उसमें उल्लेख ऐसी कम्पनियां भी हो सकती हैं जो सौ फीसदी निर्यात क्षेत्र में आ रही हैं। अतः आयात के अधिक होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में, इसका दूसरा ही परिणाम होगा। इससे निर्यात अधिक होगा। जहां तक पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों का सम्बन्ध है, दूसरे मुद्दे पर

आप मानेंगे कि यह प्रश्न वाणिज्य मन्त्रालय से संबंधित नहीं है कि वह इसका उत्तर दे परन्तु निःसंदेह एक डालर वृद्धि का तात्पर्य 400 करोड़ रु० का अतिरिक्त व्यय । हम अत्यधिक आयात कर रहे हैं । हम उनसे वहीं पर ही खरीद रहे हैं ।

बाजार में जो भी मूल्य चल रहा है वहीं मूल्य हमें भी देना पड़ेगा । यह अन्य देशों पर लागू होता है । अनेक पश्चिमी देशों ने पहले ही विभिन्न ईंधनों के मूल्य बढ़ा दिए हैं । मूल्य क्या होंगे, यह बताना अत्यन्त कठिन होगा क्योंकि यह खाड़ी की स्थिति पर निर्भर करता है ।

श्री के० एस० राव : तिलहन, उर्वरक तथा मिश्रित इस्पात जैसी आवश्यक वस्तुएं जो कि इस देश में निर्मित की जा सकती हैं उनका आयात किया जा रहा है । अपने ही देश में इसके उत्पादन में वृद्धि करके तथा निर्माताओं को उचित कीमतें देकर विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है ।

दूसरे, देश में उन क्षेत्रों में रोजगार तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूंजीगत उपकरणों के आयात के सम्बन्ध में जिसमें कुछ अप्रवासी भारतीय तथा देशी निर्माता अथवा स्थानीय उद्योगपति भी इस प्रकार के पुराने उपकरणों का आयात करना चाहते हैं तो क्या सरकार ऐसे पुराने उपकरणों के आयात की अनुमति देगी जिसकी लागत नये उपकरणों की पांच या दस प्रतिशत तक ही पड़ती है तथा यद्यपि जो उनके देश में तो पुराने होते हैं परन्तु इस देश के लिए जो पुराने नहीं हैं तथा जैसा कि यहां पर मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा जो उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे है तब यह निर्मित उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा कर सकते हैं तथा कम्पनी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है । क्या मन्त्री महोदय ऐसे पुराने उपकरणों के आयात करने पर विचार करेंगे ?

श्री अरुण कुमार नेहरू : महोदय, वास्तविकता यह है कि जहां तक पूंजीगत माल का सम्बन्ध है हम अपनी विदेशी मुद्रा को सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पर खर्च करना चाहते हैं तथा सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी से अभिप्राय अनिवार्यतः पुराने उपकरणों की खरीद से नहीं है । मैं इस विषय में कोई नीतिगत वक्तव्य नहीं देना चाहता । यदि ऐसे कोई मामले आते हैं तब उद्योग मन्त्रालय द्वारा उनकी जांच की जा सकती है तथा हम उन पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेंगे ।

[हिन्दी]

श्रीमती सुभाषिनी अली : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल के दो हिस्से हैं । पहला हिस्सा यह है कि जो हमारे देश के अन्दर आयात का बिल है उसमें डिफैंस और ऑयल प्रोजेक्ट का कितना हिस्सा है ? पूरे इम्पोर्ट बिल का कितना अनुपात है ? दूसरा, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि जो मल्टी नैशनल्ज आते हैं उनके इम्पोर्ट कम्पोनेंट बहुत कम होते हैं और एक्सपोर्ट ओबलीगेशन बहुत ज्यादा होते हैं । मैं जानना चाहूंगी कि कितनी कम्पनियां अपने एक्सपोर्ट ओबलीगेशन को फुलफिल करती हैं ? जो एक्सपोर्ट ओबलीगेशन को पूरा नहीं करती हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार नेहरू : महोदय, जहां तक रक्षा संबंधी माल के आयात का संबंध है, मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता । यह वाणिज्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है··· (व्यवधान) जहां तक पैट्रोलियम का सम्बन्ध है, आयात विभिन्न मूल्यों पर निर्भर करता है । इस

समय यह लगभग 5,000 करोड़ है। इसमें भी वृद्धि हो सकती है क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं। जहां तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सम्बन्ध है, यह एक अत्यन्त ही आम प्रश्न है। प्रश्न यह है कि यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियां सौ प्रतिशत निर्यात हेतु आती हैं तब सारे माल का निर्यात किया जाता है। यदि वे किसी और कारणवश यहां आती हैं तब इसका कारण निर्यात हो सकता है तथा वह उन्हें पूरा करना पड़ेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुभाषिनी अली : अध्यक्ष महोदय, जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं, उन पर आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार नेहरू : सौ प्रतिशत निर्यात एकक के लिए पच्चीस प्रतिशत की अनुमति प्रदान करने के प्रश्न के संबंध में मैं समझता हूं कि केवल दो या तीन मामले ही ऐसे हैं जिनमें उन्हें अनुमति दी गई है तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति नहीं दी गई है बल्कि भारतीय कंपनियों को इसकी अनुमति दी गई है। इन सभी चीजों की जांच योग्यता के आधार पर की जाती है। किंतु तथ्य यह है कि हम एक अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में भी काम कर रहे हैं। आज हम बाधाओं की बात कर रहे हैं। हम स्वयं को शून्य स्तर तक नहीं ले जा सकते। हमें यह भी सोचना होगा कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है। आज, ऐसा मत सोचिए कि लोग यहां आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं···(व्यवधान)। मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा ताकि लोग भारत में पूंजी निवेश करें। यह इतना आसान नहीं हैं। और हमारे चारों ओर ऐसे देश हैं जो बहुत भारी निवेश दे रहे हैं। एक नीति के तौर पर हम भारत में 25 प्रतिशत बिक्री की अनुमति नहीं दे रहे किंतु और सभी देश 50 प्रतिशत तक दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुभाषिनी अली : मेरा सवाल कार्यवाही के बारे में था। जो काम नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे।···(व्यवधान)

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि निर्यात और आयात आवश्यकता की दृष्टि से बहुत जरूरी है। परन्तु, निर्यात और आयात में भारी अन्तर देश के लिए खतरनाक है। आयात अधिक मात्रा में अधिक होता है और निर्यात कम होता है और देश के सामने भुगतान संतुलन की समस्या खड़ी होती है। इस समय सरकार निर्यात प्रोत्साहन के कदम उठा रही है और बड़े पैसे वाले निर्यायकों पर अरबों रुपया दिया जा रहा है जिसका कोई औचित्य नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि गरीब देश पर कर का भारी बोझ न डाल कर यह रकम किसी और काम में गरीबों की सहायता के लिए लगाने के लिए तैयार हैं।

श्री अरुण कुमार नेहरू : अध्यक्ष महोदय, यह चीज समझ ली जाए कि जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें एक केश इन्सेन्टिव स्कीम होती है। उसी विषय में आप कह रहे हैं। वह स्कीम यह होती है कि जो लोकदल टैक्स होते हैं और फ्रेट चार्जेस होते हैं उसको कैलकुलेट करके जो भी एक्सपोर्टर्स

हैं उनको वापिस देते हैं। वापिस नहीं देंगे तो इंटरनेशनल मार्किट में कम्पीट नहीं कर पायेंगे। दस-पन्द्रह-बीस फीसदी ज्यादा दाम हो जायेंगे तो एक्सपोर्ट मार्किट में माल कौन खरीदेगा। यह नहीं है कि जो चीज हिन्दुस्तान से देते हैं तो वह किसी को खरीदनी है। यह जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का गैप है ··· (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि कैश इन्सेन्टिव उनको दीजिए, अगर इन्सेन्टिव नहीं देंगे तो हमारा एक्सपोर्ट भी बंद हो जायेगा और जो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के बीच में गैप हो रहा है वह और बढ़ जायेगा। जो चीज हम दस रुपए में दे रहे हैं और जिसका इन्टरनेशनल प्राइस आठ रुपए है और दो रुपए का इन्सेन्टिव दे रहे हैं कि वह कम्पीट कर पाएं। अगर विदड्रा कर लें तो आपसे कौन खरीदेगा। पूरी जो एक्सपोर्ट की नीति है तो इसका मतलब यह नहीं कि किसी को कम करने के लिए दे रहे हैं, वह तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री ए० आर० अन्तुले : महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय, वित्त मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री भी यह बात स्वीकार करेंगे कि बागवानी उत्पादों के निर्यात की काफी संभावना है, विशेष तौर पर 'एलफैंसो' आम के निर्यात में। यह क्षेत्र अभी तक उपेक्षित रहा है। दुर्भाग्य से, इस विषय पर कोई समन्वित नीति नहीं है। कई देश ऐसे हैं जहां 'उत्पादन' से लेकर 'व्यापार' के स्तर तक 'एलफैंसो' आम निर्यात नहीं किए जा रहे, शायद मध्य-पूर्व और खाड़ी देशों को छोड़कर, हालांकि फ्रांस, जर्मनी और कुछ हद तक अमेरिका और जापान से भी मांग है। इस संबंध में ए० पी० ई० डी० ए० के अध्यक्ष ने अच्छा काम किया है और मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए हमारे पास कोई समुचित नीति है जिससे ज्यादा बागवानी को प्रोत्साहन मिले, ज्यादा उत्पादन हो और निर्यात के लिए ज्यादा संसाधित उत्पाद तैयार हों। अब 36,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य है। किंतु इसमें से ज्यादातर ताजे एलफैंसो आमों के लिए निर्धारित हैं और संसाधित उत्पादों के लिए कितना निर्धारित है। क्या उसके लिए कोई निश्चित राशि निर्धारित है और यदि नहीं तो क्यों ? क्या हम ताजा फलों का निर्यात करने वाले हैं और संसाधित उत्पादों का भी या नहीं ? उन दोनों के पूरे विश्व भर में मांग हैं और इस क्षेत्र में सिर्फ हमारा ही एकाधिकार है। इसके अतिरिक्त, देश में सिर्फ एक क्षेत्र है और यदि मैं ज्यादा गलत नहीं हूं जहां इस 'एलफैन्सो' आम का उत्पादन किया जाता है। और वह है कोंकण, क्योंकि जलवायु ऐसी है और मिट्टी लाल है कि यह क्षेत्र फलों के इस राजा का विश्व बाजार में कुछ अपवादों को छोड़ कर, कोंकण के अतिरिक्त हमारे देश का एकाधिकार कायम कर सकता है। विश्व में और कहीं भी इसका उत्पादन नहीं हो सकता। तब हम निर्यात के लिए इसका पूर्ण उपयोग क्यों नहीं कर सकते जिससे हमारे देश को काफी विदेशी मुद्रा मिलेगी ? हम प्रतियोगात्मक बाजार में तो व्यापार करते हैं पर जहां कोई प्रतियोगिता नहीं है, जहां हमारा एकाधिपत्य है। वहां हम उदासीन हैं। क्या यह विरोधाभास नहीं है ?

श्री अरुण कुमार नेहरू : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और उन्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कोंकण में अप्रैल से जून, 1988 की अवधि के दौरान, वहां हमारी बिक्री 107 करोड़ रुपए की थी, वह इसी अवधि में 138 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और वास्तव में, जहां तक आमों का संबंध है फ्रांस में एक आम महोत्सव हुआ था और सारे यूरोप में सिर्फ एल्फैन्जो आम के प्रोत्साहन के लिए ही नहीं अपितु आमों की दूसरी किस्मों को

प्रोत्साहन देने के लिए भी इसी प्रकार के महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। एल्फैंजो आमों के निर्यात से स्थानीय बाजारों में भी इसके दाम बढ़ रहे हैं और कई शिकायतें आई हैं कि इसका विदेशी बाजारों में निर्यात किया जा रहा है और इसीलिए विदेशी बाजारों के दामों के स्तर तक इनका दाम बढ़ रहा है। किंतु हमारा प्रयास है कि हम अमेरिका और जापान में अपना व्यापार हिस्सा बढ़ाएं। कई अन्य समस्याओं के रूप में कई आपत्तियां उठाई गई हैं। मेरा ख्याल है कि आप उन समस्याओं को जानते हैं। वे खाद्य अधिकारियों से इसकी अनुमति लेने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु मूल रूप से ताजे फलों और ताजी सब्जियों में निर्यात में चालू वर्ष में काफी अधिक वृद्धि हुई है। दुर्भाग्य से, खाड़ी देशों में हाल की समस्याओं से हमें एक धक्का लगा है। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा बाजार है। हम निश्चित तौर पर इस पर ध्यान दे रहे हैं और यूरोप में आम महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। यह एक अकेला बड़ा बाजार है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस बाजार से प्रति इकाई हमें सबसे अधिक मूल्य प्राप्त होता है।

इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना

[हिन्दी]

*125. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० ने वर्ष 1990-91 के दौरान इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 में हुए इस्पात उत्पादन की तुलना में वर्ष 1990-91 में इस्पात के उत्पादन में प्रस्तावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख मी० टन)

मद	1989-90 वास्तविक	1990-91 योजना	वर्ष 1989-90 के वास्तविक उत्पादन की तुलना में वर्ष 1990-91 के लिए योजनाबद्ध वृद्धि का प्रतिशत
तप्त धातु	97	106	+96
अपरिष्कृत इस्पात	83	98	+184
विक्रेय इस्पात	70	78	+101

[हिन्दी]

श्री दलपत सिंह परस्ते : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा अपर्याप्त उत्पादन होने के कारण विदेशों से इस्पात आयात करना पड़ता है और उसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मैं पहले भी सदन को सूचित कर चुका हूं कि हमारे यहां अभी भी कमी चल रही है। हमारी मांग और उपलब्धता में 20 लाख टन का अन्तर है। इस्पात संयंत्र में एक व्यापक आधुनिकीकरण के कार्यक्रम के द्वारा हम अपना उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तीन आधुनिकीकरण कार्यक्रम हैं—वे है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र और बर्नपुर इस्पात संयंत्र। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के द्वारा हम अपना उत्पादन भी बढ़ा सकेंगे। किंतु फिर भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन संयंत्रों के आधुनिकीकरण के बाद भी देश में मांगब ढ़ेगी, यह मानना पड़ेगा कि नवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में लगभग 20 लाख टन इस्पात की कमी रहेगी। इसलिए, हम प्रयत्न कर रहे हैं और हमने निजी क्षेत्र में उत्पादन के लिए नीति को उदार बनाया है। दो नए इस्पात संयंत्रों के लिए हम योजना आयोग और मंत्रि-मंडल से सम्पर्क बनाए हुए हैं और अगर हमें अनुमति मिल गई तो मांग और आपूर्ति की व्यवस्था सुधारने में हम सक्षम होंगे। अब 20 लाख टन का अन्तर है और हम जो राशि खर्च कर रहे हैं उससे हम स्थिति में सुधार ला सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या हमारा इस्पात, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, पोलैंड आदि देशों से घटिया किस्म का तैयार होता है ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, ऐसा कहना उचित नहीं है। जहां तक हमारे इस्पात की गुणवत्ता का संबंध है हमारी स्थिति बहुत अच्छी है।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन यादव : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बिहार में जो बोकारो स्टील प्लांट है, रांची में उसकी उत्पादन कैपेसिटी क्या है और वर्तमान में कितना उत्पादन हो रहा है ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : जहां तक बोकारी का संबंध है, हमें उत्पादन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिसका मुख्य कारण है ऊर्जा और कोयले की कमी। हमें कोयले और ऊर्जा की बहुत बड़ी कमी का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में, मैं कुछ आंकड़े दे सकता हूं। डी० वी० सी० में 145 मेगावाट के दैनिक लोड की आपूर्ति के लिए समझौता हुआ था। यह भी सहमति थी कि कभी यह आपूर्ति 90 मेगावाट से कम नहीं होगी। किंतु पिछले कुछ महीनों में 60 मेगावाट और 30 एम० डब्ल्यू० के बीच में आपूर्ति हो रही है, और मैं सदन को सूचित कर सकता हूं कि पिछले एक सप्ताह से हमें लगातार 60 मेगावाट से कम विद्युत दी जा रही है।

एक माननीय सदस्य : उत्पादन कितना है ?

श्री दिनेश गोस्वामी : जहां तक कोयले का संबंध है । हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि आज हमारे भंडार में कोयले का सबसे कम एक दिन का भंडार है । अतः इस विद्युत उत्पादन ने कोयले के उत्पादन को भी प्रभावित किया है और कोयले और ऊर्जा की कमी से, हमें बोकारो में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है । जहां तक संभव है हम निरंतर स्थिति संभाले हुए हैं, किंतु मुझे मानना पड़ेगा कि इन कारणों की वजह से, जो हमारे नियंत्रण के बाहर है, हमारा उत्पादन प्रभावित हुआ । (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, क्या कोई स्थिति निर्धारण नीति है ? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर समान माल भाड़े की व्यवस्था हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि नया इस्पात कारखाना श्रीनगर में खोला जाता है या कत्याकुमारी में । किंतु वास्तविक लागत के रूप में देखें तो हम प्रति इकाई इस्पात का मूल्य काफी हद तक कम कर सकते हैं अगर हमारे पास एक उचित स्थिति निर्धारण नीति हो जहां कच्चा माल उपलब्ध हो जैसे बिहार, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल में इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई स्थान निर्धारण नीति है जिससे समान माल भाड़े की आवश्यकता ही न हो और इसलिए निजी क्षेत्रों की भी सिर्फ इस क्षेत्र में इस्पात कारखाने स्थापित करने की अनुमति मिले ?

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, जहां तक स्थिति निर्धारण नीति का संबंध है, विद्युत की जरूरत से भी समस्या पैदा होती है । अगर एक क्षेत्र विशेष में कई संयंत्र लगा दिए जाएं तो विद्युत की समस्या पैदा होती है । (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : वहां ज्यादा विद्युत है ।

श्री दिनेश गोस्वामी : हमारे पास ज्यादा विद्युत कैसे हो सकती है ? (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जहां ज्यादा कोयला है, उन्हें ज्यादा विद्युत भी लेने दीजिए ।

श्री दिनेश गोस्वामी : अगर मेरे माननीय मित्र मुझे ज्यादा विद्युत प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी । (**व्यवधान**)

मुझे उत्तर देने दें । बेशक इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए कच्चा माल एक महत्वपूर्ण कारक है । जहां हम यह स्वीकार करते हैं, हम यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि संयंत्रों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैला दिया जाए ।

जहां तक निजी क्षेत्र में नए संयंत्र का संबंध है, पहले तो यह कि एक विशेष क्षेत्र में विद्युत का दबाव नहीं पड़ना और दूसरे आर्थिक लाभ विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचते हैं । (**व्यवधान**)

श्री बालगोपाल मिश्र : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि सरकार किन स्थानों पर नए इस्पात संयंत्र लगाने के बारे में विचार कर रही है । दूसरे, वह विद्युत की कमी की बात कर रहे हैं, किन्तु बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कोयले के पर्याप्त भंडार हैं जहां वे रक्षित ऊर्जा संयंत्र या ताप विद्युत संयंत्र दूसरी संस्थाओं द्वारा लगवा सकते हैं । ऐसी कौन-सी समस्याएं हैं जिनके कारण वे वहां इस्पात संयंत्र नहीं लगा पा रहे ?

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, जहां तक रक्षित विद्युत उत्पादन का सम्बन्ध है, हमारे

संयंत्रों में रक्षित विद्युत उत्पादन में वृद्धि हो रही है। 1987-88 में कुल 270 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ जो 1988-89 में बढ़कर 321 मेगावाट हो गया और 1989-90 में बढ़कर यह 396 मेगावाट हो गया। परन्तु सच यह है कि कोई भी समेकित इस्पात संयंत्र पूर्ण रूप से रक्षित विद्युत पर निर्भर नहीं रह सकता। समेकित इस्पात संयंत्र को ग्रिड से विद्युत मिलनी चाहिए और यदि ग्रिड मिल हो जाती है तो हमें बहुत नुकसान उठाना होगा। यह वास्तव में विफल हो गई थी और मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी को यह मालूम हो कि डी० वी० सी० विद्युत ग्रिड वास्तव में विफल हो गई थी जिसने एक समस्या पैदा कर दी क्योंकि इससे कोयले का उत्पादन प्रभावित हुआ। इसलिए, यद्यपि हम अपनी रक्षित विद्युत में वृद्धि कर रहे हैं···(व्यवधान)

अत: इससे कठिनाई पैदा होती है। हम अपने रक्षित विद्युत संयंत्रों में सुधार कर रहे हैं, परन्तु सीमाबद्धता यह है कि केवल रक्षित विद्युत संयन्त्रों द्वारा ही हम अपने समेकित इस्पात संयंत्र को नहीं चला सकते। इसलिए, इसे चलाने के लिए ग्रिड से विद्युत सप्लाई आवश्यक है।

[हिन्दी]

श्री राघव जी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में जो इस्पात तैयार होता है, क्या उसका उत्पादन-व्यय अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है और यदि हां, तो यह अन्तर कितना है और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि हमारे देश में इस्पात का उत्पादन-व्यय कम हो जाए जिससे हमारे द्वारा उत्पादित इस्पात हमारे देशवासियों को सस्ता मिल सके ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, हमारी उत्पादन लागत अन्य देशों के बराबर है। हमारा सतत प्रयास यह है कि उत्पादन में वृद्धि करें ताकि कीमतों को कम किया जा सके। परन्तु कुछ बाहरी कारण भी हैं जिनसे उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर भाड़े में तथा कोयले और विद्युत की निवेश लागत में वृद्धि हुई है। इसलिए जहां तक बाहरी कारणों का सम्बन्ध है, उन पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं है। हमारे अपने मजदूरी बिल में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसलिए कोयले तथा विद्युत लागत और भाड़ा हमारी उत्पादन लागत को प्रभावित करते हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह उनके लिए सम्भव है कि या तो वह यह ब्यौरा सभा पटल पर रखें या सभा को सूचित करें कि वे संयंत्र कौन से हैं जिनमें वह 1990-91 के दौरान उत्पादन में वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं जहां उन्होंने 18 प्रतिशत इस्पात तथा 10 प्रतिशत गर्म धातु के लिए वृद्धि लक्ष्य रखा है। मैं विशेष तौर पर यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सलेम इस्पात संयन्त्र पिछड़ा समन्वित योजना वृद्धि योजना का ही एक हिस्सा है।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, इस समय मैं इस विषय में कोई विवरण नहीं दे सकता परन्तु यह विवरण मैं अपने माननीय मित्र को दे दूंगा। सलेम इस्पात संयन्त्र के सम्बन्ध में मेरा

उत्तर वही है जो मैंने पहले दिया है । इस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 'इस्को' का जो कारखाना बर्नपुर में है, उसके माडर्नाइजेशन की काफी चर्चा है और उसका माडर्नाइजेशन करने के बारे में जापान कन्सलटेन्ट से बातचीत भी चली थी तथा उन्होंने प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार करके सबमिट कर दी है । इसी प्रकार से दस्तूर कम्पनी से भी बात हुई और उन्होंने भी अपनी प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार कर दी है, लेकिन इस बारे में आज तक सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है जिसके कारण वहां के मजदूरों में बड़ी बेचैनी है, तो मंत्री महोदय बताएं कि उसके बारे में कब तक घोषणा हो जाएगी और उस फैक्ट्री के माडर्नाइजेशन का क्या प्रोग्राम है ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, आधुनिकीकरण होने वाला है । हमने जापानी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया है और हमने पाया कि परियोजना लागत बहुत अधिक है और दूसरे निवेश से होने वाला लाभ बहुत कम है । आई० आर० आर० 2 प्रतिशत से भी कम यानि लगभग 1.69 प्रतिशत था । हमारा मूल्यांकन पूरा हो गया है और हमने विश्व भर से निविदाएं आमन्त्रित करने का निर्णय किया है । अब, सारा प्रस्ताव पी० आई० बी० को भेजा जा रहा है । मैंने अपने को लक्ष्य तिथि पर रखा है और मैं यह महसूस करता हूं कि अगले दो सप्ताह में पी० आई० बी० से स्वीकृति हेतु हमारे मंत्रालय से भेजा जाएगा ।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष जी, हमारे देश में स्टील की शार्टेज तो है ही, परन्तु जो वेरियस क्वालिटीज की चीजें हैं, उनमें कई का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है और कई की बहुत ज्यादा शार्टेज है । उदाहरण के लिए मैं टीन प्लेट की बाता कर रहा हूं । इसकी देश में बहुत ज्यादा कमी है । क्योंकि आजकल हर चीज में पैकिंग में टीन की प्लेट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन टीन प्लेट्स की कमी की वजह से कंटेनर वगैरह बनाने के लिए आज स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सफर कर रही हैं, तो क्या मंत्री जी ऐसे स्टैप्स उठाएंगे जिससे टीन प्लेट इंडस्ट्रीज को इमीडिएट्स रिलीफ मिल सके ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि जहां तक विभिन्न वस्तुओं का सम्बन्ध है उनकी विभिन्न मात्रा में कमी है । हमें बाहरी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है । बहरहाल, हम व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं । कमी के क्षेत्र में हम उद्योग का यथासम्भव अवलोकन करने तथा बनाये रखने की कोशिश करते हैं । अपनी सीमाओं में हम उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं । फिर भी हम मांग और पूर्ति स्थिति पर निगरानी रखते हैं तथा हमारे से जो कुछ सम्भव होगा, हम करने की कोशिश करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

समाचार बुलेटिनों में सुधार करना

[अनुवाद]

*126. **श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा :**
श्री आर० गुन्डू राव :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन समाचार बुलेटिनों और उनकी विषय-वस्तु में व्यापक सुधार करने के उपाय कर रहा है, जिसमें एक उपाय राष्ट्रीय प्रसारण के अन्तर्गत हिन्दी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण समय वर्तमान 20 मिनट के स्थान पर आधे घन्टे का होगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) दूरदर्शन का सदैव यह प्रयास रहता है कि इसके समाचार बुलेटिनों की क्वालिटी में सुधार हो। शनिवार और रविवार को सायंकालीन राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले हिन्दी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों की अवधि को 20 मिनट से बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया गया है। अन्य दिनों के समाचार बुलेटिनों की अवधि बढ़ाने पर बाद में विचार किया जायेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन योजना

*127. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने परिवार पेंशन योजना आरम्भ करने की मांग की है, जैसी कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से अंशदायी भविष्य निधि के स्थान पर सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में पारिवारिक पेंशन लागू करने संबंधी योजना का एक मसौदा प्राप्त हुआ है जो सरकार के विचाराधीन है।

मर्सिडीज कारों का आयात

*128. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने वर्ष 1984 के दौरान जापान से मर्सिडीज डी-240 कारों का आयात किया था;

(ख) बीजक के अनुसार कारों का कितना मूल्य था और प्रत्येक सीमा-शुल्क की कितनी राशि का भुगतान किया;

(ग) बीजक न होने की स्थिति में स्वेच्छा से लाये जाने वाले फालतू पुर्जों पर सीमा-शुल्क का निर्धारण कैसे किया जाता है; और

(घ) किन मामलों में और किन मानदंडों के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय मूल्य सूची के आधार पर सीमा-शुल्क निर्धारित किया जाता है और इसका क्या औचित्य है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) कारों के वैकल्पिक गौण पुर्जों का मूल्यांकन, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत बनाए गए सीमा-शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियम, 1988 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है, जिसमें उन पुर्जों के मामलों में मूल्यांकन किए जाने की भी व्यवस्था है जिनके बीजक उपलब्ध नहीं होते हैं ।

(घ) जिन मामलों में सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियम, 1988 के नियम 4, 5, 6 और 7 की शर्तों के अनुसार निर्धारण नहीं किया जा सकता है, उनमें मोटर-वाहनों के मूल्य का निर्धारण निर्माता की मूल्य सूची/अन्तरराष्ट्रीय कार मूल्य सूची के संदर्भ में किया जाता है । निर्माता की मूल्य सूची/अन्तरराष्ट्रीय कार मूल्य सूची, मोटर-वाहनों के निर्धारणीय मूल्य का हिसाब लगाने के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक और उपयुक्त आधार है ।

महाराष्ट्र में पर्यटक गृहों का निर्माण

*129. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का महाराष्ट्र के नासिक और त्रिमसाक में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए पर्यटक गृहों का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से आरम्भ किए जाने की संभावना है और यह कार्य कब तक पूरा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक क्षेत्र को कृषि ऋण

[हिन्दी]

*130. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1989 और 1990 को समाप्त हुए वर्षों के दौरान अलग-अलग, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक क्षेत्र को कुल कितनी राशि के कृषि ऋण वितरित किए गए ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : जून, 1989 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रत्यक्ष कृषि ऋण की बकाया राशि 12920 करोड़ रुपए थी । मार्च, 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार, जिस अवधि के लिए अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं, यह राशि बढ़कर 15082 करोड़रुपए हो गई है । सहकारी समितियों के मामलों में जून, 1989 के अन्त की स्थिति के अनुसार

अल्पावधिक ऋणों की बकाया राशि 4335 करोड़ रुपए थी। सहकारी समितियों की मध्यम और दीर्घावधिक ऋणों की बकाया राशि इसी अवधि के अन्त की स्थिति के अनुसार 4878 करोड़ रुपए थी। सहकारी समितियों के जून, 1990 के इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा निवेश

[अनुवाद]

*131. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने आगामी वर्षों में भारत में निवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम किन-किन परियोजनाओं पर भारी निवेश करने को सहमत हुआ है;

(ग) क्या इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ कोई करार हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का भारत में कुल कितनी धनराशि का निवेश करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक की एक सम्बद्ध संस्था है और कामकाज में इसका मार्गदर्शन संस्था के अन्तर्नियमों द्वारा होता है। यह सरकारी गारंटी के बिना इक्विटी और ऋणों के रूप में विकासशील सदस्य देशों के निजी उद्यमों में निवेश करता है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का किसी एक उद्यम में निवेश सामान्यतः परियोजना लागत के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। वर्ष 1959 से भारत में परियोजनाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा 53 भारतीय कम्पनियों में अनुमोदित निवेश की कुल राशि 7755.00 लाख डालर है।

निर्यात की आय का बाहर भेजना

*132. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यात से विदेशी मुद्रा में हुई आय के लाभ का केवल कुछ प्रतिशत ही बाहर भेजने की अनुमति देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यू बैंक आफ इंडिया में अनियमितताएं

[हिन्दी]

*133. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **वित्त मंत्री** न्यू बैंक आफ इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के बारे में 30 मार्च, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 270 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू बैंक आफ इंडिया में पायी गई अनियमितताओं के बारे में अब तक जांच कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने जांच की है । बैंक से कहा गया है कि वह चूक और अनियमितताओं का नियमन करें/सुधार करे तथा चूक करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करें । अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने दिनांक 10-4-90 से अपना इस्तीफा दे दिया है ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम को मैंगनीज अयस्क की सप्लाई

[अनुवाद]

*134. **श्री राम सजीवन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने पोत पर्यन्त निष्प्रभार आधार पर फेरो श्रेणी के अयस्क की खरीद के लिए करार किया था;

(ख) क्या जिन शर्तों पर विदेशों के साथ करार किया गया, उन्हीं शर्तों पर "मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड" से उसी श्रेणी का अयस्क उपलब्ध था; और

(ग) यदि हां, तो विदेशों से अयस्क की सप्लाई को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जिस ग्रेड के अयस्क के निर्यात के लिए संविदा की गई थी, उसकी कुछ मात्रा मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (एम० ओ० आई० एल०) के पास उपलब्ध थी, परन्तु एम० ओ० आई० एल० ने एम० एम० टी० सी० द्वारा दी जाने वाली कीमत स्वीकार नहीं की । इसलिए एम० एम० टी० सी० को भारत के अन्य सप्लायरों से सप्लाई लेनी पड़ी, एम० एम० टी० सी० ने विदेश से कोई अयस्क प्राप्त नहीं किया था ।

अमालापुरम में टी० वी० ट्रांसमीटर

*135. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमालापुरम स्थित कम शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटर की ऊंचाई बढ़ाये जाने के बावजूद दूरदर्शन कार्यक्रम तीन किलोमीटर से कम क्षेत्र में ही देखे जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या तकनीकी विशेषज्ञों की यह राय है कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड अमालापुरम जैसे स्थानों के लिए उपयुक्त नहीं है जहां घने पेड़-पौधों और नारियल के ऊंचे वृक्षों के कारण दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण में बाधा पहुंचती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी (यू० एच० एफ०) बैंड के स्थान पर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी (वी० एच० एफ०) बैंड लगाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (घ) अमालापुरम में अक्तूबर, 1989 में यू० एच० एफ० बैंड पर चैनल 23 पर कार्य करने के लिए एक अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर चालू किया गया था। लेकिन ट्रांसमीटर स्थल के आसपास घने पेड़ पौधों और नारियल के ऊंचे पेड़ों के कारण इस ट्रांसमीटर का कवरेज बहुत सीमित हो गया। इस समस्या का यथासंभव समाधान करने के लिए उस स्थल की ऊंचाई जिस पर एंटेना लगाया गया था, 100 फुट से बढ़ाकर 150 फुट कर दी गई। परिणामस्वरूप ट्रांसमीटर की कवरेज में काफी सुधार हो गया। अब इस ट्रांसमीटर से दृष्टि रेखा की उपलब्धता के अनुसार किनारे के क्षेत्रों सहित संतोषजनक कवरेज प्राप्त हो रही है। क्षेत्र में ऊचे-ऊंचे पेड़ पौधे होने के कारण संतोजनक सीमा प्राप्त करने के लिए लगभग 30-40 फुट के एंटेना लगाने पड़ते हैं। 8-10 किलोमीटर से आगे के किनारे के क्षेत्रों में संतोषजनक कवरेज प्राप्त करने के लिए बूस्टर लगाने की जरूरत पड़ती है।

तथापि यह सही नहीं है कि वर्तमान टी० वी० ट्रांसमीटर के स्थान पर वी० एच० एफ० बैंड पर कार्य करने वाले ट्रांसमीटर के लगा देने से समस्या का समाधान हो सकता है। किसी टी० वी० ट्रांसमीटर की पहुंच दृष्टि की स्पष्ट रेखा की उपलब्धि पर निर्भर करती है चाहे ट्रांसमीटर वी० एच० एफ० बैंड पर कार्य कर रहा हो या यू० एच० एफ० बैंड पर। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि देश में बड़ी संख्या में वी० एच० एफ० बैंड पर टी० वी० ट्रांमीटर कार्य कर रहे हैं और यह बैंड अब काफी घना हो गया है जिसके परिणामस्वरूप निकटवर्ती ट्रांसमीटरों से फ्रिक्वेंसी के हस्तक्षेप से बचने के वास्ते देश के कुछ भागों में यू० एच० एफ० ट्रांसमीटर लगाना जरूरी हो गया है। इस कठिनाई को देखते हुए अमालापुरम में एक यू० एच० एफ० ट्रांसमीटर लगाना जरूरी समझा गया है।

कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के बैंक खातों का अंतरण

*136. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी :**
श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों द्वारा घाटी में अपने बैंक खातों में से धनराशि निकालने के बारे में क्या अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों को विस्थापित व्यक्तियों से कश्मीर से अपने बैंक खाते अंतरित कराने हेतु अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) ऐसे खातों की संख्या कितनी है जिन्हें वास्तव में अंतरित कर दिया गया है; और

(घ) क्या इन खातों के अंतरण में विलंब रोकने के लिए किसी एक निकाय द्वारा निगरानी रखी जा रही है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (घ) कश्मीरी प्रवासियों को अपने खाते परिचालित करने के वास्ते सक्षम बनाने के प्रयोजन से, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुदेश

जारी किए हैं कि वे ग्राहकों द्वारा इच्छा व्यक्त किए जाने पर कश्मीर घाटी में स्थित अपनी शाखाओं से बैंक खातों/निधियों को घाटी से बाहर अन्य शाखाओं में अन्तरित करने के वास्ते शीघ्र प्रबन्ध करें।

घाटी से खातों को अन्तरित करने के वास्ते सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 30 जून, 1990 तक कश्मीरी प्रवासियों से 4512 (लगभग) आवेदन प्राप्त हुए। 30 जून, 1990 तक 4097 (लगभग) खाते अन्तरित कर दिए गए हैं और परिचालन में हैं।

बैंकों के दिल्ली, चण्डीगढ़, जम्मू और श्रीनगर स्थित क्षेत्रीय/अंचल कार्यालय खातों के अंतरण की प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं ताकि इस प्रकार के अन्तरणों में होने वाले किसी भी प्रकार के विलम्ब को दूर किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक का जम्मू कार्यालय भी इस मामले में होने वाली कठिनाइयों का पता लगाने में बैंकों की सहायता कर रहा है।

खाद्य तेल और सीमेन्ट का आयात

[हिन्दी]

*138. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1990 से 30 जून, 1990 तक कितनी-कितनी मात्रा में खाद्य तेल और सीमेन्ट का आयात किया गया और इस आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1990-91 के दौरान और अधिक मात्रा में खाद्य तेल का आयात करने का विचार है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) (I) खाद्य तेल : दिनांक 1 जनवरी, 1990 से 30 जून, 1990 तक की अवधि में राज्य व्यापार निगम ने 112.10 करोड़ रु० सी० आई० एफ० मूल्य के 2,15,570 मी० टन पामोलीन का आयात किया।

(II) सीमेंट : जनवरी, 1990 से मई, 1990 के दौरान 19.29 लाख रु० मूल्य की 904 मी० टन सीमेंट का आयात किया गया है। सीमेंट के बारे में मई, 1990 तक आंकड़े उपलब्ध हैं।

(ख) खाद्य तेल : वर्ष 1990-91 के दौरान खाद्य तेलों का आगे आयात आगामी खरीफ मौसम में खाद्य तिलहनों के उत्पादन पर निर्भर करेगा। खाद्य तेलों के आयात में अन्य निर्णायक कारक यह होंगे :—देश में उत्पादित तेलों की कीमतें, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतें। इसलिए वर्ष 1990-91 के लिए खाद्य तेलों के और अधिक आयात की मात्रा बताना संभव नहीं है।

मध्य प्रदेश में खण्डवा में आकाशवाणी केन्द्र

*139. **श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में खण्डवा में आकाशवाणी केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके निर्माण कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त केन्द्र से नियमित प्रसारण कब तक आरंभ होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) खण्डवा के प्रस्तावित आकाशवाणी केन्द्र के शीघ्र चालू हो जाने की आशा है।

आइजोल दूरदर्शन केन्द्र का कार्यकरण

[अनुवाद]

*140. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम में आइजोल दूरदर्शन केन्द्र के विस्तार और इसकी क्षमता बढ़ाए जाने के बावजूद यहां से राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रमों का अस्पष्ट प्रसारण होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का कार्यक्रमों का स्पष्ट प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (घ) आइजोल नगर के कुछ हिस्सों में दूरदर्शन कार्यक्रमों के स्पष्ट रूप से दिखाई न देने के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आइजोल में पूर्व में कार्यरत अल्प शक्ति (100 वॉट) टी० वी० ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति (1 किलोवाट) टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित किया गया है। इस ट्रांसमीटर का एंटीना 40 मीटर ऊंचे टावर पर लगाया गया है, जबकि ऐसे मामले में आमतौर पर टॉवर की ऊंचाई 100 मीटर होती है। इससे ट्रांसमीटर की समग्र पहुंच सीमित हो गयी है। चूंकि फ्रीक्वेंसी आबंटन स्थायी सलाहकार समिति ने केवल 40 मीटर ऊंचे टावर की अनुमति दी थी इसलिए 100 मीटर की अपेक्षित ऊंचाई के टी० वी० टावर का निर्माण करना संभव नहीं था।

फिर भी, एक किलोवाट टी० वी० ट्रांसमीटर के चालू हो जाने से क्षेत्र में दूरदर्शन के समग्र कवरेज में काफी सुधार हुआ है। लेकिन कुछ स्थानों पर, जहां अल्पशक्ति ट्रांसमीटर से पहले संतोषजनक सेवा प्राप्त होती थी, मध्यवर्ती पहाड़ी इलाकों के कारण "परछाई क्षेत्र" के निर्माण के कारण सेवा पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस स्थिति में "परछाई क्षेत्र" में पारेषण की अतिरिक्त सुविधाओं की स्थापना करके सुधार किया जा सकता है। लेकिन इस सुविधा की व्यवस्था इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर निर्भर करती है।

उत्पाद शुल्क संबंधी धोखाधड़ी

*141. **प्रो० विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले बारह महीनों के दौरान उत्पाद शुल्क संबंधी धोखाधड़ी के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) इन मामलों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस प्रकार के कदाचारों को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जुलाई, 1989 से जून, 1990 की अवधि के दौरान संपूर्ण देश में विभिन्न निर्माताओं के सम्बन्ध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कथित अपवंचन के 5419 मामलों का पता लगाया गया है जिनमें 1018 करोड़ रुपयों का शुल्क अन्तर्ग्रस्त होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) इन मामलों की जांच पड़ताल करने तथा निर्माताओं द्वारा कथित रूप से अपवंचित शुल्क की मांग के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए पहले ही कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है।

(ग) शुल्क अपवंचन का पता लगाना एक सतत प्रक्रिया है। ऐसे भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए सरकार के अपवंचन-रोधी तन्त्र को मजबूत बना दिया गया है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन का पता लगाने वाले अधिकारियों की संख्या में हाल ही में वृद्धि की गयी है। क्षेत्रीय कार्यालय को सतर्क कर दिया गया है तथा उन्हें संदिग्ध-एक्कों आदि पर चौकसी, नाकाबन्दी, निगरानी और बढ़ा देने के लिए कहा गया है। अभियोजन के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांतों को और अधिक अर्थपूर्ण तथा विस्तृत कराने के लिए इनमें भी संशोधन किया गया है ताकि शुल्क अपवंचकों के खिलाफ सुनिश्चित रूप से संरुत कार्यवाही की जा सके।

पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन विकास

*142. **डा० सुधीर राय** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार की पूर्वी क्षेत्र में अर्थात् पुरी-भुवनेश्वर-कोणार्क, कलकत्ता-सुन्दरवन-दिघा, दार्जीलिंग आदि, में पर्यटन विकास की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) पर्यटन का विकास करने का प्रमुख दायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों के परामर्श से वर्ष 1990-91 के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता हेतु पूर्वी क्षेत्र के राज्यों सहित विभिन्न राज्यों के संबंध में अनेक परियोजनाओं/स्कीमों की प्राथमिकता निर्धारित की है।

पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से निम्नलिखित नए परिपथ भी निर्धारित किए गए हैं :—

1. भुवनेश्वर-चिल्का झील और ललितगिरि-रत्नगिरि
2. पटना-राजगीर-नालंदा-बोधगया
3. कलकत्ता-सुन्दरवन-कलकत्ता
4. कलकत्ता-शान्तिनिकेतन-विष्णुपुर-कलकत्ता
5. कलकत्ता-दार्जिलिंग-कलिम्पोंग

6. कलकत्ता-पटना-राजगीर-नालंदा-बोधगया ।

बासमती चावल का निर्यात

1414. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा अरब देशों को वर्ष-वार कितनी-कितनी मात्रा में बासमती चावल निर्यात किया गया; और

(ख) इससे प्रत्येक देश में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख)

मात्रा : मीट्रिक टन
मूल्य : करोड़ रु० में

	1987-88		1988-89		1989-90	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सोवियत संघ	148205	1.3	130746	100.32	109982	86.76
यू० के०	20001	23.45	23018	26.89	15796	16.60
बहरीन	12565	12.49	5825	6.37	9900	14.87
कुवैत	32497	32.79	33890	37.06	46852	54-03
ओमान	25759	25 00	17925	16.65	12961	13.47
कतार	1249	1.26	1081	1.18	625	0.79
साऊदी अरब	97908	98.34	108521	107.65	159739	173.27
यू० ए० ई०	16073	17.38	16712	22.54	23374	27.16

स्रोत: कृषि एवं संशाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ।

डुंगरपुर, राजस्थान में रिले केंद्र

[हिन्दी]

1415. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में डुंगरपुर में स्थापित दूरदर्शन रिले केन्द्र से प्रसारित टी० वी० कार्यक्रम शहर के अधिकांश भागों में दिखाई नहीं देते; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस रिले केन्द्र को किसी अन्य ऊंचे स्थान पर ले जाने का विचार है ताकि इस आदिवासी क्षेत्र के अधिक संख्या में लोग इस केन्द्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को देख सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख)

डुंगरपुर के अल्प शक्ति (100 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर से भूभागीय स्थिति के कारण उत्पन्न परछाई क्षेत्रों के कारण उसके सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले नगर के कुछ भागों में कार्यक्रम नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस ट्रांसमीटर को किसी अन्य स्थान पर ले जाना उपयुक्त स्थल की उपलब्धता और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर करता है।

अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा

[अनुवाद]

1416. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसी अन्य देश से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यटन के विकास के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह को कितनी सहायता दी जा चुकी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान और अब तक संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को 110.87 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई है।

फूलों का निर्यात

[हिन्दी]

1417. **श्री एम० एस० पाल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीधे किसानों से फूल खरीद कर उनका निर्यात करने के लिए किसी एजेंसी की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्पंज आयरन इंडिया लि० द्वारा स्पंज लौह के एकक स्थापित करना

[अनुवाद]

1419. **श्री बलवन्त मणवर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पंज आयरन इंडिया लि० का चार राज्यों में स्पंज लौह के एकक स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये एकक किन-किन राज्यों में स्थापित किये जायेंगे और उन्हें इन राज्यों में स्थापित किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये एकक औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थापित किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात में दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना

1420. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात में कितने दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ख) ये केन्द्र जिलावार कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) दूरदर्शन की वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, कई दूरदर्शन ट्रांस-मीटर स्थापित करने की व्यवस्था है लेकिन उनके स्थानों का चयन, देश के कवर न हुए विभिन्न भागों में दूरदर्शन सेवा के विस्तार के लिए उनकी परस्पर प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में खनिजों के लिए सर्वेक्षण

[हिन्दी]

1421. **श्री एस० सी० वर्मा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान खनिजों की खोज के संबंध में नरसिंहपुर जिले में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने नरसिंहपुर जिले में उपलब्ध चूना-पत्थर और लौह-अयस्क के खनन की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कृत सर्वेक्षणों से कोयला, डोलोमाइट/चूना-पत्थर तथा लौह अयस्क होने के संकेत मिले हैं। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा मोहपानी कोयला खान में 300 मीटर की गहराई तक 7.83 मिलियन टन अकोकर कोयला भंडारों का आकलन किया गया है। इस जिले में बी० एफ० ग्रेड चूना पत्थर के 3.004 मिलियन टन संभावित भंडार होने का भी अनुमान है। लौह अयस्क के कोई सम्पन्न भंडार नहीं मिले हैं।

(ग) और (घ) प्रारम्भिक अन्वेषणों से संकेत मिला है कि लौह अयस्क तथा चूने के पत्थर के निक्षेप इतने आर्थिक महत्व के नहीं हैं, कि उनका बड़े पैमाने पर विदोहन किया जा सके।

राजस्थान में लाइसेंस प्राप्त पर्यटक गाइड

1423. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने पर्यटक गाइडों को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) राजस्थान में केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे पर्यटक गाइडों को लाइसेंस जारी करने की क्या आवश्यकता है;

(ग) इस संबंध में दो तरफ से लाइसेंस देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या बिना लाइसेंस वाले गाइडों को ऐतिहासिक स्थान दिखाने से मना किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने 56 पर्यटक गाइडों को लाइसेंस जारी किए हैं जो जयपुर में तैनात हैं तथा उनका कार्य क्षेत्र भारत का सम्पूर्ण उत्तरी क्षेत्र है। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग ने 10 गाइडों को लाइसेंस जारी किए हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के 4 कर्मचारियों को पर्यटक गाइड लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ख) राजस्थान भारत के प्रमुख पर्यटक गंतव्यों में से एक है जहां प्रत्येक वर्ष बहुत बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। इन पर्यटकों को राजस्थान के विभिन्न पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्यटक गाइड सेवा की आवश्यकता पड़ती है तथा इनमें से बहुत से गाइड अंग्रेजी के अलावा विभिन्न विदेशी भाषाओं में बात कर सकते हैं।

(ग) राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटक गाइडों को जारी किए गए लाइसेंस केवल उन्हीं स्थानों के लिए वैध होते हैं जिनके लिए इन गाइडों को प्रशिक्षित किया गया था जैसे कि उदयपुर, जयपुर और जोधपुर जबकि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेंस संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र के लिए वैध होते हैं।

(घ) केंद्रीय पुरातत्वीय अधिनियम तथा राजस्थान सरकार के राज्य पुरातत्वीय अधिनियम के अनुसार राजस्थान में पुरातात्विक स्मारकों में किसी भी ऐसे गाइड को प्रवेश पाने और गाइड के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है जिसके पास लाइसेंस नहीं है।

(ङ) ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बिना लाइसेंस के गाइड अप्रशिक्षित होते हैं तथा प्राचीन स्मारकों के बारे में ठीक-ठीक जानकारी देने के संबंध में उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

कॉफी पर खरीद कर

[अनुवाद]

1424. **श्री बी० राजरधि वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को स्पष्ट करने के लिए कॉफी अधिनियम में संशोधन करने की मांग की गई है कि अनिवार्य रूप से तथा सांविधिक रूप से बोर्ड को सप्लाई की जाने वाली कॉफी को बिक्री अथवा खरीद नहीं माना जाना चाहिए ताकि इसे खरीद/बिक्री कर की परिधि से मुक्त रखा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा इस मामले की जांच की गई थी और विविध कारणों से इस मामले को और आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।

बिहार में पर्यटन विकास

[हिन्दी]

1425. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या पर्यटन मंत्री उत्तरी बिहार में कुछ स्थानों के विकास के बारे में 20 अप्रैल, 1990 के अतारांतिक प्रश्न संख्या 5733 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने सीतामढ़ी और वैशाली के साथ-साथ बलि-राजगढ़, कल्याणेश्वर (कलना) गौतमकुंड, अहिल्यास्थान, भिस्पी, अश्वगढ़ आदि पुरातत्वीय और प्रागैतिहासिक महत्व के तीन पर्यटन केन्द्रों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई और ये प्रस्ताव कब तक स्वीकृत कर दिए जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) पर्यटन मंत्रालय को, 1990-91 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता के विचार हेतु प्रश्न में उल्लिखित स्थानों के संबंध में सिवाए निम्नलिखित दो प्रस्तावों को छोड़कर, कोई प्रस्ताव प्राथमिकता हेतु प्राप्त नहीं हुआ है—

1. वैशाली में अभिषेक पुष्करणी का विकास
2. वैशाली में कुटीरों का निर्माण

(ख) और (ग) राज्य सरकार से अनुमानों सहित विस्तृत परियोजना प्रस्तावों की प्रतीक्षाहै।

कम्पनियों की निर्यात सम्बन्धी वचनबद्धता

[अनुवाद]

1426. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) उन कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और कंपनी-वार अपनी निर्यात वचनबद्धताओं को पूरा नहीं किया है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के पश्चात् कुछ कंपनियों के मामले में निर्यात संबंधी वचनबद्धताओं में परिवर्तन हुआ है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार भुगतान संतुलन की स्थिति को और बिगड़ने के रोकने के लिए मासिक आधार पर निर्यात संबंधी बचनवद्धताओं पर निगरानी रखने का है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) एक समेकित विवरण संलग्न है जिसमें उन एककों की सूची दी जा रही है जो 1985, 1986 तथा 1987 के दौरान अपने निर्यात दायित्व पूरा करने में असफल रहे ।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के बाद निर्यात दायित्व में परिवर्तन उद्योग मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों की सिफारिश पर किया जाता है । इस प्रकार यह जानकारी मन्त्रालय में नहीं रखी जाती है ।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

31-12-85, 31-12-86 तथा 31-12-87 को समाप्त वर्ष के दौरान निर्यात दायित्व पूरा न करने की सूची

फर्म का नाम

जोशी फोमलेक्स प्रा० लि०

मै० सौराष्ट्रा कैमिकल्स

मै० इंडियन ड्यस्टफ्स इंडस्ट्रीज

मै० बिरला काटन स्प्रिंग आफ वीविंग मिल्स लि०

मै० डटमैटिव कंसूलटेंट प्रा० लि०

मै० टाटा कैमिकल्स लि०

मै० टी नांमेकलाल मैनी० क० लि०

मै० दी इंडियन एल्यूमीनियम क० लि०

मै० रूस्तम होजरी इंडिया लि०

मै० इंडियन फर्मा कैब्स आफ कैमिकल्स लि०

मै० बाटलीबोई एंड कं० प्रा० लि०

मै० महेन्द्र नाथ

मै० सेन अल्टरहेमर प्रा० लि०

मै० आइ एफ एस फोटोकेमी प्रा० लि०

फर्म का नाम

मै० कांस्टिमेंट साफ्टवेयर लि०

मै० प्राज्ञा के० सेठ

मै० दा बाम्बे फाईन वोस्टल मैन्युफैक्चर्स

मै० ऊषा मार्टेन ब्लेक (वायरकोप लि०)

मै० ईगल रेप्टिल एक्सपोर्टिंग कं० (1958) प्रा० लि०

मै० मैटल बाक्स कं० ओपी (इंडिया) लि०

मै० हिन्दुस्तान लीवर लि०

मै० मीरा निटवीयर वर्क्स प्रा० लि०

मै० राघव इलैक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्रीज

मै० संगेमरर इंडिया (प्रा०) लि० जयपुर

मै० बाडको टूल (प्रा०) लि०, गाजियाबाद

मै० ओरिएन्ट सिरामिक एंड इंडस्ट्रीज लि०, नई दिल्ली

मै० के० जी० खोसला कंप्रेसर्ज लि०

मै० कम्प्यूटर डाइमनशंस इंटरनेशनल, दिल्ली

मै० एफ रिलेस (प्रा०) लि०, नई दिल्ली

मै० ई० ओ० पी० फिनान्स एंड मैनेजमेंट कंसलटैन्ट्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली

मै० पारीट्टस एंड स्पानसर्ज (एशिया) लि०

मै० संजय मार्बलज लि०, नागपुर

मै० अमर वाल्वज (प्रा०) लि०, नई दिल्ली

मै० कंटीनेन्टल मार्बल्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली

मै० इंटरनेशनल डाटा मैनेजमेंट (प्रा०) लि०, नई दिल्ली

मै० रेनवैक्सी लैब्ज लि० मोहाली

श्री अशोक चढा, नई दिल्ली

मै० खेतान मिनरल्स (प्रा०) लि०, जयपुर

मै० अनुपम टाइल्स (प्रा०) लि०, अजमेर

मै० रघुनन्दन पी० डी० एंड संज मकराना

मै० एसोसिएटिड स्टोन्स इंडस्ट्रीज (कोटा) लि०, रानीगंज मंडी

मै० प्रीमियर वेन्यल फ्लोरिंग लि०, सिकन्दराबाद

मै० कानटेक इंटरनेशनल साफ्टवायर मैन्युफैक्चरिंग (प्रा०) लि०, नई दिल्ली

मै० सरजीकेम प्रोडक्ट्स (आई) प्रा० लि०, नई दिल्ली

फर्म का नाम

मैं० मानग मार्किटिंग (प्रा०) लि०, नई दिल्ली

मैं० मारवलैक्स कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, नई दिल्ली

मैं० मोदी ए० आर० सी० इलैक्ट्रोड्स कं० मोदीनगर

मैं० बरेजा निपिंग फास्नर्स, गुड़गांव

मैं० यूनीवर्सल मैगनेटिक (प्रा०) लि०, चंडीगढ़

मैं० इंडियन एल्युमिनियम केबल्स लि०, नई दिल्ली

मैं० इंडियन शेविंग प्रोडक्ट्स लि०, नई दिल्ली

मैं० एम० वी० एंड कं० लि०, नई दिल्ली

मैं० नोएडा स्टोन्स कं० प्रा० लि०, दिल्ली

मैं० इन्फोटेक कंसलटैंट्स प्रा० लि०, नई दिल्ली

मैं० त्रिस्टार इंडस्ट्रीज (फैलटिंग) प्रा० लि०, दिल्ली

मैं० स्टाललियन शोक्स लि०, नई दिल्ली

मैं० अवन्ती लैदर्ज, चित्तौड़

मैं० स्वपनिका टाइल्स प्रा० लि०, जयपुर

मैं० विनीत उद्योग लि०, उदयपुर

मैं० निवार मार्बल इंडस्ट्रीज लि० अबुरोड जिला सिरोडी

तिरुपति ग्रेनाइट प्रा० लि०, रामगंज मंडी, कोटा

मैं० आर० ए० एस० कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, जयपुर

मैं० आर० एस० आर० के० मार्बल्स लि० जयपुर

विनीत उद्योग लि०, उदयपुर

मैं० एच० एच० मार्बल एंड ग्रेनाइट प्रा० लि०, नागौर

मैं० ग्लोबल ग्रेनाइटमार्म लि०, जयपुर

मैं० राजेन्द्र डाईंग एंड मैन्यु० मिल्स लि०, अहमदाबाद

मैं० मोनोग्राम मिल्स कं० लि० अहमदाबाद

मैं० अतुल प्रोडक्ट्स लि० अहमदाबाद

मैं० दीपक रबड़ इंडस्ट्रीज, विलसाद

मैं० साइस्टार ज्वैलरी मैन्यु कं० वापी

मैं० न्यूडिमंशियल मिल्स लि० अहमदाबाद

मैं० विशाल मालेआब्स, अंकलेश्वर

फर्म का नाम

मै० श्री वल्लभ ग्लास वर्क्स लि० वी० वी० नगर

मै० महेन्द्र इलैक्ट्रिकल्स लि० नाडीयोड

मै० दि न्यू इंडिया इंस्ट्रीज, बरोदा

मै० हिमसंस टैक्सटाइल्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, सूरत

मै० ब्रितानिया इंडस्ट्रीज लि० बिसीशा

मै० अपोलो टायर्स लि० कोचीन

मै० सदर्न विनीर्ज एंड बक्र्स लि० तेल्लीचेरी

मै० सौरा मार्बल्स इंडस्ट्रीज कुपवार, काश्मीर

मै० गर्वनमेंट वेमिना वूलन मिल्स, काश्मीर

मै० आल इंडिया ग्रेनाइट वर्क्स, बंगलौर

मै० डायमंड डाईज मैन्यूफैक्चरिंग कार्पो०, मैसूर

मै० ग्रेवज कॉटन एंड कं० लि०, बम्बई

मै० आरनोल्ड पब्लिशर्ज (आई) प्रा० लि०, नई दिल्ली

मै० इंडस्ट्रीयल केबल्स (आई) लि० राजपुरा

मै० हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई

मै० एवट लैब्ज (इंडिया) लि० बम्बई

मै० इंडियन मैटल्स एंड फैरो अलाएस लि० भुवनेश्वर

मै० हरियाणा टैनरीज लि० जींद

मै० गैस्ट कीन विलियम्स, नई दिल्ली

मै० भारत लिन्डर (प्रा०) लि०, बम्बई

मै० गार्डन वुड रूफ लि०

मै० इंटरनेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०

मै० कैंडबरी इंडिया लि०, नई दिल्ली

मै० गार्डन वुड रूफ लि०, मद्रास

मै० इमिकोलोन (आई) लिमिटेड

मै० बेया इंडिया लि०

मै० किशको कल्ट्री लि०

मै० सिमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स लि०

मै० बिकोन लि०

फर्म का नाम

मै० डा० डेक कं० इंडिया लिमि०

मै० गेस्ट कीन विलियम्स लि०

मै० कलर चेम लि०

मै० कैडबरी इंडिया लि०

मै० जी० ई० सी० कलकत्ता

मै० डेकोन लैदर लि०, हैदराबाद

मै० इंगरसोल रैंड (आई) लि०

मै० एसोसिएटिड सिमेंट कम्पनीज

मै० ग्रींडवेल मोटर लि०

मै० कलर कार्टन लि०

मै० ईस्टर्न चेम्फर्ब

मै० इंगरसोल रैंड (आई) लि०

मै० हिन्दुस्तान सिबा जैजी लि०

मै० इंडियन स्पाईसिलिंग (मैकेनिकल) एसरिज लि० कलकत्ता

मै० हिन्दुस्तान गैस एंड इंडस्ट्रीज लि०

मै० डागर डोरस्ट टूल्स लि०

मै० भारत रेडियेटर्स प्रा० लि०

मै० एक्सपोर्ट्स (इंडिया)

मै० आऊडिया इंडिया लि०,

मै० इंडियन डुप्लीकेटर्स कं० लि०

मै० इंगरसोल लैंड (आई) लि०

मै० हरबंस लाल मल्होत्रा एंड संस

मै० भारत रेडिरेटर्स प्रा० लि०

मै० हिन्दुस्तान सिबा जेजी

मै० अकबर लैदर लि० मद्रास

मै० सी० अब्दुल रहमान एंड कं०

मै० फूड स्टेशलिटिज लि०

मै० सी० ए० अख्तर एंड कं०

मै० कोंकन फिशरीज प्रा० लि०

फर्म का नाम

मै० एस्कोर्ट लि०

मै० बिजनेश मशीन (इ) लि०

मै० फेरीदा शूज प्रा० लि०

मै० लंदन स्टार डायमंड इं० लि०

मै० मार्शल संस एंड कं० (इ) लि०

मै० जेएन मार्शल इंजी० प्रा० लि०

मै० न्यू० स्टैंडर्ड इंजी० कं० लि०

मै० नीडल इंडस्ट्रीज लि०

मै० मे एंड बेकर (इ) लि०

मै० विद्युत मैटलिक्स लि०

मै० दा नेमंड्स वुडन मिल्स लि०

मै० संदोज इंडिया लि०

मै० इंग्रेसोल रेंड इंडिया प्रा० लि० बम्बई

मै० सहायड्री डियटफ एंड केमिकल्स

मै० साराभाई केमिकल्स लि०

मै० स्टार टेक्सटाइल इंजी० वर्क्स लि०

मै० परफेक्ट फेस्टनर्स प्रा० लि०

मै० सहायड्री डियटफ एंड केमिकल्स

मै० रानीपल लेदर फिनिशिंग प्रा० लि०

मै० मफतलाल प्लाइवुड इंडस्ट्रीज

मै० यूनियन कारबाइड लि०

मै० एमजे फारम्यूस्यूटिकल्स

मै० नेशनल इंजी० इंडस्ट्रीज

मै० किलब्रो एल्बर्ट कं० लि०

मै० माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स कं० लि०

मै० मेफेयर लेदर इंडस्ट्रीज लि०

मै० सेठू शूज प्रा० लि०

मै० सन शिप लि०

मै० महाराष्ट्रा लेदर लि०

मै० इंडियन रेयोन कारपो० लि०

फर्म का नाम

मै० जमील लेदर एंड अपर्स

मै० होचेस्ट डेस एंड केमिकल्स

मै० ग्लोजो लैबोलेटरीज (इंडिया) लि०

मै० लेदर क्राफ्ट इंडिया प्रा० लि०

मै० श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग लि०

मै० जे० सी० ग्लास लि०

मै० नेमेस्टा लेदर गारमेंट्स लि०

मै० स्पाइसेज स्टील लि०

मै० टी० आई० मिल्स लि०

मै० रोचे प्रोडक्ट्स लि०

मै० श्री दिनेश मिल्स लि०

मै० गुजरात स्टेट फरीदाबाद

मै० इंडियन रेयोन कारपो० लि०

मै० लोढ़ा मारबल्स

—वही —

मै० तीरूपति ग्रेनिट प्रा० लि०

मै० स्पेक्टा सेरेमिक प्रा० लि०

मै० साउथ ईस्ट टेनिंग कं०

मे० बिमेटल बियरिंग लि०

मै० पदमा इलैक्ट्रानिक लि०

मै० साउथ ईस्ट फुटवीयर लि०

मै० ल्यूकस टी० वी० एस० लि०

मै० ग्रीव्स काटन एंड कं० लि०

मै० सूमेक इंजीनियरिंग, लखनऊ

मै० मेटल बाक्स लि०

मै० वोल्टास लि०

मै० जी० ई० सी० लि०

मै० बी० आर० कुमार

मै० इंड्रोल कैमिकल्स लि०

मै० इलैक्ट्रो मोबाइल्स लि०

फर्म का नाम

मैं० मोर्जे शार्प एंड ढोहमा आफ इंडिया लि०

—वही—

मैं० रेस केमोल प्रा० लि०

मैं० येन्यूमेटिक कंट्रोल इक्वीपमेंट प्रा० लि०

मैं० पोएनीर लेदर फिनिशर प्रा० लि०

महाराष्ट्र में इस्पात उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी करना

1427. **डा० वेंकटेश काबड़े** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों में महाराष्ट्र राज्य में इस्पात उत्पादन हेतु कोई नए लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये लाइसेंस किन स्थानों पर संयंत्र लगाने के लिए जारी किए गए हैं; इनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी और इनसे कितना लाभ हो सकेगा ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) सतत रूप से ढलवें इस्पात के गोल बिलेटों के निर्माण के लिए पुणे (महाराष्ट्र) मेजिजोरी में 15,00,000 लाख मी० टन वार्षिक क्षमता की एक परियोजना स्थापित करने के लिए मैसर्स इंडियन सीमलेस स्टील एण्ड अलायस लि० को एक आशय पत्र जारी किया गया था। इस प्रकार की परियोजनाओं की लाभकारिता का मूल्यांकन वित्तीय स्वीकृति के पूर्व वित्तीय संस्थानों द्वारा किया गया है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

1428. **श्री कैलाश मेघवाल** :

श्री अशोक आनंदराव देशमुख :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जिन व्यापारिक घरानों पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से प्रत्येक पर विशिष्टतः क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में की जा रही छानबीन के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

वर्ष 1989 में खनन संबंधी पट्टों की स्वीकृति

1429. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार खनन संबंधी कितने पट्टे मंजूर किए गए;

(ख) दिनांक 31 जुलाई, 1990 तक पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी न दिए जाने के कारण सरकार के पास, कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े थे; और

(ग) लंबित पड़े आवेदन-पत्रों पर कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पृथक पर्यटन पुलिस बल गठित करने का प्रस्ताव

1430. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पृथक पर्यटन पुलिस बल गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को पर्यटकों के लिए पुलिस बल गठित करने का खर्च वहन करने हेतु धन उपलब्ध करायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनस जैसे महत्वपूर्ण केन्द्रों पर पर्यटकों की सहायता के लिए अपने खर्चे पर तथा अपने ही स्टाफ में से छोटे से पुलिस बल का गठन किया है । तथापि, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित पर्यटक पुलिस बल का अलग से गठन किया जाए ।

श्यामजी कृष्ण वर्मा के जीवन पर फिल्म

[हिन्दी]

1431. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महान क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा के जीवन पर कोई वृत्त चित्र सरकार की अनुमति से तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे प्रदर्शित करने में अब तक विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) उन महान क्रांतिकारियों के नाम क्या-क्या हैं जिनके जीवन पर अब तक वृत्त चित्र तैयार किए गये हैं; और

(घ) इन फिल्मों को किन-किन अवसरों पर प्रदर्शित किया जाता है और क्या सरकार का विचार इन फिल्मों को टेलीविजन पर प्रसारित करने का है

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) संलग्न विवरण अनुसार ।

(घ) इन फिल्मों को दूरदर्शन पर आमतौर पर तभी प्रदर्शित या प्रसारित किया जाता है जब ऐसे अवसर आते हैं, उदाहरण के लिए, संबंधित राष्ट्रीय नेता/स्वतंत्रता सेनानी की जयंती/पुण्य तिथि हो या किसी विशेष घटना की तारीख हो जिसमे कोई विशेष राष्ट्रीय नेता या स्वतंत्रता सेनानी संबंधित हो ।

विवरण

1. भगतसिंह—1970
2. बाघा जतिन—1977 (जतीन्द्र नाथ मुखर्जी)
3. ए सौंग फार बिर्सा—1981 (सेनापति बापत)
4. चन्द्रशेखर आजाद—1983
5. वीर सावरकर--1983
6. बाबा जस्सा सिंह अहलुवालिया—1985.

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में धोखाधड़ी

[अनुवाद]

1432. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली डिमांड ड्राफ्टों के जरिए सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के साथ लगभग 47 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह धोखाधड़ी किस प्रकार की गई है;

(ग) क्या अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी इस प्रकार की स्थिति से निपटने हेतु रोकथाम के क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि कलकत्ता में उनके 2 कार्यालयों में 47.06 लाख रुपए की राशि के 5 जाली मांग ड्राफ्ट पेश किए गए तथा उनका भुगतान किया गया था। 11.74 लाख रुपए के 2 अन्य जाली ड्राफ्टों का भुगतान उनकी शोलापुर शाखा में किया गया। गिरगांव शाखा, बम्बई के स्टाक से 50 पृष्ठों की एम० आई० सी० आर० मांग ड्राफ्ट बुक की चोरी का पता चला है। इन ड्राफ्ट पृष्ठों (लीव्स) का इस्तेमाल करके अपराधियों ने बैंक की कलकत्ता तथा शोलापुर शाखाओं की फर्जी फर्मों के नाम मांग ड्राफ्ट तैयार कर लिए।

(ग) बैंक ने उपर्युक्त सभी केन्द्रों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी हैं। कर्मचारियों की चूक का पता लगाने के लिए आंतरिक जांच प्रारम्भ की गयी है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के नाम अपने 1-10-1977 के परिपत्र में कहा है कि बैंक ड्राफ्ट फार्मों को सुरक्षा मद माना जाए और उसे प्राधिकृत पर्यवेक्षी अधिकारी के संरक्षण में रखा जाए। बैंकों से आशा की जाती है कि वे ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करेंगे।

केरल में उच्च शक्ति वाले और कम शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का कार्यकरण

1433. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री पी० सी० थामस :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उच्च शक्ति वाले और कम शक्ति वाले कितने दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का केरल में कम शक्ति वाला अथवा उच्च शक्ति वाला कोई और ट्रांसमीटर लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास कोई ऐसे प्रस्ताव हैं कि केरल के कन्नोनार तथा वायनाड जिलों में सभी पर्वतीय क्षेत्रों में दूरदर्शन कार्यक्रम देखे जा सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) केरल में इस समय दो उच्च शक्ति (10 कि० वाट) तथा 13 अल्प शक्ति (100 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) सातवीं योजना की आगे लायी गयी योजना के रूप में कालिकट में एक उच्च शक्ति (10 कि० वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर, पहले ही लगाया जा रहा है। तथापि, योजना आयोग द्वारा अभी तक आठवीं योजना के लिए आबंटन न किए जाने के कारण योजना के अधीन राज्य में स्थापित की जाने वाली टी० वी० परियोजनाओं का ब्यौरा बताना सम्भव नहीं है।

(घ) और (ङ) यद्यपि कन्नानोर जिले में तेल्लिचेरी और कन्नानोर में एक-एक अल्प शक्ति (100 वाट) ट्रांसमीटर और वायनाड में कालपेटा में एक अल्प शक्ति (100 वाट) ट्रांसमीटर काम कर रहा है, लेकिन कालिकट में लगाए जा रहे उच्च शक्ति (10 कि० वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर के चालू हो जाने से इन जिलों में दूरदर्शन सेवा में सुधार होने की आशा है। इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए सरकार का यह प्रयास है कि इन जिलों के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा का यथाशीघ्र विस्तार किया जाए।

विदेशों में बिक्री केन्द्र खोलना

1434. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों में बिक्री केन्द्र खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में भरे रहे कमरों की प्रतिशतता

1435. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में वर्ष-वार और होटलवार कितने-कितने कमरे भरे रहे ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	होटल का नाम	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	75	80	84
2.	होटल अशोक, बंगलौर	53	60	61
3.	कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट, कोवलम	66	72	74
4.	कुतब होटल, नई दिल्ली	82	80	77
5.	ललिता महल पैलेस होटल, मैसूर	53	55	61
6.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	58	58	59
7.	सम्राट होटल, नई दिल्ली	77	80	79
8.	कनिष्क होटल, नई दिल्ली	79	74	74
9.	जनपथ होटल, नई दिल्ली	84	80	84
10.	होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी	42	40	41
11.	होटल जयपुर अशोक, जयपुर	68	69	64
12.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	66	61	65
13.	होटल आगरा अशोक, आगरा	58	70	73
14.	खोदी होटल, नई दिल्ली	68	63	71
15.	रणजीत होटल, नई दिल्ली	72	62	65
16.	टेम्पल बे अशोक बीच रिसोर्ट, मल्लापुरम	51	55	64

1 2	3	4	5
17. होटल मदुरै अशोक, मदुरै	38	47	47
18. होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	37	41	46
19. होटल हसन अशोक, हसन	32	39	48
20. अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	85	84	86
21. होटल जम्मू अशोक, जम्मू	36	40	36
22. होटल खजुराहो अशोक, खजुराहो	33	34	39
23. होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	49	48	60
24. होटल बोधगया अशोक, बोधगया	—	35	34
25. होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद	45	45	48
जोड़	70	70	72

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार

1436. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत और आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो आगामी पांच वर्षों के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) दोनों देशों द्वारा किन-किन क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम लगाने का विचार है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) भारत और आस्ट्रेलिया ने रेल दूरसंचार के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहन देना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त खनन, ऊन, ऊर्जा, खाद्य संसाधन आदि जैसे अन्य क्षेत्रों को सहयोग के क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

विवरण

(ख) भारत और आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं :

(1) भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त व्यापार परिषद् की नियमित बैठकों के मंच के माध्यम से भारत और आस्ट्रेलिया के व्यापारियों के बीच सम्पर्कों को बढ़ाना।

(2) संयुक्त व्यापार समिति की स्थापित व्यवस्था/तंत्र के माध्यम से वार्षिक व्यापार परिचर्चा आयोजित करना।

(3) आस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त मंत्रालयों में आयोग की बैठक आयाजित करना।

(4) आस्ट्रेलिया में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अधिक से अधिक भाग लेना।

(5) आस्ट्रेलिया सरकार की विपणन परामर्शदात्री सेवा की सहायता के माध्यम से आस्ट्रेलिया में केवल भारतीय उत्पादों का ही प्रदर्शन करना।

(6) आस्ट्रेलिया में क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना।

(7) दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान करना।

दिल्ली में प्रोपर्टी डीलरों द्वारा काले धन का सृजन

1437. **श्री जनार्दन पुजारी :**
श्री अगन्नाथ सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में प्रोपर्टी डीलरों द्वारा सृजित काले धन का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान प्रोपर्टी डीलरों से आयकर के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गई ?

वित मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम की धारा 133-क तथा 133-ख के उपबंधों के अधीन दिल्ली में विविध परिसरों पर, जहां पर कारोबार अथवा व्यवसाय चलाया जाता है, जिसमें प्रोपर्टी डीलरों के परिसर भी शामिल है, किए गए सर्वेक्षणों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

वित्तीय वर्ष	धारा 133-क के अधीन सर्वेक्षण (परिसरों की संख्या)	धारा 133-ख के अधीन सर्वेक्षण (परिसरों की संख्या)
1989-90	167	1,03,999
1990-91 (जून, 1990 तक)	160	1,118

सर्वेक्षण पूरा होने के बाद इन मामलों पर समुचित अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है।

(ग) दिल्ली में स्थित प्रोपर्टी डीलरों से, जिनमें ऐसे प्रोपर्टी-एजेंट, भवन-निर्माता तथा प्रमोटर भी शामिल हो सकते हैं तथा जिनका कर-निर्धारण व्यष्टियों, कम्पनियों, फर्मों आदि के रूप में हो सकता है, वसूल किए गए आयकर की राशि का पता लगाने के लिए इन तीन वर्षों के लिए सूचना संकलित किए जाने के पूर्व कारोबार से आय प्राप्त करने वाले दिल्ली के प्रत्येक कर-निर्धारिती के कर-निर्धारण रिकार्डों की जांच पड़ताल करना आवश्यक होगा। इस सूचना को संकलित करने में किया जाने वाला प्रयास तथा अपेक्षित समय इसके प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप

नहीं होगा। तथापि, यदि किसी प्रोपर्टी डीलर विशेष के बारे में सूचना अपेक्षित हो तो उसे उपलब्ध कराया जा सकता है।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विदेशी सहयोग के लिए प्रस्ताव

1438. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने विदेशी सहयोग के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के समझौतों का प्रयोजन और उनकी अवधि क्या है;

(घ) इन समझौतों के कारण भारत पर्यटन विकास निगम के किन-किन होटलों पर प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) समझौते की शर्तें क्या-क्या हैं;

(च) इन समझौतों से भारत पर्यटन विकास निगम को क्या लाभ होगा; और

(छ) विदेशी सहयोग की प्रक्रिया और चयन का आधार क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, हां।

(ख) से (छ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विदेशी सहयोगकर्त्ता का नाम	करार का लक्ष्य एवं कवरेज	करार की तारीख एवं अवधि	करार के विस्तृत नियम	भारत पर्यटन विकास निगम को संभावित लाभ	विदेशी सहयोग-कर्त्ता के चयन का आधार एवं प्रक्रिया
1	2	3	4	5	6
1. मैसर्स जी० ई० बी० आर० हेनीमैन (जी० एच०) हेमबर्ग पश्चिमी जर्मनी	यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने हेतु ड्यूटी फ्री शाप्स और टैक्स फ्री शाप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना और भविष्य में और अधिक प्रतियोगितात्मक और समसामयिक होना। इस करार में दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास और त्रिवेन्द्रम एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय आगमन और प्रस्थान लाउंज में भारत पर्यटन विकास निगम की ड्यूटी फ्री शाप्स और टैक्स फ्री शाप अशोक होटल, नई दिल्ली शामिल है।	26 मई, 1990 5 वर्ष	मैसर्स जी० ई० सी० आर० हेनीमैन उपलब्ध कराएगा:- भारतीय एअरपोर्ट ड्यूटी फ्री मार्केट की साध्यता अध्ययन शाप डिजाइन्स, ले आउट एवं ड्राइंग्स उचित कीमतों पर यूरोप/पश्चिमी हेमिस्फेयर से शुल्क मुक्त व्यापार का समेकित शिपमेंट, भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को प्रशिक्षण, रीटेल काउंटरों आदि पर एडवर्टाइजिंग डिस्प्लेज का प्रबंध करना। उपर्युक्त सेवाओं के लिए मै० जी० एच० को	इस करार के परिणाम-स्वरूप विदेशी मुद्रा आय में उचित और स्थिर वृद्धि का अनुमान है।	चार प्रस्तावों पर विचार किया गया, दो को अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि फर्में मुख्यतः ड्यूटी फ्री शाप्स के प्रबंध में रुचि ले रही थीं। शेष दो में मैसर्स जी० एच० द्वारा प्रस्तुत शर्तों को उनकी व्यापार में ख्याति के अलावा, अधिक अनुकूल पाया गया।

1	2	3	4	5	6
	–		1,50,000 यू० एस० डालर का एक मुश्त भुगतान समान रूप से 5 वर्ष की अवधि में प्रत्येक वर्ष 4 तिमाहियों में 7,500 यू० एस० डालर प्रति तिमाही की दर से किया जाएगा ।		
2. मैसर्स रेडिसन होटल कारपोरेशन (आर० एच० सी०) मिनेपोलिस, यू० एस० ए०	विदेशी अधिभोग और विदेशी मुद्रा आय में सुधार करना विशाल प्रतिस्पर्द्धात्मक बाजार में प्रतियोगता करने, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अद्यतन तकनालाजी तथा संयंत्र एवं उपकरण आरक्षण प्रणाली आदि में सुधार करने हेतु प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शृंखला से विपणन तकनीकी एवं परामर्शी सेवाओं को सुनिश्चित करना । करार में भारत पर्यटन विकास निगम के निम्नलिखित 4 होटल शामिल हैं— (1) अशोक होटल, नई दिल्ली (2) होटल अशोक, बंगलौर	23 जून, 1990 10 वर्ष	करार के तहत मैसर्स आर० एच० सी० ग्लोबल मार्केटिंग इनपुट्स उपलब्ध कराएगा, भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यपालकों को (निःशुल्क) गहन प्रशिक्षण एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर प्रणाली को चलाने के लिए परामर्शी सेवाएं, व्यवसाय मीटिंग सुविधाएं एवं उपकरण अनुरक्षण । भारत पर्यटन विकास निगम रेडिसन की विश्वव्यापी संरक्षण प्रणाली के साथ एक आन लाइन हुक अप स्थापित करेगा और दोनों कंपनियां	आर० एच० सी० के साथ करार भारत पर्यटन विकास निगम की विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करेगा और इसकी विपणन एवं होटल परिचालन कौशल को सुधारेगा और अधिक विदेशी पर्यटकों को	भारत पर्यटन विकास निगम ने दो अन्य ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय होटल शृंखला से प्रारंभिक बातचीत की थी । जबकि एक पार्टी ने रुचि नहीं दर्शाई और दूसरे की रुचि भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के प्रबंध से संबद्ध थी । यह भारत

1	2	3	4	5	6
	(3) ललिता महम पैलेस होटल (4) कोवलम अशोक बीच रिसार्ट अशोक होटल नई दिल्ली रेडिसन होटल कारपोरेशन से संबद्ध होगा, बंगलौर मैसूर और कोवलम का नाम अशोक रेडिसन के रूप में अभिनामित होगा।		संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिक्री समारोहों में शामिल होंगी। भारत पर्यटन विकास निगम भुगतान करेगी :— (क) प्रबंध विकास (प्रशिक्षण) चालू खर्चों और तकनीकी एवं परिचालनात्मक परामर्शी सेवाओं हेतु एक मुश्त 1,00,000 यू० एस० डालर (ख) करार के तहत शामिल चारों होटलों द्वारा सृजित नेट रूम राजस्व का 3 प्रतिशत फ्रेन्चाइज शुल्क के रूप में। (ग) पारस्परिक आधार पर प्रत्येक मैटेरियलाइज्ड आरक्षण का प्रति बुकिंग के अनुसार 6 यू० एस० ए० डालर	आकर्षित करने में सहायक होगा।	पर्यटन विकास निगम को स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह सरकार के हित में नहीं था। तथापि, मैसर्स रेडिसन होटल कारपोरेशन यू० एस० ए० से प्राप्त प्रस्ताव को परस्पर लाभकारी समझा गया।

त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता बढ़ाना

1439. **श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र की रिले-क्षमता बढ़ाए जाने के बावजूद, इस केन्द्र से रिले किए जाने वाले मलयाली भाषा के कार्यक्रमों को केरल के पट्टमथिट्टा जिले के सभी स्थानों के लोग नहीं देख पाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि इस समय इन कार्यक्रमों को रिले करने के लिए दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम को पत्तनमथित्ता के अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हीरों का निर्यात

1440. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान कुल कितने मूल्य के हीरों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना के दौरान हीरों का निर्यात बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरूण कुमार नेहरू) : (क) अनन्तिम अनुमानों के अनुसार सातवीं योजना अवधि के दौरान कटे हुए और तराशे हुए हीरों का 14,954 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था।

(ख) और (ग) निर्यात योजना को इस क्षेत्र में बाजार दशाओं कीमतों और हीरों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वर्ष दर वर्ष बढ़ाना होगा। तथापि निर्यात आय सतत रूप से बढ़ने की आशा है क्योंकि भारत कटे हुए और तराशे हुए हीरों का प्रमुख निर्यातक है।

हीरों के निर्यात में सुधार लाने के लिए सरकार ने पहले ही अनेकों उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं—यंत्रों, उपस्करों और विनिर्माण की सहायक सामग्रियों को रियायती दर पर आयात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस में रखना, बैंक ऋण सुविधाओं में सुधार, निर्यात से अर्जित लाभ को आयकर अधिनियम की धारा 80 एच० एच० सी० के तहत छूट और निर्यात की जगह आयात प्रतिपूर्ति की उपयुक्त दरों की अधिसूचना। जब भी आवश्यक होता है सरकार उपयुक्त निवेश सहायता देने के लिए निर्यात की प्रगति पर कड़ी निगाह रखती है।

बिड़ला प्रौद्योगिकी सेवा द्वारा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

1441. **श्री अमल दत्त** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए निविदा भेजते समय बिड़ला

प्रौद्योगिकी सेवा के पास उपकरणों के इंजीनियरिंग डिजाइन उपलब्ध कराने की क्षमता कितनी थी; और

(ख) इस समय बिड़ला प्रौद्योगिकी सेवा की अपनी क्षमता से संबंधित ब्यौरा क्या है और और उन्होंने अपने कर्मचारियों की सहायता से इंजीनियरिंग डिजाइन उपलब्ध कराने में कितनी तैयारी की जा रही है और कितने ऐसे डिजाइन वे अपने उप-ठेकेदारों से प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के अधिकारियों के पास बिड़ला प्रौद्योगिकी सेवा द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे इन डिजाइनों की जांच करने के लिए उपलब्ध तन्त्र का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा उपस्करों के इंजीनियरिंग डिजाइन उपलब्ध कराए जाते हैं। निविदाएं प्रस्तुत करते समय बिड़ला टेकनिकल सर्विसेज (बी० टी० एस०) ने सूचित किया था कि सीमेंस (आई०) लि०, मैसर्स एच० इ० सी०, मैसर्स बी० एच० ई० एल०, मैसर्स एम० ए० एस० सी०, मैसर्स जेस्सोप्स तथा मैसर्स एल० एण्ड टी० आदि जैसे उप-विक्रेता उपस्करों के लिए इंजीनियरी डिजाइन उपलब्ध कराएंगे। इस क्षेत्र में बी० टी० एस० की स्वयं की अपनी कोई क्षमता नहीं है।

(ख) सिविल और संरचनात्मक कार्यों के लिए मूल इंजीनियरी, डिजाइन तथा विस्तृत इंजीनियरी कार्य बी० टी० एस० के अपने कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हैं। उपस्करों के इंजीनियरी डिजाइन कार्य उपस्करों के उप-विक्रेताओं द्वारा किए जाते हैं।

(ग) बी० टी० एस० द्वारा तैयार किए गए डिजाइन तथा इंजीनियरी कार्यों की जांच तथा पास करने का कार्य सबंधित संघ के नेताओं द्वारा किया जाता है। प्रस्तुत किए जाने पर परियोजना प्रबन्धकीय परामर्शदाता मैसर्स मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंस्लटेंट्स (मेकन)/दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी० एस० पी०) द्वारा उनकी जांच और उन पर टिप्पणी की जाती है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, मंजूरी दे दी जाती है। इसके अतिरिक्त, मेकन प्राय: मैसर्स बिड़ला टेकनिकल सर्विसेज के साथ आपस में मिलकर डिजाइन तथा इंजीनियरी की प्रगति तथा क्वालिटी सुनिश्चित करती है।

रबड़ का आयात

1442. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक, श्रेणी-वार, कितनी मात्रा में रबड़ का आयात किया गया तथा इस वर्ष और कितनी मात्रा में इसका आयात करने का विचार है;

(ख) इस वर्ष अब तक, श्रेणी-वार, उद्योगपतियों को कितनी मात्रा में आयातित रबड़ प्रदान किया गया है;

(ग) क्या एस० एम० आर० श्रेणी के आयातित रबड़ जारी किए जाने से "क्रम्ब" रबड़ एककों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान

आयात के लिए अब तक प्राधिकृत 40,000 मी० टन प्राकृतिक रबड़ में से 31,700 मी० टन रबड़ का आयात पहले ही किया जा चुका है, जिसमें से 25,700 मी० टन० रबड़ आर० एस० एस० 3 और 6,000 मी० टन एस० एम० आर० 20 है। रबड़ की शेष मात्रा का ग्रेडवार ब्यौरा तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि वास्तविक तौर आयात नहीं किए जाते हैं।

(ख) अब तक 32,000 मी० टन प्राकृतिक रबड़ रिलीज किया जा चुका है, जिसमें से 27,469 मी० टन रबड़ आ० एस० एस० 3 ग्रेड का और शेष एस० एम० आर० 20 का है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर के आकाशवाणी केन्द्र पर राकेटों से हमला

1443. **श्री प्यारे लाल हान्डू** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र पर हाल ही में राकेटों से हमला किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसे कितनी क्षति पहुंची; और

(ग) क्या केन्द्र चालू हालत में है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) नरवल, श्रीनगर स्थित आकाशवाणी के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर पर हाल ही में राकेट से हमला किया गया था।

(ख) इससे उच्च टेन्शन कक्ष की दीवार को आंशिक क्षति पहुंची थी।

(ग) जी, हां।

कोयले की तस्करी

1444. **श्री शांताराम पोटदुखे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में स्थित वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अन्तर्गत घुघुस कोयला खान स्थित लगभग दो सो प्राइवेट गोदामों से गुजरात से होकर करोड़ों रुपए मूल्य के कोयले की पाकिस्तान को तस्करी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता है कि गुजरात से इस समय कोयले की बड़ी मात्रा में पाकिस्तान को तस्करी की जा रही है। सीमा शुल्क प्राधिकारी तस्करी के प्रति सतर्क रहते हैं। तस्करी का पता लगाने

और इसे रोकने में लगी सभी सम्बन्धित एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ ताल-मेल बनाए रखा जा रहा है।

केन्द्रीय उत्पाद कर नियमों के अंतर्गत मूल्य सूची

1445. **श्री हरिन पाठक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और चण्डीगढ़ क्षेत्रों के समाहर्ता कार्यालयों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद कर नियमों के अंतर्गत मूल्य सूची को शीघ्र मंजूरी नहीं दी जा रही है; और

(ख) इन समाहर्ता कार्यालयों के पास विचाराधीन पड़ी मूल्य सूची का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) दिल्ली तथा चंडीगढ़ में स्थित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालयों द्वारा मूल्य सूचियों को शीघ्रता से अनुमोदित किया जा रहा है।

(ख) 31-7-1990 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्तालय, दिल्ली में बकाया पड़ी मूल्य सूचियां की कुल संख्या 1266 थी, जिनमें से 1258 मूल्य सूचियां तीन महीने से कम समय से बकाया पड़ी थी और केवल आठ मूल्य सूचियों तीन महीनों से अधिक अवधि से बकाया पड़ी थीं। 31-7-90 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्तालय, चंडीगढ़ में बकाया पड़ी मूल्य सूचियों की कुल संख्या 109 थी जिनमें से 108 मूल्य सूचियों तीन महीनों से कम समय से बकाया पड़ी थीं तथा केवल एक मूल्य सूची तीन महीनों से अधिक अवधि से बकाया पड़ी थी। इस कार्य से सम्बन्धित कार्य-भार की मात्रा को देखते हुए, बकाया पड़े कार्य की स्थिति पूर्णतया: युक्तिसंगत है।

अलवर दूरदर्शन रिले केन्द्र का कार्यकरण

1446. **कुमारी उमा भारती** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी से अप्रैल, 1990 की अवधि के दौरान अलवर दूरदर्शन रिले केन्द्रों से प्रसारित कार्यक्रमों को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सका; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) अलवरटी० वी० ट्रांसमीटर द्वारा 21 जनवरी, 1990 से 7 अगस्त, 1990 तक की अवधि के दौरान "अरब सैट" उपग्रह के माध्यम से कार्यक्रम रिले किए गए। इस उपग्रह से प्राप्त सेवा की क्वालिटी दूरदर्शन सेवा के रिले के लिए पहले प्रयोग में लाए गए इनसैट-1 बी० उपग्रह की सेवा की तुलना में कुछ घटिया थी। तथापि यह क्वालिटी मान्य दृश्यता मानदंडों (ब्रूईंग स्टेंडर्ड) के अनुरूप थी। अलवर का ट्रांसमीटर अब इनसैट-1 डी के माध्यम से कार्यक्रम रिले कर रहा है और सेवा की क्वालिटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

व्यापार तथा आर्थिक संबंधों से संबंधित भारत-चीन संयुक्त दल

1447. **श्री माणिकराव** : होडल्या गावीत :
श्री आर० एन० राकेश :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त परियोजनाओं की स्थापना सहित अनेक क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार एवं सहयोग में सुधार करने के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए व्यापार तथा आर्थिक संबंधों से संबंधित एक भारत-चीन संयुक्त दल का गठन किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी बैठक कब आयोजित की गई तथा इस बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है तथा यदि कोई निर्णय किया गया है, तो वह क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) जी हां। दिसम्बर, 1988 में भूतपूर्व प्रधान जी की चीन यात्रा के दौरान एक भारत-चीन व्यापार एव आर्थिक संबंध और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संयुक्त दल का गठन किया गया था। इस दल की पहली बैठक दिनांक 18 से 20 सितम्बर, 89 को नई दिल्ली में हुई थी। चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के विदेशी आर्थिक संबंध एवं व्यापार मंत्री ने और भारतीय पक्ष का नेतृत्व तत्कालीन वाणिज्य मंत्री ने किया था। प्रतिनिधि मडलों की सूचियां विवरण-1 और विवरण-2 के रूप में संलग्न हैं।

(घ) बैठक के दौरान जो विचार-विमर्श हुआ उसमें दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के उपायों, आर्थिक सहयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संबंधों को और अधिक मजबूत करने के विषयों पर प्रकाश डाला गया। बैठक के उपरान्त सम्मत कार्यवृत्त और दिनांक 20 सितम्बर, 1989 से दिनांक 19 सितम्बर, 1990 तक की अवधि के लिए व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किए गए थे।

विवरण-1

1. महामहिम श्री झेंग तुओबिन —नेता
   विदेशी आर्थिक संबंध एवं व्यापार मंत्री
2. श्री चेन झिक्सियाओ, —सदस्य
   निदेशक क्षेत्रीय मामलों के लिए द्वितीय विभाग, विदेशी आर्थिक संबंध एवं व्यापार मंत्रालय (मोफर्ट)
3. मैडम ये लिंग्युन, "
   उप निदेशक, आयात एवं निर्यात विभाग, मोफर्ट
4. श्री वांग झिक्सी "
   उप निदेशक, प्रौद्योगिकी आयात एवं निर्यात विभाग, मोफर्ट
5. श्री चू बोटाई, "
   उप निदेशक, विदेशी पूंजी निवेश प्रशासन विभाग, मोफर्ट
6. श्री हे वेई, "
   वाणिज्यिक परामर्शदाता, भारत में चीन जनवादी गणराज्य का दूतावास

7. श्री यू गुओक्सुन, उपाध्यक्ष, चीन धातुकर्मीय कच्चा माल निगम — "
8. मैडम लिन यूंहे, उपाध्यक्ष, चीन राष्ट्रीय रेशम आयात एवं निर्यात निगम — "
9. श्री हू गुओकाई, प्रभागीय प्रमुख, द्वितीय क्षेत्रीय मामला विभाग, मोफर्ट — "
10. श्री झांग चांग्योउ, प्रभागीय प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहकारिता विभाग, मोफर्ट — "

विवरण-2

1. महामहिम श्री दिनेश सिंह, वाणिज्य मन्त्री — —नेता
2. श्री ए० एन० वर्मा, वाणिज्य सचिव — —सदस्य
3. श्री एस० के० सिंह, विदेश सचिव — "
4. डा० वी० गोवारिकर, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी — "
5. श्री सी० वी० रंगनाथन, चीन में भारतीय राजदूत — "
6. श्री एम० आर० शिवरामन, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय — "
7. श्री पी० जी० मंकड, संयुक्त सचिव, वित्त मन्त्रालय — "

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय में किया गया व्यय

1448. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री गंगा चरण लोधी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय में दी गयी फिजूलखर्ची की ओर दिलाया गया है, जैसा कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (1990 का संख्या 1) के अनुच्छेद 13 में उल्लिखित है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसी फिजूलखर्ची के रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) जी, हां। फिजूल खर्च संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुआ है। अब तीनों गाड़ियां अच्छी हालत में सरकारी प्रदर्शनी/कार्यक्रमों को दिखाने के लिए सड़क पर चल रही हैं।

विवरण

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1988-89 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की ईटानगर, आईजोल और कलकत्ता यूनिटों (चल वाहन यूनिटों) के लिए अभिप्रेत 3 प्रदर्शनी वाहगों की बाडी बनाने में देरी के कारण 5.88 लाख रुपये का फिजूल खर्च हुआ था। ईटानगर और आईजोल के वाहन यूनिट छठी योजना स्कीम के अंतर्गत चालू किए गए थे और कलकत्ता के लिए वाहन वहां के पुराने वाहन को बदलने के लिए था जिसे बेकार घोषित कर दिया गया था और बाद में उसकी नीलामी कर दी गई थी।

इन वाहनों के निर्माण में निम्नलिखित कारणों से देरी हुई :—

(क) वाहनों की चैसिस प्राप्त करा।

(ख) वाहनों के तकनीकी विशिष्ट विवरण/डिजाइन और माडल तैयार करना और इन्हें अन्तिम रूप देना।

(ग) निविदाएं आमंत्रित करना

(घ) न्यूनतम निविदाकर्ता को अन्तिम रूप देना।

(ङ) सबसे कम दर के निविदाकर्ता को कार्य सौंपना।

(च) विशिष्ट विवरण के अनुसार निर्माण का आवधिक निरीक्षण करना करना और जांच करना।

(छ) जब यह ज्ञात हुआ कि ठेकेदार निर्माण कार्य में देर कर रहा है, उससे तीसरी चेसिस वापस लेना।

(ज) नई निविदाएं आमंत्रित करना और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् किसी दूसरे ठेकेदार को कार्य सौंपना।

3. नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी दी है कि चूंकि इन यूनिटों ने प्रदर्शनी का कार्य नहीं किया इनलिए स्टाफ के सदस्यों के वेतन और भत्तों पर किया गया खर्च फिजूल था।

4. वाहन के बेकार हो जाने के तुरन्त बाद, कलकत्ता, वाहन यूनिट के स्टाफ सदस्यों को सामान्य प्रदर्शनी कार्यक्रम (सामान्य यूनिट के रूप में) पर लगा लिया गया था। इस समूची अवधि के दौरान यह यूनिट व्यस्त रहा जबकि मुख्यालय में यूनिट के लिए नए वाहन की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई चलती रही।

5. अन्य शेष दो यूनिटों के स्टाफ सदस्य वाहन प्राप्त होने से पहले प्रारंभिक कार्य करते रहे थे। चूंकि वे पदस्थ थे, अतः उन्हें वेतन देना था।

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन तथा अमरीकी टेलीविजन नेटवर्क द्वारा स्वायत्तता का उपयोग

1449. श्री माधवराव सिंधिया : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन की हाल ही की यात्रा के दौरान उन्हें ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन तथा अमरीकी टेलीविजन नेटवर्क सहित वहां के इलेक्ट्रानिक संचार साधनों के कार्यकरण का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और उनके द्वारा कितनी स्वायत्तता का उपयोग किया जाता है और सरकार द्वारा उन पर किस प्रकार का और कितना नियंत्रण रखा जाता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) इस यात्रा के दौरान बी० बी० सी० और अमेरिकन टेलीविजन नेटवर्क के काम का अध्ययन किया गया।

बी० बी० सी० का संचालन रायल चार्टर तथा लाइसेंस और ब्रिटिश सरकार के साथ हुए एक करार के तहत किया जाता है। इन प्रलेखों के उपबंधों के अनुसार सरकार, ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन पर काफी नियंत्रण कर सकती है।

अमेरिकन टेलीविजन नेटवर्क अधिकांशतः निजी स्वामित्व के अधीन है और इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

केन्द्रीय व्यापार सेवा

[हिन्दी]

1450. श्री नन्द लाल मीणा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय व्यापार सेवा के सृजन के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) क्या विदेशों में नियुक्ति के समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है; और

(ग) इस समय इस सेवा में इनका प्रतिशत कितना है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) केंद्रीय व्यापार सेवा का सृजन निम्नलिखित उद्देश्यों से किया गया था :—

(1) आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन को नियमित रूप से गठित एवं सुसंगठित सेवा उपलब्ध कराना जो अधिकारियों के मनोबल के लिए सहायक होगी और जिससे वे और अधिक विश्वास एवं लगन के साथ कार्य कर सकेंगे।

(2) तत्कालीन विद्यमान स्थिति में जो दोष हैं उन्हें दूर करना और बेहतर ढंग से कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण एवं उन्हें नियोजित करने की योजना को संभव बनाना ताकि इस संगठन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(3) उसके अंतर्गत ऐसे अन्य समान क्रियाकलापों को उत्तरोत्तर सम्मिलित करना जिनमें व्यापार और वाणिज्य के मामलों में व्यवसायीकरण की आवश्यकता हो।

(ख) और (ग) जी नहीं, क्योंकि केन्द्रीय व्यापार सेवा से संबंधित अधिकारियों को इस समय हमारे विदेशी मिशनों में नियोजित नहीं किया जा रहा है।

कोंकण क्षेत्र में "शिप ब्रेकिंग यार्ड" के लिए जगह

[अनुवाद]

1452. **प्रो० राम गणेश कापसे** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ कोंकण रीजन, मुंबई के प्रबंध निदेशक ने कोंकण क्षेत्र में "शिप ब्रेकिंग यार्ड" के विकास के लिए उचेली क्रीक में तारापुर के पास नवपुर में एक जगह चयन किया है; और

(ख) यदि हां, तो संबंधित एजेंसी (मैसर्स स्टील शार्क शिप-ब्रेकर्स) मुंबई द्वारा इस मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ कोंकण लि०, बम्बई जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य में जहाज तोड़ने के लिए विकास कार्य तथा भूमि पट्टों के आवंटन के लिए केन्द्रक एजेंसी नियुक्त किया गया है, ने जहाज तोड़ने के यार्ड के विकास के लिए थाणे जिले में तारापुर के समीप नवापुर में एक स्थान अभिज्ञात किया है और राज्य सरकार से इस बारे में आवश्यक संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

भारत-फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक

1453. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद् की जून, 1990 में पेरिस में आठवीं बार बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई और उसमें क्या-क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) इससे दोनों देशों के बीच व्यापार में कितनी वृद्धि होगी ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के एक प्रतिनिधिमण्डल ने 7 और 8 जून, 1990 को भारत-फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद की 8वीं बैठक में भाग लेने के लिए पेरिस का दौरा किया था। फिक्की ने बतलाया है कि वार्ताएं साधारणतया ई० ई० सी० को भारतीय निर्यात विशेष रूप से फ्रांसीसी बाजार के संदर्भ में बढ़ाने के बारे में हुई। वार्ताएं द्विपक्षीय व्यापार तथा पर्यटन में सुधार के अतिरिक्त भारत सरकार की पूंजीनिवेश नीति फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी के अंतरण सहित संयुक्त उद्यम की संभावना पर भी केंद्रित रहीं। इस बैठक से भारत फ्रांस के उद्यमियों का एक दूसरे को और ज्यादा प्रभावित करने का काम सरल हो जाएगा तथा इससे दोनों देशों के बीच व्यापार की वृद्धि में भी मदद मिलेगी।

बादाम का उत्पादन और आयात

1454. **श्री के० सी० त्यागी :**
श्री जगपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार बादाम के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान विभिन्न देशों से कितनी मात्रा में बादाम तथा अन्य सूखे मेवों का आयात किया गया तथा वर्ष-वार इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सूखे मेवे के जिन विक्रेताओं को बादाम के आयात के लाइसेंस जारी किए गये, उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) "निर्यात प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत इस वर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के बादाम का आयात करने का विचार है;

(ङ) क्या बादाम के आयात के लिए अमरीका के साथ कोई सतत् समझौता किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या बादाम के आयात का इसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जैसा कृषि मंत्रालय ने सूचित किया है बादाम के उत्पादन पर सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

(ख) एक विवरण पत्र संलग्न है ।

(ग) फर्मवार आयात लाइसेंसिंग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । फिर भी समस्त आयात लाइसेंसों के विवरण आयात लाइसेंसों, निर्यात लाइसेंसों और औद्योगिक लाइसेंसों के साप्ताहित बुलेटिन में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं और उनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में भेजी जाती हैं ।

(घ) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति बादाम सहित सूखे मेवों के आयात की अनुमति खूबानी की गिरी/अखरोट की गिरी के निर्यात पर दी जाती है । यह निर्यात के एफ, ओ, बी मूल्य के 10 प्रतिशत तक होती है । बादाम के आयात की अनुमति एक्सपोर्ट हाउसेज/ट्रेडिंग हाउसेज को जारी किए गए अतिरिक्त लाइसेंसों पर ऐसे लाइसेंसों के संपूर्ण मूल्य के अन्दर 5 प्रतिशत तक भी दी जाती है । तथापि मद के मूल्य के बारे में कोई भविष्यवाणी संभव नहीं होगी क्योंकि ऐसा निर्यात व्यक्तिगत पसन्द पर निर्भर करता है ।

(ङ) भारत सरकार तथा सं० रा० अमरीका की सरकार के बीच समझौता अभिलेख की शर्तों के अनुसार सरकार 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए बादाम (छिलके वाले और बिना छिलके वाले) का अपना अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकरण स्थापित करने के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर वार्षिक के लिए सहमत हो गई है। यह लाइसेंसिंग के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाकर कम से कम 20,000 रु० करने पर भी सहमत हुई ।

(च) जी, नहीं ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान ताजे अथवा सूखे, छिलके युक्त अथवा बिना छिलके वाले बादाम का आयात और जिन प्रमुख देशों को आयात किया गया उनके नाम

मात्रा : हजार किग्रा० से
मूल्य : लाख रुपये से

क्र० सं०	मद का ब्यौरा	1985-86		1986-87		1987-88		जिन प्रमुख देशों से आयात किया गया उनके नाम
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ताजे अथवा सूखे, छिलकायुक्त अथवा बिना छिलके वाले बादाम							
1.	बादाम गिरी	286	54.35	22.57	305.39	635	94.98	अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमरीका, इराक और संयुक्त अरब अमीरात
2.	छिलका युक्त बादाम	4733	927.53	3318	601.39	5591	987.81	आस्ट्रेलिया, ईरान, संयुक्त राज्य अमरीका, पाकिस्तान, सिंगापुर, अफगानिस्तान एंड इराक

नोट :—वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इंडिया, वाल्यूम II (इम्पोर्ट्स)

शिमला में वाइस-रीगल लाज को होटल में परिवर्तित किया जाना

1455. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिमला के ऐतिहासिक वाइस-रीगल लाज को, जहां "इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडी" स्थित है, एक होटल में परिवर्तित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न क्षेत्रों से इस ऐतिहासिक भवन को होटल में परिवर्तित करने के विरुद्ध आपत्तियां की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) शिमला में जिस भवन को वाइस-रीगल लाज के नाम से जाना जाता था, उसके पुनर्वास की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत पर्यटन विकास निगम 127 एकड़ के पूरे परिसर का प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में, इस शर्त के साथ विकास करे कि प्रमुख भवन का इस्तेमाल पर्यटक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।

(ग) और (घ) चूंकि सरकार पुराने ऐतिहासिक भवन के प्राचीन गौरव का पुनरुद्धार करना चाहती है, जो समुचित अनुरक्षण के अभाव में खराब हालत में है, इसलिए इस संबंध में उठाई गई आपत्तियां मान्य नहीं हैं । वाइस-रीगल लाज के मुख्य भवन में किसी प्रकार का आधार-संरचनात्मक परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । भवन के भीतरी भाग को उसी प्रकार रखा जाएगा जैसाकि वह है तथा भवन के ऐतिहासिक महत्व को कायम रखा जाएगा ।

मुंबई में विदेशियों का विश्व स्तर पर तस्करी नेटवर्क

1456. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशियों के विश्व स्तर पर तस्करी नेटवर्क ने "मुंबई" को नशीले औषध तस्करी का एक महत्वपूर्ण पारगमन केन्द्र बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मुंबई में वर्ष 1989 से अप्रैल, 1990 तक कितनी हेरोइन जब्त की गई;

(घ) नशीले औषधों की तस्करी के लिए देश-वार कितने विदेशी गिरफ्तार किए गए; और

(ङ) सरकार द्वारा मुंबई में नशीले औषधों की इस तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) आपिएटस और केन्नाबिस रेजिन के दो प्रमुख अवैध स्रोतों अर्थात मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित "गोल्डन क्रिसेन्ट" और "गोल्डन ट्राइएंगल" जिसमें बर्मा, लाओस तथा थाइलैंड सम्मिलित हैं, भारत भौगोलिक स्थिति बीच में होने के कारण, भारत को हिरोइन तथा हशीस (चरस) के बढ़ते हुए अवैध व्यापार का सामना करना पड़ रहा है, और इसका उपयोग विशिष्टतः दिल्ली तथा बम्बई होकर एक नलिका के रूप में किया जा रहा है ।

(ग) बम्बई शहर में वर्ष 1989 में और अप्रैल, 1990 तक जब्त की गई हिरोइन की मात्रा निम्न प्रकार है—

वर्ष	जब्त की गई हिरोइन की मात्रा (किलोग्राम में)
1988	934.023
1990 (30 अप्रैल तक)	544.061

(घ) बम्बई में गिरफ्तार किए गए विदेशियों की देश-वार संख्या इस प्रकार है—

वर्ष	देश	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1989	नाइजीरिया	43
	घाना	6
	यू० ए० ई०	2
	अफगानिस्तान	2
	कीनिया	2
	साउथ अफ्रीका	2
	जर्मनी	2
	तनजानिया	1
1990 (30 अप्रैल, 1990 तक)		
	नाइजीरिया	40
	घाना	3
	माली	1
	सीनिगल	1
	गुनईया	1
	साउथ अफ्रीका	1

(ङ) सरकार ने, प्रवर्तन को बेहतर बनाना, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे इंटरपोल, अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड, सीमा शुल्क सहयोग परिषद, संयुक्त राज्य अमरीका की औषध प्रवर्तन प्रशासन आदि के साथ सम्पर्क बेहतर बनाना जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

मगरमच्छ की खाल की तस्करी

1457. **श्री एन० डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अण्डमान में पोर्ट ब्लेयर से बड़े पैमाने पर मगरमच्छ की खाल की तस्करी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) हाल ही में अन्डमान में पोर्ट ब्लेयर से बड़े पैमाने पर मगरमच्छ की खालों की तस्करी द्वारा बाहर भेजे जाने का कोई पता नहीं चला है। तथापि, सीमा शुल्क प्राधिकारी निषिद्ध माल की तस्करी के प्रति सतर्क रहते हैं। तस्करी को रोकने एवं इसका पता लगाने में लगी सभी सम्बन्धित एजेंसियों के साथ घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है।

चंडीगढ़ को बी-2 नगर का दर्जा देना

[हिन्दी]

1458. **प्रो० प्रेम कुमार धूमाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चंडीगढ़ को बी-2 नगर का दर्जा देने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) जी हां। सरकार ने मकान किराया भत्ता मंजूर करने के लिए 1 जुलाई, 1990 से चण्डीगढ़ का दर्जा बढ़ाकर बी-2 श्रेणी का शहर करने का निर्णय किया है। प्रतिपूरक (नगर) भत्ते के प्रयोजन के लिए चंडीगढ़ पहले ही "बी-2" शहर है।

लाख के आयात पर प्रतिबंध

[अनुवाद]

1459. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान लाख के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) चालू नीति में लाख दाना/चमड़ा प्रतिबंधित मदों की सूची में आता है और सामान्यतया इसके निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय बागानों का विकास

[हिन्दी]

1460. **श्री हरीश रावत** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय बागानों के विकास के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इस योजना पर कितनी धन-राशि व्यय करने का विचार है;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत वहां पर विद्यमान चाय बागानों का भी विकास किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो उन पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (घ) उ० प्र० में चाय की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्रों को अभिज्ञात करने और विद्यमान चाय बागानों का नवीकरण करने के लिए उ० प्र० सरकार ने एक परामर्शदात्री फर्म की नियुक्ति की है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित निधियों सहित एक शक्यता सह-पूर्व निवेश अध्ययन करेगी। उपर्युक्त परामर्शदात्री परियोजना के लिए चाय बोर्ड ने उ० प्र० सरकार को 9.5 लाख रुपयों की सहायता दी है।

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

[अनुवाद]

1461. **डा० ए० के० पटेल :**
श्री उदयसिंह राव गणपतसिंह गायकवाड :
श्री शंकर सिंह वघेला :
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :
श्री कल्पनाथ राय :
श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :
श्री के० प्रधानी :
श्री केशरी लाल :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1990 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में अलग-अलग कितने मामले तथा रिट याचिकाएं निपटान के लिए लंबित पड़े थे;

(ख) सरकार ने उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में बकाया पड़े मामलों की समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार का आगे और क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) न्यायालयों में बकाया मामलों की संख्या कम करने के लिए, न्यायाधीशों की संख्या

में वृद्धि करने के साथ-साथ, समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जैसे कि विधि के एक समान प्रश्न वाले मामलों को एक समूह में रखना, विशेष न्यायपीठें गठित करना।

(ग) प्रति वर्ष निपटाए गए मामलों की कुल संख्या में पिछले कुछ वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है।

(घ) सरकार ने, न्यायालयों में बकाया पड़े मामलों का गहन अध्ययन करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए जनवरी, 1989 में उच्च न्यायालय के तीन न्यायमूर्तियों की एक समिति गठित की है।

विवरण

न्यायालय का नाम	31 दिसंबर को लंबित मामलों की संख्या				31 दिसंबर को लंबित रिट अर्जियों की संख्या			
	1987	1988	1989	30-6-90	1987	1988	1989	30-6-90
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उच्चतम न्यायालय	175748	199138	203158	108379*	*	*	5730 (केवल नियमित सुनवाई के मामले)	*
1. इलाहाबाद	362014	419836	468242	@	139000	164061	182258	
2. आंध्र प्रदेश	80060	73239	72891	62690	28085	29840	30326	33683
3. मुम्बई	139548	142891	156454	@	10967	11274	12868	@
4. कलकत्ता	170038	189338	200925	@	4807	7685	7405	@
5. दिल्ली	77447	88973	109495	115930	10531	11937	13078	@
6. गुवाहाटी	20089	22105	21708	21709	7185	7785	9737	@
7. गुजरात	59566	67530	74491	@	—	—	—	
8. हिमाचल प्रदेश	9633	11537	12712	13576	1084	1243	1583	@
9. जम्मू कश्मीर	37025	39767	42099	@	7339	8151	9519	@
10. कर्नाटक	72190	68186	79429	@	43206	38115	47041	@
11. केरल	116735	108826	82240	@	15263	12010	12814	@

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. मध्य प्रदेश	56638	59004	61160	@	11571	11723	12537	@
13. मद्रास	195443	225636	224417	@	47189	56042	53128	@
14. उड़ीसा	40444	44381	37330	@	11367	11766	12298	@
15. पटना	64110	58382	66857	@	14113	18962	22702	@
16. पंजाब और हरियाणा	60962	71942	91769	93925	16186	20089	30453	@
17. राजस्थान	52998	59374	70455	@	18109	21016	25923	@
18. सिक्किम	59	63	45	56	39	49	34	37
योग	1614999	1761010	1872719					

टिप्पण :—*केवल नियमित सुनवाई और ग्रहण किए जाने वाले मामले ।

@उपलब्ध नहीं ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1462. **श्री बालगोपाल मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं;

(ख) उपर्युक्त बैंकों में 30 जून 1990 तक कुल कितनी जमा राशि थी; और

(ग) उड़ीसा के किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में गत तीन वर्षों के दौरान सबसे अधिक हानि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) इस समय देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं ।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 30 सितंबर, 1989 (अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) की स्थिति के अनुसार सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जुटाई गई कुल जमा राशियां 3467.99 करोड़ रुपए थीं ।

(ग) जबकि वर्ष 1986 और 1987 के दौरान उड़ीसा के पुरी ग्रामीण बैंक को सबसे अधिक हानि हुई थी, वर्ष 1988-89 (15 महीनों की अवधि) के दौरान बोलंगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक को सबसे अधिक हानि हुई है ।

लघु क्षेत्र के उद्योगों को कार्यशील पूंजी की सहायता

1463. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री फूल चंद वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सभी बैंकों को लघु क्षेत्र के उद्योगों को कार्यशील पूंजी की सहायता प्रदान के प्रस्ताव को एक निश्चित समय के भीतर निपटाने के अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप के देश के लघु उद्योग एककों को कितना लाभ होगा; और

(घ) लघु क्षेत्र के एककों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने और क्या अन्य उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए गए है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित किया गया है कि 25,000 रुपए की ऋण सीमा तक लघु उद्योग क्षेत्र सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्यक्ष ऋण आवेदन का निपटान 15 दिन के भीतर और 25,000 रुपए से अधिक का 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटान कर दिया जाना चाहिए। इन मार्गनिर्देशों का

उद्देश्य सभी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋण प्रस्तावों, जिनमें लघु उद्योग क्षेत्र के प्रस्ताव भी शामिल हैं, को निपटाने में बड़े समय अनुबंधन को लागू करना है। इन मार्ग निर्देशों में तारीख के साथ आवेदन की प्राप्ति की स्वीकृति देने और मामले के साथ से न निपटान की निगरानी के लिए प्रभावी तंत्र तैयार करने की परिकल्पना भी की गयी है।

लघु क्षेत्र में उद्योग के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए मुख्य वित्तीय संस्था के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना इस दशा में एक बड़ा कदम है। इसने दिनांक 2 अप्रैल, 1990 से काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने योजना के अंतर्गत पात्र परियोजना लागत और कार्यशील पूंजी को 5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए से क्रमशः 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए बढ़ाकर पहले ही एकल खिड़की योजना को उदार बना दिया है।

राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना को, जो इससे पहले सरकारी क्षेत्र के बैंकों और कुछ पदनामित संस्थाओं द्वारा ही परिचालित की जाती थी, सभी राज्य वित्तीय निगमों, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों और चुने हुए शहरी सहकारी बैंकों तक भी फैलाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उत्पादन कार्यों के साथ-साथ सेवा कार्यों को इसके अंतर्गत लाकर इस योजना का कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया है।

ऊपर बताए गए कदमों का उद्देश्य लघु क्षेत्र में इकाइयों को समय पर ऋण के प्रवाह की सुविधा प्रदान करना है।

धन की सप्लाई में निरंतर वृद्धि

[हिन्दी]

1464. श्री संजय लाल :
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से देश में धन की सप्लाई में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या जून, 1990 के दौरान धन की सप्लाई में अधिक वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान धन की सप्लाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में मुद्रा पूर्ति (एम 3) में वृद्धि की दरें नीचे बताई गई हैं :—

1987-88	+ 15.9 प्रतिशत
1988-89	+ 17.7 प्रतिशत
1989-90	+ 19.1 प्रतिशत

(ग) से (ङ) मुद्रा पूर्ति (एम 3) में मई, 1990 (अर्थात् 4 मई से 1 जून के बीच) महीने के दौरान हुई 1045 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में जून, 1990 (अर्थात् 1 जून से 29 जून के बीच) के दौरान 175 कसेड़ रुपए की अल्प वृद्धि दर्ज की गई। मौद्रिक नीति के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जा रहा है कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि की दर को संयत करके सामान्य और चयनात्मक ऋण नियंत्रण दोनों ही प्रकार के उपायों के जरिए पिछले वित्तीय वर्ष में दर्ज की गई मुद्रा पूर्ति में वृद्धि की दर से काफी नीचे रखा जाए।

अखबारी कागज

[अनुवाद]

1465. **श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अखबारों को उनकी अपनी पसन्द के सोत से अखबारी कागज खरीदने की अनुमति देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) अखबारी कागज आबंटन नीति के अनुसार, भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा जारी प्राधिकार पर समाचार पत्र को अखबारी कागज, राज्य व्यापार निगम और/अथवा देशी मिलों से मिलता है। फिलहाल इस नीति में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

औद्योगिक घरानों द्वारा अनुदान और ऋणों का उपयोग

[हिन्दी]

1466. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक घराने अनुदानों और ऋणों का उचित उपयोग करते हैं;

(ख) क्या सरकार को पिछले दो वर्षों और जुलाई, 1990 तक की अवधि के दौरान उक्त धनराशि का कुछ अन्य कार्यों के लिए उपयोग किए जाने के बारे में पता चला है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इसकी जांच करने के लिए उच्च स्तरीय आयोग की स्थापना करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) अखिल भारतीय सावधि ऋण दात्री संस्थाएं औद्योगिक घरानों को अनुदान नहीं देती हैं। जहां तक संस्थाओं द्वारा ऋण दिए जाने का संबंध है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि यह उनका अनुभव रहा है कि औद्योगिक घराने संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करबाए गए ऋणों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए करते हैं जिसके लिए उन्हें ऋण मंजूर किए जाते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

द्वारा दिए गए ऋणों के उपयोग के संबंध में कोई ऐसा मामला उनके ध्यान में नहीं आया जिसमें जिस प्रयोजन के लिए ऋण लिया गया हो उसका उपयोग उस प्रयोजन के लिए न किया गया हो। अतः इस प्रयोजन के लिए उच्च स्तरीय आयोग के गठन पर इस समय विचार नहीं किया जा रहा है।

वर्ष 1989 और 1990 में बनाई गई और प्रदर्शित की गई फिल्मों की संख्या

1467. **श्री राजवीर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 में तथा 1990 में जून तक कुल कितनी फिल्में बनाई गई और प्रदर्शित की गईं; और कितनी फिल्में अभी निर्माणाधीन हैं;

(ख) क्या वीडियो फिल्मों के निर्माण से सिनेमा हालों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो फिल्मों से और अधिक आय अर्जित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) सरकार के पास देश में बनाई गई और बनाई जा रही फिल्मों का कोई रिकार्ड नहीं होता है। तथापि, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा 1989 में 781 फिल्मों को और 1990 में (जून, 1990 तक) 421 फिल्मों को प्रमाणपत्र दिए गए। इस अवधि में क्रमशः 42 वीडियो फीचर फिल्मों को और 22 वीडियो फीचर फिल्मों को प्रमाणपत्र दिए गए।

(ख) जी नहीं। वीडियो फिल्मों के निर्माण का सिनेमाघरों की आमदनी पर कोई बहुत अधिक बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है यद्यपि वीडियो फीचर फिल्में दिखाए जाने और वीडियो चोरी का इनकी आमदनी पर अवश्य प्रभाव पड़ा है।

(ग) फिल्म उद्योग की समस्याओं पर सरकार द्वारा गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने वीडियो चोरी को रोकने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में ये शामिल हैं :—

(1) राज्य सरकारों द्वारा वीडियो पार्लरों को लाइसेंस देना।

(2) राज्य सरकारों द्वारा विशेष पुलिस कक्ष स्थापित करना।

(3) कापीराइट अधिनियम, 1957 आदि में संशोधन करना।

सरकार द्वारा ये सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और इन्हें कार्यरूप देने के लिए संबद्ध प्राधिकारियों के पास भेज दिया गया है।

कर्नाटक के हसन जिले में सोने के भंडारों की खोज

[अनुवाद]

1468. **श्री एच० सा० श्रीकान्तय्या** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक के हसन जिले में चन्नारायपटना के निकट सोने के भंडारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो जिस क्षेत्र में सोने के भंडार मिले हैं उसका ब्यौरा क्या है और सोने के भंडारों की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ग) इससे कितने गांव प्रभावित होंगे और क्या इन ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इसकी खुदाई प्रारम्भ कर दी गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने उपर्युक्त स्थान को निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हासन जिले के चन्नारायपटनम (जहां स्वर्ण के प्राचीन खनन स्थल हैं), के निकट केम्पिनकोट तथा गोलारहल्ली क्षेत्रों में स्वर्ण हेतु गवेषण किया जा रहा है। खनिज गवेषण निगम लि० द्वारा किए गए विस्तृत गवेषण से केम्पिनकोट निक्षेप में 2.96 ग्राम/टन ग्रेड के 0.515 मिलियन टन स्वर्ण भंडारों का पता चला है।

(ग) केम्पिनकोट में स्वर्ण निक्षेप के विदोहन को प्रौद्यो-आर्थिक उपादेयता की अभी तक पुष्टि नहीं हो पायी है। यदि खनन शुरू किया गया तो केम्पिनकोट तथा हुलागरी गांवों के कुछ भागों के प्रभावित होने की संभावना है।

(घ) जी हां।

(ङ) भारत गोल्ड माइंस लि० ने खनन पट्टा अनुदान हेतु राज्य सरकार को केवल आवेदन किया है। क्षेत्र में खनिज गवेषण निगम लि०/भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अन्वेषण/गवेषण जारी है। गवेषण/अन्वेषण जारी रखने हेतु इस क्षेत्र को वर्जित क्षेत्र घोषित किए जाने विषयक किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

बोनस के लिए वेतन की अधिकतम सीमा बढ़ाने हेतु प्रस्ताव

1469. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतनमानों में हुए संशोधनों और महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने के लिए वेतनमान की अधिकतम सीमा (मूल वेतन-महंगाई भत्ता) को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान अधिकतम सीमा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के संगत उपबंधों के आधार पर है और इसे पर्याप्त समझा जाता है।

जाली बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से बैंकों से कपटपूर्ण तरीकों से धनराशि निकालना

[हिन्दी]

1470. **श्री दौलत राम सारण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों से जाली ड्राफ्टों के माध्यम से कपटपूर्ण तरीकों से कितनी धनराशि निकाली गई;

(ख) इस संबंध में कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) अब तक कितनी धनराशि वसूल की गई है;

(घ) कितने अपराधियों के विरुद्ध अब तक मुकदमा चलाया गया है;

(ङ) कितने लोगों के मामले में दोष सिद्ध हुआ है और उनको दिए गए दंड का ब्यौरा क्या है;

(च) कितने मामलों में बैंक कर्मचारी शामिल पाए गए; और

(छ) बैंक जालसाजी और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (छ) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों से जाली मांग ड्राफ्टों के माध्यम से कपटपूर्ण तरीके से निकाली गई धनराशि से संबंधित सूचना और अन्य ब्यौरे, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक के पास तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1989 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा ड्राफ्ट की धोखाधड़ी सहित धोखाधड़ी के कुल 1586 मामलों की सूचना दी गई है। इनमें अन्तर्ग्रस्त कुल राशि 50.23 करोड़ रुपए थी। धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त पाए गए चूककर्ता कर्मचारियों को वर्ष 1989 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए दण्ड का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1. सजायाफ्ता कर्मचारियों की संख्या	73
2. कर्मचारियों की संख्या जिन्हें बड़े/छोटे दंड दिए गए	725
3. उपर्युक्त (2) में से बर्खास्त/सेवा मुक्त/हटाए गए कर्मचारियों की संख्या	299
4. कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा लम्बित है	666
5. कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित है	1324

सरकारी क्षेत्र में बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने और बैंक के कार्यकरण में अपेक्षित सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में आवधिक जांच करना, प्रत्येक बैंक में सतर्कता तंत्र को मजबूत करना, नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को समेकित मार्गनिर्देश जारी करना, धोखाधड़ी के

मामलों के बैंकों के निदेशक मण्डलों की विस्तृत समीक्षा करना, प्रक्रिया आदि के मामलों में कार्य-चालन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना आदि शामिल है। बैंकों से यह जोर देकर कहा गया है कि यदि उनके किसी कर्मचारी द्वारा कोई अनियमितता बरती जाती है तो उसे गम्भीरता से लिया जाए और चूककर्ता कर्मचारी को निवारक दण्ड देने की कार्रवाई की जाए।

गत तीन वर्षों के दौरान प्रमाणीकरण के लिए प्राप्त फिल्मों की संख्या

1471. **श्री राम प्रसाद चौधरी :**
प्रो० महादेव शिवनकर :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान (1-7-1990 तक) सेन्ट्रल बोर्ड फार फिल्म सर्टीफिकेशन को प्रमाणीकरण के लिए कुल कितनी फिल्में प्राप्त हुई हैं;

(ख) सेंसर द्वारा काट-छांट के बिना कितनी फिल्में प्रमाणित की गईं तथा कितनी फिल्में काट-छांट के बाद प्रमाणित की गईं;

(ग) कितनी फिल्में प्रमाणीकरण के लिए अभी तक विचाराधीन हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एक फिल्म को प्रमाण-पत्र जारी करने में आमतौर पर कितना समय लगता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्रातिशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली के न्यायालयों में लंबित पड़े तलाक के मामले

[अनुवाद]

1472. **श्री कमल चौधरी** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के न्यायालयों में हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत पांच वर्ष से भी अधिक समय से तलाक और विवाह रद्द करने संबंधी कितने मामले निर्णयाधीन पड़े हैं; और

(ख) सरकार द्वारा ऐसे पुराने मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश मोरबाम्मी) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में 10 कुटुंब न्यायालय स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए दिल्ली के न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ सरकार ने समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं। न्यायालयों में लंबित मामलों की समस्या का अध्ययन करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए सरकार ने जनवरी, 1989 में उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक समिति गठित की है।

भारतीय फिल्म-पत्रिकाओं में नग्न, अर्ध-नग्न चित्र

[हिन्दी]

1473. **श्री राजेश्वर पाटीदार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीत फिल्म पत्रिकाओं में महिलाओं के नग्न, अर्ध-नग्न चित्र तथा अश्लील सामग्री हालीवुड और प्लेबॉय जैसी विदेशी फिल्म पत्रिकाओं की नकल करके छापी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उनको सेंसर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रखा जा सके;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई सेंसर बोर्ड गठित करने का है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई आचरण संहिता तैयार की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी संहिता तैयार करने का है; और

(च) यदि हां, तो यह कब तक तैयार कर दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (च) पुस्तकों/पत्रिकाओं में महिलाओं के नग्न व अश्लील चित्रों का प्रदर्शन भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पहले ही दंडनीय है । अतः संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस संबंध में कार्रवाई कर सकते हैं ।

विदेशी कार्यालयों पर खर्चा

[अनुवाद]

1474. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अपने विदेशी कार्यालयों आदि पर खर्चे में कटौती करने के लिए हाल ही में कुछ कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ वरिष्ठ पदों को भी समाप्त कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मितव्ययिता लाने वाले उपाय से अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) जी हां, टोक्यो, न्यूयार्क, लंदन, फ्रांकफुर्त, अबूधाबी और सिंगापुर स्थित भारतीय निवेश केन्द्र के समुद्रपारीय कार्यालयों को बन्द करने का प्रस्ताव है । इससे 2.80 करोड़ रुपए तक की वार्षिक बचत होने की संभावना है (भारतीय निवेश केन्द्र के 1990-91 के बजट अनुमानों पर आधारित) ।

उड़ीसा में भारत पर्यटन निगम के होटल

1475. **श्री० डी० अमात** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कितने होटलों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या उड़ीसा में स्थित होटलों की वर्तमान क्षमता पर्यटकों की बढ़ती आवश्यकता और आवास पूर्ति हेतु पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में राज्य सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने उड़ीसा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से एक नए संयुक्त उद्यम होटल नीलांचल अशोक, पुरी का निर्माण किया है। यह होटल 36 कमरों और अनिवार्य सार्वजनिक क्षेत्रों से नवम्बर, 1988 में आंशिक रूप से खोला गया था। जब यह होटल पूरा हो जाएगा तब इसमें 46 कमरे होंगे। इसके अलावा, भारत पर्यटन विकास निगम ने 28 कमरों वाले मौजूदा होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर में 36 अतिरिक्त कमरे जोड़कर इसका विस्तार भी किया है। विस्तारित ब्लाक 23 अप्रैल, 1987 को खोला गया था।

(ख) और (ग) उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित अनुमोदित होटल कार्यरत हैं :—

स्थान	स्टार श्रेणी	होटलों की संख्या	कमरों की संख्या
भुवनेश्वर	5-डी	1	72
—वही—	5	1	72
—वही—	4	1	51
—वही—	3	शून्य	शून्य
—वही—	2	2	74
कटक	2	1	30
पुरी	2	1	22
—वही—	वर्गीकरण होना है	2	90
गोपालपुर समुद्र तट पर	2	1	20
जोड़		10	431

पर्यटक यातायात में वृद्धि होने से उड़ीसा में अतिरिक्त होटल कमरों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकारें प्राइवेट सेक्टर को विभिन्न प्रोत्साहन मुहैया करा कर उसे होटलों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

महाराष्ट्र में "फ्लोटिंग होटलों" का निर्माण

1476. **श्री राम नाईक** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार का मुम्बई के निकट अरब सागर में "फ्लोटिंग होटल" स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में किसी वित्तीय अथवा अन्य सहायता का अनुरोध किया है अथवा केन्द्रीय सरकार का इस संबंध में कोई परामर्श देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को "फ्लोटिंग होटलों" की स्थापना करने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कटिहार, बिहार में दूरदर्शन रिले केन्द्र

[हिन्दी]

1477. **श्री युवराज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार, बिहार में दूरदर्शन रिले केन्द्र में निर्माण कार्य वर्ष 1988 से आगरा केन्द्र की पुरानी मशीनों से किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र से प्रसारण कब से आरम्भ हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) आगरा से हटाए गए मूल ट्रांसमीटर को संसाधनों के अधिकतम उपयोग के एक उपाय के तौर पर कटिहार में स्थापित करने का निर्णय लिया था । कटिहार में स्थापित उपकरण कार्य करने की सही हालत में है और वह अपनी सही उपयोगी मियाद के अन्तर्गत है । कटिहार के ट्रांसमीटर के शीघ्र ही सेवा हेतु चालू हो जाने की आशा है लेकिन इसको नियमित रूप से शुरू करने का निर्णय केवल तभी लिया जाएगा जब यह अच्छी तरह से पता चल जाए कि यह हर तरह से संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है ।

हिमाचल प्रदेश में टी० वी० टावर की स्थापना

1478. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विपरीत परिस्थितियों के कारण विभिन्न स्थानों पर दूरदर्शन के कार्यक्रम साफ-साफ नहीं देखे जाते हैं तथा अनेक जन प्रतिनिधियों ने विभिन्न स्थानों पर टी वी टावर स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां 2 दिसम्बर, 1989

से 15 जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान टी० वी० टावर स्थापित करने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से फिलहाल दूरदर्शन सेवा से वंचित हैं। चूंकि टी० वी० सिगनल सीधी रेखाओं में चलते हैं, इसलिए टी० वी० ट्रांसमीटरों से इन सिगनलों को प्राप्त होना दृष्टि की स्पष्ट रेखा की उपलब्धता पर निर्भर करता है। पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थान यद्यपि, वहां पर स्थापित टी० वी० ट्रांसमीटरों की कवरेज क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन भूमागीय परिस्थितियों के कारण वहां पर "परछाई" के परिणामस्वरूप दूरदर्शन सेवा संतोषजनक रूप से प्राप्त नहीं होती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में दूरदर्शन सेवा के सुधार के लिए विभिन्न पक्षों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं।

(ख) इस अवधि में हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं :—

1. पालमपुर
2. बैजनाथ
3. जोगिन्दर नगर
4. जयसिंहपुर
5. सुन्दर नगर
6. रोहरू/झुब्बल
7. धरमपुर
8. केलोकर
9. देव-ब्रह्मा
10. माता चतुर्भुजा (बसाही धार)
11. गढ़वाली माता-मंदिर (इहजु)
12. आवादेवी
13. तीरा
14. जच्छ
15. बैजनाथ और घाटासानी
16. चौपाल तहसील
17. सरकाघाट और चच्योत।

(ग) आठवीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा अभी तक आबंटन नहीं किया गया है। अतः यह बताना संभव नहीं है कि दूरदर्शन की आठवीं योजना में उपर्युक्त अनुरोधों को किस हद तक पूरा किया जाएगा।

महाराष्ट्र में अफीम का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव

1479. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में पोस्त उत्पादकों को पट्टेदारी के अधिकार देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, जो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का महाराष्ट्र में अफीम का कारखाना स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) फिलहाल महाराष्ट्र राज्य में अफीम पोस्त की काश्त करने की अनुमति नहीं है ।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विश्व कप फुटबाल टूर्नामेंट, 1990

[अनुवाद]

1480. **श्री मान्धाता सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व कप फुटबाल टूर्नामेंट, 1990 के दौरान मैचों के कुछ अंश ओपन एयर कम्युनिकेशन द्वारा तैयार साइडलाइट कार्यक्रम के अन्तर्गत दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण में प्रसारित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त फर्म से ऐसा कार्यक्रम तैयार करने का विशेष अनुरोध किया गया था अथवा अन्य एजेंसियों को भी प्रतियोगी आधार पर बुलाया गया था; और

(ग) इस सुविधा के लिए निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) निर्माता ने स्वयं पहल करके प्रस्ताव किया था और दूरदर्शन द्वारा उसको स्वीकार किया गया क्योंकि यह सामयिक रुचि का था ।

(ग) यह कार्यक्रम दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों पर लागू मानक शर्तों के अनुसार प्रसारित किया गया ।

इस्पात का कोटा आवंटन तथा मांग पंजीकरण का प्रबंधन

1481. **श्री इरा अन्नारासु** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात कोटा आवंटन तथा मांग पंजीकरण योजना का प्रबंधन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० की भी इस संबंध में कोई भूमिका है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) मुख्य उत्पादकों को लोहे तथा इस्पात की मदों की सप्लाई प्राप्त करने के लिए प्रयोक्ताओं को संयुक्त संयंत्र समिति के वितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार अपनी मांग को मुख्य उत्पादकों के यहां दर्ज कराना पड़ता है । विकास आयुक्त, लोहा तथा इस्पात विभिन्न प्रयोक्ताओं को कच्चे लोहे के वितरण के लिए तथा लघु उद्योग निगम को लोहे तथा इस्पात के वितरण के लिए आवंटन करते हैं ।

वित्तीय आपातकाल लागू करने का प्रस्ताव

1482. **श्री उत्तम राठौड़ :**
श्री कल्पनाथ राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान शोचनीय आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय आपातकाल लागू करने का प्रस्ताव है ताकि पहले मूल्यों को स्थिर किया जा सके और बाद में वेतन/मंजूरी को स्थिर किया जा सके; और

(ख) यदि नही, तो देश की वित्त संबंधी समस्याओं को हल करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) वित्तीय आपात काल, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन अपेक्षित है, लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

2. सरकार ने व्यय को नियंत्रण में रखने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए हैं :—

(i) सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि ये मंहगाई भत्ते पर अतिरिक्त वचनबद्धताओं को, उनके लिए किए गए स्थापना संबंधी व्यय के प्रावधान के अन्तर्गत ही पूरा करें;

(ii) मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे अपने बजट के अन्तर्गत ही, उनके द्वारा मांगी गई पूरक राशियों की समतुल्य बचतों का पता लगाएं;

(iii) मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के सम्पूर्ण क्षेत्र की समीक्षा इस दृष्टि से करें ताकि उनके द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्य एवं कार्यकलापों को कम किया जा सके जो अब प्रासंगिक नहीं हैं अथवा जिन्हें किसी अन्य तरीके से और अधिक किफायती ढंग से निष्पादित किया जा सकता है;

(iv) मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन संवर्धनकारी एजेंसियों के विदेशों में स्थिति कार्यालयों को बन्द कर दें;

(v) हिदायतें जारी की गई हैं कि विदेश यात्रा संबंधी व्यय को घटाकर 1989-90 के वास्तविक खर्च अथवा चालू वर्ष में बजट प्रावधान, इनमें से जो भी कम हो, के 75 प्रतिशत तक किया जाए;

(vi) ये हिदायतें भी जारी की गई हैं कि सरकारी वाहनों में पेट्रोल और डीजल की खपत को वर्ष 1989-90 की खपत के मुकाबले 20 प्रतिशत तक कम किया जाए ।

(vii) 3500 रुपए और उससे अधिक मूल वेतन पाने वाले अधिकारियों की अतिरिक्त महंगाई भत्ते की राशि की रोक रखा जाएगा ।

निर्यात लाभ संबंधी ठगी

1483. **श्री हेत राम :**
श्री राम बहादुर सिंह :
श्री एस० बी० वोरट :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने ऐसे निर्यात से, जो वस्तुतः किन्हीं अन्य कम्पनियों द्वारा किया गया हो अर्जित लाभ पर कर में शत-प्रतिशत छूट का दावा करने वाली कतिपय कम्पनियों से संबंधित कई करोड़ निर्यात लाभ संबंधी ठगी का मामला प्रकाश में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसी ठगी में शामिल कम्पनियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते ।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति

1484. **श्री नन्दू थापा** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक तिहाई न्यायाधीशों की अन्य राज्यों से नियुक्ति की नीति को सिक्किम उच्च न्यायालय के मामले में राज्य से बाहर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करके लागू किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) सरकार की यह नीति सिक्किम उच्च न्यायालय में कार्यान्वित कर दी गई है कि मुख्य न्यायमूर्ति और कुछ अवर न्यायाधीश राज्य के बाहर से लिए जाएं ।

मुर्गी पालन केन्द्रों पर छापे

1485. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर अपवंचन आदि का पता लगाने के लिए जुलाई, 1990 में प्रमुख मुर्गी-पालन केंद्रों के परिसरों में पूरे देश में छापे मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कर, सीमा शुल्क बिक्री कर आदि का अपवंचन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आगे कोई और कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भविष्य निधि पर ब्याज की दरों में वृद्धि

1486. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य निधि पर ब्याज की दरों के बारे में 20 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5715 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि पर देय ब्याज की दर तय कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1990-91 के लिए सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत वार्षिक बनाए रखी गई है।

रुपया-रूबल विनिमय दर का पुनः समंजन

[हिन्दी]

1487. **श्री वित्त वसु** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूबल को डालर की तुलना में अवमूल्यन को देखने हेतु रुपया-रूबल विनिमय दर का पुनः समंजन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) रुपया-रूबल विनिमय दर, नवम्बर, 1978 में किए गए अन्तः सरकारी न्याचार द्वारा शासित होती है। रूबल और डालर के बीच विनिमय दर की समानता का रुपया-रूबल विनियम दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

प्लानिंग इन्वेस्टमेंट ब्यूरो का बन्द किया जाना

[अनुवाद]

1488. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** :

श्री वी० कृष्ण राव :

श्री कल्पनाथ राय :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कुछ मन्त्रियों ने केन्द्र सरकार से आयोजना निवेश (ब्यूरो प्लानिंग इन्वेस्टमेंट ब्यूरो) को बन्द करने का सुझाव दिया था;

(ख) क्या उन्होंने आयोजना निवेश ब्यूरो के स्थान पर किसी अन्य तंत्र का सुझाव दिया था जो शीघ्र निर्णय ले सके; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय

विकास परिषद की बैठक में कुछ मुख्य मन्त्रियों ने कतिपय परियोजनाओं के बारे में निवेश निर्णय लेने में विलम्ब के संदर्भ में सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी० आई० बी०) की प्रक्रिया का उल्लेख किया था तथा इस सम्बन्ध में वृहत स्वतंत्रा प्रदान करने का अनुरोध किया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र से बचत

1489. **श्री ललित विजय सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र तथा निगमित क्षेत्र से बचत में 1986 से अब तक निरन्तर कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या और अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए पूंजी-निवेश की मात्रा तथा स्वरूप पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) चालू कीमतों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की बचतों में वर्ष 1986-87 से 1988-89 के दौरान लगातार गिरावट आई है। लेकिन, निजी निगमित क्षेत्र की बचतों में वर्ष 1986-87 से 1988-89 के दौरान वृद्धि हुई है, जैसा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है—

बचतें (सकल)

चालू कीमतों पर (करोड़ रुपए)

	1986-87	1987-88@	1989-89*
1. सार्वजनिक क्षेत्र	7981	6861	6346
2. निजी निगमित क्षेत्र	5098	5715	7090

*त्वरित अनुमान।
@अनन्तिम अनुमान।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की बचतों में गिरावट आने का मुख्य कारण, सरकारी प्राधिकारियों, जिनमें सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उद्यम शामिल हैं, के द्वारा लगातार बढ़ती हुई नकारात्मक बचतें हैं।

(ग) चूंकि वर्ष 1986-87 से 1988-89 की अवधि में अर्थव्यवस्था की कुल बचतों में गिरावट वहीं आई है, इसलिए रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करने के लिए निवेश की मात्रा एवं गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

बजट घाटा

1490. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बजट में दर्शाया गया घाटा बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घाटे को कम करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) बजटीय घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने राजस्व प्राप्तियों को अधिकतम करने और व्यय में कमी करने के सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू की है। सभी मन्त्रालयों/विभागों को प्रशासनिक व्यय के बोझ को कम करने हेतु लगातार प्रयास करने और सभी चालू कार्यक्रमों एवं योजनाओं की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने की सलाह दी गई है। उनको यह भी सलाह दी गई है कि वे किसी पूरक मांग सम्बन्धी प्रस्ताव तब तक न भेजें जब तक कि वे समतुल्य बचतों अथवा अधिक प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित न हो जाएं।

पांच सितारा होटलों को अनुदान

[हिन्दी]

1491. **प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान सरकार द्वारा पांच सितारा होटलों को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण क्या है; और प्रत्येक होटल को कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या सरकार का गैर-सरकारी होटलों के विकास के लिए कोई नीति तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (ग) सरकार होटलों को वित्तीय सहायता सीधे ही प्रदान नहीं करती। तथापि सरकार होटल उद्योग को बहुत से प्रोत्साहन देती है। इन प्रोत्साहनों में ये शामिल हैं—उच्चतर मूल्य ह्रास छूट, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय पर्यटन वित्त निगम और राज्य वित्त निगमों द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज इमदाद, परियोजना-आयातों हेतु रियायती सीमा शुल्क, कतिपय आयकर छूट, आदि।

इस्पात का आयात

1492. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने इस्पात संयंत्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन संयंत्रों द्वारा प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में इस्पात का उत्पादन किया जाता है;

(ग) प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में इस्पात का आयात किया जाता है; और

(घ) क्या सरकार का आयातीत इस्पात पर लगाये जाने वाले आयात शुल्क में कोई छूट देने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) मृदु इस्पात का उत्पादन करने के लिए छः एकीकृत इस्पात कारखाने तथा लगभग 180 विद्युत चाप भट्ठी इकाइयां हैं।

(ख) वर्ष 1989-90 में लगभग 130 लाख मी० टन तैयार इस्पात का उत्पादन हुआ।

(ग) औसतन लगभग 15 लाख मी० टन इस्पात का वार्षिक आयात किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

भीलवाड़ा (राजस्थान) में अभ्रक और सेलखड़ी की खानें

[अनुवाद]

1493. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेडा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में 1 जुलाई, 1990 तक अभ्रक और सेलखड़ी की कितनी खानें चालू थीं और इनसे कितना उत्पादन हो रहा था; और

(ख) कलेंडर वर्ष 1988, 1989 और 1990 (जून तक) क्रमशः कितने मूल्य और कितनी मात्रा में अभ्रक और सेलखड़ी का उत्पादन हुआ ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) अभ्रक और घिया पत्थर (सोपस्टोन) की कार्यरत खानें 1 जुलाई, 1990 को क्रमशः 24 और 21 हैं।

(ख) अभ्रक और घिया-पत्थर के उत्पादन का मूल्य और मात्रा इस प्रकार है—

	कलेन्डर वर्ष	उत्पादन (मी० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
अभ्रक	1988	499.5	0.30
	1989	537.4	0.48
	1990	218.2	0.16
	(जून, 1990 तक)		
घिया-पत्थर	1988	70,643.2	2.37
(सोपस्टोन)	1989	76,215	2.67
	1990	41,354	1.58
	(जून, 1990 तक)		

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र

[हिन्दी]

1494. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार बुलेटिनों तथा अन्य दूरदर्शन कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश और इसकी तुलना में

अन्य राज्यों में प्रसारित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों को जनवरी, 1990 से अब तक, महीनेवार, कितनी-कितनी अवधि तक दिखाया गया;

(ख) सरकार द्वारा दूरदर्शन पर मध्य प्रदेश को अधिक समय दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में कितने दूरदर्शन स्टूडियो हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा, अपने वर्तमान साधनों की सीमाओं के भीतर, मध्य प्रदेश सहित देश भर में होने वाली घटनाओं और गतिविधियों को उचित रूप से दिखाया जाता है। अतः किसी एक समय में विभिन्न राज्यों को दी गई अलग-अलग कवरेज सम्बन्धी सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) भोपाल में एक परिपूर्ण दूरदर्शन स्टुडियो केन्द्र और रायपुर में एक कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र बनाया जा रहा है तथा क्षेत्रीय घटनाओं को कवर करने के लिए रायपुर में दो इलेक्ट्रानिक समाचार संग्रहण केन्द्र खोले गए हैं।

इस समय कार्यक्रम निर्माण सुविधा 15 राज्यों और संघशासित क्षेत्र दिल्ली में उपलब्ध है।

सूरत, गुजरात के टेलीविजन ट्रांसमीटर से कार्यक्रमों का स्पष्ट न दिखाई देना

1495. **श्री काशीराम राणा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सूरत में कम शक्ति के टेलीविजन ट्रांसमीटर से टेलीविजन कार्यक्रम स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं;

(ख) यदि हां, तो ट्रांसमीशन की प्रसारण क्षमता सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विद्यमान टेलीविजन केन्द्रों की शक्ति बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) यद्यपि बताया गया है कि टी० वी० ट्रांसमीटर सामान्य रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन ट्रांसमीटर स्थल के एकदम आस-पास के क्षेत्र में बनी कुछ ऊंची इमारतों के कारण शहर के कुछ भागों में टी० वी० सिगनलों के रिसेप्शन में गिरावट आई है। ट्रांसमीटर एन्टिना के मास्ट की ऊंचाई को बढ़ाकर इस स्थिति में सुधार किया जा सकता है, इसे देखते हुए दूरदर्शन ने सक्षम प्राधिकारियों से मास्ट की वर्तमान 100 फुट ऊंचाई को बढ़ाकर 200 फुट करने की अनुमति ले ली है। तदनुसार मास्ट की ऊंचाई बढ़ाने के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई भी आरम्भ कर दी गई है।

(ग) और (घ) उच्च विकिरण शक्ति का टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करना, इस प्रयोजन के लिए धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विदेशों में पर्यटक कार्यालय खोलना

[अनुवाद]

1496. **श्री टी० बशीर** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने और पर्यटन संबंधी सूचनाओं का प्रचार करने के लिए विदेशों में और अधिक पर्यटक कार्यालय खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) अब तक देश-वार कितने कार्यालय खोले गए हैं; और

(ग) अगले पांच वर्षों के दौरान कितने कार्यालय खोले जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (ग) फिलहाल, विदेश में कोई और पर्यटक कार्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है । आज की तारीख तक निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार विदेश स्थित 18 कार्यालय हैं :—

देश	स्थान	कार्यालयों की संख्या
1. यू० एस० ए०	न्यूयार्क एवं लास एंजेल्स	2
2. कनाडा	टारंटो	1
3. यू० के०	लंदन	1
4. जर्मनी	फ्रेंकफर्ट	1
5. स्विटजरलैंड	जनेवा	1
6. फ्रांस	पैरिस	1
7. इटली	मिलान	1
8. स्पेन	मैड्रिड	1
9. स्वीडन	स्टाकहोम	1*
10. नीदरलैंड	अमस्टरडम	1
11. आस्ट्रेलिया	सिडनी	1*
12. मलेशिया	कुआलालामपुर	1
13. सिंगापुर	सिंगापुर	1*
14. थाइलैंड	बैंकाक	1
15. जापान	टोकियो	1
16. यू० ए० ई०	दुबई और बहरीन	2

*(इन कार्यालयों को किफायत बरतने जैसे उपायों के कारण बंद किया जा रहा है)

बैंकों द्वारा पूंजी बढ़ाना

1497. **श्री बबनराव ढाकणे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों का मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान पूंजी बढ़ाने में शीर्ष स्थान है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेश व्यापार बैंकों के शेयर का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जुटायी गयी जमा राशियों से है। 23 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि 166065.2 करोड़ रुपए थी।

बैंक समूहवार उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपए)
सरकारी क्षेत्र के बैंक	147311.3
अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	10765.1
विदेशी बैंक	7988.8

स्वीकृति के लिए विचाराधीन धारावाहिकों तथा वृत्तचित्रों की संख्या

[हिन्दी]

1498. **श्री हरीश पाल :**
श्री नाथू सिंह :
श्री शान्ति लाल पुरुषोत्तमदास पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के पास विचाराधीन दूरदर्शन धारावाहिकों/वृत्तचित्रों की संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) इनमें से कितने धारावाहिकों/वृत्तचित्रों की आगामी छ: महीनों के दौरान प्रसारण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान कौन-कौन से धारावाहिक स्वीकार किए गए हैं; और

(घ) विचाराधीन धारावाहिकों/वृत्तचित्रों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (घ) चूंकि विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में धारावाहिकों तथा वृत्तचित्रों के प्रसारण के प्रस्ताव निरन्तर प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए ऐसे प्रस्तावों की केन्द्रीय रूप से कोई सूची नहीं रखी जाती है।

आयात के मामले में उदारता

[अनुवाद]

1499. **श्री आर० प्रभु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आयात के मामले में उदारता बरतने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो भुगतान संतुलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या उदारतापूर्वक आयात करने हेतु दूसरे देशों ने भारत सरकार को अधिक ऋण और सहायता देने का आश्वासन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सरकार की आयात संबंधी नीति, तीन वर्षीय आयात-निर्यात नीति-अप्रैल, 1990 से मार्च, 1993 द्वारा अधिशासित होती है जिसे भुगतान शेष की स्थिति सहित, विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

(ग) और (घ) विदेशों से भारत को मिलने वाले ऋण और अनुदान प्रत्यक्ष रूप से आयात नीति से नहीं जुड़े होते हैं।

बैंकों द्वारा हिन्दी में पत्र

1500. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, 1990 से 31 मई, 1990 तक सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंक और विजया बैंक के मुख्यालय में पृथक-पृथक कितने-कितने पत्र हिन्दी में लिखे गए ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंक और विजया बैंक ने सूचित किया है कि 1 मई, 1990 से 31 मई, 1990 तक की अवधि के दौरान उनके प्रधान कार्यालयों ने क्रमशः 6530, 7607 और 4322 पत्र हिन्दी में लिखे हैं।

उड़ीसा में समुद्री आहार का निर्यात

1501. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 24 अप्रैल, 1990 को देश के प्रमुख समुद्री आहार निर्यातकों की एक बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में समुद्री आहार का निर्यात बढ़ाने से संबंधित क्या समस्यायें उठाई गई थीं तथा उड़ीसा के समुद्री आहार निर्यातकों ने विशिष्ट समस्याएं उठाईं; और

(ग) उड़ीसा से समुद्री आहार का निर्यात बढ़ाने के लिये, इसके निर्यातकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) ने 24 अप्रैल, 1990 को नई दिल्ली में प्रमुख समुद्री आहार निर्यातकों की एक बैठक आयोजित की थी।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) उड़ीसा के निर्यातकों सहित निर्यातकों ने अनेक समस्याएं उठाईं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) राज्य सरकारों द्वारा उचित भूमि आबंटन नीति तैयार करना;

(ii) पारादीप बन्दरगाह पर पर्याप्त रीफर सेलिंग सुविधाओं की व्यवस्था;

(iii) व्यस्ततम उत्पादन अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि में किसानों को पर्याप्त झींगा सीड की सप्लाई; और

(iv) एम्पीडा बोर्ड में उड़ीसा के निर्यातकों के प्रतिनिधियों का शामिल होना;

(v) आयात-निर्यात नीति में निहित नियमानुसार समुद्री उत्पादन निर्यात के लिए प्रति-पूर्ति (आर० ई० पी०) 5 प्रतिशत से अधिक करना।

(ग) इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कार्रवाई की :—

(i) तटीय राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया कि झींगा मछली पालन संबंधी कार्यों के लिए उपयुक्त भूमि आवंटन नीति शीघ्र तैयार की जाए।

(ii) पारादीप बन्दरगाह पर रीफर सेलिंग सुविधायें उपलब्ध कराने का मामला शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के साथ उठाया गया, जिसने उड़ीसा से निर्यात किए जाने वाले समुद्री उत्पादों को अपर्याप्त मात्रा की वजह से इसे उपलब्ध कराना आर्थिक रूप से अर्थक्षम नहीं पाया।

(iii) एम्पीडा ने उड़ीसा झींगा अंडज उत्पतिशाल में उत्पादन का किसानों की वास्तविक मांग के साथ समन्वय करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं।

(iv) एम्पीडा बोर्ड को नवम्बर, 1989 से 3 वर्ष की अवधि के लिए पहले ही पुनर्गठित किया जा चुका है।

(v) निर्यात के एफ० ओ० बी० मूल्य पर आर० ई० पी० को प्रतिशतता 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए आवश्यक सार्वजनिक सूचना जारी कर दी गई थी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों, कारीगरों और खेतिहर मजदूरों को दिए गए ऋण

[हिन्दी]

1502. **श्री छोटूभाई देवजीभाई गामित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को किसानों, ग्रामीण कारीगरों और खेतिहर मजदूरों को विशेष ऋण देने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त वर्गों के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि का ऋण दिया गया है;

(ग) गुजरात के सूरत जिले में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, देना बैंक और बैंक आफ इंडिया द्वारा वर्ष 1987 से जून, 1990 की अवधि के दौरान किसानों, गारीगरों और खेतिहर मजदूरों को दिए गए ऋणों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सूरत जिले में राष्ट्रीयकृत बैंक उपरोक्त वर्गों को ऋण देने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे हैं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार इन बैंकों को इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई विशेष निर्देश जारी करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) बैंकों से कहा गया है कि वे प्राथमिक क्षेत्रों के लिए अपने ऋण के अनुपात को बढ़ाकर कुल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत कृषि क्षेत्र (संबद्ध कार्यकलापों सहित) को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष ऋणों को मार्च, 1990 तक कुल ऋण का 18 प्रतिशत और कमजोर वर्गों को, जिसमें छोटे और सीमान्त किसान और भूमिहीन किसान और कारीगर शामिल हैं, दिए जाने वाले अग्रिमों को कुल ऋण का 10 प्रतिशत या प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम का 25 प्रतिशत करें।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) से (च) जैसा कि ऊपर (क) और (ख) में बताया गया है, बैंकों को अखिल भारत आधार पर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना होता है और इस प्रयोजन के लिए जिलावार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते। छोटे और सीमान्त किसानों, कमजोर वर्गों को ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए कई उपाए किए गए हैं जैसे कि 10 प्रतिशत वार्षिक की रियायती ब्याज दर, चालू देयराशियों पर ब्याज को चक्रवृद्धि न करना, 10,000 रु० तक के ऋणों पर अन्य पक्ष गारंटी या सम्पार्श्विक प्रतिभूति के लिए जोर न देना। छोटे किसानों को दिए गए अल्पावधिक फसल ऋणों के मामले में नामे डाली गई ब्याज की रकम मूल धन से अधिक नहीं होनी चाहिए। फसल नष्ट होने के मामले में, देय राशि को 3 से 5 वर्ष की अवधि में पुनर्निर्धारित करना और किसानों को नया ऋण उपलब्ध कराना।

उपर्युक्त को देखते हुए इस समय कोई नया मार्गनिर्देश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीश

1503. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में गत छः महीनों के दौरान न्यायाधीशों के कितने पद भरे गए हैं;

(ख) वर्तमान नियमों के अनुसार आगामी तीन वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कितने न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने वाले हैं;

(ग) न्यायाधीशों के कितने नए पद सृजित किए जाने की संभावना है; और

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

इस्तात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) 1-1-1990 से 13-8-1990 तक उच्च न्यायालयों में 93 न्यायाधीशों की नई नियुक्तियां और उच्चतम न्यायालय में एक न्यायाधीश की नियुक्ति अधिसूचित की गई।

(ख) 1-8-1990 से 30-6-1993 तक, उच्चतम न्यायालय में बारह न्यायाधीश और

उच्च न्यायालयों के एक सौ तिरपन न्यायाधीश, क्रमशः पैंसठ वर्ष और बासठ वर्ष की अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप, सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

(ग) 13-8-90 को, उच्च न्यायालयों में विद्यमान पदों के अतिरिक्त न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों के तिरासी नए पद सृजित किए जाने की बाबत सहमति हुई है; ये पद न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों के स्वीकृत 433 पदों के अतिरिक्त हैं।

(घ) न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करने की प्रक्रिया चल रही है।

विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता की शर्तें

1504. **डा० बंगाली सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई शर्तें निर्धारित की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत छः महीनों के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए जिन देशों में अनुदान प्राप्त किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) दी जाने वाली विदेशी सहायता की शर्तों सबन्धी ब्यौरों का निर्धारण प्रत्येक दाता अभिकरण के साथ सहायता संबंधी बातचीत पूरी हो जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

(ग) जिन देशों से 1989-90 के दौरान अनुदान राशियां प्राप्त हुई थीं और जिनसे 1990-91 के दौरान प्राप्त होने की आशा है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वित्तीय वर्ष की आंशिक अवधि के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान अनुदान राशियों का उपयोग

देश/संस्था	वर्ष 1989-90 के दौरान अनुदान (करोड़ रुपए)	वर्ष 1990-91 के दौरान अनुदान (ब० अ०) (करोड़ रुपए)
1	2	3
कनाडा	23.55	111.65
डेनमार्क	12.75	18.50
फ्रेंच	51.42	0.00
जर्मन संघीय गणराज्य	0.93	3.07
जापान	46.54	20.09
नीदरलैंड	68.45	49.99

1	2	3
संयुक्त राज्य अमेरिका		
(क) सहायता ऋण	15.43	53.50
स्विट्जरलैंड	1.08	14.06
यूनाइटिड किंगडम	125.89	218.05
आई० एस० ओ०		
यूरोपीय आर्थिक समुदाय	111.10	35.44
आबु धाबी		
स्वीडन	162.24	56.65
स्पेन		
नार्वे	19.65	35.62
आस्ट्रेलिया	0.10	0.00
यू० एन० एस० पी० ए०	3.98	28.64
यू० एन० डी० पी०	0.00	0.00
"यूनीसेफ"	21.28	39.17
विश्व स्वास्थ्य संगठन	0.00	0.08
"यूनेस्को"	0.00	0.03
आई० एल० ओ०	0.21	0.00
एफ० ए० ओ०	0.01	0.00
जोड़	664.71	684.56

दूरदर्शन द्वारा पुरस्कृत किए गए दूरदर्शन धारावाहिक

[अनुवाद]

1505. **श्री शिकिहो सेमा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान दूरदर्शन द्वारा कितने दूरदर्शन धारावाहिकों को पुरस्कृत किया गया;

(ख) इनमें से कितने धारावहिक सूचीबद्ध निर्माताओं/गैर-सूचीबद्ध निर्माताओं के हैं; और

(ग) कमीशन कार्यक्रमों और प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत धारावाहिकों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) दूरदर्शन

द्वारा प्रसारित किए जाने वाले धारावाहिकों के विषय बहुत व्यापक होते हैं और विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत उनके निर्माण के प्रस्ताव अलग-अलग केन्द्रों में प्राप्त होते हैं। अतः अंतिम रूप से स्वीकृत और सौंपे गए प्रस्तावों की केन्द्रीय सूची नहीं रखी जाती है।

(ख) निर्माताओं/निर्देशकों को केवल दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर "प्रायोजित" धारावाहिकों के प्रसारण के लिए सूचीबद्ध किया गया है और यह सूची अभी तक चालू नहीं की गई है।

(ग) चयन के लिए मुख्य मानदंड निम्नलिखित हैं :—

(1) कहानी और इसकी समसामयिक प्रासंगिकता

(2) विषय का निरूपण

(3) तकनीकी कर्मियों की समग्र सक्षमता और

(4) दूरदर्शन की कार्यक्रम अपेक्षाओं के अनुसार प्रासंगिकता।

सरकार द्वारा बचत

1506. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष सरकार द्वारा कितनी बचत करने का विचार है; और

(ख) व्यय में कमी करके बचत करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) खर्च को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे महंगाई भत्ते पर अतिरिक्त वचनबद्धताओं को, उनसे लिए किए गए स्थापना संबंधी व्यय के प्रावधान के अन्तर्गत ही पूरा करें;

(ii) मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे अपने बजट के अन्तर्गत ही, उनके द्वारा मांगी गई पूरक राशियों की समतुल्यों बचतों को पता लगाएं;

(iii) मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के सम्पूर्ण क्षेत्र की समीक्षा इस दृष्टि से करें ताकि उनके द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्य एवं कार्यकलापों को कम किया जा सके जो अब प्रासंगिक नहीं हैं अथवा जिन्हें किसी अन्य तरीके से और अधिक किफायती ढंग से निष्पादित किया जा सकता है;

(iv) मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन संवर्धनकारी एजेंसियों के विदेशों में स्थित कार्यालयों को बन्द कर दें;

(v) वाशिंगटन तथा लन्दन में सप्लाई मिशनों को बन्द करने का निर्णय लिया गया है;

(vi) हिदायतें जारी की गई हैं कि विदेश यात्रा संबंधी व्यय को घटाकर 1989-90 के वास्तविक खर्च अथवा चालू वर्ष में बजट प्रावधान, इनमें से जो भी कम हो, के 75 प्रतिशत तक किया जाए;

(vii) ये हिदायतें भी जारी की गई हैं कि सरकारी वाहनों में पेट्रोल और डीजल की खपत को वर्ष 1989-90 की खपत के मुकाबले 20 प्रतिशत तक कम किया जाए।

इन सभी उपायों के कुल प्रभाव का पता कुछ समय के बाद ही लगेगा।

किसानों, कामगारों और बुनकरों के लिए ऋण राहत योजना को लागू करने हेतु त्रिपुरा को विशेष अनुदान

1507. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों, कामगारों और बुनकरों के लिए ऋण राहत योजना की घोषणा की है,

(ख) क्या त्रिपुरा सरकार को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सहकारी बैंकों को मुआवजा देने में कठिनाई हो रही है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का इस राज्य को इस योजना का ठीक से कार्यान्वयन करने हेतु विशेष अनुदान दिये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कितना विशेष अनुदान दिये जाने का विचार किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) भारत सरकार ने किसानों, भूमिहीन कृषकों, कारीगरों और बुनकरों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 10,000 रुपए तक की ऋण राहत प्रदान करने के लिए "कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990" नामक एक योजना तैयार की है। जहां तक सहकारी क्षेत्र के बैंकों का संबंध है, त्रिपुरा समेत सभी राज्य सरकारों से इसी पैटर्न पर योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से लिये गए ऋणों के बारे में ऋण राहत की समस्त जिम्मेवारी वहन करेगी। सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों के संबंध में, केन्द्रीय पैटर्न पर ऋण राहत योजना के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए, केन्द्रीय सरकार राज्य क्षेत्र में इन बैंकों के लिये गए ऋणों पर कुल राहत का 50 प्रतिशत भार वहन करेगी। भारत सरकार ने जून, 1990 में राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि सहकारी समितियों के ऋण राहत की लागत के 50 प्रतिशत के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए राज्य सहकारी बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से रियायती ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

जोकई टी होल्डिंग्स लिमिटेड के शेयरों की बिक्री

[हिन्दी]

1508. **श्री ब्रज भूषण तिवारी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब नेशनल बैंक के पास धबंक रखे गए जोकई टी होल्डिंग्ज लिमिटेड के शेयर्स को दि फरोहा होल्डिंग्स नामक एक विदेशी कंपनी को बेचा जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस मामले की जांच करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रवर्तन निदेशालय ने इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का कोई उल्लंघन हुआ है, हाल ही में जांच आरंभ कर दी है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

विदेशी मुद्रा बैंकों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क और प्रभार

[अनुवाद]

1509. **प्रो० के० वी० थामस :**

श्री रामेश्वर प्रसाद :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फोरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोशियेशन आफ इंडिया" (एफ० ई० डी० ए० आई०) ने भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से विदेशी बैंकों द्वारा अपने निर्यातक ग्राहकों से निर्यात संबंधी ऋण पत्र, ऋण पत्रों का हस्तांतरण, निर्यात दस्तावेजों के रख-रखाव, आदि के संबंध में लिये जाने वाले शुल्क और प्रभार निर्धारित किये हैं;

(ख) क्या उनको "फोरेन एक्सचेंज डीलर्स आफ इंडिया" के नियमों को अधिकृत रूप से जारी कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) जिन निर्यातकों से विदेशी मुद्रा बैंक निर्धारित प्रभार से अधिक प्रभार वसूल करते हैं उसके लिये क्या उपाय हैं; और

(ङ) यदि ऐसे निर्यातकों की शिकायत दूर करने का कोई उपाय नहीं है तो, क्या सरकार का विचार निर्यातकों की शिकायतों पर जल्द कार्यवाही करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक में एक शिकायत कक्ष स्थापित करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स संघ (फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोशियेसन ऑफ इंडिया) ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से प्राधिकृत डीलरों द्वारा अपने ग्राहकों से साख पत्रों, साख पत्रों के हस्तांतरण निर्यात दस्तावेजों के रख-रखाव इत्यादि सम्बन्धी कार्य के लिए उनसे शुल्क और प्रभार वसूली नियम निश्चित किये हैं । ये नियम सिर्फ बैंकों पर लागू होते हैं ।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स संघ अब सामान्य लोगों पर लागू विभिन्न विदेशी मुद्रा लेन-देन पर प्राधिकृत डीलरों द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रभारों से संबंधित नियमों को अलग कर दिया है । इन नियमों को यथा समय जनता में परिचालित कर दिया जायेगा । भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि निर्यातक अपनी शिकायतों के निवारण के लिए बैंक से सम्पर्क करते रहे हैं । निर्यातक/आयातक ऐसोसियेटिड चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री आफ इण्डिया, फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री और फैडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स जैसे अखिल भारतीय

संगठनों के माध्यम से भी प्रभारों की वसूली संबंधी अपनी शिकायतों को दूर करने के प्रयत्न करते रहे हैं, इन्हें इन संगठनों द्वारा आयोजित तिमाही बैठकों, जिनमें भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स संघ और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि भी उपस्थित होते हैं, में निपटाया जाता है।

इस्पात उद्योग में अनुषंगी क्षेत्र की भागीदारी

1510. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के इस्पात उद्योग में अनुषंगी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी की कोई योजना आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) इस निर्णय से इस्पात उद्योग को कितनी सहायता मिलेगी ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) विद्युत चाप भट्टी/ऊर्जा इष्टतमीकरण प्रौद्योगिकियों जिसमें, लघु धमन भट्टियां शामिल हैं, पर आधारित 10 लाख मी० टन तक की इकाई क्षमता के निजी क्षेत्र में इस्पात बनान की अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने की अनुमति देने के बारे में निर्णय लिया गया है। प्रोडक्टमिक्स तथा अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए उद्यमियों को संयंत्र के आकार के बारे में निर्णय लेने का विकल्प होगा।

(ग) आशा की जाती है कि इस निर्णय से मांग-आपूर्ति के अन्तर को पूरा करने में गौण क्षेत्र से इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा निर्यात के प्रयास

1512. **श्री जे० पी० अग्रवाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार के माध्यम से निर्यात प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापार विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो प्राधिकरण की अब तक की मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कार्यकरण पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या प्राधिकरण अपने निर्धारित कार्यों को पूरा कर रहा है;

(ङ) क्या इसके कार्यकरण का कभी कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) जी हां, इसने विशिष्ठ बाजारों में विशिष्ठ निर्यातकों द्वारा विशिष्ठ उत्पादों के भारतीय निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेकों तरीके अपनाये हैं जैसे प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट स्टोरों सहित भारत संवर्धन कार्यक्रम, विशेषीकृत विदेश व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, संविदा संवर्धन/एकीकृत विपणन कार्यक्रमों में भागीदारी आदि। यह अधुनातन विपणन विकासों पर जानकारी एकत्र करता है और उसका प्रचार करता है।

(ग) सन् 1970-71 में इसके प्रारम्भ से लेकर 1989-90 तक इस पर हुआ कुल व्यय निम्नानुसार है :—

पूंजीगत व्यय	—	78 लाख रुपए
राजस्व व्यय	—	3236 लाख रुपए

(घ) जी हां।

(ङ) व्यापार विकास प्राधिकरण के कार्यकरण को उसकी संचालन समिति और स्थायी समिति द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, व्यापार विकास प्राधिकरण, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान और भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के क्रियाकलापों की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने सन् 1986 में एक समूह की नियुक्ति की।

(च) इस समूह ने व्यापार विकास प्राधिकरण की उत्प्रेरक भूमिका के महत्व का उल्लेख किया है। इस समूह द्वारा व्यापार मेला प्राधिकरण के संबंध में की गई अधिकांश सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

कृषि ऋणों को माफ करना

[हिन्दी]

1513. **श्री राघवजी :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री आर० एन० राकेश :
श्री वाई० एस० राजेशखर रेड्डी :
श्री के० मुरलीधरण :
श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने केन्द्रीय सरकार को अपनी ऋण राहत संबंधी योजनाएं भेजी हैं; और

(ख) कुल कितनी धनराशि के ऋण माफ करने का विचार है और सरकार की ऋण राहत योजना के अन्तर्गत बैंकवार और राज्यवार कितने व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) निम्नलिखित राज्यों ने सहकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की अपनी ऋण राहत योजनाएं भेजी हैं :—

(1) असम	(2) बिहार
(3) गुजरात	(4) हिमाचल प्रदेश
(5) महाराष्ट्र	(6) मध्य प्रदेश
(7) राजस्थान	(8) तमिलनाडु
(9) उत्तर प्रदेश और	(10) पश्चिम बंगाल

(ख) ऋण राहत योजना द्वारा लाभान्वित होने वाले संभावित हिताधिकारियों की बैंक-वार और राज्य-वार संख्या का इस समय किसी प्रकार का अनुमान लगाना संभव नहीं है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए तुरन्त आकलन से पता चलता है कि बट्टे-खाते डाली जाने वाली संभावित राशि लगभग 4000 करोड़ रुपए हो सकती है।

पीयरलेस को अपने सर्टीफिकेट विदेशों में बेचने की अनुमति

[अनुवाद]

1515. **डा० देवी प्रसाद पाल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लि० ने अपने सर्टीफिकेट विदेशों में बेचने की अनुमति मांगने हेतु सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम्पनी को सर्टीफिकेट विदेशों में बेचने की अनुमति दे दी गई है अथवा देने का विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मैसर्स पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लि० ने अनिवासी भारतीयों को सर्टीफिकेट बेचने और विदेशों में स्टर्लिंग खाते खोलने के लिए बैंक की अनुमति मांगी है इससे पहले बैंक ने कुछ शर्तों पर विदेशों में सर्टीफिकेट बेचने के लिए कंपनी को "सिद्धांत रूप में" अपनी अनापत्ति दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी अंतिम स्वीकृति नहीं दी है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में यह बात आई है कि बैंक की औपचारिक अनुमति प्राप्त करने से पूर्व ही कम्पनी ने कुछ अनिवासी भारतीयों को बन्दोबस्ती सर्टीफिकेट (एंडोमेंट सर्टीफिकेट) जारी कर दिए हैं। कम्पनी से कहा गया है कि जब तक वह भारतीय रिजर्व बैंक की अंतिम स्वीकृति प्राप्त नहीं करती तब तक वह ऐसे सर्टीफिकेट और न बेचे। अनिवासी निवेशकों की कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से बैंक ने सर्टीफिकेटों की परिपक्वता राशि को, जो पहले ही जारी किए गए हैं, अनिवासी निवेशकों के अनिवासी साधारण खातों में जमा करने के लिए कंपनी को अनुमति दे दी है।

रुपए में भुगतान करने वाले देशों को निर्यात संबर्धन क्षेत्र के एककों द्वारा निर्यात

1516. **श्री रामेश्वर प्रसाद** :
प्रो० के० वी० थामस :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ/रुपये में भुगतान करने वाले देशों को अपने तैयार उत्पादों का निर्यात करने वाले और डालर/सामान्य मुद्रा क्षेत्र से कच्चे माल का आयात करने वाले निर्यात संवर्धन क्षेत्र के एककों पर हाल ही में कोई प्रतिबंध लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये प्रतिबंध किस तिथि से लागू किए गए हैं;

(ग) ऐसे प्रतिबंध लागू करने के क्या कारण हैं; और

(घ) तत्संबंधी विधि वैद्यानिक आदेशों अथवा सार्वजनिक सूचना संबंधी उपबंध क्या हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, नहीं। तथापि, प्रस्तावों का अनुमोदन करते समय अनुमोदन बोर्ड का प्रयास यह रहता है कि विदेशी मुद्रा सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मुक्त विदेशी मुद्रा देश में आने और देश से बाहर जाने के मामले में संतुलन बना रहे, घरेलू उद्योग का संवर्धन हो तथा संवियत संघ के साथ प्रत्यक्ष व्यापार बढ़े।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अलेप्पी जिले में पुन्नामाड़ा समुद्र-तट पर पैविलियन की स्थापना

1517. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अलेप्पी जिले में, जहां नेहरू ट्राफी नौका दौड़ का आयोजन किया गया था, पुन्नामाड़ा कायल समुद्र तट पर एक स्थायी पैविलियन की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को 1990-91 के दौरान प्राथमिकता दिए जाने का अनुरोध नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सर्वेक्षण

1518. **डा० विश्वनाथम** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य में नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से श्रीकाकुलम जिले में किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है और किन-किन स्थानों को चुना गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार की परियोजनाओं के विकास के लिए सर्वेक्षण करने हेतु क्या मानदण्ड पूरे किए जाने हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से निम्नलिखित परियोजनाओं को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने के लिए प्राथमिकता दी गई है :—

1. मवाला, अदिलाबाद, विजयवाड़ा एवं विशाखापट्टनम के बीच वेणुकोंडा और एल्लर में मार्गस्थ सुविधाएं।

2. बोर्रा गुफाओं में प्रकाश-पुंज व्यवस्था तथा जन सुविधाएं।

3. अनुपू में रेस्तरां।

4. सरदार महल में सांस्कृतिक परिसर का विकास।

5. वारांगल किला पर रेस्तरां।

6. हुसैन सागर झील के चारों ओर क्राफ्ट परिसर।

7. कोंडापल्ली किला पर स्नैक बार।

पर्यटक स्थलों का सर्वेक्षण राज्य सरकार की सिफारिशों पर किया जाता है जो स्थान-विशेष की पर्यटन संबंधी संभावनाओं पर निर्भर करता है। तथापि, श्रीकाकुलम जिले के पर्यटक-स्थलों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

दिल्ली में बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

[हिन्दी]

1519. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में गत सात महीनों के दौरान बैंकों द्वारा व्यापरियों, बेरोजगार युवकों तथा अन्य व्यक्तियों को दिए गए ऋणों का श्रेणीवार और बैंकवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : बैंकों से प्राप्त आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। दिल्ली में, दिसम्बर, 1988 (अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्रों के अन्तर्गत दिए गए उधार के कुल बकाया अग्रिमों का ब्यौरा निम्नानुसार था :—

अग्रिमों की श्रेणी	खातों की संख्या (लाखों में)	शेष बकाया रकम (करोड़ रुपए)
प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत कुल अग्रिम जिसमें से	2.11	1509.16
(1) फुटकर व्यापार	0.33	29.29
(2) लघु व्यापार	0.47	28.09
(3) स्वत: नियोजित तथा व्यवसायिक	0.25	21.25
(4) लघु-उद्योग	0.41	974.86
(5) कृषि	0.19	126.63
(6) लघु सड़क परिवहन चालक	0.13	103.83

शहरों का दर्जा बढ़ाना

[अनुवाद]

1520. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में जिन शहरों का दर्जा बढ़ाया गया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दर्जा बढ़ाने से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई, 90 से बढ़ा हुआ मकान किराया भत्ता और नगर पूतिपूर्ति भत्ता मिलेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नगरों और शहरों का दर्जा बढ़ाये जाने का आधार क्या है; और

(ङ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ङ) संग्लन विवरण पत्र के अनुसार।

विवरण

राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) के कर्मचारी पक्ष ने 1979 के दौरान अपनायी गयी समान प्रक्रिया के अनुरूप शहरों की मध्य जनगणना की जनसंख्या के अनुमानों के आधार पर मकान किराया भत्ता (एच० आर० ए०)/प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की मंजूरी के प्रयोजन से नगरों/शहरों का दर्जा बढ़ाए जाने और पुनर्वर्गीकरण की मांग की है। मामले पर विचार किया गया है और चालू जनगणना के आधार पर 5 जुलाई, 1990 को उन 48 नगरों का दर्जा बढ़ाए जाने के सरकारी आदेश जारी किए गए हैं जिनकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार अगले उच्च ग्रेड में दर्जा बढ़ाए जाने के लिए अपेक्षित स्तर से 10 प्रतिशत कम रह गई थी। यह निर्णय 1-7-1990 से प्रभावी है। इस निर्णय के अंतर्गत आने वाले नगरों के विवरण नीचे दिए गए अनुसार हैं :—

(क) (i) **केवल मकान किराया भत्ता के प्रयोजन के लिए "ख-1" वर्ग में दर्जा बढ़ाए गए नगर/शहर।**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर
बिहार	1. पटना (शहरी समूह)
गुजरात	2. सूरत (शहरी समूह)

(ii) **मकान किराया भत्ता और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता दोनों के प्रयोजनों से "ख-1" वर्ग में दर्जा बढ़ाए गए शहर।**

गुजरात	1. बड़ोदरा (शहरी समूह)

(ख) (i) **केवल मकान किराया भत्ते के प्रयोजन से 'ख-2' वर्ग में दर्जा बढ़ाए गए शहर/नगर**

चण्डीगढ़	1. चण्डीगढ़ (शहरी समूह)
राजस्थान	2. अजमेर

(ii) मकान किराया भत्ता और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता दोनों के प्रयोजनों से "ख-2" वर्ग में दर्जा बढ़ाए गए नगर/शहर

आंध्र प्रदेश	1. गुन्टूर
उत्तर प्रदेश	2. गोरखपुर (शहरी समूह)

(iii) केवल प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते के प्रयोजन से "ख-2" वर्ग में दर्जा बढ़ाए गए नगर

महाराष्ट्र	1. थाणे (शहरी समूह)

(ग) केवल मकान किराया भत्ते के प्रयोजन के वर्ग "ग" में दर्जा बढ़ाए गए नगर/शहर

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1. पोर्ट ब्लेयर
आन्ध्र प्रदेश	2. कावाली
	3. मंगलागिरी
	4. नारसापुर
	5. पालाकोले
बिहार	6. चैंबासा
गुजरात	7. पेटलाद
	8. सावरकुण्डला
	9. वीरामगाम
	10. वीसनगर
हरियाणा	11. पलवल
कर्नाटक	12. दण्डेली
	13. डोडावालापुर
	14. कारवर
मध्य प्रदेश	15. बालाघाट
	16. दतिया
	17. धार
	18. सारनी
	19. बेतुल
महाराष्ट्र	20. पारली
	21. रतसागिरी

पंजाब	22. कोटकापुरा
	23. नाभा
राजस्थान	24. बनसवारा
	25. झुनझुनु
	26. नागौर
तमिलनाडु	27. अरानी
	28. चेंगालपेटु
	29. कृष्णागिरी
	30. कुमारापालाइयम्
	31. मैतूर
	32. पेटुकोटाई
	33. रामानाथपुरम
	34. तेनकासी
उत्तर प्रदेश	35. बलरामपुर
	36. बड़ौत
	37. मुगल सराय
	38. शिकोहाबाद
पश्चिम बंगाल	39. बिशनुपुर
	40. रानी गंज

2. कर्मचारियों की नीचे दिए गए के अनुसार "क," "ख-1," "ख-2" और ग वर्ग नगरों के उपयुक्त मकान किराया भत्ता और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता उच्च दरों पर मिलेगा :—

भत्ते की दरें

(I) प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता

× संशोधित वेतनमान में वेतन सीमा	नगरों के वर्गों में प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की प्रति माह राशि		
	"क"	"ख-1"	"ख-2"
950 रु० से नीचे	30	25	20
950 रु० और उससे अधिक लेकिन 1500 रु० से कम	45	35	20
1500 रु० और उससे अधिक लेकिन 2,000 रु० से कम	75	50	20
2,000 रु० और उससे अधिक	100	75	20

II. मकान किराया भत्ता

संशोधित वेतनमान में वेतन सीमा (रु०)	मकान किराया भत्ते की राशि (प्रतिमाह रु० में)		
	"क" "ख-1 और "ख-2" शहर	"ग" वर्ग शहर	अवर्गीकृत स्थान
750-949	150	70	30
950-1499	250	120	50
1500-2799	450	220	100
2800-3599	600	300	150
3,600-4,499	800	400	200
4,500 और इससे अधिक	1000	500	300

3. चूंकि, 5 जुलाई, 1990 के सरकारी आदेश के अन्तर्गत आने वाले नगर/शहरों में तैनात कर्मचारियों की संख्या एक ही जगह पर उपलब्ध नहीं है, इस संबंध में व्यय का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

वर्ष 1988-89 के दौरान तमिलनाडु में टी वी० ट्रांसमीटर चालू करना

1521. **श्री आर० पी० एस० वेंकटेशन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में उन स्थानों के नाम क्या-क्या हैं जहां पर वर्ष 1988 और 1989 के दौरान टी० वी० ट्रांसमीटर्स चालू किए गए हैं और उनकी क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव चालू वर्ष के दौरान उच्च शक्ति/कम शक्ति के अधिक टी० वी० ट्रांसमीटर चालू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) दूरदर्शन की वार्षिक योजना, 1990-91 में, अन्य बातों के साथ-साथ, कई टी० टी० ट्रांसमीटर लगाए जाने की व्यवस्था की गई है परन्तु इन ट्रांसमीटरों के स्थान का निर्धारण देश के कवर न हुए विभिन्न भागों के लिए दूरदर्शन सेवा का विस्तार की परस्पर प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

विवरण

I. 1988 में तमिलनाडु में चालू किए गए टी० वी० ट्रांसमीटर

मद्रास में दूसरी चैनल सेवा के लिए उच्च शक्ति (10 कि० वा०) ट्रांसमीटर

II. 1989 में तमिलनाडु में चालू किए गए टी० वी० ट्रांसमीटर

(i) अल्प शक्ति (100 वाट) ट्रांसमीटर

1. कोर्टलम
2. कुट्टालोर
3. रामेश्वरम
4. तंजावूर
5. निरुवान्नमलाई
6. सिंडीवानुम
7. तिरुचेन्दुर
8. तिरुनेलवेली
9. तिरुपत्तुर
10. तुतीकोरिन
11. वाणीयमबाडी
12. विल्लुपूरम

(ii) ट्रांसपोजर (2 × 10 वाट)

1. कांचीपुरम
2. उधागामंडलम

जोधपुर स्टील स्टाक यार्ड की स्थापना का प्रस्ताव

[हिन्दी]

1522. **श्री गुमान मल लोढ़ा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक स्टील स्टॉक यार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जोधपुर और इसके आस-पास के क्षेत्रों में सप्लाई के विद्यमान स्तर को देखते हुए जोधपुर में पृथक स्टॉकयार्ड स्थापित करने का औचित्य नहीं है।

आयकर विभाग में पदोन्नतियां

1523. **श्री गोपाल पचेरवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में पदोन्नतियों के मामले में 40 पोइन्ट रोस्टर कार्यान्वित किया जाता है;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों को अपने-अपने पोइन्ट पर पदोन्नत किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आयकर विभाग, दिल्ली में निरीक्षकों के आरक्षित पदों को, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों से संबद्ध उम्मीदवारों के होने के बावजूद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा गया;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त कार्यवाही का औचित्य क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) और (घ) जी, हां, केवल उन कुछेक मामलों को छोड़कर जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात एककों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए इस्पात संबंधी नीति का उदार बनाना

[अनुवाद]

1524. **श्री बसंत साठे** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात एककों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए इस्पात संबंधी नीति को उदार बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में ऐसे एककों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंसों हेतु राज्य-वार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और अब तक कितनों को मंजूरी दी गयी है; और

(घ) महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, भेजे गए, स्वीकृत किए तथा लम्बित पड़े प्रस्तावों की अनुमानित लागत कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) विद्युत चाप भट्टी ऊर्जा इष्टतमीकरण प्रौद्योगिकियों, जिसमें लघु धमन भट्टियां भी शामिल हैं, पर आधारित 10 लाख मी० टन तक की इकाई क्षमता के निजी क्षेत्र में इस्पात बनाने की अतिरिक्त

क्षमता का सृजन करने की अनुमति देने के बारे में निर्णय लिया गया है । प्रोडक्टमिक्स तथा अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए उद्यमियों को संयंत्र के आकार के बारे में निर्णय लेने का विकल्प होगा ।

(ग) और (घ) आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं।

कच्चा-लोहे के वितरण हेतु प्रमुख एजेन्सी की स्थापना

1525. **श्री एस० बी० घोरट** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कच्चा-लोहे के वितरण हेतु एक प्रमुख एजेन्सी नोडल (एजेन्सी) स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की निर्यात क्षमताएं

1526. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की निर्यात क्षमताओं के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन जोनों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) इन जोनों की स्थापना पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने "चुनिंदा विकासशील देशों में मुक्त व्यापार क्षेत्र" पर अपने अध्ययन में उल्लेख किया है कि छः निर्यात संवर्धन क्षेत्रों से वर्ष 1988-89 के दौरान 516 करोड़ रु० अर्थात् हमारे कुल निर्यात का लगभग 2.6 प्रतिशत का निर्यात हुआ । अध्ययन में यह भी उल्लेख है कि विनिर्मित माल के निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा को शुद्ध आय में इन क्षेत्रों का सकारात्मक योगदान है । उनको निर्यात संभावनाओं के पूर्ण दोहन के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अवस्थापना में सुधार लाना, कार्यप्रणाली को सरल एवं कारगर बनाना, क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण स्थापित करना तथा अधिक उदार एक मुश्त प्रोत्साहन शामिल है ।

(ग) निर्यात संवर्धन क्षेत्रों की योजना के पुनर्गठन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि

प्रोत्साहनों में सुधार हो तथा इन क्षेत्रों से निर्यात को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए नियमों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके ।

(घ) इन क्षेत्रों की स्थापना पर प्रारंभ से लेकर सरकार के कुल 99.20 करोड़ रुपये का निवेश किया है ।

"कांशसनेस इन्टरनेशनल फाउन्डेशन" द्वारा सहायता

1527. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कांशसनेस इन्टरनेशनल फाउन्डेशन" ने विश्व भर में गरीबों और निराश्रितों को सहायता देने की अपनी विशाल योजना में भारत को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनकी योजना से गरीबों और निराश्रितों को किस हद तक लाभ होगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) वित्त मन्त्रालय के पास इस विषय पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

लघु रबड़ उत्पादकों को वित्तीय सहायता

1528. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, लघु रबड़ उत्पादकों को खेती के पहले सात वर्षों के दौरान दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) रबड़ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए आठवीं योजना के प्रस्तावों में उन्होंने सभी रबड़ उपजकर्ताओं के हित में आर्थिक सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है । आठवीं योजना के परिव्यय में प्रस्तावित सहायता या दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है ।

राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

[हिन्दी]

1529. **श्री जनार्दन तिवारी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987, 1988, 1989 और जून, 1990 तक उनके मन्त्रालय में कितने राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताएं तथा गबन के मामलों का पता लगाया गया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विश्व कप फुटबाल मैच के प्रसारण से आय

[अनुवाद]

1530. **श्री ई० एस० एम० पाकीर मोहम्मद** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपग्रह के माध्यम से विश्व कप फुटबाल मैच दूरदर्शन पर प्रसारित करने में कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(ख) भारत में इस खेल के कुल कितने प्रतिशत दर्शक हैं;

(ग) मैचों के प्रायोजित किए जाने से कुल कितनी आय हुई; और

(घ) दूरदर्शन पर इन मैचों के प्रसारण के दौरान दिखाए गए विभिन्न विज्ञापनों से कितनी आमदनी हुई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) विश्व कप फुटबाल, 1990 के मैचों को दूरदर्शन पर दिखाने पर भारतीय मुद्रा में 18,15,309.00 रु० के बराबर विदेशी मुद्रा खर्च हुई। ब्यौरा नीचे दिया गया है—

(I) टी० वी० अधिकार मूल्य : 17,32,424.00 रुपए

(II) प्रचालन लागत : 82,885.00 रुपए

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित और वाणिज्यिक विज्ञापनों से क्रमश: 202.45 लाख रुपये और 71.00 लाख रुपए की कुल आय हुई।

विवरण

तारीख	समय	चैनल	ब्यौरा	अखिल भारतीय दर्शक संख्या (%) स्रोत : मार्ग टी० वी० व्यूबरशिप आडिट
1	2	3	4	5
8-6-90	10.35 अपराह्न	I	अर्जेंटीना और कैमरून के बीच	19
8-6-90	8.15 अपराह्न	II	अर्जेंटीना और कैमरून के बीच	18
9-6-90	8.15 अपराह्न	II	कोलम्बिया और संयुक्त अरब अमीरात के बीच	उपलब्ध नहीं
9-6-90	10.45 अपराह्न तक	I	मुख्य अंश	22

1	2	3	4	5
9-6-90	00.15 पूर्वाह्न	I	इटली और आस्ट्रेलिया के बीच	13
10-6-90	8.15 अपराह्न	II	अमेरीका और चेकस्लोवाकिया के बीच	उपलब्ध नहीं
10-6-90	2.30 अपराह्न	I	रिकार्डिग	15
10-6-90	10.20 अपराह्न	I	मुख्य अंश	20
10-6-90	00.15 पूर्वाह्न	I	ब्राजील और स्वीडन के बीच	16
11-6-90	8.15 अपराह्न	II	कोस्टारिका और स्काटलैंड के बीच	उपलब्ध नहीं
11-6-90	8.05 पूर्वाह्न	I	विश्वकप रिकार्डिग	5
11,6-90	10.20 अपराह्न	I	मुख्य अंश	20
11-6-90	00.15 पूर्वाह्न	I	इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच	15
12-6-90	8.15 अपराह्न	II	बैल्जियम और दक्षिणी कोरिया के बीच	उपलब्ध नहीं
12-6-90	8.50 पूर्वाह्न	I	विश्व कप रिकार्डिग	8
12-6-90	10.40 अपराह्न	I	मुख्य अंश	19
12-6-90	00.15 पूर्वाह्न	I	हालैंड और मिश्र के बीच	9
13-6-90	8.15 अपराह्न	II	उरुग्वे और इस्पेन के बीच	उपलब्ध नहीं
13-6-90	8.05 पूर्वाह्न	I	विश्व कप रिकार्डिग	4
13-6-90	10.29 अपराह्न	I	मुख्य अंश	23
13-6-90	00.15 पूर्वाह्न	I	अर्जेंटीना और सोवियत संघ के बीच	12
14-6-90	8.15 अपराह्न	II	केमरून और रूमानिया के बीच	उपलब्ध नहीं
14-6-90	8.05 पूर्वाह्न	I	विश्व कप रिकार्डिग	6
14-6-90	10.20 अपराह्न	I	मुख्य अंश	20
14-6-90	00.15 पूर्वाह्न	I	इटली और अमेरिका के बीच	11

1	2	3	4	5
15-6-90	8.15 अपराह्न	II	आस्ट्रीया और चेकोस्लोवाकिया के बीच	उपलब्ध नहीं
15-6-90	8.05 पूर्वाह्न	I	विश्व कप रिकार्डिग	8
15-6-90	10.20 अपराह्न	I	मुख्य अंश	12
15-6-90	00.15 पूर्वाह्न	I	इटली और आस्ट्रीया के बीच	8
16-6-90	8.05 पूर्वाह्न	I	रिकार्डिग	5
16-6-90	8.15 अपराह्न	II	ब्राजील और कोस्टारिका के बीच	उपलब्ध नहीं
16-6-90	10.45 अपराह्न	I	मुख्य अंश	20
16-6-90	00.15 पूर्वाह्न	I	हालैंड और इंग्लैंड के बीच	11
17-6-90	9.15 अपराह्न	II	आयरलैंड और मिश्र के बीच	—
17-6-90	10.20 अपराह्न	I	मुख्य अंश	20
17-6-90	00.15 पूर्वाह्न	I	बेल्जियम और उरुग्वे के बीच	11
18-6-90	8.50 पूर्वाह्न	I	रिकार्डिग	9
18-6-90	10.20 अपराह्न	I	मुख्य अंश	22
18-6-90	00.15 पूर्वाह्न	I	अर्जेंटीना और रूमानिया के बीच	14
19-6-90	8.05 पूर्वाह्न	I	रिकार्डिग	3
19-6-90	8.15 अपराह्न	II	जर्मनी और कोलम्बिया के बीच	उपलब्ध नहीं
19-6-90	10.40 अपराह्न	I	मुख्य अंश	21
19-6-90	00.15 पूर्वाह्न	I	इटली और चेकोस्लोवाकिया के बीच	14
20-6-90	8.05 पूर्वाह्न	I	रिकार्डिग	6
20-6-90	10.20 अपराह्न	I	मुख्य अंश	24
20-6-90	00.15 पूर्वाह्न	I	ब्राजील और स्काटलैंड के बीच	13

1	2	3	4	5
21-6-90	8.05 पूर्वाह्न	I	रिकार्डिंग	7
21-6-90	8.15 अपराह्न	II	उरुग्वे और कोरिया के बीच	उपलब्ध नहीं
21-6-90	10.20 अपराह्न	I	मुख्य अंश	27
21-6-90	00.15 पूर्वाह्न	I	आयरलैंड और हालैंड के बीच	14
22-6-90	8.05 पूर्वाह्न	I	रिकार्डिंग	7
22-6-90	10.20 अपराह्न	I	मुख्य अंश	23
23-6-90	8.15 अपराह्न	II	कैमरून और कोलम्बिया के बीच	उपलब्ध नहीं
23-6-90	00.15 पूर्वाह्न	I	चेकोस्लोवाकिया और कोस्टारिका के बीच	12
24-6-90	8.15 अपराह्न	II	अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच	उपलब्ध नहीं
24-6-90	10.20 अपराह्न	I	मुख्य अंश	20
24-6-90	00.15 पूर्वाह्न	I	पश्चिम जर्मनी और हालैंड के बीच	8
25-6-90	8.05 पूर्वाह्न	I	रिकार्डिंग	5
25-6-90	8.15 अपराह्न	II	आयरलैंड और रूमानिया के बीच	उपलब्ध नहीं
25-6-90	10.20 अपराह्न	I	मुख्य अंश	22
25-6-90	00.15 पूर्वाह्न	I	उरुग्वे और इटली के बीच	11
26-6-90	8.05 पूर्वाह्न	I	रिकार्डिंग	5
26-6-90	8.15 अपराह्न	II	यूगोस्लाविया और स्पेन के बीच	उपलब्ध नहीं
26-6-90	10.40 अपराह्न	I	मुख्य अंश	22
26-6-90	00.15 पूर्वाह्न	I	इंगलैंड और बेल्जियम के बीच	10
27-6-90	8.05 पूर्वाह्न	I	रिकार्डिंग	6
27-6-90	10.20 अपराह्न	I	मुख्य अंश	15
28-6-90				
29-6-90				

1	2	3	4	5
30-6-90	8.15 अपराह्न	II	अर्जेंटीना और यूगोस्लाविया के बीच	उपलब्ध नहीं
30-6-90	11.45 अपराह्न	I	झलकियां	17
30-6-90	00.15 पूर्वाह्न	I	इटली और आयरलैंड के बीच	10
1-7-90	8.15 अपराह्न	II	पश्चिमी जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया के बीच	उपलब्ध नहीं
1-7-90	10.50 अपराह्न	I	मुख्य अंश	18
1-7-90	10.50 अपराह्न	I	झलकियां	10
1-7-90	00.15 पूर्वाह्न	I	इंग्लैंड और कैमरून के बीच	8
2-7-90	8.05 पूर्वाह्न	I	रिकार्डिंग	3
2-7-90	10.20 अपराह्न	I	मुख्य अंश	21
3-7-90	10.50 अपराह्न	I	झलकियां	23
	11.15 अपराह्न	I	इटली और अर्जेंटीना के बीच	21
4-7-90	8.05 पूर्वाह्न	I	रिकार्डिंग	5
	10.20 अपराह्न	I	मुख्य अंश	19
4-7-90	10.50 अपराह्न	I	झलकियां	16
	11.15 अपराह्न	I	इंग्लैंड और पश्चिमी जर्मनी के बीच	19
5-7-90	8.05 पूर्वाह्न	I	रिकार्डिंग	5
	10.45 अपराह्न	I	मुख्य अंश	20
	11.15 अपराह्न	I	झलकियां	14
7-7-90	10.30 अपराह्न	I	झलकियां	15
	11.15 अपराह्न	I	इटली और इंग्लैंड के बीच	15
8-7-90	10.20 अपराह्न	I	मुख्य अंश	23
	10.50 अपराह्न	I	झलकियां	23
	11.15 अपराह्न	I	फाइनल	28

1	2	3	4	5
9-7-90	8.05 पूर्वाह्न	I	रिकार्डिंग	3
	10.20 अपराह्न	I	मुख्य अंश	23
	10.50 अपराह्न	I	झलकियां	19

स्रोत :—मार्स टी० वी० ब्यूवरशिप आडिट

केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में हिन्दी माध्यम

[हिन्दी]

1531. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने 11 सितंबर को यह निर्णय किया था कि 1 जनवरी, 1989 से सभी केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा;

(ख) क्या भारतीय जनसंचार संस्थान में उक्त निर्णय को कार्यान्वित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय जनसंचार संस्थान की अकादमिक काउंसिल ने 21 दिसंबर, 1988 को यह निर्णय किया था कि संस्थान के पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी को एक वैकल्पिक माध्यम बनाया जायेगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय को भी कार्यान्वित किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(घ) और (ङ) जी, हां।

(च) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण

दिनांक 11 सितम्बर, 1987 को सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, ऐसे कार्यक्रमों में, जिनमें हिन्दी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों की संख्या प्रर्याप्त न हो और अंग्रेजी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या पर्याप्त हो तो उन्हें अंग्रेजी में प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने चाहिए। इसके अलावा जिस प्रशिक्षण संस्थान में हिन्दी में प्रशिक्षण प्रदान करना संभव न हो वहां मिली-जुली भाषा में प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषिक रूप में उपलब्ध कराई

जानी चाहिए। उक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रश्न पत्र द्विभाषिक होने चाहिए और प्रशिक्षणार्थियों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में उत्तर देने का विकल्प दिया जाना चाहिए। भारतीय जनसंचार संस्थान ने उक्त समिति के उपर्युक्त निर्णय को उतने तक कार्यान्वित किया है कि संस्थान के स्नातकोत्तर पत्रकारिता डिप्लोमा पाठ्यक्रम (हिन्दी) के लिए प्रशिक्षण का माध्यम केवल हिन्दी ही रखा गया है और अन्य पाठ्यक्रमों में जिनमें केवल हिन्दी में प्रशिक्षण प्रदान करना संभव नहीं है, संस्थान ने अंग्रेजी में प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था की है तथा हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखा गया है।

व्यापार घाटा

[अनुवाद]

1532. **श्री जी० एस० वासवराज :**
श्री मान्धाता सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान व्यापार घाटे में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस घाटे में कितनी कमी आई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) व्यापार संतुलन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) व्यापार घाटे को कम करने के लिए क्या प्रयास किए गये हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) चालू अनुमानों के अनुसार भारत का व्यापार घाटा 1989-90 के दौरान 7731 करोड़ रुपये का था, जो 1987-88 के 7892 करोड़ रुपये की तुलना में 161 करोड़ रुपए कम था। इसका मुख्य कारण भारत के निर्यात में 36.5 प्रतिशत की हुई उच्चतम वृद्धि है, जबकि आयात में 27.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 1990-91 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान भारत का व्यापार घाटा 1377 करोड़ रुपए का था, जबकि अप्रैल-जून, 1989 के दौरान यह 1734 करोड़ रुपए का था।

(घ) सरकार ने निर्यात बढ़ने के लिए औद्योगिक कार्य कुशलता का अपग्रेड कर, प्रतियोगी कीमतों पर कच्चा माल उपलब्ध करा कर, अवस्थापना संबंधी सुविधाओं को मजबूत बनाकर तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निर्यात को वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम बनाने के जरिए अनेक पहल की है। साथ ही, आयात के कुशल विकल्पों को बढ़ावा देने तथा गैर-आवश्यक आयात कम करने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं।

डाका बिहार में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

[हिन्दी]

1533. **श्री जनार्दन यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बांका (बिहार) में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) बिहार में बांका में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, इस क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा को यथाशीघ्र मजबूत करने का सरकार का प्रयास है। परन्तु यह इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहता है।

उड़ीसा में खनिज भंडार

[अनुवाद]

1534. **श्री नकुल नायक** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के फूलबनी, कालाहांडी और कोरापुट जिलों में कौन-कौन से विभिन्न खनिज पदार्थ पाये जाते हैं;

(ख) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में उड़ीसा के इन जिलों में किन्हीं नए खनिज भंडारों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इन भंडारों में कितनी मात्रा में खनिज पाए जाने की संभावना है; और

(घ) इसके विदोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, ओड़िसा के फूलबनी, कालाहांडी और कोरापुट जिलों में प्राप्त खनिजों के नाम हैं :—

जिला		प्राप्त खनिज
फूलबनी जिला	—	बाक्साइट, ग्रेफाइट, क्वार्टज, फेल्स्पार, चूना-पत्थर और कीमती एवं अर्द्ध-कीमती रत्न पत्थर।
कालाहांडी जिला	—	बाक्साइट, मैंगनीज अयस्क, ग्रेफाइट, सीसा अयस्क, क्वार्टज, सिलिका बालू, चूना पत्थर और रत्न पत्थर।
कोरापुट जिला	—	लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, बाक्साइट, क्वार्टजाइट, सिलिका बालू, चूना-पत्थर और डोलोमाइट, टिन, अभ्रक, ग्रेफाइट और चीनी मिट्टी।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, विगत कुछ समय से मैंगनीज अयस्क के लिए कोरापुट जिले में तथा ग्रेफाइट के लिए कोरापुट, फूलबनी और कालाहांडी जिलों में खोज कर रहा है।

(ग) कोरापुट जिले में 25-32 प्रतिशत मैंगनीज अंश वाले कुल 14.06 मिलियन टन मैंगनीज अयस्क भंडार होने का अनुमान है। इसके अलावा, कोरापुट, फूलबनी और कालाहांडी जिलों में ग्रेफाइट के 45 छोटे मध्यम आकार के पिंड भी पाये गये हैं।

(घ) ग्रेफाइट का तीनों जिलों में तथा मैंगनीज अयस्क का कोरापुट जिले में खनन किया जा रहा है। कोरापुट और कालाहांडी जिलों में चूना पत्थर निकाला जा रहा है। कोरापुट जिले में बाक्साइट का खनन हो रहा है। सभी तीनों जिलों में क्वार्टज और क्वार्टजाइट का खनन हो रहा है। कोरापुट जिले में टिन अयस्क निकाला जा रहा है औड़िसा खनन निगम ने कीमती और अर्द्ध-कीमती रत्नों के लिए समिति स्तर पर खोजी खनन शुरू किया है।

विदेशी ऋण

1535. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत पर कितना विदेशी ऋण है;

(ख) ऋण देने वाले देशों के नाम क्या-क्या हैं और उनका कितना-कितना ऋण है;

(ग) कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को कितना ऋण दिया गया है;

(घ) इस ऋण की प्रति वर्ष कितनी राशि की अदायगी की जा रही है; और

(ङ) अदायगी में कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों का कितना शेयर है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) 31-3-90 तक की स्थिति के अनुसार, कुल बकाया विदेशी ऋण की राशि प्रचलित विनिमय दर पर 80132 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (ङ) सरकार के खाते एकल ऋण के आधार पर रखे जाते हैं और कभी-कभी एकल ऋण एक से अधिक क्षेत्रों का वित्तपोषण करता है। इसलिए किसी क्षेत्र विशेष पर बकाया ऋण और उसकी वापसी अदायगी में उसके अंश को पृथक रूप से बताना संभव नहीं है।

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान ऋण की वापसी अदायगी और ब्याज-भुगतान की राशि क्रमशः 4808 करोड़ रुपए और 3559 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

विवरण

31-3-1990 तक की स्थिति के अनुसार बकाया विदेशी ऋण

क्रम सं०	देश/संस्था	करोड़ रुपए (अनुमानित)
1	2	3
1.	आस्ट्रिया	77.00
2.	बेल्जियम	179.95
3.	कनाडा	981.40
4.	डेनमार्क	259.72
5.	फ्रांस (सरकारी खाता)	1940.38
	फ्रांस (गैर-सरकारी)	4.55

1	2	3
6.	जर्मन संघीय गणराज्य (सरकारी खाता)	4835.06
	जर्मन संघीय गणराज्य (गैर-सरकारी)	434.75
7.	इटली	209.04
	इटली	139.81
8.	जापान	4532.20
9.	नीदरलैंड	1650.22
10.	संयुक्त राज्य अमेरिका	4484.32
11.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण (सरकारी खाता) एवं विकास बैंक	9693.82
	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (गैर-सरकारी)	1083.07
12.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	13962.51
	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	7075.17
13.	आई० एफ० ए० डी०	265.01
14.	एशियाई विकास बैंक (सरकारी खाता)	63.19
	एशियाई विकास बैंक (गैर-सरकारी)	234.15
15.	स्विट्जरलैंड	59.90
16.	कुवैत निधि	321.14
17.	"ओपेक"	176.17
18.	साऊदी निधि	123.54
19.	चैकोस्लोवाकिया	35.96
20.	यू० एस० एस० आर०	1703.52
21.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि	164.11
	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि	2362 00
22.	ईरान	423.21
23.	पोलैंड	0.02
24.	संयुक्त अरब अमीरात	41.13
25.	यूनाइटेड किंगडम	458.89

1 2	3
26. आई० एस० ओ०	9.78
27. यूरोपीय आर्थिक समुदाय (एस० ए० सी०)	89.85
28. आबुधाबी	12.43
29. स्वीडन	14.11
स्वीडन	82.30
30. स्पेन	29.92
31. संयुक्त राज्य अमेरिका (गैर-सरकारी)	6.52
32. विदेशी वाणिज्यिक उधार	21912.00
जोड़	80131.94

इस्पात नीति में संशोधन करना

[हिन्दी]

1536. **श्री रामलाल राही** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार-इस्पात नीति में उचित संशोधन करके इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) विद्युत ताप भट्टी/ऊर्जा इष्टतमीकरण प्रौद्योगिकियों, जिसमें लघु धमन भट्टियां शामिल हैं, पर आधारित 10 लाख मी० टन तक की इकाई क्षमता के निजी क्षेत्र में इस्पात बनाने की अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने की अनुमति देने के बारे में निर्णय लिया गया है। प्रोडक्टमिक्स तथा अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए उद्यमियों को संयंत्र के आकार के बारे में निर्णय लेने का विकल्प होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन को बढ़ावा

[अनुवाद]

1537. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोनों स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न एजेंसियों, अर्थात् विमान सेवाओं, रेलवे, होटल उद्योग तथा इससे संबंधित अन्य एजेंसियों के प्रयासों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु उद्यमियों और सरकारी एजेंसियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) अधिकृत पुरातत्वीय, मानवशास्त्रीय परम्परा को सुरक्षित रखने और पर्यटन को बढ़ावा देने के बीच समन्वय करते हेतु कौन से विशिष्ट कदम उठाये गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) पर्यटन विभाग विभिन्न अभिकरणों, यथा एयरलाइनों, रेलवे, होटल उद्योग, आदि से निरंतर संपर्क बनाए रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वदेशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों की जरूरतें पूर्णतः संतोषजनक ढंग से पूरी की जा सकें। यह विभाग एयरलाइनों तथा रेलवे से संपर्क बनाए रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर विशेष गाड़ियां चलाई जा सकें एवं बोगियां जोड़ी जा सकें और साथ ही साथ चुनिंदा गंतव्यों के लिए उड़ानों में वृद्धि की जा सके। होटल उद्योग के साथ भी सेवा एवं टैरिफ के संबंध में निकट का संपर्क रखा जाता है।

(ख) भारत सरकार ने अनिवासी भारतीयों द्वारा होटल उद्योग में पूंजी-निवेश संबंधी नीति को हाल ही में उदार बनाया है और अब उनके लिए नए होटलों की स्थापना करने हेतु पूंजी लगाना काफी आसान हो गया है। इसके अलावा, पर्यटन विभाग समुद्रतट विहार-स्थल, मोटल, यात्री निवास, आदि जैसी विशिष्ट परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को पूंजी देता है। सरकार समूचे देश में पेइंग गेस्ट स्कीम लागू करने पर भी विचार कर रही है। यह विभाग पूरे देश में गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है ताकि पर्यटकों के लिए सुप्रशिक्षित गाइड उपलब्ध हो सकें। स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों अर्थात् दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिए सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में सरकार ने कोचों के लिए 300 ए० सी० यूनिट आयात करने का निर्णय लिया है।

(ग) यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक राष्ट्रीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं और इनकी देखभाल तथा अनुरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता है कि पर्यटक महत्व के स्मारकों की ओर विशेष रूप से पर्याप्त ध्यान दिया जाए और जहां जरूरी होता है पर्यटन का संवर्धन करने वाले प्राधिकारियों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय/सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

पति से अलग रहने वाली सरकारी महिला कर्मचारियों को मकान भत्ता

1538. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी महिला सरकारी कर्मचारियों को जो अपने पतियों से अलग रह रही हैं और जिनके पतियों को सरकारी आवास आवंटित हैं ऐसी स्थिति में वे मकान भत्ता पाने की हकदार नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सिविल न्यायालयों में तलाक के मामलों पर निर्णय होने में अत्यधिक समय लग जाता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी महिला कर्मचारियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार को मकान भत्ता नियमों के नियम 5 (ग) के विरुद्ध महिला सरकारी कर्मचारियों और महिला संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार का इस असंगति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) न्यायालयों से तलाक के मामले में यथासंभव शीघ्र निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मौजूदा स्थिति को असंगत नहीं समझा जाता और वर्तमान प्रक्रिया में किसी प्रकार की तबदीली लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

स्पेन के साथ व्यापार

1539. श्री के० एस० राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्पेन के साथ कितना व्यापार किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्पेन को निर्यात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्पेन के साथ संयुक्त उद्यम लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र संलग्न है ।

(ग) और (घ) वर्तमान में स्पेन के सहयोग से भारत में 26 संयुक्त उद्यम हैं । स्पेन एवं अन्य देशों के साथ ऐसे संयुक्त उद्यम लगाने को प्रोत्साहन देना भारत सरकार की नीति है ।

विवरण

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान स्पेन से भारत के व्यापार की मात्रा निम्नानुसार है :

	(करोड़ रु०)
1987-88	257.62
1988-89	266.26
1989-90	393.15

स्रोत :—वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशक ।

(ख) स्पेन को मालवार प्रमुख निर्यात निम्नानुसार है :

क्र० सं०	माल	1987	1988	(मिलियन पेसेटास) 1989
1	2	3	4	5
1.	अपरिष्कृत खाल एवं चमड़ा	1,158	1,356	1,502
2.	परिधान के सामान तथा सूती वस्त्र	990	1,280	2,172

1 2	3	4	5
3. मोती, मूल्यवान तथा अर्ध-मूल्यवान पत्थर एवं नकली आभूषण	312	374	562
4. कार्बनिक रसायन	234	525	605
5. काफी (अपरिष्कृत)	194	210	304
6. काली एवं लाल मिर्च मसाले (इलायची) केसर तथा जायपत्र	142	389	211
7. कालीन, चटाईयों, दीवार-दरी, लेस तथा कशीदा के सामान	135	311	274
8. चर्म-उत्पाद	143	511	538
9. अन्य कृत्रिम वस्त्र सामान/कपड़े	28	1,280	2,172
10. चाय	112	155	125

(स्रोत : भारतीय दूतावास, मैड्रिड)

बैंकों में जाली खाते

1540. श्री के० एस० राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी घटनाओं में निरंतर वृद्धि होने की सूचना मिली है जिनमें बैंकों में जाली नाम से जमा खाते खोलकर काला धन इनके माध्यम से व्यापार में लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि जमा खाते, विशेष रूप से अल्प अवधि के जमा-खाते जाली नामों से न खोले जायें; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी किए गए निर्देशों का पूरा ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों को अल्पावधि जमाराशियों सहित सभी जमा खातों के संबंध में सदैव संतोषजनक और उपयुक्त रूप से परिचय प्राप्त करने के लिए बार-बार जोर दिया गया है। बैंकों को जमाकर्ताओं के पूरे-पूरे पते उनके उनके खातों में रिकार्ड करने की सलाह दी गयी है। बैंकों को खाता खोलने वाली फार्म में, परिचयकर्ता द्वारा दी गयी जमाकर्ताओं की पहचान, व्यवसाय और पते की साफ तौर पर पुष्टि करने के लिए सभी जमा खातों के वास्ते एक प्रमाण-पत्र शामिल करने को भी कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर, 1989 में जारी अपने हाल ही के अनुदेशों को इस मामले में अपने पूर्व अनुदेशों की पुनरावृत्ति की है। बैंकों को कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के किसी भी उल्लंघन को गम्भीरतापूर्वक लिया जायेगा। बैंकों को गलती करने वाले अपने स्टाफ सदस्यों के विरुद्ध उपयुक्त विभागीय कार्रवाई करने को भी कहा गया है।

आंध्र प्रदेश में "ब्लैक ग्रेनाइट" को उपयोग में लाना

1541. **श्री राज मोहन रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के चित्तूर और अन्य जिलों में उत्पादित "ब्लैक ग्रेनाइट" का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का ब्लैक ग्रेनाइट का उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने तथा इस संबंध में राज्य सरकार की सहायता करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1986-87 में, आंध्र प्रदेश में 18,800 टन ब्लैक ग्रेनाइट निकाला गया, जो अधिकांशत: तराशे और गैर-तराशे खंडों के रूप में निर्यात कर दिया गया।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने निर्यात-प्रवण ग्रेनाइट उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) निर्यात नीति के माध्यम से ग्रेनाइट पत्थरों के निर्यात की अनुमति।

(2) पूंजीगत सामग्री, उपकरण और पुर्जों और खपत सामग्री का आयात।

(3) 100 प्रतिशत निर्यात प्रधान यूनिटों की उदार लाइसेंस प्रक्रिया योजना के अंतर्गत पत्थर उद्योग का विकास।

(4) पिछड़े इलाकों में मझौले उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन तथा उन्हें नगद अर्थ-सहायता देना।

(5) बेहतर निर्यातों के लिए रियायती ब्याज पर निर्यात-वित्त प्रदान करना मियादी कर्ज के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती हैं

(6) उदार विदेशी भागीदारी तथा विदेशी ऋण/उधार की सुविधा।

(7) 100 प्रतिशत निर्यात प्रधान यूनिटों द्वारा की गई देशी उपकरणों की खरीद पर उत्पाद शुल्क की माफी।

विदेशों में व्यापार शिष्टमंडलों को भेजना

[हिन्दी]

1542. **श्री एम० एस० पाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सरकारी दल के साथ, इसके एक भाग के रूप में व्यापारियों के शिष्टमंडल को भी विदेशी दौरों पर जाने की अनुमति देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) व्यापार एवं उद्योग के संवर्धन के संबंध में विदेशी दौरों के दौरान सरकारी समूहों में गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करने पर अलग-अलग मामले के आधार पर विचार किया जाता है और यह जरूरत पर निर्भर करता है।

कुमायूं (उत्तर प्रदेश) की पहाड़ियों में यात्री निवासों का निर्माण

[अनुवाद]

1543. **श्री एम० एस० पाल** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुमायूं (उत्तर प्रदेश) की पहाड़ियों में यात्री निवासों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां इनका निर्माण किया जाएगा; और

(ग) इसके लिए धनराशि कब तक मंजूर किए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में नैनीताल में स्थापित कम शक्ति के ट्रांसमीटर को स्थानांतरित करना

[हिन्दी]

1544. **श्री एम० एस० पाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नैनीताल में स्थापित कम शक्ति के दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर को अन्यत्र ले जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन मिला है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा दूरदर्शन ट्रांसमीटर को अन्यत्र ले जाने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस प्रयोजन के लिए चुने गए नए स्थल का विकास कार्य पूरा हो गया है और ट्रांसमीटर भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। इस परियोजना को 1991 के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम है।

12 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी

[अनुवाद]

1545. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की कुछ फर्मों द्वारा बैंक आफ बड़ौदा, दि यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया और अनेक अन्य बैंकों से लगभग 12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की नवीनतम स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जून, 1983 और मार्च, 1984 के बीच कलकत्ता स्थित बैंक आफ बड़ौदा की तीन शाखाओं में और अन्य बैंकों की कलकत्ता स्थित कुछ अन्य शाखाओं में कई फर्मों के खातों में कुछ कपटपूर्ण अन्तरण किए गए थे। बैंक आफ बडौदा ने देय राशियों की वसूली के लिए 25 पार्टियों के विरुद्ध मुकदमे दायर किए हैं।

(ग) इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त कलकत्ता की आर० के० जैन और पोद्दार समूह पार्टियां हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामले की जांच की है और बैंक के 5 अधिकारियों पर मुकदमा चलाने तथा 4 अन्य अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। विभागीय प्रक्रियां में बैंक ने निरीक्षक प्रभारी, तत्कालीन उप-महाप्रबंधक को दोषमुक्त कर दिया था जो 1988 में सेवानिवृत्त हो गए थे। तत्कालीन मुख्य प्रबन्धक (निरीक्षण) को 24-4-88 को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था। तत्कालीन प्रबन्धक को बैंक की सेवा से बर्खास्त किया गया था। अन्य अधिकारी को चेतावनी दी गई थी। अन्य पांच अधिकारियों के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

1546. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर द्वारा पदोन्नतियों के मामले में आरक्षण प्रदान करने संबंधी सरकारी नीति का पूरी तरह पालन किया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण की और अधिक केन्द्र खोलने की योजना

1547. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत व्यापार मेला प्राधिकरण की, दिल्ली स्थित प्रगति मैदान की तरह के और केन्द्र स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र किन-किन स्थानों में स्थापित करने का विचार किया गया है; और

(ग) दिल्ली में प्रगति मैदान में प्रदर्शनी की आधारभूत सुविधाओं का पूरे वर्ष किस तरह अधिकतम इस्तेमाल करने का विचार है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का न सिर्फ दिल्ली में बल्कि अन्य महत्वपूर्ण शहरों तथा राज्यों की राजधानियों में भी व्यापार मेले आयोजित करने का उद्देश्य है। यद्यपि बम्बई जैसे महानगरों में प्रदर्शनी अवस्थापना के विकास के कुछ प्रस्ताव हैं लेकिन कोई निश्चित परियोजना उभर कर नहीं आयी है।

(ग) प्रगति मैदान में उपलब्ध अवस्थापना का उपयोग करने के लिए भा० व्या० मे० प्रा० की निर्यात दबाव के कारण विशेषीकृत वस्तु मेलों में वृद्धि करने की योजना है। बाहरी अभिकरणों को प्रदर्शन के लिए प्रगति मैदान में प्रदर्शन वाली जगह लेने के लिए प्रोत्साहित करने की भी इसकी योजना है।

खनिज पदार्थों का निर्यात और आयात

1548. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान किन-किन लघु और प्रमुख खनिज पदार्थों का कितनी-कितनी मात्रा में और किन-किन देशों से निर्यात किया गया; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कौन-कौन से खनिज पदार्थों का और किन-किन देशों से आयात किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान खनिज एवं अयस्कों (प्रमुख एवं लघु दोनों खनिजों) के निर्यात नीचे दिए गए हैं :

मात्रा : 000 मी० टन में
मूल्य लाख रुपए में

मद	1988-89 (अनन्तिम)		1989-90 (अनन्तिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
लौह अयस्क	32,974	67250.47	35558	92755.67
अभ्रक	47	2872.97	38	3000.50
कोयला	174	1271.00	225	1682.51
अन्य खनिज एवं अयस्क जिनमें साधित खनिज शामिल हैं।	उ० न०	31319.21	उ० न०	40571.91

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी निदेशालय, कलकत्ता।

जिन प्रमुख देशों को ये खनिज एवं अयस्क निर्यात किए गए हैं, वे हैं : जापान, दक्षिण कोरिया, रोमानिया, इटली, बंगलादेश, चीन, हंगरी, कतार, संयुक्त राज्य अमरीका आदि।

(ख) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान खनिजों के आयात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

मात्रा : 000 मी० टन में
मूल्य लाख रुपए में

मद	1988-89 (अनन्तिम)		1989-90 (अनन्तिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
लौह धातु एवं धातु की छीलन	उ० न०	67742.01	उ० न०	88295.68
कोयला, कोक ब्रिकेट	4843	41971.06	4912	56915.17

स्रोत : वाणिज्यिज जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता ।

जिन प्रमुख देशों से ये खनिज आयात किए गए हैं, वे हैं : कनाडा, सोवियत संघ, आस्ट्रेलिया, क्यूबा, चोकोस्लोवाकिया, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, पेरू, नीदरलैंडस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, चीन, पोलैंड आदि ।

कर्नाटक में रुग्ण लौह अयस्क खानें

1549. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में कितनी लौह अयस्क खानें रुग्ण हो गई हैं;

(ख) इन खानों के बन्द हो जाने से कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं;

(ग) इन लौह जयस्क खानों के रूग्ण हो जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन खानों को पुनः चालू करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लंदन में भारतीय बैंकों का कार्य-निष्पादन

1550. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन में भारतीय बैंकों की शाखाओं का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के पूंजी आप्तता अनुपात की तुलना में उपयुक्त शाखाओं का पूंजी आप्तता अनुपात बहुत कम हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन शाखाओं के कार्यकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई निगरानी रखी जाती है;

(ङ) यदि हां, तो समय पर सुधारात्मक उपाय न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) इन शाखाओं के कार्यकरण की ठीक करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (च) इस समय छः भारतीय बैंकों की 33 शाखाएं यूनाइटेड किंगडम में कार्यरत हैं। उनका कुल तुलन पत्र (प्रतिपक्षी मदों को छोड़कर), जो दिसम्बर, 1987 के अंत में 5098 करोड़ रुपए था, मार्च ,1990 के अंत में 7271 करोड़ रुपए हो गया। विदेशी परिचालनों वाले भारतीय बैंक अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर कुल मिलाकर छोटे आकार वाले हैं और उनका पूंजीगत आधार भी कम है। सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजी अनुपात को अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए उनकी पूंजी में अधिक निधियों का अंशदान करती रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के परिचालन पर निरंतर नजर रखता है। गत कुछ वर्षों के दौरान कार्मिक नीति, ऋण संवितरण के विवेकपूर्ण मानदंडों, आंतरिक और पर्यवेक्षण नियंत्रणों को सुदृढ़ बनाकर, विदेशी परिचालनों वाले बैंकों के भारत स्थित अन्तर्राष्ट्रीय प्रभागों के पोर्टफोलियो निरीक्षणों की प्रणाली की शुरूआत करके विदेशी क्षेत्र के परिचालनों की प्रणाली को मजबूत बनाने के वास्ते उपाय किए गए हैं। बैंकों ने गैर-अर्थक्षम समझी जाने वाली अपनी कुछ शाखाओं को भी बन्द कर दिया है।

अधिमानताओं की सामान्यीकृत पद्धति का अध्ययन

1551. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिमानताओं की सामान्यीकृत पद्धति से व्यापार में हुई वृद्धि का पता लगाने के लिए व्यवस्थित रूप से कोई अध्ययन किया गया है और यह भारत के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के अधीन प्रमुख औद्योगिकीकृत देशों द्वारा जो योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं उनमें कोटाओं, सीमांकन एवं देश की अधिकतम राशि के सहन प्रयोग की वजह से और दानी देशों से पूरे आंकडों के अभाव में आने वाली जटिलताओं की वजह से इस बात का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि किसी निश्चित देश के लिए व्यापार सृजन अथवा औद्योगिकीकरण के क्रमिक विकास द्वारा क्या लाभकारी प्रभाव होंगे।

राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राकृतिक रबड़ का आयात करना और इसे जारी करना

1552. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के पहले छह महीनों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा वास्तविक प्रयोक्ताओं को कुल कितनी प्राकृतिक रबड़ जारी की गई;

(ख) वर्ष 1989 के पहले छह महीनों के ये आंकड़े क्या हैं;

(ग) वर्ष 1989 में और वर्ष 1990 के पहले छह महीने के दौरान कितनी प्राकृतिक रबड़ का आयात किया गया; और

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितनी प्राकृतिक रबड़ का आयात करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) 1990 के पहले छह महीनों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा वास्तविक प्रयोक्ताओं को जारी की गई प्राकृतिक रबड़ की कुल मात्रा तथा 1989 के पहले छह महीने के संगत आंकड़े क्रमशः 27,000 मी० टन तथा 20,000 मी० टन (4279 मी० टन घरेलू रबड़ सहित) हैं।

(ग) 1989 में तथा 1990 के पहले छह महीने के दौरान आयातित प्राकृतिक रबड़ की कुल मात्रा क्रमशः 27,005 मी० टन एवं 30,000 मी० टन हैं।

(घ) 1990-91 के दौरान आयात किए जाने के लिए प्रस्तावित प्राकृतिक रबड़ की कुल मात्रा 40,000 मी० टन है। लेकिन समग्र मात्रा संभवतः जारी नहीं की जा सकेगी, जोकि समय पर बाजार स्थिति पर निर्भर करती है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विमानन यात्रा सुविधा हेतु नई योजनायें

1553. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने पर्यटन को बढ़ावा देने के वास्ते विमान यात्रा सुविधाओं हेतु किन्ही नई योजनाओं के बारे में क्या विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वर्ष पर्यटन विकास योजनाओं के अन्तर्गत बहुत से टिकटों को रद्द किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पर्यटकों के लिए "मल्टी एन्ट्री और विजा" प्रणाली शुरू की है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) एयर इंडिया अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं की शुरूआत से ही भारत में पर्यटन को व्यवहारिक रूप से बढ़ावा देता रहा है और यह पर्यटन विभाग तथा भारत में यात्रा उद्योग के साथ घनिष्ठ सम्पर्क रखकर कार्य करता है। यह एक सतत प्रक्रिया रही है। एयर इंडिया पर्यटक भेजने वाले अधिकांश क्षेत्रों में विशेष संवर्धनात्मक किरायों की और पर्यटन का संवर्धन करने के लिए स्टोपओवर टूअर्स आदि जैसी अन्य विशेष एकमुश्त यात्राओं की पेशकश करता रहा है। भारत के लिए यातायात का संवर्धन करने के लिए पर्यटन विभाग के साथ मिलकर विशेष स्कीमें, यथा आफ-सीजन संवर्धन, विशेष गंतव्य संवर्धन, परिचायक यात्राएं आदि भी शुरू की गई हैं।

(ग) अप्रैल/जून, 1990 की अवधि के दौरान, एयर इंडिया के जर्मनी, फ्रांस और जापान स्थित कार्यालयों ने भारत आने वाले पर्यटक समूहों के संबंध में अनेक टिकटों को रद्द किए जाने की सूचना दी है। इस अवधि के दौरान कुल अनुमानित हानि 4250 यात्रियों की हुई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) वीजा नियमों को उदार बनाया गया है ताकि विदेशी यात्रा अभिकर्ताओं और अक्सर

भारत की यात्रा पर आने वाली विदेशी पर्यटकों तथा औद्योगिक/व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए भारत आने वाले विदेशी व्यवसायियों को भी "मल्टीपल एन्ट्री वीजा" जारी किया जा सके जो 5 वर्ष के लिए वैध होगा। विदेशी पर्यटक और यात्रा अभिकर्ता प्रत्येक यात्रा के दौरान अधिक से अधिक छः महीने तक ठहरने का हकदार होगा। ये सुविधाएं पाकिस्तान, बांगलादेश और श्रीलंका के राष्ट्रिकों को उपलब्ध नहीं हैं।

अहमदाबाद आकाशवाणी केन्द्र की महिला कर्मचारियों को परेशान करना

1554. **श्री बलवन्त मणवर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अहमदाबाद आकाशवाणी केन्द्र के कर्मचारियों से महिला कर्मचारियों को परेशान करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले की जांच की गयी थी और जांच के निष्कर्षों के आधार पर दोषी कर्मचारी का अनुबंध रद्द कर दिया गया है।

तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि

1555. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988, 1989 के दौरान तथा वर्ष 1990 में अब तक निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी में तुलनात्मक दृष्टि से कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) तस्करी के लिए किन-किन मार्गों के संवेदनशील होने का पता लगाया गया है; और

(ग) इन संवेदनशील स्थानों पर सुदृढ़ चौकसी रखने हेतु आगे क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा होने के कारण, यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान निषिद्ध माल की तस्करी की मात्रा में वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई है। तथापि, नीचे सारणी में दिए गए अनुसार वर्ष 1988, 1989 और 1990 (6 अगस्त तक) के दौरान सामग्र देश में पकड़े गये निषिद्ध माल के मूल्य से इसमें बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा तस्करीकी गतिविधियों में वृद्धि होने के कारण से हुआ हो अपितु ऐसा तस्करी-रोधी प्रयासों को और तेजकिए जाने के कारण से भी हो सकता है।

उपलब्ध रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से पता चलता है कि देश के पश्चिमी तट और पूर्वी तट तथा भारत-पाकिस्तान; भारत-नेपाल, भारत और बंगलादेश और भारत-बर्मा की सीमाएं और अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा समुद्री पत्तन तस्करी के लिए बराबर सुगम्य क्षेत्र बने हुए हैं। तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करने की दृष्टि से, तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है और तस्करी रोधी तंत्र को समुद्री तटों और भू-सीमाओं तथा अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और और समुद्री पत्तनों के सुगम्य स्थानों सहित समग्र देश में सुदृढ़ कर दिया गया है। तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने में लगी संबंधित एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ-तालमेल बनाए रखा जा रहा है।

फौजी-रेलवे संगठनों को जलयानों, वाहनों, एक्स-रे मशीनों, धातु खोजी यन्त्रों, रात्रि में काम में लाई जाने वाली दूरबीनों, अग्नेयास्त्रों को और दूर-संचार सुविधाएं जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है, मुहैया करायी गयी हैं।

वर्ष	पकड़े गये निषिद्ध माल का मूल्य (आंकड़े करोड़ रुपयों में)
1988	443.14
1989	554.59
1990	387.78
(6-8-90 तक)	(आंकड़े अनन्तिम हैं)

शुल्क मुक्त दुकानें खोलना

1556. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश के कुछ भागों में कुछ शुल्क मुक्त दुकानें खोली हैं ;

(ख) यदि हां, तो 30 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त दुकानों पर बेची जाने वाली मदों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का जन-सामान्य की सुविधा के चालू वर्ष के दौरान और अगले वर्ष ऐसी कुछ और दुकानें खोलने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) वित्त मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन विकास निगम और भारतीय अन्तरराष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट स्थानों पर शुल्क मुक्त दुकानें खोलने की अनुमति दी है।

(ख) 30 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और त्रिवेन्द्रम स्थित अन्तरराष्ट्रीय हवाई पत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानें चल रही हैं।

(ग) इन दुकानों में बेची जाने वाली मदों में सिगरेट, मद्य, इलेक्ट्रानिक मदें, घड़ियां और इत्र शामिल हैं।

(घ) और (ङ) दबोलिम हवाई पत्तन, गोआ, में एक और शुल्क मुक्त दुकान खोलने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। दिल्ली तथा बम्बई स्थित अन्तरराष्ट्रीय हवाई पत्तनों में विदेशी पर्यटकों को आभूषण बेचने के लिए शो-रूम/फुटकर दुकानें खोलने का भी प्रस्ताव है।

सिनेमा कामगार कल्याण निधि को लाभ की राशि रोकना

1557. **श्री के० एस० राव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी फिल्म के सहनिर्माता द्वारा गांधी फिल्म से हुए सकल लाभ का 5 प्रतिशत हिस्सा, जो कि सिनेमा कामगार कल्लाण निधि के लिए है, जमा न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त सहनिर्माता ने किस स्तर पर लाभ के हिस्से को सिनेमा कामगार कल्याण निधि में जमा करने से मना किया है;

(ग) क्या सरकार ने भी उसे यह कभी बताया था कि संसद के अधिनियम के अन्तर्गत सिनेमा कामगार कल्याण निधि से सिनेमा कलाकारों को भी सहायता मिलती है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सहनिर्माता की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) "गांधी" फिल्म के सहनिर्माता जिन आधारों पर 5 प्रतिशत निबल लाभ की राशि के अन्तरण के लिए आपत्ति कर रहे हैं, निम्नलिखित हैं :—

(1) सहनिर्माण और वित्त अनुबंध में 5 प्रतिशत निबल लाभ सिने आर्टिस्ट्स वेलफेयर फंड में अन्तरित करने की व्यवस्था है। अनुबंध में हस्ताक्षर करते समय ऐसा कोई फंड नहीं था।

(2) यहां तक कि अनुबंध में हस्ताक्षर करते समय सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड भी अस्तित्व में नहीं था।

(3) सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड की प्रकृति ठीक वैसी नहीं है जैसी अनुबंध में हस्ताक्षर करते समय सर रिचर्ड एटनब्रो के दिमाग में थी।

(4) सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड सिने कामगारों—कुशल, अकुशल, श्रमिक, पर्यवेक्षक, तकनीकी, कलाकार या अन्यथा सभी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, अतः इसका आधार व्यापक है जबकि अनुबंध में हस्ताक्षर करते समय आशय यह था कि इस फंड को केवल सिने कलाकारों के कल्याण के लिए उपयोग में लाया जायेगा।

(ख) ट्रांस्टियों द्वारा उठाई गई मूल आपत्तियों में उन्होंने चाहा कि लाभ की राशि अनुबंध की शर्तों के अनुसार कड़ाई से अन्तरित की जाये। तथापि, लम्बे पत्राचार के बाद 1987 में सर रिचर्ड एटनब्रो मे ट्रस्टियों द्वारा सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड में राशि के भुगतान पर आपत्ति की।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न के भाग "क" के उत्तर में उल्लिखित आधारों पर लाभ की 5 प्रतिशत राशि के अन्तरण के मामले में आपत्ति उठाई गयी है।

किसानों को ब्याज-मुक्त ऋण

1558. **श्री वी० राजविं वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी किसानों को ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए सामूहिक बीमा योजना

1559. **श्री बी० राजरषि वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन कृषि मजदूरों के मामले में सामूहिक बीमा योजना को लागू करना स्थगित कर दिया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इस योजना को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

परिवार न्यायालयों की स्थापना

1560. **श्री के० एस० राव** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में परिवार न्यायालयों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और दिल्ली में परिवार न्यायालय कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे;

(घ) दिल्ली के न्यायालयों में विवाह संबंधी ऐसे कितने मामले निर्णयाधीन पड़े हैं; और

(ङ) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में दस कुटुम्ब न्यायालय शीघ्र स्थापित करने के लिए पहले ही कदम उठा चुका हैं।

(घ) और (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नशीले औषधों की तस्करी

1561. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल** :
श्री बालेश्वर यादव :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के प्रारंभ से जुलाई, 1990 तक देश में माह-वार कितने प्रतिशत नशीलें औषधियां तस्करी से लाई गईं;

(ख) वर्ष 1990 के प्रारंभ से जुलाई, 1990 तक कितनी तस्करी का अन्य सामान जब्त किया गया;

(ग) ऐसे किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है जहां से देश में नशीले औषधों की तस्करी की जाती है;

(घ) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 नशीले औषधों की तस्करी समाप्त करने में कहां तक सहायता सिद्ध हुआ है; और

(ङ) सरकार द्वारा नशीले औषधों की तस्करी रोकने हेतु कानून को सख्ती से लागू करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वित मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) दिनांक 1-1-90 से 30-6-90 तक की अवधि में अभिग्रहीत की गई औषधों तथा तस्करी के अन्य सामान की मात्रा इस प्रकार है :—

अफीम	—	546 कि० ग्रा०
हेरोइन	—	1049 कि० ग्रा०
मॉरफीन	—	2 कि० ग्रा०+ 1388 एंप्यूल्स
गांजा	—	7622 कि० ग्रा०
हशीश	—	1564 कि० ग्रा०
कोकीन	—	1 कि० ग्रा०
मैथाक्यूलोन	—	682 कि० ग्रा०

379.87 करोड़ रुपए (अनंतिम) के मूल्य का अन्य निषिद्ध सामान पकड़ा गया।

(ग) देश में औषधों की तस्करी आम तौर से पाकिस्तान, नेपाल तथा बर्मा की सीमा पार से की जाती है। राजस्थान, पंजाब तथा जम्मू काश्मीर राज्य, हशीश की तस्करी के लिए तथा मिजोरम, मणिपुर तथा नागालैंड हेरोइन की तस्करी के लिए दोषी हैं। भारत-नेपाल सीमा गांजा तथा हशीश के लिए संवेदनशील है। समय-समय पर सीमाओं के अन्य क्षेत्रों पर भी तस्करी की छुट-पुट घटनाएं होती रहती हैं।

(घ) और (ङ) 1988 में यथासंशोधित स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में देश में औषध के अवैध व्यापार तथा सीमा पार से औषध की तस्करी को समाप्त करने की प्रभावशाली व्यवस्था है। इसमें दांडिक व्यवस्था बहुत कठोर है और तत्करी के विरुद्ध अभियान चलाना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें सभी प्रवर्तन एजेन्सियों के साथ-साथ सीमा-सुरक्षा बल और राज्य पुलिस भी सम्मिलित है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे नजदीक से मॉनीटर किया जा रहा है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, ग्रन्थिल एजेन्सी, को मजबूत बनाया गया है और राज्य सरकारों को भी अपनी प्रवर्तन एजेन्सियों को मजबूत बनाने के लिए कहा गया है।

बैंकों के पांचवें द्विपक्षीय समझौते में संशोधन

[हिन्दी]

1562. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बैंकों की कर्मचारी यूनियनों और बैंकों के प्रबन्धकों के बीच हुए पांचवें द्विपक्षीय समझौते में कुछ संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बैंक कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों की इस संबंध में स्वीकृति मांगी है; और

(ग) सरकार का बैंक कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने तथा भर्ती पर प्रतिबंध हटाने के संबंध में कब कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) बताया गया है कि भारतीय बैंक संघ ने जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रबन्धकों की ओर से बातचीत करता है, तीन उद्योग स्तरीय यूनियनों के साथ दिनांक 29 जून, 1990 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें 10 अप्रैल, 1989 के पांचवें द्विपक्षीय समझौते के उपबंधों में कुछ संशोधन किए गए थे। यूनियनों का अलग-अलग अनुमोदन लेना आवश्यक नहीं है।

बैंकों में भर्ती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडलों में गैर-सरकारी सदस्यों का नामांकन

1563. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडलों में नामांकित गैर-सरकारी सदस्यों को बदलने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस नामांकन प्रक्रिया के कब तक प्रारम्भ हो जाने की संभावना है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडलों में अपने गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के बारे में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (यथासंशोधित) के उपबंधों के अनुसरण में प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निदेशक मंडल में केंद्रीय सरकार द्वारा दो गैर-सरकारी निदेशकों को नामित किया जाना होता है। जिन व्यक्तियों को, कृषि, लघु उद्योग और अन्य संबंधित क्षेत्रों का ज्ञान है और जो संबद्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्यक्षेत्र से हैं, उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मंडलों में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम, के उपबंधों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मंडलों में नामित गैर-सरकारी निदेशकों के कार्यकाल की अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। उनका कार्यकाल समाप्त होने पर गैर-सरकारी निदेशकों को सरकार द्वारा बदला जाता है। अलबत्ता, नए गैर-सरकारी निदेशक नामित किए जाने तक वे अपने पद पर बने रहते हैं।

भारत में अनिवासी भारतीयों का पूंजी निवेश

[अनुवाद]

1564. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड :**
प्रो० के० वी० थामस :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अनिवासी भारतीयों द्वारा अभी तक कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) क्या अनिवासी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने लघु उद्योगों के साथ सहयोग के रूप में उनकी सहभागिता लेने के संबंध में कोई नीति तैयार की है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में सरकार द्वारा ऐसा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, भारत में अप्रैल, 1982 से कुल अनिवासी भारतीय निवेश के बारे में सूचना निम्न प्रकार है :—

	करोड़ रुपए
(क) भारतीय कम्पनियों में प्रत्यक्ष निवेश	1815.92
(ख) पोर्टफोलियो निवेश	77.40
(ग) भारतीय कम्पनियों द्वारा प्राप्त जमा	28.95
(घ) बैंक जमा	18378.00

(ख) और (ग) अनिवासी भारतीय निवेश नीति समीक्षाधीन रहती है । सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग में एक परामर्शदात्री समिति गठित की है जो अनिवासी भारतीय निवेश से संबंधित विभिन्न नीति तथा प्रक्रिया संबंधी मुद्दों की ओर ध्यान देती है । इस समिति के विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, भारत में निवेश वातावरण में सुधार लाने के लिए अनिवासी भारतीय उद्यमियों के लिए वीसा प्रानक, समुद्रपारीय स्थानों पर अभिदान वसूली लेखा खोलना और वहां से भारत में लाए बिना धनराशि की वापसी, अप्रत्यावर्तन आधार पर विदेशी मुद्रा प्रधान बन्धपत्र होटलों और वायु टैक्सियों आदि में निवेश जैसे नीति तथा प्रक्रिया संबंधी कई मुद्दों पर विचार करना शुरू किया गया है ।

मुद्रा स्फीति में वृद्धि

1565. **श्री एस० कृष्ण कुमार :**
श्री टी० बशीर :
श्री जनार्दन तिवारी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छह महीनों के दौरान मुद्रा स्फीति में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले वर्ष के समान महीनों में मुद्रास्फीति की दर क्या थी; और

(घ) मुद्रा-स्फीति पर अंकुश रखने के बारे में क्या उपाय किए गए हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजित प्रसाद जैन) : (क) से (घ) पिछले छः महीनों के दौरान थोक मूल्य सूचकांक (1981-82=100) में मासिक घट़-बढ़ के संबंध में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

मास के अन्त में	पिछले मास के अन्त की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	
	1990	1989
फरवरी	0.4	0.1
मार्च	1.2	0.6
अप्रैल	1.4	1.5
मई	0.6	1.0
जून	1.7	1.0
जुलाई	0.7	1.3

सरकार ने मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें बजट घाटे को नियंत्रित करना, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने के लिए किफायत संबंधी उपाय करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बनाए रखना तथा जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना शामिल हैं।

काजू बोर्ड की स्थापना

1566. **श्री एस० कृष्ण कुमार :**
श्री पी० जे० कुरियन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक काजू बोर्ड की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस बोर्ड की स्थापना पर आपत्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो आपत्तियों का ब्यौरा क्या है और उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) केरल सरकार के साथ परामर्श करके भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव के संशोधित मसौदे पर विचार किया जा रहा है।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए बीमा योजना

1567. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का अनुरोध किया है ताकि बीमा योजना को सांविधिक निकायों, निगमों, सहकारी समितियों आदि के कर्मचारियों पर भी लागू किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) केरल सरकार ने भारत सरकार को अपनी दो योजनाओं, अर्थात् परिवार लाभ योजना, 1977 और केरल राज्य कर्मचारी समूह बीमा, योजना, 1984 का क्षेत्र बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। ताकि बोर्डों, निगमों, गैर-सरकारी विद्यालयों/महाविद्यालयों आदि के कर्मचारियों को इनमें शामिल किया जा सके। जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार, ऐसे स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, के लिए स्वतन्त्र रूप से कोई भी बीमा योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के क्षेत्राधिकार से बाहर शुरू नहीं की जा सकती। तदनुसार, केरल सरकार के उपर्युक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका।

चाय का निर्यात

[हिन्दी]

1568. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान कुल कितनी मात्रा में चाय का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी; और

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए इसके निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान निर्यात की गई चाय की अनुमानित मात्रा 20281 मिलियन कि० ग्राम थी तथा उससे प्राप्त विदेशी मुद्रा अनुमानतः 862.45 करोड़ रुपए थी।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान चाय के निर्यात के लिए 230 मिलियन कि० ग्राम का लक्ष्य रखा गया है।

खाद्य तेलों का आयात

1569. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दुग्ध चूर्ण के निर्यात से होने वाली आय से खाद्य तेल आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) जी, हां।

30,000 मी० टन दुग्ध चूर्ण निर्यात करने का विचार है, जिससे कि इसी मूल्य का खाद्य तेल आयात किया जा सके।

छापों के दौरान आय कर अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करना

[अनुवाद]

1570. **श्री डी० एम० पुट्टे गोड़ा :**
श्री बनवारा लाल पुरोहित :
श्री एम० वी चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छापों के दौरान आयकर अधिकारियों की सुरक्षा हेतु केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से सहायता ली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष के दौरान हाल ही में छापे मारने वाले कर अधिकारियों पर हमले की अनेक घटनाएं प्रकाश में आयी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने अपराधियों से निपटने के लिए विशेष अदालतें गठित करने हेतु राज्य सरकारों को अनुदेश/मार्गनिर्देश भी जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक अदालत (राज्य-वार) में आर्थिक अपराधों के कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(छ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में ऐसी अदालतें गठित करने के लिए कोई सहायता प्रदान की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने ऐसे मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कैलेण्डर वर्ष 1990 के दौरान भोपाल के निकट बैरागढ़ में तलाशी लेने वाले आयकर कर्मचारियों पर हमला होने की एक घटना का पता चला है।

(घ) से (ज) विशेष न्यायालयों की स्थापना का काम राज्य सरकारों के कार्य-क्षेत्र में आता है। केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष कर कानूनों के अधीन अपराध के मामलों पर विचार करने के लिए विशेष न्यायालयों को स्थापित करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध करती रही है।

इस प्रकार के विशेष न्यायालयों की स्थापना हैदराबाद, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, बंगलौर, इन्दौर, एर्नाकुलम, कटक, जयपुर, मद्रास, मदुरै, इलाहाबाद, कानपुर तथा अहमदाबाद में पहले से ही की जा चुकी है।

प्रत्यक्ष कर कानूनों के अधीन अपराध के मामलों पर विचार करने के लिए अन्य स्थानों

पर भी और विशेष न्यायालयों को स्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन मामलों को जल्दी से जल्दी निबटाया जा सके।

आर्थिक अपराधों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में अनिर्णीत पड़े हुए मामलों के न्यायालय-वार आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। लेकिन, ऐसा बताया गया है कि दिनांक 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार समूचे देश के विभिन्न न्यायालयों में प्रत्यक्ष कर कानूनों के अधीन अपराधों पर कार्यवाही से संबंधित 35981 मामले अनिर्णीत पड़े हुए हैं।

खेप कर

1571. **श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की संख्या कितगी है जो दूसरे राज्यों में बेचे जाने वाले उत्पादों पर खेप कर वसूल कर रहे हैं और यह कर कितने प्रतिशत होता है;

(ख) किन-किन प्रमुख उत्पादों पर खेप कर लगाया जाता है और क्या बिक्री के समय अतिरिक्त बिक्री कर भी वसूल किया जाता है और इस प्रकार दोहरा कर वसूल किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार संपूर्ण देश में खेप कर में समानता लाने के लिए सभी राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) देश में खेप कर नहीं लगाया जा रहा है।

(ख) से (ङ) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा पट्टा दिया जाना

1572. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने दिल्ली में एक गैर-सरकारी कम्पनी को अपना "अप्पू घर" चालू करने के लिए स्थान किन शर्तों पर दिया है;

(ख) क्या "अप्पू घर" के अन्दर एक "शापिंग कम्पलैक्स" स्थापित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसकी स्थापना से कम्पनी के साथ हुए समझौते के उपबंधों को उल्लंघन हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इंडिया ने यह क्षेत्र एक समझौते के तहत मैसर्स इन्टरनेशनल अम्यूजमेंट लि० को लाइसेंस के आधार पर पहले 14 नवम्बर, 1984 से तीन वर्ष के अवधि के लिए दिया था, जिसका बाद में और पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण कर दिया गया है। मुख्य शर्तें नीचे दी गई हैं :--

(1) पहले दो वर्षों के लाइसेंस शुल्क 16.50 लाख रुपए और तीसरे वर्ष के लिए 18.15 लाख रुपए। बाद में, बढ़ाए गए पांच वर्षों के लिए लाइसेंस शुल्क प्रति वर्ष बढ़ेगा और वर्ष 1991-92 में अधिकतम 25 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। इसके अतिरिक्त ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इंडिया गैट धनराशि के 50 प्रतिशत का हकदार है।

(2) अप्पू घर कंपलैक्स के संदर्भ में सभी स्थानीय कर, लेवी, उपकर आदि की पूरी जिम्मेदारी लाइसेंसधारक की होगी।

(3) बिजली और पानी का शुल्क देना वस्तुतः लाइसेंसधारक का उत्तरदायित्व होगा।

(4) लाइसेन्सीकृत क्षेत्र में विविल, विद्युत सम्बन्धी, उद्यान कार्य तथा सुरक्षा को पूर्ण रूप से बनाए रखने की जिम्मेदारी लाइसेन्सधारक की होगी।

(5) लाइसेन्सधारक सभी श्रम कानूनों के साथ तादात्म बनाये रखने तथा विभिन्न अधिनियमों के अनुसार तथा श्रमिकों/कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(6) लाइसेन्सधारक ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इंडिया के सम्पदा अधिकारी और दिल्ली स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अध्यधीन है।

(7) लाइसेन्सधारक लाइसेन्सीकृत परिसर को सौंप नहीं सकता, किराए पर नहीं दे सकता या हस्तान्तरित नहीं कर सकता।

(8) लाइसेन्सधारक प्रति माह प्रति किओस्क/दुकान के लिए 1,000 रुपए भुगतान करेगा।

(9) लाइसेन्स का नवीनीकरण/समय-वृद्धि ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इंडिया के स्व-निर्णय पर निर्भर है।

रायल्टी से प्राप्त आय को आयकर विवरणियों में सम्मिलित किया जाना

1573. श्री वसुदेव आचार्य : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आयुक्त, नई दिल्ली को कुछ अधिकारियों के विरुद्ध उन्हें अपनी पुस्तकों पर रायल्टी से प्राप्त आय को अपनी आयकर विवरणियों में सम्मिलित न करने की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों द्वारा माफ किए गए कृषि ऋणों के बदले उन्हें किया गया भुगतान

[हिन्दी]

1574. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों द्वारा माफ किए गए कृषि ऋणों के बदले उन्हें भुगतान किया गया है, यदि हां, तो प्रत्येक बैंक को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या अधिकांश ग्रामीण बैंक घाटे में चल रहे हैं और सांविधिक परिसमापन अनुपात बनाए रखने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने सामान्यतया ऋण देना बन्द कर दिया है;

(ग) क्या सरकार का इन बैंकों को इस स्थिति से उबारने के लिए उन्हें उनके द्वारा माफ किए गए ऋणों की धनराशि का भुगतान करने तथा किसानों एवं कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को फसल ऋण उपलब्ध कराने का विचार है;

(घ) यदि नहीं, तो इन बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार का भविष्य में भी ऋण राहत योजना जारी रखने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण राहत का वित्तीय भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह योजना कार्यान्वित की जा रही है और अलग-अलग बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण राहत की राशि तथा भारत सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली प्रतिपूर्ति की राशि योजना के कार्यान्वयन के अन्तिम चरण में ही मालूम होगी।

(ख) से (घ) दिनांक 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के दौरान 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 150 को हानि हुई। सितम्बर, 1989 तक की 12 महीनों की अवधि के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कुल 1064 करोड़ रुपए के ऋण जारी किए गए थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की नकदी में सुधार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने उन्हें सूचित किया है कि ऋण राहत के लिए उन्हें अग्रिम भुगतात किया जाएगा। जब भी उनसे आवेदन प्राप्त होंगे तब राहत के लिए पात्र अनुमानित राशि का एक भाग अग्रिम के रूप में उन्हें दिया जाएगा और ऋणकर्ताओं को राहत प्रदान करने के पश्चात् दावों के विवरण प्राप्त होने पर बकाया राशि उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। दिनांक 9 अगस्त, 1990 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 99 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अग्रिम के रूप में 102.19 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ऋण राहत योजना के अन्तर्गत हिताधिकारियों के मामले में योजना के अन्तर्गत राहत प्रदान करने और यदि कोई देय राशि बकाया हो तो हिताधिकारियों द्वारा उसे चुकाने के पश्चात् उन्हें नए ऋण दिए जाएंगे।

(ङ) जी नहीं।

न्यू बैंक आफ इंडिया में फाइलों की चोरी

1575. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली स्थित न्यू बैंक आफ इंडिया की कुछ महत्वपूर्ण फाइलें चोरी हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की वस्तुस्थिति क्या है;

(ग) ये फाइलें किन-किन फर्मों/व्यक्तियों से संबद्ध थीं;

(घ) इस चोरी के सम्बन्ध में किस पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है; और

(ङ) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) जी हां। न्यू बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि उसके कार्यालय से 4 फाइलें चोरी हुई थीं। इस संबंध में पुलिस स्टेशन, प्रसाद नगर, नई दिल्ली में आई० पी० सी० की धारा 380 के तहत दिनांक 2-6-90 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 138 दर्ज की गई है।

(ग) फाइलें मैसर्स के० वाई० जे० सी० सी० (प्रा०) लि० और मैसर्स सुनयना सिस एंटर-प्राइजेज से संबंधित थीं।

(घ) और (ङ) पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। चौकीदार को 5-6-90 से मुअत्तिल कर दिया गया है। तदुपरान्त, जब 26-6-90 को कार्यालय खुला तो पाया गया कि इन फाइलों को एक खिड़की से कार्यालय के कमरे में फैंका गया है। बैंक ने पुलिस को इस तथ्य की भी सूचना दे दी थी।

करेंसी नोटों का परिचालन

[अनुवाद]

1576. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 जून, 1990 को समाप्त हुए-सप्ताह के दौरान करेंसी नोटों के परिचालन में भारी कमी आयी है और गत तीन महीनों के दौरान परिचालित करेंसी नोटों की संख्या की तुलना में यह कितनी कम अथवा अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और करेंसी नोटों के परिचालन में कमी आने के क्या कारण हैं और इसका अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति आदि पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) जी, नहीं। 29 जुलाई, 1990 को समाप्त हुए सप्ताह में नोटों के परिचालन में केवल 1.31 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। लेकिन, जैसा कि संलग्न विवरण में दी गयी सारणी से पता चलता है, इनका परिचालन 6 अप्रैल और 4 मई, 1990 को समाप्त हुए सप्ताहों की तुलना में अधिक था। इसके अतिरिक्त, 6 जुलाई, 1990 को समाप्त हुए सप्ताह में नोटों के परिचालन में फिर से वृद्धि शुरू हो गई। यह मुद्रा पूर्ति (एम 3) के संघटकों में से केवल एक संघटक है, जिसमें 23 मार्च, 1990 के स्तर की तुलना में 29 जून, 1990 को समाप्त हुए पखवाड़े में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

विवरण

सप्ताहान्त	नोटों का परिचालन (करोड़ रुपए)	घटबढ़ प्रतिशत
6 अप्रैल, 1990	47,529	—
4 मई, 1990	49,939	5.07
1 जून, 1990	50,659	1.44
22 जून, 1990	50,745	0.17
20 जून, 1990	50,082	(—)1.31
6 जुलाई, 1990	50,519	0.87
13 जुलाई, 1990	50,595	0.15

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि

1577. **श्री भवन लाल खुराना :**
श्री सी० डी० गामित :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशि में भी काफी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा स्थिति में सुधार लाने और योजना प्रक्रिया/विकास गतिविधियों में पूंजी निवेश के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंक में किन-किन क्षेत्रों से अधिकतम राशि जमा की जा रही है;

(घ) क्या बैंक ब्याज दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) गतिविधियों के वे क्षेत्र एवं खंड, जहां से बैंक जमाराशियां प्राप्त करते हैं, समय-समय पर भिन्न होते हैं जो अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि पर निर्भर करते हैं।

(घ) और (ङ) बैंक जमाराशियों पर लागू वर्तमान ब्याज दरें इस समय उपयुक्त समझी जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जमाराशि दरों के ढांचे की निरन्तर समीक्षा करता रहता है।

विदेशी मुद्रा का बाहर जाना

1578. **श्री राम सजीवन :**
श्रीमती सुभाषिनी अली :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलगेट पामोलिव कम्पनी को 1988 से, वर्ष-वार, निर्यात से कितनी आय प्राप्त हुई तथा इसके द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा बाहर भेजी गई;

(ख) क्या कोलगेट पामोलिव कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा की धनराशि विधि के अनुसार भेजी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा की निकासी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम समाप्त करना

1579. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :**
श्री अजीत पांजा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम समाप्त करने के पीछे निहित उद्देश्यों की किस सीमा तक पूर्ति हुई है और भारत में सोने के बाजार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारत आने वाले अनिवासी भारतीयों द्वारा लाए जाने वाले आभूषणों के रूप में सोने के आयात को अनुमति देने की कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्वर्ण आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुनिल शास्त्री) : (क) चूंकि स्वर्ण नियंत्रण (निरसन) अधिनियम 1990 6 जून, 1990 को प्रवृत्त हुआ था इसलिए स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 को समाप्त किए जाने के परिणामों के बारे में अभी कुछ बता पाना संभव नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उपर्युक्त "ख" को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) भारतीय स्टेट बैंक में सोने की उपलब्धता के कारण स्वर्ण आभूषण निर्यातकों को सोने की कमी महसूस हो रही है और भारत सरकार की टकसाल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो भारतीय स्टेट बैंक और अन्य ग्राहकों को उपलब्ध मात्रा की सीमा के भीतर सोना उपलब्ध कराती है ।

अभियान्त्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा निश्चित किए गए निर्यात लक्ष्य

1580. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभियान्त्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात हेतु वर्ष 1994-95 तक के लिए निर्धारित किये गए लक्ष्य क्या हैं;

(ख) विश्व बाजार हेतु बढ़िया किस्म की इन्जीनियरी वस्तुओं के उत्पादन के मामले में भारत का स्थान कहां है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इन्जीनियरी वस्तुओं के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है और इन्जीनियरी वस्तुओं के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है; और

(घ) क्या सरकार की किसी एजेंसी ने हाल ही में कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, जो सरकार का प्रायोजित संगठन है और जिसकी स्थापना इंजीनियरी वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी, उसने वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक के लिए इंजीनियरी क्षेत्र से निर्यात करने हेतु निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं :—

वर्ष	निर्यात का लक्ष्य (करोड़ रु० में)
1990-91	3400
1991-92	3725
1992-93	4675
1993-94	5350
1994-95	6450

(ख) विभिन्न विश्व बाजारों को भारत के इंजीनियरी मदों के निर्यात में वर्षों से नियमित रूप से वृद्धि होती रही है जो वर्ष 1989-90 में 2350 करोड़ रु० तक पहुंच गए हैं। तथापि कुल विश्व इंजीनियरी निर्यात में भारत का शेयर कम है जो इस समय लगभग 0.11 प्रतिशत है।

(ग) वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात और आयात निम्नानुसार थे :—

करोड़ रु० में

वर्ष	निर्यात	आयात
1985-86	979	4285
1986-87	1044	5467
1987-88	1105	6566
1988-89	1589	6939
1989-90	2350	7251

(घ) जी, नहीं।

देश में मृदु इस्पात की मांग के आकलन के लिए सर्वेक्षण

1581. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पांच वर्षों के दौरान देश में मृदु इस्पात की मांग का आंकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या देश में आयात के बिना इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) आठवीं योजना कार्यकारी दल ने आठवीं योजना (1994-95) के अन्त तक मृदु इस्पात की सभी किस्मों की मांग लगभग 220 लाख मी० टन होने का अनुमान लगाया है। इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है; उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए "सेल" के कारखानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इन प्रयासों के बावजूद भी कुछ आयात करने की आवश्यकता होगी।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग

1582. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रकाश कोको ब्रह्म भट्ट :
प्रो० के० वी० थामस :
श्री वी० एन० रेड्डी :
श्री एडुआर्डो फलेरो :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना किए जाने के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अभिव्यक्त आशंकाओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) सरकार ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करने के संबंध में संविधान (सड़सठवां संशोधन) विधेयक, 1990 लोक सभा में 18-5-90 को पुनः स्थापित किया है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने, प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के बारे में कुछ आपत्तियां पहले व्यक्त की थीं। उन्होंने अब जानकारी दी है कि उनके द्वारा 31 अगस्त और 1 सितंबर, 1990 को आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में न्यायाधीशों की नियुक्ति के

विषय पर भी, विचार किया जाएगा और सरकार से अनुरोध किया है कि प्रस्तावित आयोग पर मुख्य न्यायमूर्तियों के विचारों की प्रतीक्षा की जाए।

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का अनुरोध सरकार के ध्यान में है।

खंडवा, मध्य प्रदेश में दूरदर्शन कार्यक्रमों का स्पष्ट न दिखायी देना

[हिन्दी]

1583. **श्री अमृत लाल वल्लभदास तारवाला** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंडवा (मध्य प्रदेश) में दूरदर्शन कार्यक्रम स्पष्ट रूप से नहीं दिखायी देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस असुविधा को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा इसे कब तक दूर कर दिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, नहीं। खण्डवा का अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर सामान्य रूप से कार्य कर रहा है और अपने सेवा क्षेत्र में संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहा है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

मिजोरम में कृषि ऋणों की माफी

[अनुवाद]

1584. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 10,000 रुपए तक के कृषि ऋणों को माफ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना के अंतर्गत मिजोरम में ऋण माफी के पात्र व्यक्तियों की संख्या का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मिजोरम में दिए गए ऐसे ऋणों की धनराशि का भार अपने आप वहन करेगी क्योंकि मिजोरम एक गैर-औद्योगिक राज्य है जिसे विशेष वर्ग के राज्य के रूप में बनाया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से पात्र ऋणकर्ताओं के लिए 10,000 रुपए तक की ऋण राहत का प्रावधान है। केन्द्रीय सरकार द्वारा मिजोरम सहित सभी राज्यों सरकारों को सहकारी बैंकों के संबंध में इसी प्रकार की योजना तैयार करने की सलाह दी गई है।

यह योजना समान रूप से समस्त भारत में लागू है और इस प्रकार राज्यों को औद्योगिक रूप से या अन्यथा उनके विकास के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले

ऋण राहत के भार का वहन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा, सरकारी क्षेत्र के लिए यह भार केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। हितग्राहियों की सही संख्या तथा योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राहत की मात्रा योजना के कार्यान्वयन के अन्तिम चरण के समय ही ज्ञात होगी।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा औद्योगिक एककों को दिया गया ऋण

[हिन्दी]

1585. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा औद्योगिक एककों को जारी किए गए ऋणों में से कुल कितनी धनराशि के ऋण बकाया थे;

(ख) क्या इसमें से कुछ एककों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है और वे बन्द पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे एककों की संख्या कितनी है और इन एककों को कितनी धनराशि का ऋण दिया गया था;

(घ) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण मंडल (बी० आई० एफ० आर०) ने इन एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो इन एककों की संख्या कितनी है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा लघु क्षेत्र के एककों सहित औद्योगिक एककों को दिए गए ऋणों में से कुल 16497 करोड़ रुपए के ऋण बकाया थे।

(ख) और (ग) लघु औद्योगिक एककों सहित उन एककों की संख्या, जिनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, 70799 बताई जाती है और इन एककों को 413 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए गए थे।

(घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, जिसकी स्थापना रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की धारा 4 के अन्तर्गत की गई है, गैर-लघु उद्योग क्षेत्र की रुग्ण कंपनियों के पुनरुद्धार के लिए जिमेदार है। ऐसे सभी एककों के मामलों के बारे में कानून में इस बात का प्रावधान है कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुन-पुनर्निर्माण बोर्ड को इन मामलों के भेजे जाने के बाद उसे उक्त अधिनियम के अधीन इन कंपनियों के पुनरुद्धार के लिए कार्रवाई करनी होगी।

(ङ) 181 एकक जिनमें से—

(1) पुनरुद्धार पैकेज को अन्तिम रूप दिया गया	—	38
(2) बन्द करने के नोटिस जारी किए गए	—	20
(3) नामंजूर या अभी रजिस्टर किया जाना है	—	50
(4) सुनवाई चल रही है	—	73
कुल	—	181

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में संगीत और नाटक प्रभाग के एक एकक की स्थापना

1586. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में संगीत और नाटक प्रभाग का एक एकक स्थापित करने का विचार है; और

(ख) क्या वर्ष 1990 के दौरान इस इकाई के स्थापित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ स्थित दूरदर्शन टावर

1587. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ स्थित दूरदर्शन टावर से काफी लम्बे समय से प्रसारण स्पष्ट नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शिकायतों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) बताया जाता है कि पिथौरागढ़ का अल्पशक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। लेकिन, क्षेत्र के पहाड़ी भूभाग की रुकावटों के कारण इस ट्रांसमीटर की कवरेज कुछ सीमित है।

(ख) से (घ) ट्रांसमीटर के अस्पष्ट कवरेज के बारे में विभिन्न पक्षों से समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मुनस्यारी में लगाए जा रहें अति अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर के चालू हो जाने से पिथौरागढ़ जिले में दूरदर्शन कवरेज में सुधार होने की आशा है। जिले में दूरदर्शन कवरेज में और सुधार इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

भारत नेपाल सीमा पर खाद्यान्नों की तस्करी

1588. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों से नेपाल को खाद्यान्नों आदि की भारी पैमाने पर तस्करी किए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान तस्करी के कितने मामले पकड़े गए; और

(ग) इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) उपलब्ध रिपोर्टों से उत्तर प्रदेश के नैनीताल तथा पिथौरागढ़ जिलों से नेपाल को हाल ही में खाद्यान्नों की तस्करी किए जाने के किसी भी मामले का पता नहीं चलता है। तथापि, प्रवर्तन एजेंसियां भारत-नेपाल सीमा सहित संपूर्ण देश में तस्करी-सम्बन्धी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहती हैं। तस्करी को रोकने एवं

इसका पता लगाने में लगी हुई सभी सम्बन्धित एजेंसियों के साथ घनिष्ठ ताल-मेल बनाए रखा जा रहा है ।

तंबाकू और औषध कंपनियों द्वारा कर अपवंचन

[अनुवाद]

1589. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी शेयर होल्डिंग कंपनियों, विशेषकर तंबाकू और औषध कंपनियों ने काफी मात्रा में उत्पाद-शुल्क और अन्य करों का अपवंचन किया है और इस प्रकार के काले धन को कानूनसंगत बनाने के लिए विदेशों में अपने कार्यालय स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार का विदेशी मुद्रा की कमी को पूरा करने के लिए इन कंपनियों को विदेशों में अपने कार्यालय बंद करने के निदेश जारी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में कंपनियों को आवंटित विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग

1590. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में मैं० आई० टी० सी० लिमिटेड, मैं० ग्लैक्सो लिमिटेड, एशियन पेन्ट्स लिमिटेड और पांच सितारा होटलों को कितनी विदेशी मुद्रा आवंटित की गई;

(ख) क्या सरकार को उपरोक्त कपनियों/होटलों द्वारा विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग करने की जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली की नामित कम्पनियों तथा पंचसितारा होटलों को दी गई विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग का कोई मामला प्रवर्तन निदेशालय की जानकारी में नहीं आया है ।

विदेशी शेयर पूंजी वाले होटल

1591. **श्री कड़िया मुंडा** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी शेयर पूंजी वाले होटलों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे होटलों को पूर्णतः भारतीय कंपनियों के स्वामित्व में लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (घ) होटलों में इस प्रकार की शेयरधारिता नहीं है लेकिन होटलों के स्वामित्व वाली कम्पनियों में विदेशी होटल शृंखलाओं को भारत सरकार की पूर्व अनुमति से भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त सहयोग करार के अंतर्गत इक्विटी सहभागिता की अनुमति है। विदेशी शेयर धारिता को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार में तीर्थ स्थलों का विकास

1592. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या **पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना अवधि के दौरान बिहार में किन-किन तीर्थ स्थलों का विकास करने का विचार है; और

(ख) इन स्थानों के विकास पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और कार्य का कब तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के दौरान बिहार सरकार ने आधारिक-संरचनात्मक विकास के लिए निम्नलिखित तीर्थ केन्द्रों को शामिल करने का सुझाव दिया था :

वैशाली, गया, बोधगया, बाल्मीकि नगर, नालंदा और राजगीर। राज्य सरकार ने अभी तक विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं।

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन मामले

1593. **श्री प्यारे लाल हान्डू** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में कितने मुकदमे निर्णयाधीन थे और उनमें से कितने दीवानी मुकदमे मूल रूप से दायर किए हुए, कितने फौजदारी मुकदमे (अपीलीय और प्रेषित), कितने न्यायालयादेश हेतु मूल रूप से दायर किए गए और कितने न्यायालयादेश (अपीलीय) मुकदमे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन मुकदमों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) 1 जुलाई, 1990 को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या उपलब्ध नहीं है। किंतु, 31-12-1989 को 42099 मामले जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में लंबित थे, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

सिविल मूल	—	7971
दांडिक (अपील और निर्देश)	—	1140

अन्य मुख्य दांडिक मामले	—	1664
रिट अर्जी	—	9519
प्रकीर्ण मामले	—	21805

(ख) उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए ऐसे मामलों को जिनमें विधि के एक समान प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक समूह में रखना, विशेष न्यायपीठें गठित करना आदि जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं। सरकार ने न्यायालयों में बकाया पड़े मामलों का अध्ययन करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए जनवरी, 1989 में उच्च न्यायालयों के तीन न्यायमूर्तियों की एक समिति गठित की है।

प्रशीतित गोश्त (फ्रोजन मीट) के निर्यात पर किए गए अधिक भुगतान की वसूली

1594. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान न्यूनतम निर्यात मूल्य से कम मूल्य पर प्रशीतित गोश्त (फ्रोजन मीट) के निर्यात के लिए नकद सहायता के अनियमित भुगतान के बारे में दिनांक 31 मार्च, 1989 (1990 की संख्या 13) को समाप्त हुए वर्ष की केन्द्रीय सरकार (सिविल) के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के पैरा संख्या 8 में अन्तर्विष्ट टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा संबंधित पार्टियों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) जी, हां। भारत के नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक ने न्यूनतम निर्यात कीमत से कम कीमत पर प्रशीतित गोश्त (फ्रोजन मीट) के निर्यात पर कुल 28.49 लाख रु० की नकद महायता के अनियमित भुगतान का उल्लेख किया है। ये भुगतान वर्ष 1977-78 से वर्ष 1984-85 तक की अवधि के लिए 49 मामलों से सम्बन्धित थे जिनमें 6 फर्में शामिल थीं। मामले की जांच चल रही है और जहां कहीं अनियमित भुगतान पाए जा रहे हैं, उनके संबंध में संबंधित फर्मों से रकम की वसूली के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना

1595. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में विजयनगर में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) संयंत्र की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या इस संयंत्र को आठवीं योजना के दौरान स्थापित किया जा सकेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ङ) कर्नाटक में विजयनगर इस्पात कारखाने को कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि सप्तवीं योजना में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं थे। आठवीं योजना के दौरान भी परियोजना का कार्यान्वयन संसाधनों के आवंटन पर निर्भर करेगा।

दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार

1596. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दक्षिण कोरिया को किन-किन प्रमुख मदों का निर्यात किया जा रहा है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) इसी अवधि के दौरान दक्षिण कोरिया से आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(घ) क्या व्यापार समझौते के लिए दक्षिण कोरिया से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, हां। सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं।

(ख) और (ग) लौह अयस्क, इंजीनियरी सामान, वस्त्र, रसायन तथा औषध, भेषजीय, ऑयल मील्स, चमड़ा तथा उससे विनिर्मित वस्तुएं दक्षिण कोरिया को भारत से निर्यात की जाने वाली मुख्य मदें हैं। वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान दक्षिण कोरिया को निर्यात तथा वहां से भारत को आयात निम्नानुसार हैं :—

(मूल्य करोड़ रुपए में)

वर्ष	आयात	निर्यात
1987-88*	329.30	140.82
1988-89*	432.12	182.56
1989-90*	557.24	268.11

(*अनन्तिम)

(ग) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो द्वारा एक अलौह धातु गिरोह का पर्दाफाश

1597. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ने जून, 1990 में एक ऐसे बड़े गिरोह का पता लगाया है जो अलौह धातुओं के सारे माल को खरीद लेता था जिसकी वास्तविक प्रायोक्ताओं को सप्लाई की जानी थी और जिसे काले बाजार में बेचा जाता था;

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों की ब्यूरो द्वारा की गई जांच का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन फर्मों द्वारा की गई धोखाधड़ी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन गतिविधियों में लिप्त पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ने दिसंबर, 1989 में वास्तविक उपयोक्ताओं के देश में खनिज तथा धातु व्यापार निगम से प्राप्त अलौह धातुओं की बिक्री करने में तथाकथित रूप से शामिल तीन व्यक्तियों के व्यापारिक तथा आवासीय परिसरों की तलाशी ली। जांच-पड़ताल से पता चला कि इन व्यक्तियों ने अनेक फर्जी फर्मों की स्थापना की और अलौह धातुओं की खरीद का वित्त-पोषण बैंक से ऋण लेकर किया। आयात और निर्यात नियंत्रण नीति के अधीन वास्तविक प्रायोक्ताओं को उपलब्ध सुविधा का दुरुपयोग करते हुए, इन धातुओं को खुले बाजार में लाभ पर बेचा गया। अब तक पता चले मामलों में खनिज तथा धातु व्यापार निगम से 1988-89 में 8.5 करोड़ रुपए तक की अलौह धातुओं की चोरी शामिल है। तीन व्यक्तियों को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन गिरफ्तार किया गया है।

(घ) इस अवस्था में जांच पड़ताल से किसी सरकारी पदाधिकारी के शामिल होने का पता नहीं चलता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के माध्यम से पर्यटन का विकास

1598. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
डा० असीम बाला :
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान देश में गैर-सरकारी क्षेत्र के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने गैर-सरकारी क्षेत्र के माध्यम से पर्यटन का विकास करने के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में गैर-सरकारी क्षेत्र का कितना योगदान रहेगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) 8 वीं योजनावधि के दौरान देश में पर्यटन के विकास में गैर सरकारी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिए जाने को जारी रखने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) पर्यटन के क्षेत्र में गैर-सरकारी निवेश को आकर्षित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों अर्थात दोनों ने अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा की है। 14 राज्य सरकारों और 3 संघ शासित राज्यों ने पर्यटन को उद्योग के रूप में घोषित किया है और 4 राज्य सरकारों ने होटलों को उद्योग के रूप में घोषित किया है जिससे उन्हें विभिन्न वास्तविक और वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे। राज्य सरकारें आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं यथा सड़क, जल आपूर्ति बिजली आदि भी उपलब्ध कराती है।

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र का योगदान होटलों, रेस्तराओं, यात्रा सुविधाओं के विकास और अन्य पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों में होगा।

किसी राष्ट्रीय बैंक की देनदारी वाली साझे वाली कम्पनी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित होना

[हिन्दी]

1599. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की देनदारी वाली कोई साझे वाली कम्पनी सम्बन्धित बैंक की अनुमति प्राप्त किए बिना स्वयं को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर सकती है;

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में विशेष रूप से विदिशा और रायसेन जिलों में ऐसी कितनी साझे वाली कम्पनियों ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की अनुमति के बिना स्वयं को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में परिवर्तित कर लिया है; और

(ग) इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) सामान्य रूप से यह आशा की जाती है कि साझेवाली कम्पनी को प्राइवेट लिमिटेड कपनी में परिवर्तित करने जैसे उसके गठन में परिवर्तन करने से पूर्व वित्त पोषण करने वाले बैंक की पूर्व अनुमति ली जाए।

(ख) सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों में विदिशा और रायसीना जिलों में केवल एक साझे वाली कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित की गई है। बैंक की शाखा और क्षेत्रीय कार्यालय ने इस परिवर्तन की और कंपनी को ऋण सीमा जारी रखने की अनुमति प्रदान की थी क्योंकि.कंपनी ने सभी परिसम्पत्तियों और देनदारियों का अधिग्रहण कर लिया था और उनके निवल मूल्य में कोई कमी नहीं आई थी।

(ग) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

राज्यों में तीर्थ स्थानों का विकास

[अनुवाद]

1600. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :**

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में किन-किन तीर्थ स्थानों का केन्द्रीय सहायता से विकास किया गया;

(ख) इन राज्यों में आठवीं योजना के दौरान किन-किन तीर्थ स्थानों का विकास करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन तीर्थ स्थानों में से प्रत्येक के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में निम्नलिखित तीर्थ केन्द्रों के लिए आधार-संरचनात्मक और अन्य विकास स्कीमों हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है :—

1. **मध्य प्रदेश** : अमरकंटक, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, भोरमदेव और सांची ।
2. **राजस्थान** : रनकपुर, तालवृक्ष, ओसियन
3. **हिमाचल प्रदेश** : चामुण्डादेवी, रेवालसर, चिन्तपूर्णी ।
4. **गुजरात** : द्वारका, ब्येत द्वारका, सोमनाथ, तिथाल, डाकोर, पावागढ़ और पाटन ।

(ख) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन प्रस्तावों को हाथ में लिया जाएगा उन्हें अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

रायसेन और विदिशा में सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं द्वारा दिए गए ऋण

[हिन्दी]

1601. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों ने रायसेन और विदिशा जिलों में स्थित कितनी भागीदारी फर्मों तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें की हैं कि उन्होंने अपने स्टॉक में अनियमितताएं की हैं;

(ख) क्या इसके बावजूद इन जिलों में सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं ने उक्त फर्मों को ऋण सुविधाएं दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि रायसेन और विदिशा जिलों में किसी भागीदारी अथवा प्राइवेट लि० फर्म के खिलाफ, इन फर्मों द्वारा अपने स्टाकों के संबंध में की गई अनियमितताओं के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं की गई थी । अलबत्ता, बैंक की विदिशा शाखा से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने वाली एक फर्म के कार्य निष्पादन पर 1986 से 1988 तक निरंतर सूखा पड़ने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था जिसके परिणामस्वरूप स्टाक इकट्ठा हो गया और प्राप्तियों की उगाही में विलंब आदि हुआ । फिर भी, इस फर्म को बैंक के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर आवश्यकता पर आधारित ऋण प्रदान किए गए थे ।

हिमाचल प्रदेश में बैंक शाखाएं खोलना

1602. **प्रो० प्रेम कुमार धूमाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान, कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) इनमें से कितनी शाखाएं अब तक खोली गई हैं;

(ग) इनमें से कितनी शाखाएं खोली नहीं जा सकीं; और इसके क्या कारण हैं;

(घ) ये शाखाएं कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष अर्थात् 1-4-89 से 31-3-90 की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में जारी लाइसेंसों की संख्या तथा खोली गई शाखाओं की संख्या निम्नलिखित है :

जिलों के नाम	जारी लाइसेंसों की संख्या	खोली गई शाखाओं की संख्या
1. हमीरपुर	4	3
2. ऊना	5	3
3. बिलासपुर	6	—
4. कांगड़ा	10	8
कुल	25	14

(ग) और (घ) परिसर, सम्पर्क सड़कों, संचार और सुरक्षा व्यवस्था जैसी आधारभूत सुविधाओं के अनुपलब्धता के कारण शेष शाखाओं के लाइसेंसों का उपयोग नहीं किया जा सका। लाइसेंसों की वैधता अवधि को 30-9-1990 तक बढ़ा दिया गया है ताकि बैंक शेष केंद्रों पर अपनी शाखाएं खोल सकें।

हिमाचल प्रदेश में बैंकों द्वारा की गई जमा राशि और दिए गए ऋण

[अनुवाद]

1603. **प्रो० प्रेम कुमार धूमाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण और जमा राशि का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से कम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) मार्च, 1990 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति (अद्यतन उपलब्ध तिथि) के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित चार जिलों

के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल जमा राशि और ऋण: जमा अनुपात निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपए)

	जमा राशि	ऋण जमा अनुपात प्रतिशत
1. हमीरपुर	106.54	16.1
2. ऊना	97.40	46.4
3. बिलासपुर	39.85	28.9
4. कांगड़ा	295.83	21.3

उक्त तिथि को हिमाचल प्रदेश का ऋण: जमा अनुपात 38.6 प्रतिशत था जबकि यह अनुपात अखिल भारतीय स्तर पर 65.8 प्रतिशत था। अलबत्ता, किसी क्षेत्र का ऋण: जमा अनुपात उस क्षेत्र में उपलब्ध कराए गए ऋणों की पर्याप्तता अथवा अन्यथा स्थिति का सही सूचक नहीं है। यह आर्थिक गतिविधियों के स्तर, जमा राशियां जुटाने की सीमा और निवेश के उपयुक्त अवसरों की उपलब्धता से प्रभावित होता है।

हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में दूरदर्शन कार्यक्रमों का स्पष्ट न दिखाई देना

[हिन्दी]

1604. **प्रो० प्रेम कुमार धूमाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री कि यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश में हमीरमर और कांगड़ा जिलों के लोगों से दूरदर्शन कार्यक्रमों के स्पष्ट न दिखाई देने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या कांगड़ा में आशापुरी में और हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) के सुजानपुर टिहड़ा में एक-एक कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दूरदर्शन का यह प्रयास रहता है कि विशेषतया पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा का यथाशीघ्र विस्तार किया जाए। लेकिन यह उद्देश्य धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए केवल चरण-बद्ध ढंग से ही प्राप्त किया जा सकता है।

विदेशी पर्यटकों का आगमन

1605. **प्रो० प्रेम कुमार धूमाल** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मई, 1990 तक कितने विदेशी पर्यटक भारत भ्रमण के लिए आये हैं;

(ख) गत वर्ष की समान अवधि के दौरान भारत-भ्रमण के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों की तुलना में इनकी संख्या में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (ग) जनवरी-मई, 1990 के दौरान भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या, पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों को छोड़कर 5,53,334 थी। विदेशी बाजारों में संवर्धनात्क प्रयासों के कारण उपर्युक्त अवधि में पर्यटक आगमन में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सोने का आयात

1606. श्री संजय लाल :
डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जुलाई, 1990 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "मिनिस्ट्रीज डिफर ऑन गोल्ड इंपोर्ट स्कीम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सोना आयात करने के बारे में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

रुपये की क्रय शक्ति

[अनुवाद]

1607. श्री मंजल लाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुपए की क्रय-शक्ति निरन्तर कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के अन्त में रुपए की क्रय शक्ति के संबंध में क्या स्थिति है;

(ग) क्या गत छः महीदों के दौरान देश में रुपए की क्रय शक्ति में पुनः गिरावट आयी है; और

(घ) यदि हां, तो रुपए का मूल्य स्थित बनाए रखने हेतु क्या विशेष कदम उठाए गए हैं और उसमें कितनी सफलता मिली है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) 1987-88, 1988-89 और 1989-90 तथा जनवरी से जून, 1990 तक के महीनों के दौरान औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता लिए मूल्य सूचकांक (1982=100) के व्युत्क्रम के रूप में मापित रुपए की क्रय शक्ति में घटबढ़ नीचे दर्शाई गई है।

अवधि	रुपए की क्रय शक्ति (पैसों में)
वर्षान्त	
1978-88	65.36
1988-89	60.24
1989-90	56.40
महीने (1990)	
जनवरी	54.47
फरवरी	57.14
मार्च	56.50
अप्रैल	55.56
मई	54.95
जून (नवीनतम उपलब्ध)	54.05

मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप रुपए की क्रय शक्ति में ह्रासक्षय को रोकने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें बजट घाटे को नियंत्रित करना, सरकारी खर्चे को नियंत्रित करने के लिए मितव्ययता उपायों को लागू करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बनाए रखना तथा जमा खोरों और काला बाजारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना शामिल है।

विदेशी सहायता का उपयोग

1608. **श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अप्रैल, 1990 के "डक्कन हैराल्ड" में "अनयूटिलाइज्ड फारन एंड पाईलिंग अप फास्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की तरफ आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशी सहायता का पूरा उपयोग करने हेतु इस बारे में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विदेशी उधारों/ऋणों के प्रत्याशित उपयोग से कम उपयोग होने के अनेक कारण रहे हैं। इनमें अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त करने, तकनीकी विषयों के समाधान में देरी होना, खरीद और कार्यान्वयन में विलंब होना तथा प्रतिपक्षी निधियों की अपर्याप्तता उपलब्धता आदि शामिल हैं।

विदेशी सहायता के जरिए वित्तपोषित परियोजनाओ की प्रगति की लगातार समीक्षा की जाती है। अनुमोदनों की प्रकियाओं को सरल बना दिया गया है और परियोजनाओं की प्रगति का

परिवीक्षण किया जाता है ताकि पहले से वचनबद्ध उधारों/ऋणों के संवितरण में सुधार किया जा सके।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कृषि ऋणों की माफी

1609. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में किसानों को दिए गए कृषि ऋणों को माफ कर दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा कितनी धनराशि का पृथक-पृथक कृषि ऋण दिया गया है;

(ग) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के मामले में, इसके संघराज्य क्षेत्र होने के कारण ऋण की पूरी धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में आवश्यक निदेश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (च) केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 में अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सहित समग्र देष शामिल है। जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली ऋण राहत का बोझ केन्द्रीय सरकार वहन करेगी, सरकारी बैंकों से सम्बन्धित बोझ केंद्रीय सरकार के बजट तथा संघ राज्य क्षेत्र के बजट द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। सभी राज्य सरकारों तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह सहित संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया हैं कि वे भारत सरकार की योजना की तरह सहकारी समितियों के उधारकर्ताओं के लिए एक योजना तैयार करें। इस योजना के अन्तर्गत हिताधिकारियों की वास्तविक संख्या और प्रदान की गई राहत की बैंकवार रकम की जानकारी योजना के कार्यान्वयन के अन्तिम चरण में ही प्राप्त हो सकेगी।

साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना

1610. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी मिले;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल जलिक) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग लोगों को पर्यावरण-संरक्षण के प्रति जागरूक करने की जरूरत के बारे में पूरी तरह से सजग है और इसके प्रयोजनार्थ पर्यटन सम्बन्धी सभी स्कीमें तभी अनुमोदित की जाती हैं जब यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि अपेक्षित औपचारिकताओं को

पूरा कर लिया गया है एवं संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन ले लिया गया है। इन औपचारिकताओं में पर्यावरण-संरक्षण संबंधी बातें भी शामिल हैं।

भारतीय स्टेट बैंक और इलाहाबाद बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश की महिला उद्यमियों को दिए गए ऋण

[हिन्दी]

1611. **श्री राजबीर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय स्टेट बैंक और इलाहाबाद बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश की कितनी महिला उद्यमियों को ऋण मंजूर किए गए;

(ख) ऐसे ऋणों को मंजूर करने के लिए औसतन कितना समय लगता है; और

(ग) ऋणों को मंजूर करने में समय को घटाने के लिए प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय स्टेट बैंक और इलाहाबाद बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में, इन बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में जिन महिला उद्यमियों को ऋण मंजूर किए गए उनकी संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है—

वर्ष	भारतीय स्टेट बैंक	इलाहाबाद बैंक
दिसंबर, 1987	9472	—
मार्च, 1988	—	18825
मार्च, 1989	15466	20849
मार्च, 1990	20598	22615

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि 25,000 रुपए तक की सीमा वाले सभी ऋण आवेदन एक पखवाड़े तथा 25,000 रुपए से अधिक के ऋण आवेदन 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटा दिए जाने चाहिए और आमतौर पर इस समय सीमा का पालन किया जा रहा है।

पर्यटन केन्द्रों को आकर्षक बनाने के लिए विशेष सहायता

1612. **श्री राजबीर सिंह** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पर्यटन केन्द्रों को आकर्षक बनाने हेतु कोई धनराशि नियत की गई है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न पर्यटन केन्द्रों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और आकर्षक बनाए जाने वाले पर्यटन केन्द्रों का जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यप्रत मलिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बंगलौर दूरदर्शन केन्द्रों में पुराने उपकरणों के स्थान पर नये उपकरण लगाना

[अनुवाद]

1613. **श्री एच० सी० श्रीकांतप्पा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र के उपकरण पुराने हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र ने पुराने उपकरणों के स्थान पर नए उपकरण लगाने का सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र को नये उपकरण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) दूरदर्शन केंद्र बंगलौर में लगाये गए उपकरण की कार्य करने की मियाद अभी शेष है; अतः वे पुराने नहीं पड़े हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

लघु एककों को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

1614. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने अपनी "सिंगल सोर्स स्कीम" को उदार बनाते समय बढ़ी हुई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या ऐसे लघु एककों को, जिनकी परियोजना लागत दस लाख रुपए तक है, राज्य वित्त निगम के माध्यम से पांच लाख रुपए तक की कार्य पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने 2 अप्रैल, 1990 से अपनी एकल खिड़की योजना को उदार बना दिया है । संशोधित योजना के अन्तर्गत 18 लाख रुपए तक की परियोजना लागत वाले नए लघु उद्योग एककों को 5 लाख रु० तक की कार्यशील पूंजी सहायता दी जाएगी । इस योजना में लघु उद्योग एककों को, सुमिश्र वित्त पोषण की सुविधा देने के लिए, राज्य वित्त निगमों/दोहरा कार्य करने वाले राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा उपलब्ध कार्यशील पूंजी सहायता के साथ-साथ अचल संपत्ति के मूल्य में वृद्धि पर सावधि ऋण की मंजूरी की परिकल्पना की गई है ।

पेट्रोल की खपत

1615. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री हेत राम :
श्री राम बहादुर सिंह :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
डा० सी० सिलवेरा :
श्री बालगोपाल मिश्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कार्यालयों/मंत्रालयों तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में पेट्रोल की बढ़ती खपत को देखते हुए इसकी खपत में कमी करने हेतु आदेश जारी किए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त सचिव और इसके ऊपर के वर्ग के अधिकारियों को निश्चित राशि के भुगतान पर घर से कार्यालय आने और कार्यालय से घर जाने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो वर्ग-वार निश्चित की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन अधिकारियों के लिए सरकारी खर्च से पेट्रोल पर होने वाले मासिक व्यय में भी कमी की गई है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अधिकारियों को क्या मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे अपनी पेट्रोल और डीजल की खपत में वर्ष 1989 में की गई खपत के मुकाबले 20 प्रतिशत की कमी करें। इन विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ये अनुदेश भी किए गए हैं कि वे इन अनुदेशों के अनुपालन को मानीटर करने के लिए एक उपयुक्त पद्धति तैयार करें।

(ग) और (घ) अब ये आदेश जारी किए गए हैं कि 1-6-90 से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों से 75 रुपए प्रतिमाह तथा अपर सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों से 100 रु० प्रतिमाह की राशि वसूल की जाएगी जो इस सुविधा का लाभ उठाते हैं।

(ङ) और (च) जैसाकि ऊपर (क) और (ख) में स्पष्ट किया गया है, सरकारी वाहनों में डीजल और पेट्रोल की खपत में 20 प्रतिशत की समग्र कटौती लागू की गई है, जिनमें संयुक्त सचिव तथा उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों द्वारा कार्यालय तथा निवास स्थान के बीच की गई यात्राएं शामिल होंगी।

आडिट एण्ड एकाउन्ट्स डिपार्टमेंट में नये वेतनमान

1616. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने इण्डियन आडिट एण्ड

एकाउन्ट्स डिपार्टमेंट के आडिट एंड एकाउन्ट्स आफिसर्स के लिए नए वेतनमानों की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) सिफारिश यह है कि लेखा परीक्षा/लेखा अधिकारियों के 80 प्रतिशत पद 2200-4000 रु० के उच्चतर वेतनमान में रखे जाएं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की जांच चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई है तथा लेखा परीक्षा और लेखा अधिकारियों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार की जा चुकी हैं और कार्यान्वित कर दी गई हैं। भारत के पूर्व नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सिफारिशों पर विचार किया गया तथा यह पाया गया कि चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किया गया 2375-3500 रु० का वेतनमान उपयुक्त है।

भारत के वर्तमान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने इस प्रस्ताव को पुनः उठाया है तथा इस पर विचार किया जा रहा है।

विदेशों द्वारा भारत को रियायती वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

1617. **श्री कमल चौधरी :**
श्री बृजभूषण तिवारी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988, 1989 और 1990 (अब तक) के दौरान विदेशी राष्ट्रों द्वारा भारत को कोई रियायती वित्तीय सहायता देने की पेशकश की गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त सहायता द्वारा कौन-कौन-सी परियोजनाओं को सहायता दी गई है और कौन-कौन सी परियोजनाओं को सहायता दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान विदेशों द्वारा भारत को दी गई रियायती वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं। जर्मन संघीय गणराज्य/फ्रांसीसी सहायता का भाग प्रकृति से रियायती नहीं है। तथापि, इस राशि को पृथक करना संभव नहीं है।

(ख) वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान विदेशों द्वारा दी गई परियोजना-वार सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

1988, 1989 और 1990 के दौरान देशवार दी गई सहायता

(करोड़ रुपए)

देश का नाम/संस्थान	1988-89	1989-90	(जून, 1990 तक)
1. आस्ट्रिया	0.00	7.16	16.15
2. बेल्जियम	1.18	1.44	—
3. डेनमार्क	9.54	7.36	—
4. फ्रांस	128.67	161.75	34.79
5. जर्मनी संघीय गणराज्य	262.07	266.09	56.36
6. इटली	42.52	105.41	5.14
7. जापान	318.26	420.96	27.59
8. नीदरलैंड	89.82	51.76	3.82
9. संयुक्त राज्य अमेरिका	40.11	40.36	3.77
10. स्वीटजरलैंड	4.37	17.48	4.23
11. कुवैत निधि	1.82	1.33	1.29
12. ओ० पी० ई० सी०	28.97	6.92	4.91
13. साऊदी निधि	5.58	42.62	5.28
14. चेकोस्लोवाकिया	11.63	22.15	4.94
15. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	207.26	218.40	75.82
16. स्वीडन	0.00	90.16	24.35
17. स्पेन	—	29.73	—
जोड़	1151.80	1490.90	268.44

विवरण-2

1988, 1989 और 1990 के दौरान परियोजना वार द्विपक्षीय दाता एजेंसियों (विदेशों) द्वारा प्रदान की गई सहायता

दाता करेंसी में आंकड़े लाख

1988-89

देश	परियोजना	राशि
1	2	3
जापान		अरब येन
	1. रायचूर तापीय विद्युत केन्द्र विस्तार	23.14

1	2	3
	2. घाटघर पम्प भंडारण परियोजना	11.41
	3. पर्यटन आधारभूत-ढांचा विस्तार	9.25
	4. लघु उद्योग विकास कार्यक्रम	19.50
	5. अपर कोलाब सिंचाई	3.77
	6. अपर इन्द्रावती सिंचाई	3.74
	7. रामगुण्डम उर्वरक संयंत्र पुनर्वास	11.13
	8. मैसूर पेपर मिल्स आधुनिकीकरण और नवीकरण	2.38
	9. हुगली बंदरगाह और पत्तन इंजीनियर आधुनिकीकरण	3.51
	10. ऋण राहत सहायता अनुदान	1.11
	11. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के लिए और कैंसर संस्थान, मद्रास के लिए चिकित्सा उपस्कर	0.64
	12. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुले विश्वविद्यालय के लिए शैक्षणिक प्रौद्योगिकी उपस्कर के सुधार के लिए सहायता अनुदान	0.61
	13. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के लिए दृश्य-श्रव्य उपस्कर के आयात हेतु सांस्कृतिक सहायता अनुदान	0.04
	14. उर्वरक (डी० ए० पी०) आयात के लिए सहायता अनुदान	0.60
यूरोपियन सामा बाजार		लाख यूरोपीय करेंसी यूनिट
	1. अन्तर्देशीय मत्स्य विकास	221.0
	2. टैंक सिंचाई चरण-II, तमिलनाडु	245.0
	3. कृषि बाजार, केरल	186.5
	4. दक्षिणी भागीरथी जल संभर चरण-II, उत्तर प्रदेश	84.0
डेनमार्क		लाख डेनिश क्रोनर
	1. हैंड पम्प नवीकरण, मध्य प्रदेश	100.0
	2. मछुआरों के लिए अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा, तमिलनाडु	30.0
	3. आप्टिकल फाइबर परियोजना ई० सी० एल०/आई० टी० आई०	1127.0

1	2	3
फ्रांस		लाख फ्रांसीसी फ्रांक
	1. सी० पी० आर० आई०—एस० पी० आई० सी० बट्टीगोनल्स	
	2. पूर्वी रेलवे कलकत्ता ।	
	3. डेसू—एलस्थोम	*"%
	4. एन० टी० पी० सी० स्टेन इण्ड तालचर एस० टी० पी०	
	5. कोल इण्डिया सी० डी० एफ०	12300.0
	6. कोल इण्डिया—सी० डी० एफ० कोंडवाडी	
	7. कोल इण्डिया—सी० डी० एफ० कोटाडिह	
	8. सिंगरैनी कोलरीज	
	9. विराल टीका संयंत्र	लाख पौंड 1716.0
यूनाइटेड किंगडम		लाख पौंड
	1. उरी पन-बिजली परियोजना	171.6
	2. आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक स्कूल भवन	6.3
	3. इन्दौर आवास	144.0
	4. हैदराबाद आवास चरण-III	149.4
स्वीटजरलैंड		लाख स्विस फ्रांक
	1. उष्णकटिबंधी रेशम-उत्पादन में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, मैसूर	7.9
	2. ऋण और प्रौद्योगिकी के लिए सुधार, कम अधिक जोखिम पर्यावरण आश्वासन और योग्यता	2.8
	3. जैव-प्रौद्योगिकी में भारत-स्विस सहकारिता	12.1
	4. नेटर तकनीकी प्रशिक्षण संस्था (एन० टी० टी० एफ०)	4.4
कनाडा		लाख अमरीकी डालर
	1. इण्डियन एयरलाइन्स के लिए सिमुलेटर	168
	2. राजमहल ओपनकास्ट कोलमाइन परियोजना	2125

1	2	3
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण		लाख डालर
	1. जैव-चिकित्सा अनुसंधान सहायता	10.0
	2. वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी को उन्नति के लिए कार्यक्रम	17.0
	3. बाल उत्तरजीवन स्वास्थ्य सहायता परियोजना	80.0
	4. परिवार नियोजन संचार और विपणन परियोजना	25.0
	5. विकास प्रबन्ध और प्रशिक्षण	15.0
	6. गर्भ निरोधक विकास और प्रतिरक्षा में अनुसंधान	22.0
	7. पौधा आनुवंशकी संसाधन	26.0
	8. तककीकी सहायता और समर्थन	22.0
	9. वाणिज्यिक ऊर्जा अनुसंधान तेज करने के लिए कार्यक्रम (पी० ए० सी० ई० आर०)	20-0
	10. जल संसाधन प्रबन्ध और प्रशिक्षण	20.0
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण	1989-90	लाख डालर
	1. तकनीकी सहायता और समर्थन	36.0
	2. वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी की उन्नति हेतु कार्यक्रम	8.0
	3. बाल उत्तरजीयन स्वास्थ्य सहायता	57.0
	4. जल संसाधन प्रबन्ध और प्रशिक्षण	193.0
	5. टीका और प्रतिरक्षा निदान	10.0
	6. पौध अनुवंशकी संसाधन	10.0
	7. प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (सी० टी० डी०)	30.0
	8. राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी	137.0
जापान		अरब येन
	1. बेसिन ब्रिज गैस टरबाइन	11.45
	2. गंधार गैस आधारित कम्बाइन साइकिल पावर-I	13.05

1	2	3
	3. भवानी कट्टालेई बांध पन-बिजली-I	5.41
	4. अनपारा विद्युत पारेषण प्रणाली परियोजना-I	19.32
	5. आर० ई० सी० की प्रणाली सुधार परियोजना	24.38
	6. कोलघाट तापीय विद्युत केन्द्र फलाइ-ऐश उपयोग परियोजना हेतु इंजीनियरी सेवाएं	0.17
	7. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए इंजीनियरी सेवाएं	0.08
	8. कर्नाटक राज्य विस्तृत भूमि उपयोग प्रबंध	16.05
	9. चल स्टॉक कार्यशाला आधुनिकीकरण	1.26
	10. इस्को के बर्नपुर निर्माणों के आधुनिकीकरण के लिए इंजीनियरी सेवाएं	5.55
	11. देश में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के चिकित्सा उपस्करों के सुधार के लिए सहायता अनुदान	0.62 0.62
	12. डी० एं० पी० के आयात-खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता अनुदान	0.60
	13. ऋण राहत सहायता अनुदान	505.50
	14. ऋण राहत सहायता अनुदान	467.09
	15. संगीत नाटक अकादमी को दृश्य श्रव्य उपस्कर की पूर्ति के लिए सहायता अनुदान	0.04
	16. आग बुझाने और बचाव उपस्कर के सुधार के लिए सहायता अनुदान	0.37
	17. भूमिगत जल का पता लगाने के लिए सहायता अनुदान	0.50
सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ		लाख रशियन रूबल्स
	1. कयामकुलम तापीय विद्युत—केरल 2. मंगलौर तापीय विद्युत—कर्नाटक 3. मैथन तापीय विद्युत—बिहार और विंध्याचल तापीय विद्युत केन्द्र चरण-II के लिए संयुक्त पारेषण लाइनें	9900.0
यूरोपियन सामा बाजार		लाख यूरोपीय करेंसी यूनिट
	1. पशुधन रोग नियंत्रण के लिए पशुचिकित्सा-सेवाओं को सुदृढ़ बनाना।	403.0

1	2	3
	2. अरावली पहाड़ियों का वनारोपण	232.0
	3. भीमताल एकीकृत वाटरशेड विकास	44.0
डेनमार्क		**लाख डेनिश क्रोनर**
	1. पुडुकोट्टई पशुधन विकास-तमिलनाडु	235.4
	2. महिला और युवा प्रशिक्षण/विस्तार (डब्ल्यू० बाई० टी० ई० पी०) कर्नाटक-चरण-II	597.0
	3. कर्नाटक वाटरशेड विकास	488.0
	4. एकीकृत ग्राम्य जल एवं सफाई-कर्नाटक	500.0
	5. एकीकृत ग्राम्य सफाई एवं जल आपूर्ति, तमिलनाडु	350.0
	6. स्वास्थ्य रक्षा परियोजना-फेज-II, मध्य प्रदेश	629.0
	7. स्वास्थ्य रक्षा परियोजना-फेज-II, तमिलनाडु	663.0
	8. अंधत्व नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम-फेज-II	1038.0
	9. जमशेदपुर, भुवनेश्वर और बंगलौर में औजार कक्ष की स्थापना	1420.0
फ्रांस		**लाख फ्रेंच फ्रांक**
	1. दुलहस्ती पन-बिजली	15826.0
	2. आई० सी० आई० सी० आई०	3954.0
यू० के०		**लाख पौंड स्टर्लिंग**
	1. आन्ध्र प्रदेश स्कूल भवन, फेज-II	279.0
	2. उड़ीसा परिवार कल्याण फेज-II	180.0
हंगरी		**लाख डालर**
	1. भारतीय कम्पनियों/उद्यमों और जी० डी० आर० आभरकों के बीए हुए वाणिज्यिक ठेकों का वित्तपोषण करना।	2000.0
स्विटजरलैंड		**लाख स्विस फ्रांक**
	1. बकरी विकास और चारा उत्पादन राजस्थान (फेज-IV)	8.2

1	2	3
	2. वाटरशेडों का सहभागी और एकीकृत विकास (पी० आई० डी० ओ० डब्ल्यू०) गुलबर्ग (फेज-II)	8.0 और 7.1
		(एम० बाई० आर० ए० डी० ए० के जरिए)
	3. राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना	400.0
	4. भारत-स्विस प्रशिक्षण के केन्द्र, चण्डीगढ़ (आई० एस० टी० सी० (द्वितीय अनुवर्ती फेज)	0.2
	1990-91	
यूरोपियन साझा बाजार		**लाख यूरोपीय करेंसी एकक**
	1. क्षारीय भूमि कृष्यकरण	355.0
यू० के०		**लाख पौंड**
	1. नया रेल क्षेत्र अनुदान	122.6
	2. एच० एफ० सी० रेनफेड फार्मिंग	23.9
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण		**लाख डालर**
	1. पौधा आनवंशकी संसाधन	20.0
	2. तकनीकी सहायता ममर्थन	27.7
	3. वाणिज्यिक ऊर्जा अनुसंधान को तेज करने के लिए कार्यक्रम (पी० ए० सी० ई० आर०)	30.0
	4. तकनीकी विकास के लिए केन्द्र (सी० साई० डी०)	10.0
	5. स्वास्थ्य हेतु गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन-II	30.0
	6. बाल उत्त रजीवन स्वास्थ्य सहायता	20.0

वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान निर्यात की गई फिल्में

1618. **श्री कमल चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988, 1989 और 1990 (अब तक) के दौरान किन-किन भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया है और किन-किन देशों को निर्यात किया गया है; और

(ख) निर्यात के लिए फिल्मों का चयन करने हेतु क्या तरीका/मानदण्ड अपनाया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) इस मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राष्ट्रीय फिल्म विभाग निगम द्वारा वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान निर्यात की गई भारतीय फीचर-फिल्मों के नाम और उन देशों के नाम जिनको इसका निर्यात किया गया है, अनुबन्ध में दिए गए हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1257/90]** निगम द्वारा निर्यात के दास्तावेज वित्तीय वर्षवार रखे जाते हैं।

(ख) निर्यात के लिए फिल्मों का एयन संबंधित क्षेत्रों में क्रेता की पसन्द, फिल्मों के प्रभाव कलाकार, चलचित्रिकी विषय-वस्तु, मनोरंजन मूल्य, बिदेशों में मांग, दर्शकों को पसन्द, व्यापार मूल्यांकन आदि पर आधारित होता है।

वकीलों द्वारा हड़ताल

1619. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :**

श्री राघवजी :

श्री राम बहादुर सिंह :

श्री किशनराव बाबूराव बानखेले :

क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के न्यायालयों में वकीलों ने कितनी बार हड़ताल की;

(ख) वकीलों ने प्रत्येक बार हड़ताल कितनी अवधि तक की; और

(ग) सरकार का वादी-प्रतिवादियों के हितों की सुरक्षा के लिए वकीलों द्वारा की जाने वाली हड़ताल की समस्या से निपटने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

फिल्म्स डिवीजन का पुनर्गठन

[हिन्दी]

1620. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फिल्म्स डिवीजन को विख्यात लेखकों की कहानियों पर आधारित फिचर फिल्में बनाने तथा बाजार में उन्हें वाणिज्यिक फिल्मों की प्रतियोगिता में जारी करने हेतु निर्देश देने का विचार है;

(ख) क्या फिल्म्स डिवीजन के कार्य दूरदर्शन पर चलचित्र दिखाए जाने के कारण ठप्प हो गया है;

(ग) इसके कार्यकलाप जोरशोर से पुनः कब तक शुरू होंगे; और

(घ) फिल्म्स डिवीजन को अत्याधुनिक उपकरणों से सज्जित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, नहीं। तथापि, फिल्म प्रभाग की सामीप्य दर्शकों के लिए 16 एम० एम० की विशेष लघु फिल्में बनाने की एक निरंतर योजना स्कीम है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(घ) फिल्म प्रभाग की सिनेमैटोग्राफिक उपकरणों में वृद्धि करने और पुराने उपकरणों के स्थान पर नए उपकरण लगाने की योजना स्कीम है जिसका उद्देश्य पुराने उपकरणों को अद्यतन सिने उपकरण से बदलना है।

काजू का निर्यात

[अनुवाद]

1621. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के जिस जिले में सबसे अधिक और उत्तम किस्म के काजू का उत्पादन होता है; और

(ख) केरल से पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के काजू का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) काजू निर्यात संवर्धन परिषद् के अनुसार वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 में भारत से काजू की गिरी का निर्यात निम्नानुसार था :—

मात्रा एम० टी०
मूल्य करोड़ रु० में

1987-88		1988-89		1989-90	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
36,946	322.71	34,023	276.48	44,857	360.34

परिषद ने अनुमान लगाया है कि देश के काजू निर्यात का लगभग 95 प्रतिशत निर्यात कोचीन पत्तन से किया जाता है।

पुनालूर पेपर मिल्स द्वारा लिए गए ऋणों पर लगे ब्याज को माफ करना

1622. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, केरल स्थित पुनालूर पेपर मिल्स द्वारा लिए गए ऋण पर लगे ब्याज को पूरी तरह माफ करने पर सहमत हो गया है;

(ख) पुनालूर पेपर मिल्स के मुख्य बैंकर/वित्तपोषक कौन-कौन हैं;

(ग) क्या ब्याज माफ करने के प्रश्न पर सभी संबंधित बैंकों/वित्तपोषकों से परामर्श किया गया था;

(घ) क्या बैंकों का इस एकक के पुनर्स्थापन के लिए और ऋण देने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह एकक कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम कतिपय शर्तों के अधीन पुनालूर पेपर मिल्स के एक बारगी समझौता प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है।

(ख) केनरा बैंक एकक का एकमात्र बैंकर है और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम अग्रणी संस्था है। भारतीय विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम इसमें शामिल अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं।

(ग) भारतीय औद्योगिक ऋण यथा निवेश निगम ने कम्पनी के एक बारगी समझौता प्रस्ताव पर विचार करने की संस्था की इच्छा के संबंध में बैंक और वित्तीय संस्थाओं को सूचित कर दिया था।

(घ) कम्पनी के प्रवर्तक ने हाल ही में सूचित किया था कि उन्हें एकक को चलाने के लिए संस्थाओं और बैंक से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) समझौते से संबंधित अनिश्चितताओं और कम्पनी के प्रवर्तकों द्वारा ध्यान देने योग्य अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम मिल को दोबारा खोलने के वास्ते कोई समय बताने में असमर्थ है।

महान विभूतियों की जीवन गाथा का दूरदर्शन पर प्रसारण

[हिन्दी]

1623. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन महान विभूतियों, जिन्होंने लोगों को प्रेरणा दी, के जीवन वृत्त का प्रसारण करने के लिए और अधिक समय आबंटित करने का है; और

(ख) क्या सरकार का विचार देश भक्ति पूर्ण कार्यक्रमों का प्रसारण बढ़ाकर दूरदर्शन के कार्यक्रम दिखाने की नीति में आमूल परिवर्तन करके दूरदर्शन को सामाजिक परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम बनाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) दूरदर्शन का यह प्रयास रहता है कि राष्ट्रीय ख्याति की महान विभूतियों पर कार्यक्रम दिखाए जाएं ताकि दर्शकों को उनके भारी योगदान से परिचित कराया जाए जिससे, देश के समग्र विकास की दृष्टि से, जनता को उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

उदयपुर (राजस्थान) में यात्री निवास का निर्माण

1624. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में उदयपुर जाने वाले स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों के ठहरने के लिए एक "यात्री निवास" का निर्माण करने का प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका निर्माण कार्य कब से शुरू हो जाएगा;

(ग) क्या उदयपुर में पर्यटकों की अधिक संख्या के कारण वहां पर सस्ते दामों पर ठहरने के लिए स्थान उपलब्ध न होने से पर्यटकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो केंद्रीय सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिए कितनी सहायता देगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (घ) केंद्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकार को, प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर यात्री निवासों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उदयपुर में यात्री निवास का निर्माण करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव राजस्थान सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

इस्पात के सामानों का वितरण

[अनुवाद]

1625. श्री नन्दलाल मीणा : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धारित नियमों का उल्लंघन करके इस्पात कोटे के आवंटन और इसके प्रयोग में अनियमितताएं बरती गई हैं जिसके कारण देश को वित्तीय हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पार्टी-वार, दिनांक-वार और भाग-वार इस्पात कोटे के आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में जांच की गई है कि इस्पात के कोटे प्रयोग उसी कार्य के लिए किया गया जिसके लिए इसका आवंटन किया गया था;

(घ) क्या कुछ मामलों में इस्पात, चैनल, एंगल, कच्चा लोहा आदि के आवंटन के मामले में पक्षपात किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस मामले की पूर्ण जांच करने और पक्षपात करने वाले उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने ऐसा करके राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ङ) नियमित स्रोतों से प्राप्त लोहे तथा इस्पात सामग्री का दुरुपयोग रोकने के लिए विकास आयुक्त, लोहा तथा इस्पात के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निरीक्षण किये जाते हैं। जहां इस प्रकार का दुरुपयोग पाया जाता है, उन मामलों में क्षेत्रीय कार्यालय उपयुक्त आदेश जारी करते हैं। मुख्य उत्पादक भी संयुक्त संयंत्र समिति के वितरण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों के उल्लंघन के बारे में आरोपों की जांच करते हैं और उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

संसद् सदस्यों और मंत्रियों में पत्राचार

1626. श्री नन्दलाल मीणा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को 1 फरवरी, 1990 से 31 जुलाई, 1990 तक संसद् सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने पत्रों का उत्तर दिया जाना बाकी है;

(ग) उसके क्या कारण है;

(घ) उत्तर शीघ्र देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनके उत्तर कब तक दिए जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) 205.

(ख) 11.

(ग) से (ङ) उन पत्रों की जिनका उत्तर दिया जाना है, समीक्षा की जा रही है और उन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। शीघ्र ही उत्तर भेज दिए जाने की आशा है।

हिमाचल प्रदेश में धातुओं का पता लगाने के लिए भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण

[हिन्दी]

1627. श्री महेश्वर सिंह : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया है;

(ख) इन स्थानों से किन-किन धातुओं का और कितनी-कितनी मात्रा में मिलने का अनुमान है;

(ग) जिन स्थानों में भारी मात्रा में धातुएं मिलने का अनुमान है, वहां खनन कार्य कब से शुरू कर दिया जायेगा ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) भारतीय भूर्वज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सर्वे किये गये क्षेत्र हैं :—किन्नौर जिले का अकपा-यांगथांग क्षेत्र, मंडी जिले का पंडोह-करसोग क्षेत्र तथा चम्बा जिले का डलहौजी क्षेत्र (टिन, टंगस्टन व लीथियम खनिजों हेतु) विलासपुर जिले की घुमराविन तहसील और सना जिले

का संलग्न क्षेत्र (स्वर्ण हेतु); कुल्लू जिले का गर्रा तथा सेज घाटियां (तांबे हेतु); सोलन जिले के पाधन और पनूह क्षेत्र (आधार धातुओ हेतु); सिरमूर जिले के अम्बोता-रानात क्षेत्र (सीसा-जस्ता हेतु)।

(ख) और (ग) इन क्षेत्रों में की जा रही खोज प्रारम्भिक है। ऐसे कोई महत्वपूर्ण निक्षेप नहीं मिले हैं, जिनका विदोहन किया जा सके।

महाराष्ट्र में पर्यटन के विकास के लिए सहायता

1628. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य में पर्यटन विकास के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा कार्य के लिए कितनी आर्थिक सहायता दी गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 1990-91 के दौरान निम्नलिखित स्कीमों को वित्तीय सहायता हेतु प्राथमिकता दी गई है :—

1. लटूर में यात्री निवास
2. टैन्ट आवास
3. कायानगर में पर्यटक परिसर
4. जलक्रीड़ा उपकरण
5. अतिरिक्त टैन्टों की खरीद
6. औरंगाबाद में यात्री केन्द्र
7. मेले एवं त्यौहार—पुणे में ग्रामीण क्राफ्ट केन्द्र
8. बौद्ध परिपथ—केरल में पर्यटक परिसर
9. एलीफेन्टा और बम्बई बन्दरगाह की समुद्री यात्रा के बीच केटरमेरोन चलाना।

(ग) राज्य सरकार से विस्तृत अनुमानों सहित परियोजना के प्रस्तावों की प्रतीक्षा है। अतः वित्तीय सहायता का अनुमान लगाना कठिन है।

महाराष्ट्र में लौह-अयस्क पर रायल्टी में वृद्धि

1629. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से लौह-अयस्क पर रायल्टी में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा लौह-अयस्क पर प्रस्तावित रायल्टी दरें निम्नलिखित हैं :

	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
(1) अयस्क डले		
(क) 65 प्रतिशत या अधिक लौह वाले	रु० 6	रु० 8
(ख) 62 प्रतिशत या अधिक किन्तु 65 प्रतिशत से कम लौह वाले	रु० 3.50	रु० 5
(ग) 60 प्रतिशत या अधिक किन्तु 62 प्रतिशत से कम लौह वाले	रु० 2.50	रु० 4.5
(घ) 60 प्रतिशत से कम लौह वाले	रु० 2	रु० 4
(2) अयस्क चूर्ण		
(क) चूर्ण (खनन तथा अयस्क आकार के समय उत्पादित चूरे सहित)		
(क) 65 प्रतिशत या अधिक लौह वाशे	रु० 3.50	रु० 5
(ख) 62 प्रतिशत या अधिक किन्तु 65 प्रतिशत से कम लौह वाले	रु० 2	रु० 4.50
(ग) 62 प्रतिशत से कम लौह वाले	रु० 1.50	रु० 4
(ख) 40 या कम लौह वाले निम्न श्रेणी अयस्क के परिष्करण और/या सांद्रण से प्राप्त सान्द्र	रु० 0.50	रु० 1.50

गत वर्ष के दौरान प्रसारित बाल फिल्म

1630. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान दूरदर्शन पर कितनी बाल फिल्में प्रसारित की गईं;

(ख) क्या सरकार का विचार और अधिक बाल फिल्में प्रसारित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) दूरदर्शन ने जून, 1989 से जुलाई, 1990 तक की अवधि के दौरान अपने राष्ट्रीय नेटवर्क पर 14 बाल फिल्में प्रसारित की हैं।

(ख) जहां तक संभव होता है दूरदर्शन का यथासंभव यह प्रयास रहता है कि अधिक संख्या में अच्छी किस्म की बाल फिल्में दिखाई जाएं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

वर्ष 1989 के दौरान अन्तरर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर जब्त किए गए सामान

1631. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 में और 1990 में जब तक दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विमान पत्तनों पर यात्रियों से जब्त किए गए सामान का ब्यौरा और मूल्य क्या है;

(ख) जब्त किए गए इस सामान की बिक्री से कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(ग) उन वस्तुओं का मूल्य कितना है जिन्हें अब तक नहीं बेचा गया है; और

(घ) इनको बेचने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा इस्पात का अधिक उत्पादन करने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

1632. **श्री उत्तम राठौड़** :

श्रीमती बासवराजेश्वरी :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा देश में इस्पात का कितना उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र को अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने तथा नई इस्पात परियोजनाओं की स्थापना करने की अनुमति देने का विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आठवीं योजना के अन्त तक गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा इस्पात का कितना उत्पादन किए जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान गौण उत्पादकों तथा टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लि० (टिस्को) द्वारा उत्पादित अपरिष्कृत इस्पात की मात्रा क्रमश: 31.3 लाख मी० टन तथा 33.2 लाख मी० टन थी।

(ख) और (ग) विद्युत चाप भट्ठी/ऊर्जा इष्टतमीकरण प्रौद्योगिकियों, जिसमें लघु धमन भट्ठियां शामिल हैं, पर आधारित 10 लाख मी० टन तक की इकाई क्षमता के गौण क्षेत्र में इस्पात बनाने की अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने की अनुमति देने के बारे में निर्णय लिया गया है। प्रोडक्ट-मिक्स तथा अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए उद्यमियों को संयंत्र के आकार के बारे में निर्णय लेने का विकल्प होगा । आठवीं योजना के अन्त तक गौण उत्पादकों तथा "टिस्को" द्वारा अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन क्रमश: 60 लाख मी० टन तथा 30.5 लाख मी० टन किये जाने की आशा है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की पदोन्नति

1633. **श्री अनादि चरण दास** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विभागीय पदोन्नति में राष्ट्रपति निदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को कोई छूट नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की कितनी बैठकें हुईं और कितनी बार इस समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के किसी भी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया;

(घ) 30 जून, 1990 को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में कुल कितने कर्मचारी थे और उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी; और

(ङ) बकाया आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन० एफ० डी० सी०) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को पदोन्नति हेतु उनके नामों पर विचार करने के लिए उन्हें विभिन्न ग्रेड देने में रियायत देता है ।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में वरिष्ठ सहायकों के स्तर तक की भर्ती और पदोन्नति के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समिति की 1982 से मार्च, 1990 तक 15 बैठकें हुई हैं । वर्ष 1983 से पूर्व तीन अवसरों पर विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोई सदस्य नहीं था । अप्रैल, 1983 में द्विपक्षीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति के एक सदस्य को नामित किया गया था जो उसके बाद आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की सभी बैठकों से संबद्ध रहा है ।

(घ) 30 जून, 1990 को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्टाफ संख्या 283 थी जिसमें 30 सदस्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं ।

(ङ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष भर्ती अभियान के अधीन आरक्षित पदों की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं और तदनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के तीन बकाया पद भरे जा चुके हैं ।

सिने कर्मचारी कल्याण निधि के लाभ संबंधी लेखापरीक्षा

1634. श्री जी० कृष्ण : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेकर ब्रीक्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स लन्दन द्वारा प्रस्तुत की गई लेखा परीक्षा

रिपोर्ट में गांधी फिल्म से हुए कुल लाभ में से 5 प्रतिशत राशि राष्ट्रय फिल्म विकास निगम को दिए जाने का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गांधी फिल्म से संबंधित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की अद्यतन लेखा परीक्षा रिपोर्ट लन्दन के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स से प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) अनुबन्ध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) "गांधी फिल्म के निवल लाभ की 5 प्रतिशत राशि, जो सिने आर्टिस्ट वेलफेयर फंड को दी जानी है, निवेशियों द्वारा लन्दन में अलग से रख ली गई है। न तो करार में और न ही लेखा परीक्षा रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त राशि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नाम जमा कर दी जानी चाहिए क्योंकि यह राशि एक अलग खाते में जमा की जानी है और जो संयुक्त खाते के निवेशियों के अनुदेशों के अधीन सिने आर्टिस्ट वेलफेयर फंड को दी जानी है। उक्त फंड के नाम और औचित्य को लेकर सर रिचर्ड एटनब्रो ने कुछ आपत्तियां उठाई हैं जिनके कारण इस जमा राशि का अन्तरण नहीं हो सका है।

(ग) और (घ) "गांधी" फिल्म के 31 मार्च, 1985 तक के परीक्षित लेखे प्राप्त हो चुके हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम बाद के वर्षों के परीक्षित आंकड़ों के लिए बाहर बार अनुरोध करता रहा है और उसे यह विश्वास दिलाया गया है कि बाद के वर्षों के परीक्षित आंकड़ों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस बीच, भागीदारों को देय राशियां जिनमें लाभ में से सिने आर्टिस्ट वेलफेयर फंड को दी जाने वाली 5 प्रतिशत राशि भी शामिल है, प्राप्त हुए परीक्षित लेखों के आधार पर जमा की जा रही है।

(ङ) सिने आर्टिस्ट वेलफेयर फंड को अन्तरित की जाने वाली लाभ की 5 प्रतिशत राशि सर रिचर्ड एटनब्रो के कहने पर रोकी जा रही है। सरकार स्थिति से भली-भांति परिचित है और "गांधी" फिल्म के निवल लाभ की 5 प्रतिशत राशि मांगने और उसे भारत में सिने आर्टिस्ट वेलफेयर फंड को अंतरिम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा निर्यात

[हिन्दी]

1635. **श्री हर्ष वर्धन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की निर्यात संवर्धन नीति भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर भी लागू होती है; और

(ख) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का कुल उत्पादन उसके उत्पादों की कुल बिक्री क्या रही और उसमें से कितने प्रतिशत का निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान हिन्दुस्तान लीवर लि० के उत्पादों का कुल उत्पादन, कुल निर्यात तथा उनकी प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

वर्ष	उत्पादन	निर्यातों का एफ० ओ० बी० मूल्य	प्रतिशतता
1986-87	रु० 829,87,10,000	रु० 52,51,14,129	6.33%
1987-88	रु० 911,10,69,000	रु० 60,45,55,934	6.63%
1988-89	रु० 10,21,85,91,000	रु० 36,69,83,921	3.59%

आनन्द भवन, इलाहाबाद में ध्वनि-प्रकाश कार्यक्रम शो की सुविधा

[अनुवाद]

1636. **प्रो० महादेव शिवनकर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आनन्द भवन, इलाहाबाद में "ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम' (सोन-एत-लुहारे) शो की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से उपलब्ध है और अब तक इस कार्यक्रम को कितने व्यक्ति देख चुके हैं;

(ग) किस फर्म ने इसके लिए उपकरण तैयार किए थे और सप्लाई किए थे इस पर कितनी लागत आई, भुगतान की क्या शर्तें थीं, शेष राशि कब अदा की जायेगी, शेष राशि के भुगतान में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और पूरी धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा;

(घ) उपकरणों की गुणवत्ता के बारे में किए गए मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले और क्या उसमें कोई कमी पाई गई है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संपत्ति में महिलाओं का अधिकार

1637. **श्री कल्पनाथ राय** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों ने हाल ही में की गई एक बैठक में यह अनुभव किया है कि संपत्ति आदि में महिलाओं के अधिकारों के संबंध में वर्तमान

कानून महिलाओं के पक्ष में नहीं है और उनके लाभार्थ इनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) महिलाओं के सामाजिक आर्थिक समूहों की बैठक में दिए गए सुझावों के ब्यौरे के विषय में कोई विनिर्दिष्ट कथन करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि उक्त बैठक की तारीख और स्थान के विषय में कोई संकेत नहीं दिया जाता। तथापि संयुक्त वैवाहिक संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार पर विधान के पुरःस्थान के लिए महिला समूहों से सरकार को सुझाव प्राप्त हुए हैं। संयुक्त वैवाहिक संपत्ति संबंधी विधि के अधिनियमन के लिए, अल्पसंख्यक समुदायों को लागू होने वाली स्वीय विधियों सहित अन्य विधियों में गहन परिवर्तन करने होंगे। सरकार की यह घोषित नीति रही है कि वह अल्पसंख्यक समुदायों की स्वीय विधियों में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करेगी जब तक कि उसके लिए स्वयं ऐसे समुदाय पर्याप्त रूप में पहल नहीं करते।

निर्माण स्थल सौंपे जाने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

1638. **श्री गंगा चरण लोधी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र के लिए निर्माण स्थल न सौंपे जा सकने के कारण अतिरिक्त व्यय के बारे में नियंत्रक- महालेखा-परीक्षक की 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट (1990 का 1) के पैरा 14 की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों की जांच करने की कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

लहसुन चूर्ण का निर्यात

[हिन्दी]

1639. **डा० महादीप सिंह शाक्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष 1989-90 तक लहसुन चूर्ण का किसी मात्रा में निर्यात किया गया और यह किन-किन देशों को निर्यात किया गया ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) :

भारत से लहसुन चूर्ण का निर्यात

देश का नाम		मात्रा (किलो)	मूल्य (रु०)
1987-88			
कनाडा		2770	71756
यू० के०		1000	22800
सिंगापुर		80	1924
	कुल	3850	96480
1988-89			
ताइवान		30000	496366
	कुल	30000	496466
1989-90			
यू० एस० ए०		500	22381
आस्ट्रेलिया		100	3500
पश्चिम जर्मन (जर्मन संघीय गणराज्य)		28000	350020
यू० के०		1600	40828
जापान		10000	160851
सिंगापुर		500	12381
बहरीन		300	12301
	कुल	41000	601492

अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में पूंजी निवेश

[अनुवाद]

1640. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनिवासी भारतीय प्रतिनिधियों ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ के साथ ओवरसीज इंडियन्स इकानोमिक फारम यू० ए० ई० की संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक में भारत में अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश सम्बन्धी अनेक प्रस्ताव दिए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) सरकार को अनिवासी भारतीयों और विभिन्न संस्थाओं से अनिवासी भारतीय निवेश से संबंधित प्रक्रियात्मक और नीति संबंधी मुद्दों पर अनेक सुझाव और अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। इन मुद्दो की संबंधित विभागों और संगठनों के साथ परामर्श करके जांच की जाती है और समुचित कार्रवाई की जाती है।

अनावश्यक वस्तुओं का आयात

1641. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1990 के अंग्रेजी "ब्लिट्ज" में प्रकाशित "प्रिवोलस इम्पोर्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें ऐसे 185 उत्पादों की एक सूची दी गई है, जो आवश्यक नहीं माने गये हैं और देश में अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध हैं; किन्तु सरकार ने उन उत्पादों के आयात की अनुमति दे रखी है;

(ख) क्या उपर्युक्त मदों का आयात करना विदेशी मुद्रा का अनावश्यक व्यय है; और

(ग) यदि हां, तो इनका आयात करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) जी हां।

वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत केवल उन मदों के आयात की अनुमति होती है जो घरेलू रूप से उपलब्ध नहीं होती हैं अथवा अगर उपलब्ध होती है तो उनकी मात्रा घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होती है। घरेलू रूप से उपलब्ध मदों के कुछ आयात की कभी-कभी अनुमति दी जाती है ताकि प्रौद्योगिकी को उन्नत किया जा सके और उद्योग को आधुनिक बनाया जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी कीमतों पर निर्यातों के लिए अन्तर्निविष्ट साधनों का प्रबंध करने के लिए भी कुछ आयात करना आवश्यक हो जाता है। तथापि, सरकार का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए इसलिए आयात प्रतिस्थापन पर अधिक से अधिक बल दिया जा रहा है।

पुणे में बम्बई उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना

1642. **डा० बौसत राव सोनूजी अहेर** : क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र सरकार से पुणे में बम्बई उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस खंड पीठ की स्थापना कब तक की जाएगी ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्व संग्रहण

1643. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा आय कर अधिनियम की धारा 28 में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किए जाने के कारण प्राप्त होने वाले राजस्व का अनुमान लगाया है, तथा यह सस्ती दरों पर निर्यातकों की पूंजी संबंधी मांग को पूरा करने में कहां तक उपयोगी सिद्ध होगा या इससे उनसे कर की वसूली मात्र की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण कुल कितना राजस्व प्राप्त होगा और निर्यातकों से कुल कितनी राशि वसूल की जाएगी और सरकारी कोष में कितनी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम की धारा 28 में संशोधन इस आशय के साथ किए गए थे ताकि निर्यात प्रोत्साहनों की राजस्व-प्राप्तियों के रूप में कर देयता के बारे में मौजूदा विधायी मंशा को स्पष्ट किया जा सके। विभाग का बराबर यह विचार रहा है कि किसी निर्यातकर्ता के द्वारा प्राप्त नकद क्षतिपूर्ति सहायता, शुल्क प्रति अदायगी तथा आयात-पात्रता लाइसेंसों से प्राप्त बिक्री-आय उसके हाथों में ही कराधेय है। चूंकि यह एक स्पष्टीकारक संशोधन मात्र था तथा उसका उद्देश्य अतिरिक्त राजस्व की बढ़ोत्तरी करना नहीं था, इसलिए, राजस्व वसूली का कोई अनुमान लगाया जाना आवश्यक नहीं था अथवा नहीं लगाया गया था। चूंकि विभाग निर्यात-प्रोत्साहनों को सदैव कराधेय मानता रहा है, इसलिए, उक्त संशोधन के कारण निर्यातकों की "पूंजी के स्राव" का प्रश्न ही नहीं उठता।

चिकित्सा उपकरणों का आयात

1644. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात और आयात नीति 1990-93 की घोषणा के पश्चात् इस देश को सभी जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों का आयात बन्द हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति के कारण जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों के आयात पर किस सीमा प्रभाव पड़ा है;

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नई आयात तथा निर्यात नीति में यह शर्त थी कि खुले सामान्य लाइसेंसों के अन्तर्गत जीवन रक्षक उपकरणों के आयातकों के पास बिक्री पश्चात् सेवा सुविधाओं से संबंधित आवश्यक

प्रमाणपत्र होना चाहिए, अब इसे केवल उन्हीं मामलों के लिए लागू किया गया है जहां एक मद 1 लाख रु० या उससे अधिक मूल्य की है।

राष्ट्रीय मंजूरी नीति

1645. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक ऐसी राष्ट्रीय मजूरी नीति तैयार करने का है जिससे कि विभिन्न संगठनों जैसे केंद्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, वित्तीय संस्थाओं वाणिज्यिक बैंकों आदि के कर्मचारियों के वेतनमानों में असमानता को दूर किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सरकार अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय सरकार के अधीन विभिन्न संगठित सैक्टरों में प्रचलित तुलनात्मक वेतन ढांचों का अध्ययन करने के लिए एक आयोग गठित करने की आवश्यकता की जांच कर रही है। परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उड़ीसा भाषा में "योजना" पत्रिका का प्रकाशन

1646. **श्री बालगोपाल मिश्र** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्रीश्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा भाषा में "योजना" (पाक्षिक) का प्रकाशन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके प्रकाशन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) जी, हां। इस प्रयोजन के लिए प्रकाशन विभाग के आठवीं योजना प्रस्तावों में प्रावधान किया गया है। तथापि, स्कीम का वास्तविक कार्यान्वयन परियोजना की व्यवहार्यता और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

पर्वतीय राज्यों को धनराशि का आबंटन

1647. **श्री के० एस० राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवें वित्त आयोग द्वारा धनराशि के आबंटन पर, पर्वतीय राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने हाल ही में एक-ज्ञापन में निराशा व्यक्त की है और केन्द्रीय सरकार से विशेष अनुदान की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो पर्वतीय राज्यों के मुख्य मन्त्रियों द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्वतीय राज्यों की मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय उप-मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) मुख्य मन्त्रियों/विशेष-वर्ग के राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा) ने नवें वित्त आयोग की रिपोर्ट से संबंधित मदों के संबंध में 17 जून, 1990 को प्रधानमन्त्री को एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने आयोग की दूसरी रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थीं। ये प्रतिक्रियाएं राज्यों की राजस्व प्राप्तियों को और राज्य उपक्रमों के योगदान को अधिक आंकने और राज्य राजस्व व्यय को कम आंकने, मानकीय राजस्व तथा व्यय के आकलन की प्रणाली, अंतरण और ऋण राहत की अपर्याप्त मात्रा, योजना राजस्व के अंतर को पूरा करने के लिए प्रावधान न करने, प्रशासन के स्तर के उन्नयन, विशेष समस्याओं, सातवीं योजना स्कीमों के लिए ब्याज तथा वचनबद्ध देयताएं आदि से संबंधित थीं। अतः वे यह चाहते थे कि राजस्व प्राप्तियों और व्यय का पुनर्निर्धारण वास्तविक आधार पर किए जाने और यह कि अंतरण को औचित्यपूर्ण ढंग से बढ़ाने की आवश्यकता है।

(ग) परम्परा और परिपाटियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नवें वित्त आयोग की सिफारिशों को पहले ही स्वीकार कर लिया है और इसमें अब कोई तबदीली लाने का इरादा नहीं है।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाएं। सन्तोष जी, बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हरीश रावत जी, आप क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। आपके सामने कोई सवाल ही नहीं है, पाइंट आफ आर्डर किस लिए है। आप पहले बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत : कृपया मुझे कुछ कहने की अनुमति दीजिए। (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : मैंने इस सम्बन्ध में कई नोटिस दिए हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दिया है। परन्तु मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : गोवा के मुख्यमंत्री के विरुद्ध श्रीमती मेनका गांधी ने एक याचिका पर फाइल में लिखा.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आपने नोटिस दिया है। परन्तु मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रक्रिया जानते हैं। आपने नोटिस दिया है। परन्तु मैंने अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

फैलीरो जी, मैं आपको कह चुका हूं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : गोवा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध उन्होंने फाइल पर आरोप लगाए हैं···**(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता चुका हूं, आपने एक नोटिस दिया है। उस पर मैं विचार कर रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न उठाने का यह तरीका नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न उठाने के नाम पर आपको कुछ कहने की अनुमति नहीं दी जाती।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : कृपया निदेश संख्या 118 (3) की ओर ध्यान दीजिए। अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों में निदेश संख्या 118 (3) के अधीन मैं यह पत्र सभा पटल पर रख** रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मुझे इसका अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : आपको नियमों की जानकारी है। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री कमल चौधरी का नाम लिया है।

(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : पश्चिम बंगाल की घटनाओं के बारे में क्या हुआ ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह राज्य का विषय है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

---

* कार्यवाही वृतांत में समिलित नहीं किया गया।

** अध्यक्ष महोदय ने बाद में आवश्यक अनुमति प्रदान नहीं की इसलिए पत्र/दस्तावेज को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा है कि व्यवस्था का प्रश्न है। कौन से नियमों का उल्लंघन हुआ है ?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : कृपया मेरी बात सुनिए। यह कार्यसूची है। आपने आज 'महिलाओं पर अत्याचार' विषय पर चर्चा की अनुमति दी है। यह उदाहरण पश्चिम बंगाल के एक भूतपूर्व सांसद का है जिसे पीटा गया था·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न नहीं है। पुजारी जी, आप एक मंत्री थे। आप जानते हैं कि यह व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाने का तरीका नहीं है। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री जनार्दन पुजारी : आपने 'महिलाओं पर अत्याचार' पर बहस की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न की आड़ में आप एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहते जिसकी मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री जनार्दन पुजारी : वह एक भूतपूर्व सांसद थीं।

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दे सकते हैं। मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : हमने एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहते हैं परन्तु व्यवस्था सम्बन्धी कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है कि जब-जब जिस नेचर के भी एडजर्नमेंट मोशन फाइल किये गए, उसका जवाब इस सदन में दिया गया। आज जो एडजर्नमेंट मोशन फाइल किया गया—चाहे वह वैस्ट बंगाल के साथियों न किया हो, या हरीश रावत ने किया हो, या कुमारमंगलम ने किया हो, कलकत्ता बंद के दौरान वहां जो हिंसा हुई, उसके सम्बन्ध में है। जिस प्रकार से पुलिस ने वहां लोगों के साथ ज्यादती की·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है।

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत : मैं नियम उद्धृत करूंगा और मैं विस्तृत विवरण भी उद्धृत करूंगा। मैं केवल उस बात का जिक्र कर रहा हूं कृपया मुझे उसका जिक्र करने की इजाजत दी जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वे इस तरह मुद्दा नहीं उठा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी है ।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कुछ फोटाग्राफ्स हैं जिन में 4-5 पुलिस वालों ने गरीब महिलाओं को पकड़ कर रहा है और एक आदमी उनको लाठी से पीट रहा है .....(व्यवधान).....यह एक दुखद विषय है । इसकी जितनी भी निन्दा की जाए वह कम है । .....(व्यवधान).....मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि जब हमने इतने सीरियस मैटर एडजर्नमैंट मोशन दिया हुआ है, मेहरबानी करके कम से कम इसका रैफ्रेंस तो यहां पर देना चाहिए कि उसके विषय में आपने क्या निर्णय लिया है । क्या आप उसे स्वीकार करने जा रहे हैं या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने बता दिया है कि मैंने वह स्वीकार नहीं किया है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, कलकत्ता में ऐसे जघन्य अपराध हों तो यह सदन उस पर चुपचाप नहीं बैठ सकता है । वहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है । आप मेहरबानी करके हमारे एडजर्नमेंट मोशन के विषय में कुछ कहने की कृपा करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात को सुन लिया है । आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : विनिर्णय क्या है और अध्यक्ष महोदय, मैंने जो दस्तावेज आपको दिए हैं उन पर आपने क्या कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आपने क्या किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है कि जो नोटिस आपने क्या दिया है उस पर मैं विचार कर रहा हूं ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या आपने टिप्पणियों के लिए कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे यह स्पष्ट करने के लिए नहीं कह सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं । मैंने आपको बताया है कि यह विचाराधीन है ।

श्री संतोष मोहन देब : महोदय, आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठे हुए हैं । आपसे यह आशा की जाती है कि आप न्याय करेंगे और आप सभी सदस्यों को उनके वाद का लिहाज किए बिना न्याय देते हैं । आपने विगत में सही अवसर पर सही बात की है । इस सभा में

एक राज्यपाल की रिपोर्ट के मुताबिक आपने कतिपय माननीय सदस्यों को एक राज्य विशेष का मुद्दा उठाने की अनुमति दी है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह आदिवासियों पर अत्याचार का प्रश्न था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनायें रखें।

श्री संतोष मोहन देव : मुझे अपने स्रोत एक विशेष संदेशवाहक से सूचना मिली है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में केन्द्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है···(**व्यवधान**) और समाचारों के अनुसार एक भूतपूर्व संसद सदस्य को पीटा गया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देव जी, आप एक वरिष्ठ सांसद हैं। एक व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए ऐसा नहीं करें।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने देव जी को अनुमति नहीं दी है।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री कमल चौधरी को अनुमति देता हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(**व्यवधान**)

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : महोदय, श्री सिमरनजीत सिंह मान ने इस सप्ताह की 11, 12 और 13 तारीख को पंजाब बंद का आह्वान किया है जिसके आगे के दो दिन उग्रवादियों ने बंद रखा है। पंजाब के लोगों ने विशेष रूप से होशियारपुर के लोगों ने उग्रवादियों और श्री सिमरनजीत सिंह मान द्वारा किए गए इन बन्द के आह्वान का विरोध किया है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पांच दिन दौरे में लगाए हैं। बंद पूरी तरह से असफल रहा था। लोगों ने अपनी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रखे। पंजाब सरकार बुरी तरह असफल रही है। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : यही सब कलकत्ता में हो रहा है।

श्री कमल चौधरी : 15 तारीख को होशियारपुर और दसुया में एक बम विस्फोट हुआ जिसमें लोग मारे गए थे और 10 अन्य घायल हुए थे। सरकार ऐसे उग्रवादियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है जो लोगों को आतंकित कर रहे हैं? सरकार ही इस देश में अपराधियों को संरक्षण प्रदान कर रही है। यह शर्मनाक बात है·····(**व्यवधान**) मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है। 15 अगस्त को प्रधान मन्त्री ने लाल किले पर भाषण दिया था। वह पंजाब पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही है। यह इस देश में इस प्रकार के अपराधियों को संरक्षण क्यों प्रदान कर रही है। (**व्यवधान**)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इसके बारे में आपको बता चुका हूं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आपने मेरी बात एक सेकिंड भी नहीं सुनी है। क्या आप एक मौका नहीं देंगे ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : आपने मेरा रिजैक्ट किया है, इनका थोड़े ही किया है।

अध्यक्ष महोदय : दोनों के एक ही विषय पर थे और आप जानते हैं, कैसा विषय है।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : हम दोनों की कांस्टीट्वेंसी के बीच में तीन हजार किलो-मीटर का फासला है। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, उन्होंने स्थगत प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है। इसलिए हम आपसे आशा करते हैं कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं। कृपया उन्हें बोलने की इजाजत दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बताया है कि मैंने इसकी इजाजत नहीं दी है।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : हमारी एक भूतपूर्व साथी है, उन्हें बुरी तरह पीटा गया। आपको इन भावनाओं से अवगत होना चाहिए। आप कृपया उनकी भावनाओं को समझें। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दें। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या प्रत्येक सदस्य को, जो स्थगन प्रस्ताव देता है, यहां बोलने की इजाजत दी जानी चाहिए ? क्या यह नियम है ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है कि मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष महोदय, आप उन्हीं की बात सुन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं सुन रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : आपने श्री विजय कुमार मलहोत्रा को बुलाया था फिर आपने इन सज्जन को कैसे बोलने की अनुमति दी ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सुनने के लिए सभा में शांति होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्र दत्त : आपको उन्हें बैठने के लिए कहना चाहिए । ये सज्जन सभा में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मुझे बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए । आप इससे इन्कार कर सकते हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं किया जाता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री विजय कुमार मल्होत्रा को इजाजत दी है । उन्हें बोलने दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलता हूं, आप इन्हें तो बैठाइए, तो मैं बोलू । किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें उन्हें सुनना चाहिए । कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : कृपया मुझे इस मुद्दे पर बोलने की इजाजत दी जाए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी नहीं सुन रहा हूं । मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कह रहा हूं । मैंने श्री विजय कुमार मल्होत्रा को इजाजत दी है ।

(व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : अध्यक्ष महोदय ने उन्हें बोलने की अनुमति दी है । उन्हें बोलने का अधिकार है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यय महोदय, अगर आपके आदेश का उल्लंघन होगा, तो मैं किसी को बोले बोलने दूंगा । आप जब किसी का नाम पुकारते हैं, तो कांग्रेस के लोग किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं । अगर इन्हें इसी तरह से करना है, तो मैं इनको एक मिनट नहीं बोलने दूंगा । सदन का संचालन किसी नियमावली के अन्तर्गत होता है और सदन के नियमों का पालन हर एक को करना चाहिए ।···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : वे सदन में अपना एकाधिकार स्थापित कर रहे हैं । इस सदन में हमारा तथा हमारे समर्थकों का भी उतना ही अधिकार है जितना कि विपक्ष के सदस्यों का । हम उनकी बात सुनेंगे । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अगर सदस्य मुझे सदन की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से नहीं चलाने देंगे तो मैं अगले विषय को ले लूंगा । अब श्री विजय कुमार मल्होत्रा बोलेंगे ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपना स्थान ग्रहण करने को कह रहा हूं । पाल साहिब, यह व्यवहार का उचित ढंग नहीं है । आप बैठ जाइए ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : हां, महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं । उस समय आप व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठा रहे थे ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने जा रहा हूं ।(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

[हिन्दी]

आप बैठ जायें । हम हाऊस को चला रहे हैं ।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : कृपया आज की विषय सूची की मद संख्या 14 देखिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इसे देख चुका हूं ।

श्री जनार्दन पुजारी : महिलाओं पर देश के विभिन्न भागों में हो रहे अत्याचारों के संबंध में चर्चा की अनुमति दे कर कल आपने एक नया पूर्वोदाहरण स्थापित किया है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। अध्यक्ष पीठ ने श्री पुजारी को अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

इनका प्वाइंट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप यह व्यवस्था का प्रश्न पांच मिनट पहले उठा चुके हैं। मैं इसे अस्वीकार कर चुका हूं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूं। अगर पश्चिम बंगाल माननीय मुख्यमंत्री के वक्तव्य का ध्यान से अध्ययन किया जाए तो उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि "पुलिस अपना उत्तरदायित्व निभाने में असफल रही है।" (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप किसी नियम अथवा प्रक्रिया का हवाला नहीं दे रहे हैं और ऐसे ही बोले जा रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : उन्होंने यह स्वीकार किया है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस एक महिला को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह क्या हो रहा है? हर चीज की कोई सीमा होती चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पुजारी साहिब, इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रतिदिन वे इसी तरह सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनका व्यवस्था का प्रश्न अस्वीकार कर दिया है। अब श्री विजय कुमार मल्होत्रा बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पुजारी जी, मैंने आपकी बात सुन ली है; और आपके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है।

श्री लोकनाथ चौधरी : जब कोई भी सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए यहां वक्तव्य देता है तो उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी, मैं इसे पहले ही अस्वीकार कर चुका हूं। सदन का समय बर्बाद मत कीजिए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यू० पी० एस० सी० की परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी और भारतीय भाषाओं को बनाने के बारे में इस सदन में आश्वासन दिया गया था। यहां पर सतीश चन्द्रा कमेटी स्थापित की गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट मई की महीने में दे दी थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद न तो इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया और न ही यहां पर भारतीय भाषाओं या हिन्दी के माध्यम से यू० पी० एस० सी० की परीक्षायें कराने के बारे में कोई कदम उठाया गया।

अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के 300 से ज्यादा सदस्यों ने यह लिख कर दिया है कि यू० पी० एस० सी० की परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में भी होनी चाहिए। अभी राज्य सभा के अधिकांश सदस्यों ने भी लिख कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हम यह नहीं कहते कि अंग्रेजी में परीक्षाएं न चलें, जो अंग्रेजी में देना चाहते हों, वे अंग्रेजी में दें, परन्तु जो भारतीय भाषाओं में परीक्षा देना चाहते हैं, हिन्दी, बंगला, तमिल आदि में परीक्षा देना चाहते हैं, उन पर प्रतिबंध क्यों लगाया हुआ है। केवल 2 प्रतिशत लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं, थोड़े से गिने-चुने लोग हैं, उन्होंने हिन्दुस्तान की सारी नौकरियों को अपना गुलाम बना रखा है, उन पर कब्जा कर रखा है।

अध्यक्ष महोदय, बार-बार सारे सदन ने इस बात को कहा है कि गांव के आदमी को नौकरी नहीं मिलती, शहर के गरीब आदमी को नौकरी नहीं मिलती, पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी नहीं मिलती, कैसे मिल सकती है जबकि यहां पर अंग्रेजी माध्यम से सारी बड़ी परीक्षाएं होती हैं। आप देखें कि यू० पी० एस० सी० की परीक्षाओं में, आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, फोरेस्ट सर्विसेस आदि में जितनी नौकरियां हैं, वह केवल 5-10 प्रतिशत उच्च लोगों के हाथ में बनी हुई हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह आपकी भाषा को भी महत्व देते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : यहां पर अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूल चलते हैं, उन पब्लिक स्कूलों से निकले हुए लोग ही इन नौकरियों को पा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कन्क्लूड करिए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपार्टेंट बात है, धरने दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने बीसियों बार आश्वासन दिए हैं। यहां पर बताया जाए कि रिपोर्ट के बारे में क्या हुआ। आज 44 साल हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मधु जी सुन रहे हैं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : जी हां, मधु जी यहां बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आज 44 साल हो गए हैं, इतने सालों के बाद भी भारतीय भाषाओं में परीक्षाएं नहीं हो सकतीं, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। मधु जी जिस मिनिस्ट्री से संबंधित हैं, उसके अंतर्गत भी बैंकों में, जीवन बीमा निगम में आज भी परीक्षाएं हिन्दी में नहीं हो रही हैं। बार-बार इस चीज का आश्वासन दिया गया, प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले से यह बात कही, क्यों नहीं आज भारतीय भाषाओं में परीक्षाएं होतीं इसके बारे में सरकार को शीघ्र घोषणा करनी चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं भी इसका समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, विजय जी ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, कई मरतबा सदन के कई माननीय सदस्यों ने इन विचारों को प्रस्तुत किया है। मैं उनको निश्चित तरीके से आश्वासन देता हूं कि जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, उस पर जल्द से जल्द विचार करके निर्णय लिया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, जो मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं, और जिसके बारे में मैंने आपको लिखा था, माननीय रेल मंत्री से संबंधित है जो यहां पर उपस्थित नहीं हैं। परन्तु, एक विशिष्ट पूर्व रेल मंत्री यहां पर अवश्य उपस्थित हैं जिससे प्रोत्साहित होकर मैं यह मामला उठा रहा हूं।

पिछले दो सप्ताह से खड़गपुर स्थित रेलवे कार्यशाला, जिसके बारे में उन्हें अच्छी जानकारी है तथा जहां पर लगभग आठ हजार लोग काम करते हैं, वहां पर कामकाज एकदम ठप्प है और उत्पादन नहीं हो रहा है। इसका कारण कार्यशाला के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध पिछले दिनों लगाये गए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। कुछ आरोपों के कारण कार्यशाला के मजदूर संघों के कुछ नेताओं को निलम्बित कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप, भण्डारण विभाग कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पिछले दो सप्ताह से काम रुका हुआ है, जिसके कारण दूसरे विभागों के लिए समान उपलब्ध नहीं हो पाया तथा सारा काम ठप्प हो गया है। मैंने पहले भी अभ्यावेदन दिया था। कि रेल मंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि मामले को बातचीत द्वारा निपटाया जा सके। वहां पर एक मान्यता प्राप्त यूनियन है जिसके बारे में कम से कम प्रो० मधु दण्डवते बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यह यूनियन प्रतिदिन मंत्रालय को तार भेजे रही है, जिसकी प्रतियां मुझे तथा दूसरे लोगों को भी भेजी जाती हैं, कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप की आवश्यकता है; अभियोग-पत्र वापिस लिया जाना चाहिए, निलम्बित लोगों को वापिस काम पर

लिया जाना चाहिए तथा मामले का निटारा बातचीत द्वारा किया जाना चाहिए। सारी कार्यशाला में, जो कि भारतीय रेल की सबसे बड़ी कार्यशाला है, पिछले दो सप्ताह से काम-काज बिल्कुल ठप्प पड़ा है। इसलिए, महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कदम उठाने चाहिए।

श्री विनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि दूरदर्शन द्वारा 'खुला मंच' नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कल, मुख्य अतिथि के रूप में रेल मंत्री का एक कार्यक्रम रिकार्ड किया गया था। मुझे पता चला है कि इस कार्यक्रम में कुछ कांट-छांट करने के प्रयत्न चल रहे हैं और इसे ऐसा रूप दिया जा रहा है जो सरकार के पक्ष में रहे।

अब महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार को यह अपील करना चाहता हूं कि या तो वे इसे खुला मंच रखें और जो भी उस कार्यक्रम में कहा जाता है, उसे उसी रूप में प्रसारित करें, और अगर वे उसमें कांट-छांट करना चाहते हैं, तो यह खुला मंच नहीं रह जायेगा। तब यह सरकारी मंच हो जायेगा। तब उन्हें इस कार्यक्रम का नाम बदल कर सरकारी मंच कर देना चाहिए धन्यवाद। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, मंत्री महोदय।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, मैं इसे स्वीकार करता हूं। इसमें कोई कांट-छांट नहीं होगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने नियम 222 के अन्तर्गत भी मोशन आपको दिया है। मेरा निवेदन है कि आप उसको मान्यता दें। सवाल यह है कि सदन के सदस्य की हैसियत से जो मेरा प्रोवीलेज बनता है, मेरा मानना है हमारे कानपुर जिले का प्रकाशन पूरी तरह से उसमें बाधा डाल रहा है। एक पूरा क्षेत्र है हमारी कांल्टीज्युएंसी में, उसके बीच में एक कारखाना है, जहां लोहिया के स्कूटर बनते हैं। उसके इर्द-गिर्द पूरे इलाके में मेरे प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इस हद तक इस प्रतिबन्ध को ले जाया गया है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा झण्डा फहराने के लिए जब मैं उस क्षेत्र में गयी, वहां पर मेरे वोटर इलाके में तमाम मजदूर हैं, वे इकट्ठे हुए, वहां पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, सिर्फ इसलिए कि मैंने उस प्रतिबन्धित क्षेत्र में प्रवेश किया है। मेरा यह मानना है, जो मेरे कर्तव्य हैं, एक जन प्रतिनिधि की हैसियत से, उनको निभाने में जिला प्रशासन लगातार रुकावट डाल रहा है, बाधाएं खड़ी कर रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे तमाम अधिकारों के संरक्षक हैं, इस हैसियत से आप इस मामले को कृपा करके प्रीवीलेज कमेटी को रैफर कर दें और मेरे जो अधिकार हैं वे मुझे वापिस दे दें।

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, कार्य मंत्रणा समिति तथा नेताओं के बीच हुई सहमति के अनुसार हमें इस शून्य काल को 12.30 म० प० पर समाप्त करना है और दूसरे विषयों पर चर्चा आरम्भ करनी है ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, ऐसी कोई सहमति नहीं हुई है । (**व्यवधान**) मेरे विचार में जो कुछ हुआ, उसकी आपको जानकारी है । (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्रीमती सुभाषिणी अली : आपके सदन के सदस्य को स्वतंत्रता दिवस पर भी अपने क्षेत्र में तिरंगा झण्डा फहराने की इजाजत नहीं है । आप अपनी रूलिंग दें कि आप इस मोशन को मूव कर रहे हैं या नहीं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, सम्मानीय सदस्या ने जो बात कही है, उसके बारे में आपने कहा कि विचाराधीन है । मैं जानना चाहूंगा कि अगर इनको गिरफ्तार किया गया तो क्या यह सूचना आपको और सदन को दी गयी ? (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

डा० देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । (**व्यवधान**) आज एक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है । यह आपके विवेक पर है कि आप इसकी अनुमति दें अथवा नहीं । परन्तु मैं आपका ध्यान नियम 60 के परन्तुक की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मैं इसे आपकी जानकारी के लिए पढ़ रहा हूं :

> "परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 56 के अन्तर्गत अपनी सम्मति देने से इंकार कर दिया हो या उसकी राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय निमानुकूल नहीं है तो यह यदि आवश्यक समझे, उस प्रस्ताव की सूचना पढ़कर सुना सकेगा और सम्मति देने से इन्कार करने या प्रस्ताव को नियमानुकूल न ठहराने के कारण बता सकेगा" (**व्यवधान**)

महोदय, मैं आपसे अपने विवेकाधिकार के प्रयोग का निवेदन कर रहा हूं क्योंकि एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है । भूतपूर्व संसद सदस्या, कुमारी ममता बनर्जी कल के कलकत्ता बन्द में गंभीर रूप से जख्मी हो गयी थीं, इस बात को स्वयं मुख्य मन्त्री ने स्वीकार किया है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी सहमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री देवी प्रसाद, इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । कृपया बैठ जायें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी का एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पाल, मैंने आपकी बात सुन ली है और मैंने आपका व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, आपने पूरी बात नहीं सुनी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन ली है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात दोहरा रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम, कृपया बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह एक तर्कहीन अव्यवस्था है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पाल, क्या आप बैठ जायेंगे ? मैंने आपका व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया है और मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी ।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यह तर्कहीन अव्यवस्था है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पाल, नहीं। कृपया बैठ जाएं। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पाल, क्या आप कृपया बैठ जायेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पाल, आपका भाषण कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : मैंने कई बार आपसे निवेदन किया है कि आप बैठ जाएं। आपको बैठना पड़ेगा। श्री सैफुद्दीन चौधरी, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैं नियम 376 के अधीन इस व्यवस्था के प्रश्न को उठा रहा हूं। कुछ माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित कुछ मुद्दों को सभा में उठाने का प्रयास कर रहे थे और आपने उन्हें खारिज कर दिया है। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि इसे कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित किया गया है अथवा नहीं। (व्यवधान) कल कांग्रेस (आई) द्वारा कलकत्ता में बन्द का आह्वान किए जाने से जो कुछ वहां हुआ, उसके बारे में और हिंसा के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : माननीय सदस्य अब जो कुछ कह रहे हैं, क्या वह भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित किया जा रहा है ? (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस बात का निर्णय माननीय अध्यक्ष करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी, आप बैठिए। अब मैं श्री भोगेन्द्र झा को बुला रहा हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। कल जो हिंसा हुई, वह अति निन्दीय है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मेरा यह कसूर है कि मैं किसी को बाधा नहीं पहुंचाता इसलिए मुझे बोलने नहीं देते। मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप कितनी भी बाधा डालें, लेकिन मैं किसी को बाधा नहीं पहुंचाऊंगा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : खड़े हुए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका और श्री पाल दोनों का व्यवस्था प्रश्न अस्वीकार कर दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : मैं चाहता हूं पुजारी साहब भी पूजा कर लें और मेरी बात सुनें। अध्यक्ष जी, मैं सारे सदन से और आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अभी नौकरियों में आरक्षण का जो एलान हुआ है मोटे तौर पर उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन मोटे तौर के अलावा दो बातों का स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। बिहार में इसको लेकर आग लगी हुई है और यह फैलाती जा रही है। तीन व्यक्ति मर गए हैं और आज मैं उस क्षेत्र में जा रहा हूं तो मुझे अन्दाज है कि जब मैं तीन जगह जनसभाएं करूंगा, पता नहीं क्या होगा। हमारे समाज में सामाजिक रूप से शोषित लोग, आर्थिक रूप से शोषित लोग रहे हैं। आज तक हम बेकारी का सवाल हल नहीं कर सके। अभी हमारी सरकार ने सभी लोगों को काम की गारंटी देने का एलान किया था उसके विषय में कोई भी विधेयक की चर्चा नहीं हुई इस सदन में और बाहर, इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर विधेयक लाया जाये, हमने जो अखबारों में देखा है कि सूचना जारी हो गई है, मगर विस्तार में बात नहीं हुई है। हम पिछड़ेपन की बात करते हैं तो इसको दूर भी किया जाना चाहिए। पिछले 55 वर्ष में मैंने मेरे जैसा आदमी नहीं देखा जिसने इन लोगों के लिए इतना खून बहाया हो जो कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मैं ऐसे किसी दूसरे आदमी का नाम जानना चाहूंगा जिसने मेरे जितना खून बहाया हो। अगर आर्थिक सीमा नहीं दी जाएगी तो जो करोड़पति हैं वे ही फायदा उठायेंगे और सामाजिक, शैक्षणिक रूप से शोषित लोग शोषित ही रह जायेंगे तथा पुश्त दर पुश्त रह जाएंगे। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर हमारे बीच में नहीं हैं। वह मुख्य मन्त्री थे तब बड़ा हंगामा हुआ था और सवा सौ से ज्यादा लोग मारे गए थे। अन्त में हमारी राय से समाधान हुआ। मैं चाहूंगा, मधु जी यहां बैठे हैं, उसको मंगा लें, वह एक आदर्श होगा। उसमें धनी वर्ग को छोड़कर बाकी सभी वर्गों के लोग शामिल हैं, महिलायें भी शामिल हैं, जो ज्यादा पिछड़े हैं वे भी हैं। मैं चाहूंगा उसको मंगा लें ताकि जो सामाजिक उत्पीड़न है उसका हम मुकाबला कर सकें। ऐसा न हो कि जो निर्धन हैं वे निर्धन रह जायें और शोषक-शोषक के बीच में लड़ाई हो। अगले शोषक और पिछले शोषक आपस में समाज को बांटेंगे और जैसे पंजाब में हो रहा है, समूचे देश में गृह युद्ध न भड़क जाये। इसलिए सरकार अक्ल से काम करे, सभी से सहयोग ले, विरोध वालों से सहयोग ले। जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम एकमत से आगे बढ़ें और सबके लिए समान आजादी की स्थापना करें। इसके लिए सरकार अवश्य कदम उठाये।

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। पौने घंटे से मैं हाथ खड़ा कर रहा हूं, लेकिन आपकी नजरें इधर नहीं देखतीं। मैं बड़ा गम्भीर मामला आपके सामने रखना चाहता हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े सीरियस मैटर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले यह बताइये कि किस रूल या प्रोसीजर के उल्लंघन होने की बात आप कर रहे हैं, अपना प्वाइंट ऑफ आर्डर रेज कर रहे हैं।

श्री भजन लाल : मैं आपसे अपील करता हूं कि आप पहले सुनने की कृपा तो कीजिये, जब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। हम सब यहां किसी कायदे कानून के मुताबिक ही तो बैठे हुए हैं। ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा ही हीनियस, सीरियस और दुखदायी काण्ड हमारे यहां हुआ है, जिसकी तरफ मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।···(व्यवधान)

आप लोग सुनने की कोशिश तो कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : हां, बताइये।

श्री भजन लाल : हमारे यहां एक नौजवान 16 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं हैं, आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, एक 16 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और आप कहते हैं कि यह सीरियस मामला नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है, आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री भजन लाल : वह लड़की अपनी अन्धी मां के साथ आ रही थी और उसे रोक कर, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि आप बैठ जाइये, यह कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री भजन लाल : यह वाकया बहुत ही गम्भीर है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री भजन लाल : पुलिस की गोली से 8 आदमी मारे गये और अनेक जख्मी हुए हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : राव वीरेन्द्र जी, यह रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आप बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है तो आप व्यर्थ क्यों खड़े हो रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इन्हें कुछ भी कहने की इजाजत नहीं दे रहा हूं, कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है? आप यह व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के अधीन उठा रहे हैं?

श्री तरित बरण तोपदार : जिस नियम के अधीन आपने शून्य काल की कार्यवाही चलाना स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय : कोई शून्य काल नहीं है, आप इसे जानते हैं।

हमें श्री आडवाणी की बात सुननी चाहिए।

श्री तरित बरण तोपदार : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी सभा को यह सुनिश्चित करना चाहिए और आपको भी सभा की कार्यवाही इस प्रकार चलानी चाहिए"'।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को मैं जानता हूं कि सदन की कार्यवाही किस प्रकार चलानी है।

श्री तरित बरण तोपदार : आपको सभा की कार्यवाही इस प्रकार चलानी चाहिए कि कांग्रेस (आई) के किसी भी विधेयक को पारित न होने देने सम्बन्धी निर्णय को निष्फल किया जा सके। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, इस सत्र के पहले दिन ही प्रधानमन्त्री जी ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था और उस सदन में जो परम्परा है, उसके अनुसार, वहां इस आरक्षण के प्रश्न को लेकर लगभग दो-ढ़ाई घण्टे स्पष्टीकरण के नाम पर बहस-सी हो गयी थी लेकिन इस सदन में उस पर कुछ विचार-विमर्श नहीं हो सका। मुझे बहुत खुशी है जब मेरे साथी श्री जोगेन्द्र जी ने इस प्रश्न को हमारे सामने उठाया और ऐसे परिप्रेक्ष्य में रखा है, जिस पर अगर यह सरकार पहले विचार करती और उसके बाद कोई वक्तव्य देती तो वह ज्यादा अच्छा होता। मैं यहां कोई रहस्योद्घाटन नहीं कर रहा हूं जब मैं यह कहूं कि मेरे इस तरफ के साथी और मेरी राय यह थी कि इस बारे में कोई वक्तव्य देने से पहले पूरी तरह से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए था, सभी के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए था, विपक्ष से भी बात की जानी चाहिए थी और तब कोई निर्णय लिया जाता क्योंकि इसके गम्भीर और दूरगामी परिणाम देश के लिए हो सकते हैं। आज जैसी प्रतिक्रिया देश भर में हो रही है, वह उचित नहीं कही जा सकती।

[अनुवाद]

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : मैं इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रधानमन्त्री जी इस विषय पर आगे का कोई निर्णय करें या कोई नोटिफिकेशन जारी करें या कोई कानून लायें, उससे पहले सदन के सभी पक्षों से सलाह मश्वरा करें और तब कोई कदम उठायें।

मैं स्वयं, मेरी पार्टी इस मत की है कि आरक्षण का कोई भी प्रस्ताव, अगर बढ़ाना है, तो उसमें आर्थिक आयाम जरूर जोड़ना चाहिए।

12.50 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए कि आरक्षण के नाम पर जो वास्तव में पिछड़े हुए हैं, वे तो पिछड़े ही रह जाएं और कुछ लोगों को लाभ पहुंच जाए।

उपाध्यक्ष जी, मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि वक्तव्य हुआ है और उसके कुछ परिणाम भी इधर-उधर हुए हैं, उनको भी शान्त करना है और समाज में विश्वास पैदा करना है कि जो कुछ भी होगा, वह सही दिशा में होगा, और जो शोषित हैं, उन्हीं को लाभ होगा। इस दृष्टि से इस मामले में दलगत विचारों का बिलकुल परित्याग करके एक नैशनल कंसेंशस करके ही कदम उठाना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

श्री दिनेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय आडवाणी जी की भावनाओं का मैं स्वागत करता हूं। भोगेन्द्र झा जी ने जो कहा, उनकी भावनाओं का भी स्वागत करता हूं। आरक्षण का एक ऐसा मामला है जिसमें कि सरकार को सब दलों से परामर्श करके ही वक्तव्य देना चाहिए था और उसी हिसाब से इस सदन में भी उस पर बातचीत होनी चाहिए थी, जिस तरह से उन्होंने इस मामले को रखा है, उससे मुझे एकत्व बनाने का उनको कोई इरादा नहीं दिखता है। उन्होंने यह काम केवल अगले चुनाव को देखते हुए ही किया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : उपाध्यक्ष महोदय, गत दो सप्ताहों में इस सभा के सभी वर्गों ने हमारे भारतीय नागरिकों को कुवैत में जिस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में गहरी चिन्ता व्यक्त की है। आज वित्त मन्त्री महोदय के यहां मौजूद होने के कारण, मैं एक पहलू पर प्रकाश डालना चाहता हूं जिस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना कि दिया जाना चाहिए था। कुवैत के 'दीनार' में अचानक गिरावट आयी है। यह अभी भी वैध मुद्रा है। परन्तु भारत के लोग कुवैत में कोई वस्तु खरीदने में समर्थ नहीं हैं। मेरे विश्वास के अनुसार हमारे विदेश मन्त्री महोदय आज किसी समय बगदाद के दौरे पर जा रहे हैं। मैं सरकार और विशेषकर प्रो० दण्डवते जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमारे विदेश मन्त्री महोदय को इस बात की सलाह दें कि वे कुवैत के दीनार को इराक के दीनार में परिवर्तन की सम्भावना पर विचार-विमर्श करें जिससे कि कुवैत में रह रहे हमारे लोग अपनी दिन-प्रतिदिन की जरूरत की वस्तुएं खरीद सकें। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुवैत के दीनार की कीमत कम हो गयी है और अब इसकी कोई क्रय शक्ति नहीं रह गयी

है। मैं माननीय वित्त मन्त्री से इसका जवाब चाहता हूं और वे हमें यह बताएं कि क्या भारत सरकार उस दिशा में कोई कार्यवाही कर रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, श्री आडवाणी जी और श्री भोगेन्द्र झा जी ने जो कुछ कहा है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। यह मामला गम्भीर है। यह ऐसा विषय है जिस पर सरकार द्वारा गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है और यह सच है कि माननीय प्रधानमन्त्री द्वारा इस घोषणा के पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ कोई चर्चा नहीं की गई थी। हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। यहां तक कि विद्यार्थियों के कष्ट भी वास्तविक हैं। उनके पास इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हैं। उन्होंने भी इस विषय पर आंदोलन शुरू कर दिया है। हम निश्चित तौर पर चाहते हैं कि ऐसे शोषित लोगों को हर प्रकार की सहायता दी जाये जिन्हें आवश्यकता है जो अति दरिद्र स्थितियों में रहते हैं और उन्हें सरकार से कुछ सुरक्षा और मदद की आवश्यकता होती है। किन्तु यह ऐसा विषय है जिसका निर्णय यथासम्भव अधिकतम लोगों की सहमति से लिया जाना चाहिए।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना कि इस विषय में सभी राजनैतिक दलों के साथ समुचित चर्चा की जानी चाहिए और कोई भी दल इसका राजनैतिक लाभ न उठा सके, जैसाकि किया जाता है। इसका समाधान खोजने के लिए भरसक प्रयास किए जाने चाहिए ताकि देश में प्रत्येक वर्ग के लोगों को अपने विकास और प्रगति के अवसर मिल सकें और किसी विशेष लोगों के पक्ष में कोई विशेष छूट दिए जाने से पहले कोई आधिक मापदण्ड निर्धारित कर लिया जाना चाहिए। इसलिए, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस विषय में वे उचित कदम उठाएं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप गवर्नमैंट की साइड के हैं, आपकी तरफ से गवर्नमैंट बोलती है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए किन्तु उस तरह नहीं जैसा राज्य सभा में कहा गया, कि 40 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिए जायें।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए। श्री आडवाणी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा की जाये।

श्री वसन्त साठे : श्री आडवाणी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं सदन में इस पर चर्चा किए जाने के सुझाव का समर्थन करना चाहूंगा, यह किसी भी तरीके से हो जो सरकार को मान्य हो, चाहे नियम 193 के अधीन, या 184 के अधीन, क्योंकि यह ऐसा विषय है जिस पर देश के हित को ध्यान में रखते हुए, चर्चा की जानी चाहिए और निष्पक्ष व शान्त भाव से विचार किया जाना चाहिए।

कोई भी समझदार व्यक्ति देश के कमजोर वर्गों और पिछड़ी जातियों को सहायता दिए जाने के सुझाव का विरोध नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 16 में प्रयुक्त शब्द ...

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम इसके विस्तार में जा रहे हैं?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा की जाए ।

श्री बसन्त साठे : नहीं, महोदय, मैं कह रहा हूं कि यहां पर 'पिछड़ी जातियां' शब्द प्रयुक्त किया गया है । विशेष रूप से, संविधान में जाति का हवाला केवल अनुसूचित जातियों के मामले में दिया गया था । इसलिए भेद काफी स्पष्ट है : कृपया, हमें देश की इतनी जातियों में बांटना और इस देश में जाति-युद्ध आरम्भ नहीं करना चाहिए । केवल इसलिए मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं और कहता हूं····(व्यवधान)····कि कोई आर्थिक मापदण्ड, यदि कोई है तो, मददगार साबित होगा । हमें इस पर निष्पक्ष भाव से चर्चा करनी चाहिए । मैं यही करना चाहता हूं ।···(व्यवधान)···क्या सरकार लोकप्रियता की खातिर देश को जाति-युद्ध में झोंकना चाहती है ।···(व्यवधान)···मैं इसी बात का पता लगाना चाहता हूं ।····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण कुमार, यह सही नहीं है । आप माननीय सदस्य को बोलने से क्यों रोक रहे हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

राव बीरेन्द्र सिंह (महेन्द्रगढ़) : उपाध्याय महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है, इसके ऊपर तो बड़ी बहस की जरूरत है, इस तरह के बयानात देने से तो कास्ट वार बढ़ती है । मैं तो हमेशा हाउस का बहुत कम वक्त लेता हूं लेकिन आज ऐसे मामले को सदन में रखना पड़ रहा है जिसके ऊपर सारे देश को चिन्ता हो गई है ।

1.00 म० प०

कल मेरे हल्के में एक ऐसा दर्दनाक और शर्मनाक वाकया हुआ जिसके ऊपर मैं यकीन रखता हूं कि सारी सभा विचार करेगी और इसकी मजम्मत करेगी । रेवाड़ी स्टेशन से पेसेंजर ट्रेन नम्बर-2 रेवाड़ी-हिसार जो कि सुबह चालू हुई, रेलवे पुलिस के दो सिपाही जो ड्यूटी पर थे मुसाफिरों की हिफाजत के लिए, उन्होंने एक कमसिन लड़की को उसके मां-बाप, भाई-बहन से अलग डिब्बे में बैठने को कहा । मां ने साथ बैठने की जिद् की । चलती ट्रेन में दिन-दहाड़े गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के दो सिपाहियों ने उस लड़की की इज्जत लूटी । जब कोसली रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो उसकी मां चीखी-चिल्लायी मुसाफिर इकट्ठे हो गये और नजदीक के लोग और पास के बाजार के लोग सब वहां इकट्ठे हो गये । उन्होंने रेलवे पुलिस के दोनों सिपाहियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया । पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने से इंकार कर दिया और ट्रेन चलाने की इजाजत दे दी । लोगों ने रुकावट डाली और ऐजिटेशन किया कि इनको आप ट्रेन से कैसे भेज रहे हैं । पुलिस ने यह कह कर कि यह ड्यूटी पर हैं, कोई ऐक्सन इनके खिलाफ नहीं ले सकते हैं, उनको उसमें जाने दिया । लोगों को इस पर गुस्सा आया और उन्होंने पथराव किया । बजाय इसके कि उन जालिमों को सजा देने की कोई कार्यवाही की जाती, पुलिस ने बेतहासा सैकड़ों गोलियां चलायीं । सात आदमी मौके पर ही मारे और दर्जनों आदमी अस्पताल में पड़े हैं । यह एक ऐसा वाकया है जिस पर सरकार को भी शर्म आनी चाहिए । सरकारी की तरफ के कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए । जिससे मुसाफिरों की हिफाजत हो सके । कोई भी इज्जतदार आदमी ऐसे में अपने बाल-बच्चों को लेकर ट्रेन में सफर नहीं करना चाहेगा । मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि मामला बहुत नाजुक बन गया है । इसको लेकर लोगों में बहुत गुस्सा और जोश है । उस इलाके के सब शहरों में आज हड़ताल हो रही है । इसके कारण लॉ एंड आर्डर की हालत बहुत बिगड़ सकती है । रेलवे मिनिस्टर को मौके पर जाना चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए । ऐसे वाकयात दोबारा न हो जाये इस बात का ध्यान रखना होगा । कहीं ऐसा न हो कि हरि-

याता के लोग भी मजबूर होकर कानून को अपने हाथ में ले लें, आप उन जालिमों को सजा दें। रेलवे पुलिस का डिसिप्लन ठीक करने की कोशिश भी सरकार की तरफ से होनी चाहिए।

मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर सरकार का बयान देगी, पूरी इनक्वायरी करायेगी, होम मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर पूरी जानकारी हासिल करेंगे और हमें बतायेंगे कि किस तरह से इन वाकयात को आईंदा रोकने के लिए रोकथाम की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यही बात मैंने कहनी थी लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया।....(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल कर लिया गया था।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया गया है।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरा निवेदन है कि आपने उसे बोलने की अनुमति दी थी, तो उसे भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, आप कृपया समझने की कोशीश करें कि यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया गया है। उन्होंने जो कहा वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया गया है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय ने इसे पहले ही अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि कोई वक्तव्य दिया था। किन्तु आप आश्वस्त रह सकते हैं कि इस विषय पर जो सुविधा राव बीरेन्द्र सिंह को दी गइ है वही इस ओर के माननीय सदस्य को भी दी जानी चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय के साथ इस पर चर्चा करूंगा और हम एक उचित निर्णय लेंगे....

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : मैं एक निवेदन करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस समस्या का समाधान करूंगा।

श्री वसंत साठे : कृपया उन्हें अनुमति दें।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर नहीं है....

(व्यवधान)

श्री भजन लाल : अगर नहीं है तो आप मुझे बोलने की इजाजत दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका वक्तव्य भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा। मैं इस पर माननीय अध्यक्ष के साथ चर्चा करूंगा।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेहरबानी करके देख लीजिए। उसके बाद होम मिनिस्टर साहब का जवाब दें तो अच्छा रहेगा। अगर वह पार्ट ऑफ रिकार्ड है तो ठीक है, नहीं तो मुझे बोलने की इजाजत दीजिए। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : आप रिट्रास्पैक्टिलवली कैसे रिकार्ड करायेंगे ?

[अनुवाद]

यह अधिक सही होगा कि आप श्री भजन लाल को अनुमति दें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में चिन्ता न करें।

श्री वसंत साठे : इसे भूतलक्षी प्रभाव से अनुमति देनी ही होगी।

श्री आर० गुंडू राव (बंगलौर दक्षिण) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत अजीब स्थिति है। दो सदस्यों ने सदन में अपने विचार प्रकट किए हैं और माननीय अध्यक्ष यहां थे। मैंने वास्तव में नहीं सुना कि उन्होंने उस विषय पर क्या कहा था। श्री भजन लाल ने जो कहा है उसे टेप कर लिया गया है। मैं माननीय सदस्य से इसकी चर्चा करूंगा और राव बीरेन्द्र सिंह ने जो कहा है वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित कर लिया गया है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि दोनों सदस्यों को एक समान अवसर मिले।

श्री वसंत साठे : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आर० गुंडू राव : मेरा मुद्दा भिन्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से विशेष अनुमति ली थी और मुझे तब तक नहीं बोलने दिया गया जब तक आपने मुझे अनुमति नहीं दी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या हुआ था। हमारे पास यहां कुछ लिखित नहीं है। आपने बिना पढ़े कुछ कहा था।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कह रहा था, वह लिखकर भेजी हुई है, तभी मैंने इजाजत मांगी थी, बोलने के लिए और स्पीकर साहब ने बोलने की इजाजत दी थी। (व्यवधान)

श्री जे० पी० अग्रवाल (चांदनी चौक) : कल दिल्ली में भी ऐसा ही हादसा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक सैकिण्ड दे दें। पुलिस ने लोगों को मारा तक। कल एक आदमी की जान गई, उस पर बस चढ़ा दी और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस वालों ने उनको मारा, उनको डण्डों से मारा। उनमें से एक आदमी अस्पताल में है····

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : एक समय में केवल एक ही सदस्य बोल सकता है। हमें सुनना चाहिए कि मन्त्री महोदय क्या कहते हैं।

[हिन्दी]

मैंने उनको बुलाया है। आपने जो कहा है। वह रिकार्ड पर गया है। इसके अलावा और क्या चाहिए आपको।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अग्रवाल जी, कृपया बैठ जाइए। अब आप जो कुछ भी कहेंगे वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : राव बीरेन्द्र सिंह उस घटना का जिक्र कर रहे थे जब दो पुलिस कर्मियों ने एक लड़की के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की और इस बारे में बहुत होहल्ला हुआ। रेलवे यात्री बहुत व्यथित थे और जब रेलवे स्टेशन के लोगों की इस घटना का पता लगा तो बहुत उपद्रव हुआ। पुलिस ने इस स्थिति का सावधानी से सामना नहीं किया, उन्हें इन दो पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए थी और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। इस प्रकार वे स्थिति पर नियन्त्रण रख सकते थे। ऐसा करने के बजाय उन्होंने रेलवे पुलिस कर्मियों को जाने दिया और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। इसलिए, इतना होहल्ला हुआ और हजारों लोग एकत्र हो गए। वहां पर पुलिस द्वारा गोली-बारी भी हुई। यह एक गम्भीर मामला है। इन दोनों पुलिस कर्मियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जायेगी और जांच पड़ताल भी की जायेगी। जहां तक लोगों पर पुलिस द्वारा गोलीबारी का प्रश्न है, मैं हरियाणा के मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले कि जांच पड़ताल करें···· (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : न्यायिक जांच।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : इस पुलिस गोलीबारी के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, जांच के पश्चात् उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी···· (व्यवधान)

श्री राजमंगल पांडे (देवरिया) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मन्त्री महोदय को अपना भाषण समाप्त करने दें।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : यदि रेलवे पुलिस के लोग इस प्रकार व्यवहार करेंगे तो बहुत लोगों को कष्ट होगा। इसलिए, राज्य पुलिस के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जहां तक राज्य पुलिस की भूमिका का प्रश्न है, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि मैं मुख्य मन्त्री से बात करूंगा और तुरन्त जांच का आदेश दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजमंगल पांडे, मैं आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजमंगल पांडे : मान्यवर, गृह मंत्री जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स के दो कान्स्टेबल्स ने एक लड़की के साथ मोलेस्ट करने की कोशिश की, जैसी कि उन्हें इत्तिला भी मिली है। इसके बावजूद भी उनको अरैस्ट नहीं किया गया, बल्कि उनको यह कह कर के, बहाना बनाकर के ड्यूटी पर जाने का मौका मिला। जहां पर इतना बड़ा कमोशन हुआ, जनता के मन में इतना बड़ा भय हुआ, इसके बावजूद भी कोई सख्त कार्यवाही न किया जाए···(**व्यवधान**)···हम पुलिस से क्या उम्मीद कर सकते हैं और आप इन्क्वायरी की बात करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इस बात के लिए आश्वासन दें कि कोई-न-कोई जुडिशियल इन्क्वायरी हायर लैवल पर करायेंगे ···(**व्यवधान**)···उस पुलिस डिपार्टमेंट पर, मेरा ख्याल है कि हम लोगों को विश्वास नहीं है।···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुंडं राव।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने श्री गुंडू राव को बोलने के लिए कहा है।

श्री आर० गुंडू राव : पिछले एक सप्ताह से बंगलौर शहर में पैट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की काफी कमी है। लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

दंडवते जी, मैं बैंगलौर सिटी की बात कर रहा हूं। एक हफ्ते से बैंगलौर सिटी में पैट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, केरोसीन नहीं है।

[अनुवाद]

सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों को और फैक्टरी में काम करने वाले श्रमिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग तथा गरीब लोग सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में खड़े रहते हैं। लेकिन उन्हें मिट्टी का तेल, पैट्रोल तथा डीजल नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से न तो पेट्रोलियम मंत्रालय और न ही अन्य संबंधित मंत्रालयों द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही की गई है। मैं सरकार से इन मदों की न्यूनतम सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप इन मदों की अधिक मात्रा में सप्लाई नहीं कर सकते तो इनकी कुछ मात्रा अवश्य सप्लाई कीजिए (**व्यवधान**)। हजारों लोग कल मुझसे

बंगलौर में मिले थे। उन्होंने मुझसे सम्बन्धित व्यक्तियों से यह मामला उठाने के लिए कहा है। मैं क्षमा चाहता हूं कि कल मैं यहां समय पर नहीं पहुंच सका। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि मिट्टी के तेल, डीजल, तथा पैट्रोल की समय पर उचित व्यवस्था करके इनकी सप्लाई की जाये। अन्यथा मुझे यहां तब तक धरना देना पड़ेगा जब तक कि आप ये मदें उन लोगों को उपलब्ध नहीं करा देते। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। देश में बंगलौर शहर एक महत्वपूर्ण शहर हैं और यह औद्योगिक रूप से विकसित शहर है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार इसके लिए उचित कदम उठाये ताकि वहां के लोगों को ये वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकें। ....(व्यवधान)।

1.16 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड बंगलौर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : मैं, अपने सहयोगी, श्री दिनेश गोस्वामी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1223/90]

आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(2) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) निर्यात (नियंत्रण) पन्द्रहवां संशोधन आदेश, 1989, जो 26 सितम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 758 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) निर्यात (नियंत्रण) सोलहवां संशोधन आदेश, 1989, जो 27 सितम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 765 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) निर्यात (नियंत्रण) उन्नीसवां संशोधन आदेश, 1989, जो 30 अक्तूबर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 877 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) निर्यात (नियंत्रण) बीसवां संशोधन आदेश, 1989, जो 3 नवम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 913 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) निर्यात (नियंत्रण) तेईसवां संशोधन आदेश, 1989, जो 19 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1058 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) निर्यात (नियंत्रण) पहला संशोधन आदेश, 1990, जो 11 जनवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 33 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) निर्यात (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1990, जो 16 जनवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 43 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) निर्यात (नियंत्रण) पांचवां संशोधन आदेश, 1990, जो 13 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 221 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) निर्यात (नियंत्रण) छठा संशोधन आदेश, 1990, जो 16 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 227 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दस) निर्यात (नियंत्रण) आठवां संशोधन आदेश, 1990, जो 17 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 330 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्यारह) निर्यात (नियंत्रण) नौवां संशोधन आदेश, 1990, जो 25 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 340 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(बारह) निर्यात (नियंत्रण) दसवां संशोधन आदेश, 1990 जो 30 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 359 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तेरह) निर्यात (नियंत्रण) ग्यारहवां संशोधन आदेश, 1990, जो 4 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 364 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चौदह) निर्यात (नियंत्रण) बारहवां संशोधन आदेश, 1990, जो 23 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 402 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पन्द्रह) निर्यात (नियंत्रण) चौदहवां संशोधन आदेश, 1990, जो 6 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 463 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सोलह) निर्यात (नियंत्रण) सोलहवां संशोधन आदेश, 1990, जो 25 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 506 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1224/90]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा०का०नि० 434 (अ), जो 20 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 नवम्बर, 1967 की अधिसूचना संख्या 266/67—के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1990, जो 20 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 454 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सा०का०नि० 576 (अ), जो 18 जून, 1990, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह व्यवस्था करना है कि संगत समय पर प्रचलित सामान्य प्रथा के अनुसार स्वर्ण से विनिर्मित और इलैक्ट्रोनिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाले गोल्ड पोटेशियम सायनाइड पर उत्पाद-शुल्क, जो कि उक्त गोल्ड पोटेशियम सायनाइड के विनिर्माण में प्रयुक्त स्वर्ण के मूल्य पर उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के बराबर है, पर 1 जून, 1981 से 16 जुलाई, 1987 तक की अवधि के दौरान उत्पाद-शुल्क का संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा०का०नि० 577 (अ), जो 18 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह व्यवस्था करना है कि संगत समय पर प्रचलित सामान्य प्रथा के अनुसार शीटों, बोर्डों, थर्मोकोल के ब्लाकों पर 1 मार्च, 1986 में आरंभ होने वाली तथा 12 अप्रैल, 1989 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उत्पाद-शुल्क का संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (पांचवा संशोधन) नियम, 1990, जो 18 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 579 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) सा०का०नि० 607 (अ), जो 2 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह व्यवस्था करना है कि संगत समय पर प्रचलित सामान्य प्रथा के अनुसार सल्फर डाइआक्साइड और सल्फर ट्राइआक्साइड पर 28 फरवरी, 1986 से 15 मई, 1989 तक की अवधि के दौरान उत्पाद-शुल्क तथा विशेष उत्पाद-शुल्क का संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जब इनका प्रयोग कारखाने के भीतर ही सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माणार्थ किया गया हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा०का०नि० 608 (अ), जो 2 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह व्यवस्था करना है कि संगत समय पर प्रचलित सामान्य प्रथा के अनुसार फोम रबड़ स्नेहक पेड़ों पर 1 मार्च, 1986 से 28 फरवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान कम-उद्गृहीत उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद-शुल्क का संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा०का०नि० 616 (अ), जो 3 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 अक्तूबर, 1979 की अधिसूचना संख्या 272/79-के०उ०शु०, 15 नवम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या 237/85 के०उ०शु० तथा 238/85-के०उ०शु० 20 जनवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 5/86-के० उ०शु० तथा 26 अगस्त, 1986 की अधिसूचना संख्या 398/86 के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(नौ) सा०का०नि० 617 (अ), जो 3 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 अगस्त, 1975 की अधिसूचना संख्या 186/75-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(दस) सा०का०नि० 618 (अ), जो 3 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1981 की अधिसूचना संख्या 123/81-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1225/90]

1.17 म०प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 20 अगस्त, 1990 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

(1) आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य को किसी मद पर विचार ।

(2) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक, 1989 पर विचार और पारित करना ।

(3) निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :

(क) पंजाब के संबंध में वर्ष 1990-91 के लिए अनुदानों की मांगें ।

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) ।

(ग) वर्ष 1990-91 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) ।

(4) लोकपाल विधेयक, 1989 पर विचार और पारित करना ।

(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ कहते हैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मुझे इस पर आपत्ति है क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति ने मेरे विचार से उस समय आप भी मौजूद थे—विभिन्न कार्यों के लिए समय निर्धारित किया था और तदोपरान्त 600 म०प० के बाद सभा की बैठक के कार्यकाल में वृद्धि करने के लिए विचार-विमर्श किया गया जिस पर सहमति नहीं हुई थी । इसलिए इस समय सीमा को, जिसमें इसे पारित किया जाना चाहिए, समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है। दूसरे, कार्य मंत्रणा समिति यह कह सकती है कि कार्य पूरा किया जाए । कार्य मंत्रणा समिति यह कैसे कह सकती है कि विधेयक पारित किया जाना चाहिए ? ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसके किस भाग का उल्लेख कर रहे हैं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : अन्तिम मद में यह कहा गया है :

> "सभा 1990-91 के लिए पंजाब से संबंधित अनुदानों की मांगों और वर्ष 1990-91 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) और (रेलवे) पर चर्चा और मतदान बुधवार, 22 अगस्त को करे तथा शुक्रवार, 24 अगस्त, 1990 के 3.30 म०प० तक इन्हें पारित कर दिया जाये ।"

पहली बात तो कार्य मंत्रणा समिति ऐसा निर्णय नहीं कर सकती । दूसरे, ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया था । अधिक से अधिक हम यह कह सकते हैं कि विधेयक पर पूरी चर्चा की जानी चाहिए। समय के संबंध में अधिकतम सीमा की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इस बात से सहमत नहीं हुए थे कि 6 म०प० के बाद सभा के कार्यकाल में वृद्धि की जाए। यदि आप पूरे निर्धारित समय का उपयोग करना चाहते हैं तो अधिकतम सीमा निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जम्मू-कश्मीर विधेयक के लिए छः घण्टे का समय निर्धारित किया गया है। फिर इसके लिए अधिकतम सीमा की क्या आवश्यकता है कि इसे एक दिन में पारित किया जाना चाहिए ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप नहीं चाहते कि इसे पारित किया जाए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अनुपूरक बजट हमेशा ऐसा ही होता है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं जम्मू-कश्मीर और प्रसार भारती विधेयकों की बात कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम कार्य मंत्रणा समिति के पूरे कार्य के संबंध में चर्चा कर रहे हैं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : कार्य को पूरा करने अथवा कार्य को समाप्त करने के संबंध में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिए । मेरी यह आपत्ति है ।

1.19 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि यह सभा 16 अगस्त, 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 16 अगस्त, 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

1.20 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.20 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.25 म०प०

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा 2.52 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा शुरू करते हैं। श्री इरा अन्वारासु—अनुपस्थित। श्री जी० एस० बासवराज बोलें।

(एक) कर्नाटक में सीमेंट कारखानों को बंद होने से बचाने के लिए उन्हें कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति किए जाने की मांग

श्री जी० एस० बासवराज (टुमकुर) : महोदय, कर्नाटक के सीमेंट कारखानों में जनवरी, 1990 से कोयले की कमी है। थोड़ी मात्रा में कोयले की आपूर्ति से सीमेंट संयंत्र संतोषजनक ढंग से नहीं चल सकते। मई, 1990 के पश्चात स्थिति इतनी बदतर हो गयी है कि कर्नाटक के सभी सीमेंट कारखाने बंद होने वाले हैं। वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर को यह निदेश दिए गए हैं कि कोयला की आपूर्ति केवल विद्युत संयंत्रों को ही की जानी चाहिए। यदि कर्नाटक के सीमेंट संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में और अधिक विलंब किया जाएगा तो सभी कोयला संयंत्र बंद हो जायेंगे और सीमेंट की कमी हो जायेगी जिससे मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि कर्नाटक के सीमेंट कारखानों को कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें ताकि उन्हें बंद होने से बचाया जा सके।

(दो) उत्तर बिहार को बार-बार आने वाली बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान उत्तर बिहार के 17 जिलों में कोशी, कपला, भूतही, अधवारा, गंडक, बागपति नदियों में भीषण बाढ़ के आ जाने के कारण हर वर्ष 4 करोड़ लोगों के जान-माल खतरे में पड़ जाने की समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बिहार राज्य के अन्तर्गत नेपाल-भारत सीमावर्ती सीमांचल क्षेत्रों के लगभग साढ़े चार करोड़ ग्रामीण लोगों का जीवन प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी के कारण अस्त-व्यस्त हो जाता है। कुछ

लोग पानी में हर वर्ष डूबकर मर जाते हैं। लोगों के घर कटकर बरबाद हो जाते हैं। खेत में करोड़ों के लगे फसल नष्ट हो जाते हैं पीने का पानी, रहने का घर, खाने के अनाज, आवागमन के लिए सड़क का संकट उत्पन्न हो जाता है। विकास कार्य ठप्प हो जाते हैं। हर वर्ष बाढ़ बचाव, तटबंधों के सुरक्षा तथा बाढ़ राहत के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है। परन्तु बाढ़ से स्थायी बचाव हेतु सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। इस वर्ष भी बाढ़ के कारण तबाही मची हुई है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर बिहार के साढ़े चार करोड़ बाढ़ पीड़ित लोगों के हित में स्थायी समाधान की दृष्टि से नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्रों में बहुउद्देशीय उच्च-स्तरीय डैम निर्माण हेतु नेपाल सरकार से समझौता वार्ता के लिए एक उच्च अधिकारी प्राप्त जल आयोग गठित करे।

(तीन) चूहों और बन्दरों के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री अनादिचरण दास (जाजपुर) : महोदय, चूहे और बन्दर समूहों में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, सब्जियों और खाद्यान्नों को पर्याप्त मात्रा में खा रहे हैं इससे खाद्यान्नों, सब्जियों और दूसरी खड़ी फसलों का नुकसान हो रहा है। ग्रामीण लोग चूहों और बन्दरों के इस प्रकोप से तंग आ गये हैं।

सुझाव दिया गया है कि बन्दरों को पकड़कर जंगलों में छोड़ दिया जाए और चूहों की समस्या से उचित ढंग से निपटा जाए। जो ग्रामीण लोग इससे परेशान हैं उन्हें कुछ राहत प्रदान करना आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि खाद्यान्नों, सब्जियों और खड़ी फसलों के नुकसान को, जो राष्ट्रीय नुकसान है, रोका जाए।

(चार) दिल्ली और उदयपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने और उनके आने-जाने के समय पुनः निर्धारित किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के एवं दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान रखने वाला शहर उदयपुर आदिवासी बाहुल्य संभाग है। खनिज का अतुल भण्डार मौजूद है परन्तु रेलवे की सुविधाओं का सर्वथा अभाव है। दिल्ली से 736 किलोमीटर दूर स्थित उदयपुर राजस्थान का एकमात्र स्थान है जहां चेतक एक्सप्रेस नाम से चलने वाली ट्रेन 736 किलोमीटर 20 घंटे में पूरी करती है जिससे व्यापारी, पर्यटक एवं हम स्वयं अपने दो दिन व्यर्थ बरबाद करते हैं। उदयपुर से 6 पी० एम० रवाना होकर 9.15 पी० एम० उदयपुर पहुंचती है, इससे तीन ट्रेनों से मात्र दो का लाभ मिलता है। अगर इसका समय कम किया जाए तो मात्र दो ट्रेन से ही सुविधा मिल सकती है, इससे एक ट्रेन बचेगी जिससे अन्य क्षेत्र लाभान्वित हो सकेगा। साथ ही स्टाफ भी बचेगा इससे रेल विभाग को धन की बचत होगी। मैं पूर्व में कई माध्यमों से इस विषय को सदन में उठा चुका हूं पर रेल मंत्रालय द्वारा इस विषय में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। अतः रेल मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

(पांच) उड़ीसा में प्राचीन स्मारकों की उचित मरम्मत और देखरेख के लिए विशेष अनुदान दिए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : यह बहुत ही चिन्ता का विषय है कि उड़ीसा राज्य में लगभग 2328 स्मारक बहुत खस्ता हालत में हैं। यदि शीघ्र ही इनकी मरम्मत नहीं की गई तो इनमें से अधिकांश के गिर जाने की संभावनायें हैं। हाल ही में पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर से पत्थर की सिल्ली गिर गई थी जिसे अभी तक नहीं लगाया गया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर से भी पत्थर की सिल्लियां गिर रही हैं। भुवनेश्वर के भगवान लिंगराज मंदिर में भी पर्याप्त सुरक्षा उपाय और मरम्मत नहीं की जा रही है। हालांकि केवल उड़ीसा के लिए अलग से एक पुरातत्व खंड बनाया गया है लेकिन यह भी इस उद्देश्य में असफल रहा है। पुरातत्व विभाग के खंड की उपेक्षा के कारण पुरी जिले में 711, कटक में 261, सम्बलपुर में 187, कालाहांडी में 26, बालनगोल में 90, कोरापुट में 195, गंजम में 585, सुन्दरगढ़ में 48, बालासोर में 138, फुलबनी में 41 और मयूरभंज जिले में 45 प्राचीन मन्दिर और स्मारक खस्ता हालत में हैं और कभी भी गिर सकते हैं।

भारत सरकार प्राचीन स्मारकों के सही रखरखाव पर जोर दे रही है। उड़ीसा को मंदिरों का राज्य कहा जाता है यह ठीक ही है। यदि वर्तमान गति से और इसी प्रकार अधूरे ढंग में रख-रखाव के उपाय किये गये तो अफसोस के साथ यह कहना पड़ेगा कि राज्य के प्राचीन मंदिरों और स्मारक प्राचीन खंडहरों के रूप में ही रह जायेंगे। चूंकि यह स्मारक प्राचीन कलिंग अथवा उत्कल काल के प्रतीक हैं जो प्राचीन उड़ीसा की गौरवमयी घटनाओं के साक्षी रहे हैं, अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन स्मारकों के उचित रखरखाव और मरम्मत के लिए विशेष अनुदान दिए जायें।

(छः) कारगिल के लिए विमान सेवा शुरू किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद हसन कमांडर (लद्दाख) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख में जो कारगिल जिला है वहां के लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है कि जिला कारगिल को मुल्क की दूसरी जगहों से हवाई सर्विस से जोड़ा जाये। इस हल्के के लोगों को यही बदकिस्मती है कि मुल्क को आजाद हुए चालीस बरस गुजर गये, लेकिन उनकी यह मांग पूरी नहीं हुई। जबकि उनकी मांग सिर्फ यही है कि कारगिल को हवाई सर्विस से जोड़ा जाये। लेकिन अभी तक वहां हवाई सर्विस शुरू नहीं हुई। जब भी सेंटर से बड़े लोग वहां आते हैं तो वहां आकर वादा करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। लद्दाख क्षेत्र में सख्त हिमपात की वजह से आठ महीने के लिए मुल्क के बाकी हिस्सों से उसका सम्पर्क टूट जाता है और वह अलग-अलग हो जाता है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को उस इलाके मे इन आठ महीनों के दौरान क्या होता है, कुछ पता नहीं लगता। इसलिए मैं आपसे और आपकी सरकार से पुरजोर अपील करता हूं कि इस हल्के की हवाई सर्विस से जोड़कर इस इलाके के रहने वाले लोगों को भी मुल्क के बाकी हिस्सों में पहुंचने का मौका दें, जिससे उनको भी आजादी में सांस लेने का मौका मिल सके।

आखिर में मैं आपसे फिर पुरजोर अपील करता हूं कि इस इलाके को हवाई सर्विस से जोड़ा जाये।

(सात) कर्नाटक के लिए दक्षिण-पश्चिम रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय बंगलौर में हो, स्थापित किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : कर्नाटक एक विस्तृत राज्य है जिसकी जनसंख्या चार करोड़ से अधिक है। इस क्षेत्र में रेलवे लाइन का विकास क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हुआ है। यहां कुल 3000 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन ही है। कर्नाटक को तीन रेलवे खंडों में विभाजित किया गया है यथा दक्षिण रेलवे (मुख्यालय मद्रास), दक्षिण मध्य रेलवे (मुख्यालय सिकन्दराबाद) मध्य रेलवे (मुख्यालय बम्बई) जिससे राज्य में रेल गतिविधियों के विकास की पूर्णतया: उपेक्षा हुई है। राज्य में केवल 60 किलोमीटर ही दोहरी ब्रोडगेज लाइन है लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि अन्य राज्यों में जैसी ब्रोडगेज या मीटर गेज में तिहरी और चार लाइनें है, उस तरह की लाइनों का इस क्षेत्र में अभाव है।

रेलवे सुधार समिति ने कर्नाटक के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे खंड बनाने की सिफारिश की थी जिसका मुख्यालय बंगलौर में हो और जिसमें बंगलौर, मैसूर, हुबली और शोलापुर मण्डल भी शामिल हों। रेल मन्त्रालय ने सिद्धान्त रूप से इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था और वास्तव में बंगलौर में मण्डलीय कार्यालय की आधारशिला रखते समय रेलवे खंड कार्यालय की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया था और नौ मंजिले भवन के निर्माण की योजना बनाई गई थी। वर्ष 1984 की कतिपय दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण यह प्रस्ताव अभी भी राष्ट्रीय योजना आयोग के समक्ष अटका पड़ा है। कर्नाटक रेलवे सुधार समिति द्वारा रेलवे खंड की स्थापना हेतु की गई सिफारिश के सभी मानदण्डों को पूरा करता है।

अत: मैं माननीय मन्त्री से कर्नाटक के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे खंड की शीघ्र स्थापना का अनुरोध करता हूं जिसका मुख्यालय बंगलौर में हो।

(आठ) केरल के त्रिचूर जिले में कोराट्टी कुष्ठ रोग चिकित्सालय में कुष्ठ रोगियों के लिए पुनर्वास केन्द्र खोले जाने की मांग

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : केरल के त्रिचूर जिले में स्थित कोराट्टी कुष्ठ रोग चिकित्सालय राज्य के सबसे पुराने चिकित्सालयों में से एक है। वहां एक पुनर्वास केन्द्र खोलने का प्रस्ताव था और कुछ वर्ष पूर्व इसकी आधारशिला भी रखी गई थी।

इस चिकित्सालय के मरीजों को उपचार के पश्चात भी समाज में स्वीकार नहीं किया जाता हैं। प्रस्तावित पुनर्वास केन्द्र ही वह एक मात्र स्थान है जहां उपचार के पश्चात् कुष्ठ रोगी कार्य कर सकते हैं और रह सकते हैं।

इस समय इस कुष्ठ रोग चिकित्सालय के 25 वार्डों में लगभग 800 रोगी हैं। इनमें से लगभग चार वार्डों में वे रोगी हैं जो जरा भी हिल डुल नहीं सकते। इन कुष्ठ रोगियों की हालत बहुत खराब है और अपने जीवनयापन के लिए उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं।

कोराट्टी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं सरकार से अपील करूंगी कि वह लम्बे समय से लम्बित निर्माण कार्य को यथा शीघ्र शुरू करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे और जो पुनर्वास केन्द्र के रोगी कुष्ठ रोग से पूर्णतया ठीक हो चुके हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाये।

2.38 प्र० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

कुवैत में भारतीयों की स्थिति

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : मैं इस सदन को उस मामले की स्थिति से एक बार फिर अवगत कराना चाहूंगा जिसे लेकर इस संसद के हम सभी सदस्यों में गहरी चिंता व्याप्त है और जिसका संबंध कुवैत में रहने वाले हमारे राष्ट्रिकों की स्थिति से है। हमने 2 अगस्त, 1990 को ही अर्थात उसी दिन जिस दिन इराकी सेनाएं कुवैत में घुसी थीं, हमने कुवैत स्थित अपने राजदूत को निर्देश दिए थे कि वे हमारे राष्ट्रिकों की सुरक्षा और हिफाजत के सभी संभव उपाय करें। उन्हें विशेष रूप से यह निर्देश किया गया था कि वे भारतीय समुदाय के साथ सम्पर्क रखने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करें, विशेषकर इसलिए कि वहां बड़ी संख्या में हमारे लोग हैं। जैसा कि सदन को मालूम है, कुवैत में हमारे लगभग 172,000 राष्ट्रिक हैं। इसके साथ ही बगदाद स्थित हमारे राजदूत ने इराकी प्राधिकारियों से अनुरोध किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि कुवैत में अपने कमांडर को हमारे राष्ट्रिकों की सुरक्षा के संबंध में उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं। इराकी प्राधिकारियों ने हमारे राजदूत को यह विश्वास दिलाया था कि इस प्रकार के निर्देश भेज दिए गए हैं। तब से हम इस मामले को रोज यहां पर इराक के राजदूत के साथ उठा रहे हैं और बगदाद में हमारे राजदूत इराक की सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। कुवैत में हमारे राजदूत भी स्थानीय प्राधिकारियों के साथ रोज संपर्क करते हैं ताकि हमारे राष्ट्रिकों की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित हो सके।

3 अगस्त से ही शेष विश्व के साथ कुवैत की संचार लाइनों ने काम करना बंद कर दिया था; पहले तो टेलीफोन लाइनें ठप्प पड़ गईं, और फिर टैलेक्स लाइनें। दो दिन में ही संचार सम्पर्क पूरी तरह टूट गया जो अभी भी टूटा हुआ ही है। हमने किसी तरह एक संचार सम्पर्क स्थापित तो किया को पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है और अधिक भार भी नहीं सह सकता। यही कारण है कि हम अलग-अलग लोगों की बात वहां पहुंचाकर उनके जवाब कुवैत स्थित राजदूतावास से नहीं ले सके हैं।

केवल संचार संपर्क ही नहीं टूटा है बल्कि 2 अगस्त से हवाई अड्डे और बन्दरगाह भी बन्द कर दिए गए हैं जो आज तक बन्द ही हैं। इसलिए कुवैत और बगदाद से निकासी का कोई रास्ता नहीं है सिवाय अम्मान होकर, क्योंकि इराकी प्राधिकारियों ने सिर्फ यही एक रास्ता खुला रखा है।

हम इस सदन को और इस देश की जनता को उस थोड़ी-बहुत सूचना के आधार पर नियमित रूप से अवगत कराते रहे हैं जो हमें उस संचार संपर्क के माध्यम से कुवैत स्थित अपने राजदूत से किसी तरह मिलती रही है या जो सूचना हमें भारत स्थित इराकी राजदूत से और बगदाद स्थित अपने राजदूत से मिलती रही है। इस विषय पर विदेश मंत्री द्वारा 10 अगस्त को दिए गए वक्तव्य के बाद हमें जो और खबरें मिली हैं उनसे यह पता चलता है कि वहां हमारे समुदाय के लोग आमतौर से ठीक-ठाक और सुरक्षित हैं। पानी और बिजली उपलब्ध है। खाने-पीने की अनिवार्य वस्तुएं भी उपलब्ध हैं, हालांकि इस बात के संकेत हैं कि कुछ चीजों की कमी हो जाए। चूंकि बैंक बंद हैं, इसलिए मुमकिन है कि लोगों के पास अनिवार्य चीजें खरीदने लायक पर्याप्त धन न हो। कानून और व्यवस्था की स्थिति आमतौर से संतोषजनक है लेकिन समय के साथ-साथ इसकी स्थिति बिगड़ने के भी आसार दिखाई देते हैं। चोरी और लूटपाट के कुछ मामले कुवैत में हमारे राजदूत के ध्यान में

आए हैं; लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि अपराधियों को मौके पर ही सख्त सजा दी गई है।

उस क्षेत्र में इस समय जो असाधारण हालात हैं उनमें हम अपने उन राष्ट्रिकों को निकाल लाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं जो वहां अटक गए हैं या निराश्रित हैं। इस समय हमारे 700 हजार यात्री बगदाद में अटके पड़े हैं। ऐसे ही और भी भारतीय हैं, मसलन ब्रिटिश एयरवेज की उस उड़ान के यात्री जो 1/2 अगस्त को कुवैत पहुंचे थे, एयर इंडिया के उस कर्मी दल के सदस्य जो उस समय वहां मध्यावकाश पर थे। चूंकि इराक और कुवैत के सभी हवाई अड्डे और सभी बंदरगाह बन्द ही हैं और सड़क के रास्ते कुवैत से अम्मान की दूरी लगभग 2000 कि०मी० है इसलिए यह काम बहुत मुश्किल है। इतनी लम्बी यात्रा के लिए परिवहन की व्यवस्था भी मुश्किल है, इसके अलावा मौजूदा हालात में यात्रा के दौरान सुरक्षा का सुनिश्चय भी मुश्किल है।

मेरे सहयोगी श्री आरिफ मोहम्मद खान 13 अगस्त को अम्मान गए थे ताकि श्री नबील अबु अल-हुदा से मिले। जोर्डन की शाही सरकार ने उन्हें पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। एयर इंडिया की पहली उड़ान 210 भारतीय हज यात्रियों को और 70 से अधिक अन्य भारतीयों को लेकर जो कुवैत से सड़क द्वारा किसी तरह अम्मान पहुंच गये थे, 15 अगस्त के भोर में बम्बई पहुंचे। इसके अगले दिन 375 अन्य यात्रियों को लेकर एक अन्य उड़ान बम्बई पहुंची। श्री आरिफ मोहम्मद खान आज सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहे हैं ताकि वे सऊदी अरब से भारतीय राष्ट्रिकों की निकासी के सवाल पर स्थानीय प्राधिकारियों के साथ बातचीत कर सकें। अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार करीब 500 भारतीय कुवैत से सऊदी अरब पहुंच गये हैं। सऊदी अरब में रहने वाले हमारे कुछ राष्ट्रिक भी भारत लौटना चाहते हैं। श्री खान सऊदी अरब में अपने राष्ट्रिकों से मिलेंगे ताकि उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि उनकी सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर सम्भव कार्रवाई करने के लिए कृत संकल्प है।

हमने अम्मान और सऊदी अरब स्थित अपने मिशनों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। हम बगदाद और कुवैत में भी वहां के स्थानीय प्राधिकारियों से इजाजत मिलते ही अपने मिशनों को मजबूत करेंगे।

14 अगस्त को विदेश मंत्री मास्को के लिए रवाना हो गए थे जहां उन्होंने सोवियत विदेश मंत्री श्री शेवर्दनादजे के साथ उसी दिन दोपहर बाद भेंट की। उनकी बातचीत के मुख्य मुद्दे थे: कुवैत में भारतीय राष्ट्रिकों कि सलामती और सुरक्षा तथा तेल की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश की समस्या और तेलों की कीमतों में वृद्धि का भारत की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव। हम तेल संबंधी अपनी जरूरत के लिए कुल आयात का लगभग 50 फीसदी आयात उस वक्त तक इराक और कुवैत से करते रहे हैं जब तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से प्रादेशात्मक प्रतिबंध लगाने के बाद इसे बंद नहीं कर दिया गया।

मास्को में इराक के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री श्री तारिफ अजीज ने विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने विदेश मंत्री को बगदाद आने का निमंत्रण देने के अलावा उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि कुवैत और इराक में भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा के लिए इराकी सरकार आवश्यक कदम उठाएगी और जो लोग वहां फंस गए हैं या निराश्रित हैं उनकी निकासी में विदेश मंत्री 15 अगस्त को मास्को से वाशिंगटन चले गए और उसी शाम उन्होंने अमरीकी विदेश मंत्री बेकर से मुलाकात की। वहां भी उनकी बातचीत का मुख्य मुद्दा खाड़ी की मौजूदा स्थिति के कारण उत्पन्न समस्याओं का भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव और उस क्षेत्र के भारतीय राष्ट्रिकों की हित चिंता ही थी।

उम्मीद है कि विदेश मंत्री आज रात को या कल सुबह बगदाद पहुंच जाएंगे । बगदाद में वे वहां रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा और हिफाजत के सवाल पर तथा वहां फस जाने वाले अथवा असहाय लोगों की निकासी के सवाल पर इराकी प्राधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे ।

कुवैत में भारतीय राष्ट्रिकों को लेकर हमारे लिए चिंता का एक और कारण भी है । संयुक्त राष्ट्र परिषद ने इराक के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं । सुरक्षा परिषद संकल्प में मानवीय आधार पर सिर्फ खाद्यान्न और दवाइयों की ही छूट दी गई है । कुवैत बहुत हद तक आयातित खाद्य सामग्री पर ही निर्भर करता है और इराक की भी यही स्थिति है । मैंने कुवैत में खाद्यान्न की संभावित कमी की बात अभी कही थी । हमें इस बात की चिंता है कि अगर कहीं ऐसा हो गया तो इसका असर हमारे राष्ट्रिकों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा । संयुक्त राष्ट्र चार्टर में इस बात के प्रावधान हैं जिनके अंतर्गत सुरक्षा परिषद लागू प्रतिबंधों के क्रियान्वयन से उत्पन्न विशेष आर्थिक समस्याओं का सामना करने वाला कोई सदस्य राज्य इन समस्याओं के समाधान के संबंध में परिषद से परामर्श कर सकता है । अतः हमने न्यूयार्क स्थित अपने स्थायी प्रतिनिधि को निर्देश दिया है कि वे इस प्रयोजन के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की संभावना का पता लगाने के लिए उन देशों के प्रतिनिधियों से संपर्क करें जिनकी कुवैत के संदर्भ में हमारी जैसी स्थिति है, इनमें से कुछ देशों ने हमारे सुझाव के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई है । 10 अगस्त को न्यूयार्क में जब मैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मिलने गया था तब भी मैंने इस मामले को उनके साथ उठाया था, तब उन्होंने यह कहा था कि चार्टर के संगत प्रावधानों के अंतर्गत यह मामला उठाया जा सकता है । लेकिन जैसा कि सदन को ज्ञात है कि सुरक्षा परिषद कोई कार्रवाई तभी कर सकता है जब उसके सभी स्थायी सदस्य सहमत हों इसलिए हम इस मामले में कोई अंतिम निर्णय लेने से पूर्व इन देशों से भी परामर्श कर रहे हैं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेली कारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं....

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्यतया इसकी अनुमति नहीं दी जाती है । लेकिन विशेष मामले के तौर पर मैं आपको इसकी अनुमति दे रहा हूं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं नहीं समझता कि वक्तव्य में जो दिया गया है वह समाचार पत्रों में छपे समाचार से कुछ अधिक है । आपने स्वयं कहा है कि जो परेशानी में हैं, जो फंसे हुए है, उन्हें वापिस लाया जाना चाहिए । यह ठीक है कि फंसे हुए लोगों के सम्बन्ध में कुछ कदम उठाए गए हैं । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे राजदूत ने उन लोगों की संख्या का कोई आकलन किया है जो कुवैत में फंसे हुए हैं और वापिस आना चाहते हैं । हमें अमरीका से टेलीफोन द्वारा प्राप्त जानकारी जैसे अन्य माध्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उनमें से कम से कम 50,000 लोग, अर्थात हमारी आबादी का लगभग एक चौथाई भाग, जिनमें से अधिकांश बच्चे और महिलायें है, तुरन्त वापिस आना चाहते हैं आप इसका अनुमान कैसे लगायेंगे ?

दूसरी बात, उनको वापिस लाने के लिए आपने कौन-सी कार्य योजना बनाई है ? आपने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है । आपने कहा है कि केवल एक पत्तन, एक मात्र रास्ता अम्मान है जहां से हम अपने लोगों को वापिस ला सकते हैं; लेकिन यह कुवैत से 2000 किलोमीटर दूर है । लेकिन इराक से भी बाहर जाने के रास्ते हैं । हमारे इराक के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं । आप इराकी सरकार से बात क्यों नहीं करते ? हमारे प्रधानमन्त्री या वरिष्ठ मन्त्री बगदाद जाकर इराकी राष्ट्रपति से बात क्यों नहीं करते जिससे कि हमारे राष्ट्रिकों को कुवैत से लाने में इराकी सरकार हमारी मदद कर सके ? कुवैत पूर्णतया: इराक के सैन्य नियंत्रण में है । अतएव इराक राष्ट्रपति के साथ मामले को उठाने में और उसका हल निकालने में क्या कठिनाई है ? यदि हमारे लोगों को लाने में कोई व्यय होता है तो उसेह उठाना चाहिए, हमें कुछ मुआवजा देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : 3.00 म० प० पर हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू करेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। तीसरे, आपने कहा था कि वहां सिर्फ खाद्यान्नों की ही कमी नहीं है, आपने स्वीकार किया था कि वहां पैसा नहीं है क्योंकि दीनार अब विनिमय योग्य नहीं है। अतः पैसे की कमी की समस्या वहां है। आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं? आप कृपया इन तीनों को स्पष्ट करें।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : मैं स्वयं उस स्थान पर गया हूं और दो बातें बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। पहली, हमें कुवैत से विशिष्ट प्रश्नों, व्यक्तियों आदि की कोई सूचना नहीं मिल रही। मैं समझता हूं कि आज या कल में विदेश मंत्री, श्री इन्द्र कुमार गुजराल बगदाद जा रहे हैं। उनके साथ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी जाएगा। जिस महत्वपूर्ण बिन्दु पर मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं वह यह है कि : कृपया एक किसी एक उच्च अधिकारी को कुवैत भेजें ताकि वह मूल्यांकन करके समन्वय करके हमें सूचना हमें सूचना भेज सकें। इस कार्य के लिए स्वयं सचिव को भी भेजा जा सकता है। श्री इन्द्र कुमार गुजराल या कोई अन्य इसका निर्णय कर सकते हैं। वहां पहले ही खाद्यान्नों की कमी है। इसलिए क्या सरकार कुवैत में विशेष तौर पर भारतीय समुदाय तथा अन्य लोगों के लिए खाद्यान्न भेजने पर विचार कर रहे है? कृपया विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों जैसे केरल समाज व तमिलनाडु की संस्थाओं से मिलकर खाद्य सामग्री को वितरित करें। ये सभी संस्थाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। क्या आप इनके साथ समन्वय स्थापित करेंगे और हमारे प्रतिनिधियों को कहां भेजेंगे ताकि वे इस बात की रिपोर्ट दे सकें कि वहां क्या हो रहा है। इन्हीं दो विषयों पर मैं माननीय मंत्री का उत्तर चाहता हूं। मैं एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : मुझे यह बताया गया कि कुछ अन्य देश विशेषकर जापान अपने नागरिकों को, जो वहां फंसे हुए थे, कुवैत से बाहर निकालने में सफल रहा है। वे उन्हें वहां से बगदाद और फिर वापस अपने देश में लाने में सफल हुए हैं। इस समस्या के दो भिन्न पहलू हैं। एक यह है कि ऐसे भारतीय या भारतीय मूल के लोग या भारतीय जातीय मूल के लोग जो कुवैत में काम कर रहे हैं और अब वापस आना चाहते हैं।

दूसरा, फंसी हुई ब्रिटिश एअरवेज एयरलाइन्स से सम्बन्धित है। सभी अन्य यात्री ब्रिटिश एयरलाइन्स पर हैं चाहे वे अंग्रेज हो या अमेरिकन, उन्हें बगदाद ले जाया गया है। किन्तु भारतीय यात्री जो बीच में थे और भारत आ रहे थे, अब कुवैत में फंसे हुए हैं। वे एक अन्य वर्ग में आते हैं। उनकी संख्या 120 से अधिक नहीं है। अगर आपने हज यात्रियों की वापसी के प्रबंध किए हैं तो निश्चय ही आप इन 120 यात्रियों के वापस लौटने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। वे कुवैत में फंसे हैं। इस पहलू पर अतिशीघ्र और तुरंत स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी।

श्री हरि किशोर सिंह : कितने लोग वापस आना चाहते हैं? सिर्फ 50,000 ही नहीं, बल्कि हमारा अनुमान है कि सारे लोग ही कुवैत से वापस आना चाहेंगे।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नार) : नहीं।

श्री हरि किशोर सिंह : यह वर्तमान स्थिति है। आप बिल्कुल निश्चित नहीं हो सकते। जैसे मैंने कहा, 50,000 वापस आना चाहते हैं। हमने एक आपात्कालीन योजना बनाई है। वहां एक जलपोत है जो एक समय में 1,500 लोगों को ले जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : हज यात्री ।

श्री हरि किशोर सिंह : हज यात्री दूसरे देश से वापस आ रहे हैं। मुख्य समस्या है कि कुवैत कैसे जाएं। यह मुख्य समस्या है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : सरदार हुसैन को लिखिए ।

श्री हरि किशोर सिंह : हमारे विदेश मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल आज रात या कल बगदाद पहुंचेंगे। इस समय वे लंदन में हैं। लंदन से वे अम्मान की उड़ान करेंगे और वे अम्मान के रास्ते पर है। मुझे यह सूचना मिली है। कुवैत अथवा बगदाद में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए इराकी सरकार से बातचीत करने हेतु वह संभवत: आज रात या कल बगदाद जायेंगे।

जहां तक खाद्य पदार्थ भेजने का संबंध है, इतने बड़े स्तर पर खाद्य पदार्थों की सप्लाई की व्यवस्था करना अत्यंत कठिन है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आप कुछ तो दीजिए।

श्री हरि किशोर सिंह : वहां पर 1,72,000 लोग हैं। उनमें इसे कैसे वितरित करें? आप कुवैत नहीं जा सकते। इस समय कुवैत पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं है। पहला उद्देश्य यह है कि सर्वोच्च स्तर पर इराकी अधिकारियों से मिला जाए और उनसे आग्रह किया जाए ताकि हम वहां पर मौजूद अपने देशवासियों के साथ सम्पर्क सुनिश्चित कर सकें। हमने वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है। एक वरिष्ठ संयुक्त सचिव अनेक कर्मचारियों के साथ वहां गए हैं। यदि हमें अनुमति दे दी गई तो उन्हें वहां पर तैनात किया जाएगा ताकि हमारे दूतावास बगदाद और कुवैत, दोनों जगह पर और अधिक कारगर रूप से कार्य कर सकें।....(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आप कुवैत जाइए।

श्री हरि किशोर सिंह वरिष्ठ मंत्री महोदय वहां पर गए हैं। वह अधिक प्रभावशाली रहेंगे। (व्यवधान)

'ब्रिटिश एयरवेज' के फंसे हुए यात्रियों के संबंध में हम अपने भरपूर प्रयासों के बावजूद, सिवाय इसके कि वे एक होटल में ठहराए गए हैं उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सके हैं। इसके बाद, हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। ये सभी बातें कार्य सूची में हैं। इसीलिए वरिष्ठ मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारीगण वहां गए हैं। वहां काफी कर्मचारी मौजूद हैं। हम कुवैत के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार जानकारी प्राप्त करने की अपनी शक्ति के तहत जो कुछ संभव है, करने का प्रयास कर रही है। यह बुनियादी और पहली आवश्यकता है; इसके फलस्वरूप हम उनसे सम्पर्क कर सकेंगे। हमें लगभग 1,000 नाम प्राप्त हुए हैं। हमें विभिन्न लोगों से लगभग 1,000 पूछताछ संबंधी पत्र प्राप्त हुए हैं। सभी पत्र उनके पास हैं। जैसे ही हम कुवैत या बगदाद पहुंचेंगे हम व्यक्तिगत स्तर पर सम्पर्क कर सकेंगे। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं परसों कोचीन पूछताछ कार्यालय गया था, तब पूछताछ की क्रम संख्या 400 के आसपास थी। अत: एक हजार की संख्या सही नहीं है।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं हमें उपलब्ध कराए गए उन लोगों के पूरे पते की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरीयन : क्या आप सोमवार को नवीनतम जानकारी देंगे ?

श्री हरि किशोर सिंह : अगर हम सम्पर्क कायम करने में सफल हो गए तो सोमवार तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। सर्वप्रथम वहां से हर व्यक्ति को वापस लाया जाना चाहिए। यह सरकार का उत्तरदायित्व है। वास्तव में मैं मन्त्री महोदय से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि राहत उपायों के संबंध में कुछ भी नहीं किया जा सकता। वहां पर मौजूद असहाय, बूढ़े तथा बीमार लोगों को वापस लाने में प्राथमिकता दी जाए। दूसरी प्राथमिकता हज पर गए व्यक्तियों को दी जाए क्योंकि वे वहां पर धार्मिक उद्देश्य से गए थे। क्या आप सभा को आश्वस्त करेंगे कि कमजोर तथा बूढ़े लोगों के बाद हज यात्रियों की वापसी के लिए उचित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ?

श्री हरि किशोर सिंह : माननीय सदस्य ने समाचारपत्र में यह अवश्य ही पढ़ा होगा कि हज यात्रियों को प्रथम प्राथमिकता दी गई है तथा ऐसे अनेक यात्री पहले ही आ चुके हैं।...(व्यवधान)

3.00 म० प०

गो-हत्या पर प्रतिबन्ध के बारे में संकल्प—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब गैर-सरकारी सदस्यों के तहत श्री गुमान मल लोढ़ा द्वारा 4 मई, 1990 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेगी :

> "इस सभा की यह राय है कि सरकार सम्पूर्ण देश में पूर्ण गोवंश की हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक उपयुक्त विधान लाये।"

इस विषय पर आगे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको सूचित करना चाहता हूं इस संकल्प पर दो घण्टे तथा नौ मिनट पहले ही लिए जा चुके हैं, इस प्रकार इस चर्चा के लिए निर्धारित दो घण्टे का समय समाप्त हो चुका है। अब सभा को इस संकल्प पर आगे चर्चा के लिए समय-अवधि बढ़ानी है।

क्या सभा यह चाहती है कि इस संकल्प के लिए निर्धारित समय में एक घंटा और बढ़ा दिया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : इस कार्य के लिए समय-अवधि एक घंटा और बढ़ाई जाती है। श्री हरीश रावत बोलें।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, गोवंश का महत्व हमारे देश में बहुत लम्बे समय से है, प्राचीन समय से बना हुआ है। हम गाय और गोवंश की महत्ता उसके आर्थिक कारणों से भी स्वीकार करते हैं। गाय एक प्रकार से हमारे परिवार का आधार है, जिस तरीके से खेती हमारे जीवन का आधार है, उसी प्रकार से गोवंश भी हमारे जीवन का आधार है और जहां तक सवाल है गोवंश के संवर्धन का, मैं तो जोर देकर इस बात को कहना चाहूंगा कि सरकार को इसके लिए व्यापक योजना बनानी चाहिए। केवल आपरेशन फ्लड एक, दो या तीन से काम चलने वाला नहीं है। हमको करीब-करीब हर जिले को एक मापदण्ड मानकर के इस पर काम करना पड़ेगा। इस समय हम जो हालत देखते हैं, गांवों में गायों की जो दशा है, वह इतनी चिन्ताजनक है, मैं कृषि मन्त्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, यदि सर्वे कराया जाय तो 80 प्रतिशत गायें ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी विषम

स्थिति में हैं, इतनी खराब स्थिति में हैं कि उन गायों से आदमी को केवल गोबर मिलने के अलावा और कोई चीज नहीं मिल पाती। दूध के नाम पर बहुत कम दूध मिल पाता है, उसको सुधारने के लिए जितने कार्यक्रम बने हैं, उन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का काम राज्य सरकारों के हाथ में है लेकिन राज्य सरकारें धन के अभाव में उस काम को पूरे तरीके से अपने हाथ में नहीं ले पा रही हैं। विदेशों में जो नई प्रजातियों की गायें हैं, उनके संवर्धन के लिए उनका आर्टीफिशियल इंसेमिनेशन और दूसरे सैण्टर्स सुविधाएं हर जिले में उपलब्ध नहीं हैं और जहां वह उपलब्ध हैं भी, उनके इक्विपमैन्ट्स इतने पुराने हैं कि उसमें कन्सीविंग का परसेण्टेज भी बहुत कम है और जहां कन्सीव होती भी हैं तो कार्फिग का परसेण्टेज तो इतना कम है, कृषि मंत्री जी, यदि आपके पास आंकड़े उपलब्ध हों तो जहां कन्सीव 20 परसेण्ट करती हैं तो कार्फिग का परसेण्टेज दो है और हमारे अपने इलाके में भी इस प्रकार की स्थिति है तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जहां आर्टीफिशियल इंसेमिनेशन के सैण्टर्स हैं, सुविधायें हैं, वहां कम से कम उन सुविधाओं को आप इतना वैल इक्विप्ड करिये, इतना अच्छा बनाने की कोशिश करिये, उनमें इंस्ट्रूमैण्ट्स और नई टैक्नोलोजी को इण्ट्रोड्यूज करने की कोशिश कीजिए ताकि जो व्यक्ति, जो किसान अपनी गाय को लेकर जाता है, वह प्रोपरली कन्सीव कर सके और जो कन्सीव करती है तो वह कम से कम बछड़ा दे सके, वहां तक उसका गर्भ रह सके, उस मामले में हमको कुछ न कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि आज के दिन हर जिले में ही नहीं बल्कि हर तहसील के लैवल पर, दो तीट ब्लोकों के बीच में, एक डिफिजोन नाइट्रोजन प्लान्ट होना चाहिए। इसी प्रकार सीमन को जिस कन्टेनर में लेकर जाते हैं, रोड्स की दशा भी खराब होती है, कन्टेनर्स भी टूट जाते हैं, वह वहां तक पहुंच भी नहीं पाता है, वहां फ्रीज की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती है, इन सारी सुविधाओं को देखने के लिए एक व्यापक स्कीम बनाने की जरूरत है। जहां ऑपरेशन फ्लड-II का कार्यक्रम भी चल रहा है, उन जिलों में भी हालत इस समय संतोषजनक नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार इस विषय में राज्य सरकारों से बातचीत करके पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का काम करें।

गांवों में गरीबी के कारण किसान और गांव का व्यक्ति बहुधा गाय की बहुत सारी चीजों पर निर्भर रहता है और गोबर के लिए भी निर्भर रहता है। यही कारण है कि आज गायों की दशा बहुत ही खराब होती है और उन गायों की रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि यदि हर तीन-चार गांवों के बीच में एक-दो गौशाला का निर्माण कर सकें, उन गायों के लिए जो गायें अब दूध देने की स्थिति में नहीं हैं, जो गाय केवल व्यक्ति के ऊपर भार होकर रह गई हैं और वह अब जिसको बेचने का काम करता है। केवल अपनी परेशानी के कारण गायों को गलियों और मौहल्लों में खदेड़ देता है, उन गायों के लिए यदि आप तीन-चार गांवों के बीच में गौशाला का निर्माण कर सकें, तो आपकी यह बहुत अच्छी उपलब्धि होगी और इसके लिए आपको कदम उठाने की आवश्यकता है।

माननीय सदस्य, श्री गुमान मल लोढा जी, ने इस संकल्प के जरिए गौ-वंश के विषय में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने इसका जो राजनीतिक पहलू है, उसके विषय में बहुत सारी बातें यहां पर कही हैं। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं इस बात को उनके ऊपर छोड़ देता हूं। मगर उनसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि गाय आज हमारे जीवन का आधार है, उसको यदि आप धर्म का मुद्दा बनाकर के और राजनीतिक का मुद्दा बनाकर के बात करेंगे, तो उससे न तो आप गौ-वंश को फायदा पहुंचाने जा रहे हैं, न आप इस देश की सेवा करने जा रहे हैं और न समाज की ही कोई

सेवा करने आ रहे हैं। इससे केवल विसंगतियां ही खड़ी होंगी, इससे केवल आपसी मतभेद खड़े होंगे मन-मोटाव खड़े होंगे। हमने देखा है कि गौवध पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग को लेकर के लोगों में हमेशा धार्मिक भावना को उभारने की कोशिश की है, उसका इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के विरुद्ध करने की कोशिश की है। यह अपनी-अपनी मान्यतायें हो सकती हैं, दृष्टिकोण हो सकते हैं। हर क्षेत्र में कल्पनाशक्त होते हैं, उनके अनुसार लोगों की आदतें बनती हैं। उनके विषय में यदि हम अपनी मान्यताओं को, अपने दृष्टिकोण को, अपनी धारणाओं को, अपने विश्वास को दूसरे पर थोपने की कोशिश करेंगे, तो भारत जैसे देश के अन्दर मैं नहीं समझता कि हम अपने साथ ही और पूरे समाज के साथ ही कोई न्याय कर पायेंगे।

3.08 म०प०

[श्री बसवंत सिंह पीठासीन हुए]

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से संकल्प के मूवर से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपने राजनीतिक दुराग्रह, अपने राजनीतिक स्वार्थ को त्याग कर के, यदि विशुद्ध रूप से गाय की दशा को सुधारने के विषय में अपने संकल्प को सीमित करना चाहें, उसके आर्थिक पक्ष के विषय में कुछ कहना चाहें, तो सारा सदन, हम सब लोगों की भावनायें उनके साथ हैं, क्योंकि गाय हमारे जीवन का आधार है। हम गाय को इसलिए पूजते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि गाय हमारे लिए उसी तरह से है, जिस तरह से हमारी धरती है, जिस तरह से हमारी कृषि है, हमारी खेती है। इसीलिए हम गाय की पूजा करते हैं। जितनी गाय के प्रति श्रद्धा इस संकल्प के मूवर और उनके समर्थकों के बीच में हो सकती है, उससे किसी मामले में श्रद्धा हमारी भी कम नहीं है। लेकिन जिस संकुचित दृष्टिकोण से इस संकल्प को पेश करते वक्त उन्होंने अपनी बातें कही हैं और जिन बिन्दुओं को उन्होंने छूने की कोशिश की है, मैं उससे बिल्कुल भी इत्तिफाक नहीं रखता हूं। अधिष्ठाता महोदय, मैं सोचता हूं कि ऐसा करके वे न्याय नहीं कर रहे हैं, गाय के साथ भी नहीं कर रहे हैं और गौवंश के साथ भी नहीं कर रहे हैं तथा देश व समाज के साथ भी नहीं कर रहे हैं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर से माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि गाय की दशा को सुधारने के लिए, गौवंश की दशा को सुधारने के लिए, पशुधन को सुधारने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाना चाहिए। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिए और इसके लिए राज्य सरकारों से परामर्श करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लैवल का प्लान बनाकर, उसमें ग्रामीण पंचायतों और उससे क्षेत्रीय समितियों की इन्वाल्व कर सकें, तो आपकी यह बहुत बड़ी सेवा होगी। उससे ग्रामीण जनता है, जिसका नाम ले-लेकर आप अघाते नहीं हैं, आपकी सरकार भी अघाती नहीं है, उसकी भी बहुत बड़ी सेवा होगी।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा (डिंकानाल) : माननीय सभापति महोदय, आज सबसे पहले माननीय गुमानमल लोढ़ा जी का इस सदन को आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। गाय केवल हिन्दू धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, गाय माता हमारी भारतीय संस्कृति की प्रतीक है और इस देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी रही है। गौ-रक्षा को लेकर आजाद भारतवर्ष में अनेक बार आंदोलन हुए हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि आजाद भारतवर्ष में मैं सबसे पहला काम गौ-हत्या पर प्रतिबंध लगाने का करना चाहूंगा। ... (व्यवधान)

आज अफसोस की बात है कि आजादी के 43 वर्ष के बाद भी हमारे देश में गौ-वध हो रहा है। गौ-हत्या क्यों बंद होनी चाहिए, इसके बारे में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात अवश्य सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जब तक केन्द्र सरकार एक ऐसा कानून नहीं बनाती, जिसकी वजह से जो राज्य अपने यहां गौ-वध बन्द करना चाहते हैं, जिन्होंने इसके बारे में कानून बनाए हुए हैं, उनका उल्लंघन न हो, तब तक स्थिति में सुधार होना मुश्किल है। उदाहरणस्वरूप राजस्थान में गौ-वध बंद है, परंतु किसी न किसी रूप में, व्यापार आदि का सहारा लेकर गाय राजस्थान के बाहर जाती है। राज्य सरकार उसके ऊपर रोक नहीं लगा पाती। व्यापार के नाम पर गाय प्रदेश के बाहर ले जाई जाती है और होता वही है कि राजस्थान प्रदेश में गौ हत्या पर प्रतिबंध है, गौ-हत्या के नाम पर गाय प्रदेश के बाहर नहीं ले जाई जा सकती, परंतु स्पष्ट तथ्य है कि राजस्थान के बाहर जो गाएं जाती हैं, वे सभी बूचड़खाने में जाती हैं। यह विडंबना है कि जिस प्रदेश के अंदर ऐसा कानून है, प्रदेश सरकार उस कानून का पालन करवाना चाहती है, वहां के निवासी उस कानून को कड़ाई से स्वीकार करते हैं, परंतु हमारी भावनाओं के विपरीत गाय की हत्या होती है। इसका कारण यही है कि केन्द्र द्वारा कोई ऐसा नियम नहीं बनाया हुआ है. मंत्री महोदय से मैं आज यह आग्रह करूंगा कि आप कोई ऐसा कानून बनाएं, ताकि कम से कम जो राज्य गाय के प्रति अपनी भावना रखते हैं, गौ-हत्या बंद करवाना चाहते हैं, अपने यहां कानून बनाए हुए हैं, उन कानूनों को वे ठोस रूप से पूर्णतः लागू करवा सकें। आज जिस प्रकार गांवों की समृद्धि के लिए, हमारे कृषकों की समृद्धि के लिए नयी-नयी योजनाएं बनायी जाती हैं, ये योजनाएं बनायी गयी हैं और इससे लाभ भी मिला है। परन्तु गौ पालन के लिए हजारों वर्षों से हमारे गांवों में परिपाटी चली आ रही है सभापति जी, यह नितान्त आवश्यक है कि गौ-हत्या के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाए। गुमान मल लोढा जी ने इस प्रस्ताव को सदन में लाकर एक बार पुनः देश का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए हमारे देश में कितने आन्दोलन हुए। सन् 1966 में आंदोलन हुआ। गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक करोड़ से भी अधिक लोगों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। सन् 1960 में संसद के समक्ष ऐसा ही आन्दोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ, वर्ष 1966 में शंकराचार्य ने आमरण अनशन किया, जो 68 दिन तक चला। उस समय आश्वासन दिया गया था कि समुचित कानून बनाया जाएगा। उन्होंने अनशन तोड़ा। लेकिन कोई समुचित कानून आज तक नहीं बना है। सन् 1971 के पहले भी यहां पर गोली कांड हुआ, किस प्रकार हमारे साथियों को गोली से भून दिया गया। वे केवल एक बात संसद के समक्ष प्रस्तुत हुए थे कि गौ-हत्या बन्द की जाए। उनके साथ जो कुछ हुआ, वह इस देश के लिए कलंक है।

सभापति जी, जब तक हम धर्म से ऊपर उठ कर, राजनीति से ऊपर उठ कर और इस देश की संस्कृति, गौरव और देश की परम्परा को सामने रखते हुए इस विषय पर गहन चिन्तन नहीं करेंगे, ईमानदारी से चिन्तन करने के पश्चात् आत्म-चिन्तन नहीं करेंगे, जब तक गौ-हत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिए केन्द्र द्वारा समुचित कानून का प्रावधान नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं इस देश के ऊपर यह कलंक जैसे का तैसा रहेगा। विशेषकर गांवों के अन्दर कृषक, गरीब व्यक्ति गौ-पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं उनको अभी तक खेती आधुनिक तकनीक का ज्ञान नहीं है। इसका वे उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के पास साधन नहीं हैं कि उनको ऐसी तकनीक, ऐसे साधन उपलब्ध करा पाए जिससे वे अपनी खेती को आज की टैक्नीक के रूप में विकसित कर सकें। उनका केवल मात्र जीवन का साधन गौ-पालन है।

सभापति महोदय, मैं जिस प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, वह राजस्थान है, वहां पर गौ का कितना महत्व है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमारे गांव के कृषक गौ के ऊपर कितने

आधारित हैं, यह सर्वविदित है। मैं चाहूंगा कि कम से कम राजस्थान में जो कानून बनाया गया है उस कानून का पालन करने के लिए दूसरे राज्यों में जो हमारे यहां का पशुधन जाकर बूचड़खाने में कटवाया जाता है उस पर सरकार का ध्यान जाए। सरकार एक समुचित कानून बना कर सदन के सामने आए। माननीय लोढा जी ने यहां पर यह प्रस्ताव लाकर सदन का ही नहीं पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रेशम लाल जांगड़े (बिलासपुर) : माननीय सभापति जी, इस सदन में जब हमारे सदस्य गौ-वध के संबंध में चर्चा करते हैं तो वे देखते हैं कि भविष्य में उनका राजनीतिक लाभ होता है या नहीं।

सभापति महोदय : इसके लिए एक घंटे का समय बढ़ाया गया है और पांच-छह सदस्य बोलना चाहते हैं और मंत्री महोदय भी उत्तर देंगे। जिनका प्रस्ताव है उनको भी बोलना है। आप समय का ध्यान रखिए जिससे अधिक लोगों को समय मिल जाए।

श्री रेशम लाल जांगड़े : वे प्रत्यक्ष विरोध न करके उसका विरोध करते हैं और साफ शब्दों में गौ-वध बंद होना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। काश्मीर में गौ-वध की पूर्ण मनाही है। ऐसे प्रदेशों में समवर्ती विषय क्यों नहीं बना सकते जबकि बनाने में सक्षम हैं। मैं जब पहले पार्लियामेंट में था तो रफी अहमद किदवई जी ने कहा था कि भविष्य में देश की जनता गौ-वध को बन्द करना चाहती है तो केन्द्रीय शासन को इसको बंद करना चाहिए। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री की मनःस्थिति इस पर नहीं उठी थी। उस वक्त रह रफी अहमद किदवई ने मनाही की थी वह नहीं हो सका। मैं यह भी कह सकता हूं कि ब्राह्मणों की आर्थिक हालत जर्जर हो रही है और मवेशियों की कीमत अत्यधिक बढ़ रही है। मोटर साइकिल की कीमत के बराबर मवेशियों की कीमत बढ़ गई है। जो कैमिकल फर्टिलाइजर है उससे ग्रामीण फसलों में अनेक रोग फैलते हैं और लोगों की जो स्वास्थ्यवर्धक स्थिति है उसमें बहुत गिरावट आ रही है। एक तरफ बायो-गैस की चर्चा करते हैं। इसके साथ-साथ गोबर खाद की बात भी की जाती है इससे उपद्रव शक्ति है और इस फर्टिलाइजर के सेचुरेटड प्वाइंट पर फर्टिलिटी न हो जाए इसलिए गोबर खाद का प्रयोग करें वह तब होगा जब गोबर की समृद्धि होगी। हमारे कुछ लोग दलील पेश करते हैं कि गौ-वध बंद करना चाहिए। लेकिन कसाई घरों में अच्छी नसल के जानवर और अच्छे बछड़े छह महीने भर बाद भेजे जाते हैं। वे विदेशों में चले जाते हैं और कर्म का खाद बनता है। वहां के लोग बड़े मजे से पहनते हैं और उसकी कीमत ज्यादा देते हैं। इसकी लालच में अच्छी नस्लों को बन्द कराते हैं। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब किसी चीज की स्मगलिंग होती है तो उसको रोक नहीं पाए और नशीले पदार्थों की रुकावट फिर भी होती है। यह दलील इस सदन में दी जाती है। लोग अपनी आदत सुधारें और फिर नशीले पदार्थों की रुकावट हो। लोग अपनी राजनीति के कारण अपने तथ्यों को छिपाते हैं और दलील पेश करते हैं कि गौ-वध बंद हो और यहां आकर भविष्य देखते हैं कि हमारी पार्टी का क्या होगा। इससे प्रेरित होकर अपने मन की कुंठा से अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। इस सदन की राय है और करोड़ों लोगों की राय है कि किसी भी प्रदेश में रेफरेन्डस ले लीजिए और ओपीनियन कीजिए। देश की अधिकांश जनता गौ-वध को रोकना चाहती है। इसके बावजूद भी यहां पर केवल तुष्टिकरण की नीति के कारण, अपने संकुचित विचारों को लाकर हम इस देश के करोड़ों किसानों की गरीबी में और वृद्धि ही कर रहे हैं। जबकि उसकी आर्थिक अवस्था जर्जर है, देहात बर्बाद हो रहे हैं, शहरीकरण के कारण और रासायनिक फर्टिलाइजर के कारण। इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीति को छोड़िये। जनहित के नाम पर, जन-संवर्धन के नाम पर, जनता की भावनाओं का आदर करते हुए मैं इस सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि गौ-वंश की हत्या को रोकने के लिए इस प्रस्ताव को पारित किया जाये।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, आज इस अहम् विष यपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो इस देश में बिना आवाज की वस्तु है और जिसके सिर से लेकर पूंछ तक एक-एक चीज इस देश के काम मे आती है। पता नहीं किस कारण से आज तक इस पर सरकार गम्भीरता से राय नहीं ले सकी।

सभापति महोदय, गाय का गोबर खाद के रूप में काम में लाया जाता है, उसकी हड्डियां जब उसकी मृत्यु हो जाती है वे भी काम में आती हैं। इस तरह से उसकी सारी की सारी चीजे हम काम में लेते हैं। जब हम इस देश के 80 प्रतिशत किसानों और मजदूरों की बात करने लगते है तो उसका मुख्य साधन गाय ही है। किसान अपने खेत में उसके गोबर को खाद के रूप में प्रयोग करता है, ग्रामीण जनता उसके गोबर को सुखाकर उसके उपले बनाकर जलाने के काम में लाती है। लेकिन उस गाय की बृहद पैमाने पर हत्या हो रही है और कहीं उस पर रोक नहीं है। रोक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हां, किसी-किसी प्रदेश में इस पर रोक लगाई गई है, लेकिन उस रोक का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि भारत सरकार ने इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूं कि आज गाय पर रिसर्च हो रही है। उसके गोबर से हम बिजली पैदा करते हैं, खाद पैदा करते हैं। हिन्दुस्तान और विश्व के वैज्ञानिकों ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया है कि उसके गोबर से बिजली पैदा करके उद्योग लगाये जा सकते हैं। जो इस देश की सबसे बड़ी सम्पत्ति है उसकी हत्या हम करते रहेंगे, दिन-प्रतिदिन उसकी संख्या घटती गई तो नतीजा यह होगा, जैसे पर्यावरण के लिए हम लाखों-करोड़ों रुपये लगाकर अब वृक्षारोपण कर रहे हैं, क्योंकि हम वृक्षों के कटने पर चिन्तित हैं और हमारा पर्यावरण दूषित हो गया है, उसी प्रकार हम गाय के कीमती सामान से वंचित हो जायेंगे और फिर उसकी चिन्ता करेंगे। अगर यह सरकार और संसद इस पर गम्भीरता से विचार नहीं करेगी तो आपको ऐसी बहुमूल्य चीज एक दिन नहीं मिलेगी। मैं मांग करता हूं कि सरकार यह जवाब दे कि निश्चित रूप से इस पर कानून बनायेगी।

गौ-हत्या पर रोक लगायी जाये, यह मेरी मांग या राय नहीं है, देश की 80 करोड़ जनता इस पक्ष में है और हम सांसद भी इस पक्ष में है। इसलिए जनमानस के पक्ष को ध्यान में रखते हुए अगर उसके लिए कानून न हो तो यह मानवता के खिलाफ बात है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि निश्चित रूप से गौ हत्या पर रोक लगाई जाये और उस पर रिसर्च करके उससे सम्बन्धित उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गौ-हत्या पर रोक लगाने जाने सम्बन्धी बिल पर बोलने का मौका दिया।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं इस विषय पर बोलने के लिए केवल दो मिनट का समय लूंगा।

सभापति महोदय, माननीय श्री गुमान मल लोढा जी ने यहां गौ-हत्या को रोकने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के 43 साल के बाद भी हम यहां इस विषय पर बहस कर रहे हैं। यह बहस का मुद्दा नहीं है। यदि पुराना इतिहास देखा जाये तो निश्चित रूप से यह देखने को मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण की बात रही हो या महाराजा दिलीप की जिन्होंने गाय के लिए अपनी जिन्दगी को कुर्बान करने में कोई हिचकिचाहट नहीं की। आजादी के बाद देश के कई स्थानों पर गौ-हत्या हुई है और कई प्रमुख स्थानों पर इस विषय को लेकर बहुत कुछ बोला जा चुका है और इस संदर्भ में इस सदन में भी काफी कुछ कहा जा चुका है। आज के

वातावरण में पर्यावरण की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सरकार इस सदर्भ में एक आवश्यक बिल लाये या एक स्वस्थ परम्परा डालते हुए श्री लोढा जी के प्रस्ताव को स्वीकृत करे और उसी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करे। मैं इस विषय पर कुछ ज्यादा न कहते हुए केवल यह कहूंगा कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से हिन्दुस्तान को आत्मा के इस विषय को गंभीरता से लेकर अपने में आत्मसात् करके निर्णय ले।

श्री हरि शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, इस सदन में गौ हत्या को रोके जाने के लिए जो बिल लाया गया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं और इसका समर्थन करता हूं। भारत में दो महान् आदमी हुए हैं जिन्होने गाय की रक्षा की है। एक राम प्रभू और दूसरे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का प्रेम तो गाय के साथ इतना था कि वह सदैव उसके साथ-साथ रहती थी। जब वे मुरली बजाते तो ग्वाल तो दूर, आदमी तो दूर, गायें उनकी सुरीली आवाज सुनकर उनके साथ चली आती थीं। उनका ऐसा प्रेम गाय के प्रति था। इस सदन में इस समय माननीय साठे साहब मौजूद हैं। इन्होंने भी एक समय गौ-हत्य को रोकने के लिए बड़ी-बड़ी अच्छी बातें की थीं। मैं जब 6 साल का लड़का था तो मैंने भी तीन वर्ष तक गाय संभाली है और आज भी गाय के प्रति मेरा प्रेम है।

सभापति महोदय, खेती के लिए गाय का जो बछड़ा होता है, वह बहुत जरूरी है। गाय का दूध भी जरूरी है। आप देखिये ट्रैक्टर से जितने प्रतिशत खेती होती है? देश के 80 प्रतिशत किसान बैल से खेती करते हैं और 2 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा खेती ट्रैक्टर से की जाती है। लेकिन एक बात जरूर है कि केवल गाय की संभाल ही रखना काफी नहीं है, उसका अच्छी तरह से ध्यान भी रखना जरूरी है। यहां सदन में जो गौ-हत्या को रोकने के लिए जो बिल आया है, यह केवल हिन्दूओं की बात ही नहीं है, मुसलमानों के भी नजदीक है, ऐसा सोचना चाहिये। पेड़ की छाया केवल चोरों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक आदमी के लिए होती है। तो इसी प्रकार गाय का उपयोग हर व्यक्ति के लिए है। अतः गौहत्या पर प्रतिबन्ध लगाना जरूरी है और इसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री के० मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : आदरणीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने साथी श्री गुमान मल लोढा जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने गोहत्य पर प्रतिबन्ध से सम्बन्धित प्राइवेट मैम्बर्स रिजोल्यूशन इस सदन में प्रस्तुत किया, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं। हमारे भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति, मर्यादाएं और धर्म-परायनता किसी न किसी रूप में गऊ के साथ जुड़ी हुई है और हमारों वर्षों से हम उन्हीं मान्यताओं को लेकर चलते आ रहे हैं। गऊ को भारतवर्ष में सदैव से परमात्मा का रूप माना जाता रहा है और उसकी पूजा की जाती रही है। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि गऊ-माता के भीतर, उसके प्रत्येक अंग में, उन सभी अवतारों का स्थान है, जिनकी हमारे यहां मान्यता है और गऊ की पूजा करके हम ऐसा मानते हैं कि उन सभी अवतारों की प्रत्यक्ष रूप से पूजा कर रहे हैं। उन सभी अवतारों का सिम्बल या प्रतिरूप गऊ को माना गया है।

मैं जिस क्षेत्र में आता हूं, वह मथुरा भगवान सच्चिदानन्द घनश्याम श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। उनका चित्र गऊ के साथ प्रतीक के रूप में हमेशा से हमारे सामने आता रहा है और आने वाली सन्तानों के सामने भी उसी तरह से स्पष्ट रूप से आता रहेगा। भगवान श्रीकृष्ण की पूरा, गऊ के साथ ही मान्य मानी गयी है। मैं समझता हूं कि भगवान श्रीकृष्ण को माखनचोर की लीलाओं के जरिये, उस समय जो अभियान चलाना पड़ा, उन्होंने जो लीलाएं प्रस्तुत कीं, उसके पीछे यह भाव रहा होगा कि उस काल में भी गायों की कमी, दूध मक्खन की कमी, मट्ठे की कमी शायद उत्पन्न हुई हो, और भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी लीलाओं से इन चीजों की रक्षा की और हमारा ध्यान आकर्षित

करने का प्रयत्न किया हो। उसका कारण यह भी था कि दूध, घी, मक्खन, मट्ठा आदि हमारे देश के किसानों से जुड़ी हुई वस्तुएं अनादि काल से रही है, किसानों पर आधारित रही हैं। हमारा देश कृषि प्रधान सदियों से रहा है और इन वस्तुओं से किसान को जीवनदान मिलता रहा है। इतना ही नहीं, जब भी हमारे घरों में हवन होता है, घरों की शुद्धता का प्रश्न आता है तो प्राचीन काल से हमारे घरों को गोबर से लीपा जाता रहा है, हवन में गोबर का प्रयोग होता रहा है, यहां तक कि जब भगवान का पंचामृत तैयार किया जाता है, जिसमें उनको स्नान दिया जाता है, उसमें भी गऊ का गोबर मिलाया जाता है। गऊ का गोबर पवित्रता का प्रतिरूप माना गया है। जब हम अपने देश में किसानों के हित की बातें करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे गावों का विकास किसानों को खुशहाली पर निर्भर करती है और गऊ का दूध, घी, मक्खन, मट्ठा, दही आदि किसानों की जिन्दगी को खुशहाल बनाने वाली वस्तुएं हैं, उसकी सन्तानों का जीवन इन्हीं वस्तुओं पर आधारित है। गोबर का इस्तेमाल हम खाद के रूप में करते हैं, उसे सुखाकर उपले बनाये जाते हैं, जिनमें हम चूल्हे में अग्नि जलाकर रोटियां पकाते हैं और गांवों में आज भी उपलों से रोटी बनाना पवित्र माना जाता है। इसके अलावा गांवों में घरों को गोबर से लीपा जाता है। तात्पर्य यह है कि किसान के अधिकतर काम गोबर पर निर्भर हैं। जब गऊ के बछड़े तैयार हो जाते हैं तो किसान उन्हें अपने खेतों में जोतकर फसल उगाता है और देश को अन्न पैदा करके देता है। यह दूसरी बात है कि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारा ध्यान गोबर की ओर से हटता जा रहा है, देश में गोबर की कमी होती जा रही है मगर गोबर की महत्ता को कम करके नहीं देखा जा सकता। उसमें वैज्ञानिक खाद की तुलना में कई गुना ताकत होती है। इसलिए सरकार के लिए यह आवश्यक है कि जिस गऊ को हम धार्मिक प्रतीक के रूप में मानते आये हैं, जो किसानों के जीवन से जुड़ा आवश्यक अंग है, उसकी रक्षा की ओर ध्यान दें। हमारे देश में जगह-जगह गोवध के खिलाफ आन्दोलन समय-समय पर होते रहे हैं, जिसकी भारत वर्ष के सभी धर्माचार्यों, धर्मगुरुओं, महात्माओं, साधुओं और यहां तक कि शंकराचार्य तक ने खिलाफत की है और सभी भारतवर्ष इसमें उनके साथ जुड़ा हुआ है। मैं यह नहीं मान सकता कि भारतवर्ष में रहने वाला चाहे किसी भी कौम या धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वह गऊ को सम्मान न देता हो, बशर्ते चन्द लोग जो अपने व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उनकी बात मैं मान सकता हूं। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं कि मथुरा में गाय-आन्दोलन होते हैं, उन आन्दोलनों में, आंदोलन-कर्ता साधुओं के ऊपर सरकार की तरफ से लाठी प्रहार किया जाता है, महात्माओं को जेलों में डाला जाता है। सारे देश में गो-वध आन्दोलन से गौ-वध तो रुका नहीं, लेकिन आन्दोलन करने वालों की हत्याएं जरूर कर दी गईं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इस देश में तुरन्त ऐसे कानून बनाएं जिससे गौ-वध रुके। इस देश की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई गाय को बचाने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं जिससे आने वाली सन्तानों को गाय की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां न देनी पड़ें।

सभापति महोदय, भारतवर्ष के पांच सितारा होटलों में गाय का मांस आज भी बिकता है। बड़े अफसोस की बात है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी हम गऊ मांस की बिक्री पर प्रतिबन्ध नहीं लगा पाए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि भारतवर्ष में पांच सितारा होटलों में गाय के मांस की बिक्री पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे गाय जो जवान हैं, जो पहली बार बच्चा दे रही हैं, उनको कलकत्ता और बम्बई और बड़े-बड़े शहरों में बेचा जाता है। हमारे मथुरा में जहां शास्त्रों के अनुसार दूध, दही, घी और मक्खन की नदियां बहती थीं, वहां आज अच्छी गायें देखने को नहीं मिलती हैं। पैठ में देखा जाए, तो हजारों की तादाद में अच्छी और स्वस्थ गायें ट्रकों में भरकर, दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई ले जाई जाती हैं। वहां इनको बेचा जाता है। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, गायों के एर्वाशन कराकर उनके बछड़ों को

मारा जाता है और उनकी चमड़ी को प्रोसैस करके विदेशों में ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है क्योंकि वह बहुत मुलायम होती है। इसी प्रकार से गायों के मांस को विदेशों में भेजा जाता है जिसको वे अपने प्रयोग में लाते हैं। सिर्फ गायें ही नहीं, बल्कि बैल, जो इस देश के किसानों का प्रतीक है, उसको भी जवान अवस्था में काट दिया जाता है और उन चन्द व्यवसाइयों के हाथों बेच दिया जाता है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार तुरन्त ऐसा कानून लागू करे जिससे आने वाले समय में गौ, बछड़ा और बैल का वध न हो।

सभापति महोदय, जब हम बच्चे थे, तो देखते और सुनते थे कि उन्नत किस्म की नस्लों को पैदा करने की बात कही जाती थी और विदेशों से सीमन लाकर, ज्यादा दूध के लालच में, हमारी प्राचीन और उम्दा नस्लों को क्रॉस-ब्रीड करवा कर उनसे नई नस्लें तैयार कराई जाती थीं जिसका परिणाम यह हुआ कि उनसे उत्पन्न बैल जोत में काम नहीं आ पा रहे हैं। हमारे देश की गरम जलवायु के कारण मैं देखता हूं वे गरमी के कारण खेतों में बैठ जाते हैं, जोत नहीं पाते हैं। इस प्रकार से हमारी प्राचीन और उम्दा गायों की जो नस्लें थीं उनको भी समाप्त किया जा रहा है। मैंने देखा है पहले हरियाणा और राजस्थान में गायों की बड़ी उम्दा नस्लें थीं, लेकिन उनको आज नष्ट किया जा रहा है। यहां प्रेसीडेण्ट हाउस में हम देखते थे बहुत बढ़िया, उन्नत नस्ल की, उम्दा नस्ल की गायें थीं, वे अब नहीं रही हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारी प्राचीन नस्लों की गायों की भी रक्षा की जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध भी करना चाहता हूं कि चाहे हमारी गायें बूढ़ी हो जाएं, वे इस योग्य नहीं रहें कि वे और आगे मानव की सेवा कर सकें, तो उनके लिए सरकार रहने और खाने का इंतजाम करे। इसके लिए सरकार हर जिले में गौ-शालाएं स्थापित करे। जहां हम देखते हैं सरकार अन्य कामों पर इतनी बड़ी धनराशि खर्च करती है, तो क्यों नहीं हमारी संस्कृति की प्रतीक गाय, बैल और जो बछड़े हैं, उनको संरक्षण देने के लिए हर जिले में गौशालाएं बनाई जाएं, जिनमें सरकार के माध्यम से वहां पर चारा और उनको रखने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभारी हूं, लोढा जी को धन्यवाद प्रकट करता हूं और सरकार से पूरी उम्मीद रखता हूं कि गऊ वध, गऊ जो धर्म की प्रतीक है, उसके वध पर तुरन्त रोक लगाने की कृपा करें।

श्री गंगा चरण लोधी (हमीरपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं लोढा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने गौ-वध विधेयक प्रस्तुत किया है। हमारे हिन्दू धर्म में जानवरों के रूप में ही नहीं बल्कि पेड़ों के रूप में भी ईश्वर के अवतार हुए हैं। हिन्दू धर्म में कई अवतार हुए हैं, मछली का अवतार, कछुए का अवतार, गऊ का अवतार, पेड़-पौधों के अवतार। हम जब भी इन अवतारों की बात करते हैं तो उनको धर्म से जोड़ लिया जाता है जबकि इन अवतारों के पीछे पूरा ही वैज्ञानिक आधार था। उस समय मनुष्य के जीवन के उपयोग के लिए जो भी आवश्यक चीजें थीं, हमारे धर्म में, जैसा कि मैंने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है, उसको अवतारों से जोड़ दिया गया। जैसे पीपल का वृक्ष दिन में भी आक्सीजन देता है, रात में भी आक्सीजन देता है इसलिए पीपल को भी हमने अवतार मान लिया। तुलसी के पेड़ को हम मां के समान मानते हैं क्योंकि वैज्ञानिक खोजों के आधार पर तुलसी का पेड़ एक ऐंटी-बायटिक औषधि है और हमारे जीवन के लिए लाभप्रद है, इसलिए हमने इसको अवतार मान लिया। उसी तरह से गाय भी हमारे जीवन के लिए इतनी उपयोगी है कि मनुष्य के जीवन में प्रारम्भ में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको गाय का दूध पिलाया जाता है। गाय के दूध में जितना विटामिन है शायद वह किसी भी दुधारू पशु के दूध में नहीं है। इसलिए

गाय को भी माता के रूप में माना। लेकिन जब भी हम गौ हत्या की बात करते हैं तो उन लोगों को साम्प्रदायिक कहा जाता है, उसको राजनीति से, वोट से जोड़ा जाता है और यहां जो भी बातें हो रही हैं वोट से जोड़ने वाली बातें शुरू हो जाती हैं। मुझे अफसोस है कि इस बिल पर हमारे किसी मुसलमान भाई को भी बोलना चाहिए क्योंकि गाय का दूध हिन्दू के लिए ही लाभदायक नहीं है, जो भी मनुष्य पीएगा उसके लिए लाभदायक है, सारे हिन्दुस्तान के लिए, पूरी मानव जाति के लिए लाभदायक है। आज स्थिति यह हो गई है कि हम गऊ माता के वध की बात करते हैं, कल कुर्सी से, सत्ता से जुड़े हुए लोगों से कहा जाए कि तुम्हारी मां का वध किया जाए तो अफसोस तो नहीं होगा तो वे इस पर भी अपनी सहमति जताने लगेंगे क्योंकि उस कुर्सी नहीं खिसकनी चाहिए, सत्ता नहीं हटनी चाहिए। हमें अपनी कुर्सी और सत्ता से भी प्यारा हमारा देश है और हमारी संस्कृति है जो हमें विरासत में मिली हुई है। मैं लोढा जी के इस बिल का समर्थन करता हूं। इसमें थोड़ा-सा संशोधन चाहता हूं कि गऊ हत्या तो बन्द होनी ही चाहिए, इसके अलावा जितने भी दुधारू पशु हैं उनकी भी हत्या बन्द होनी चाहिए और दुधारू पशु की हत्या करने पर भी दफा 302 होनी चाहिए जैसे मनुष्य के मारने पर दफा 302 लगती है। वही सजा गऊ हत्या करने पर भी मिलनी चाहिए जो मनुष्य की हत्या करने पर मिलती है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी हमारे दोस्त श्री मानवेन्द्र सिंह जी कहा कि हमारे देश में पशु का मांस, गऊ का मांस फाइव स्टार होटलों में बेचा जाता है। दरअसल फाइव स्टार सस्कृति पाश्चात्य देश की संस्कृति है और यह संस्कृति हमारे देश पर हावी होती चली जा रही है और अफसोस है कि देश की राजधानी में भी यह संस्कृति हावी है। फाइव स्टार होटल में चाहे गाय का मांस हो, चाहे भैंस का हो, बैल का हो, सारे मांस पर प्रतिबन्ध होना चाहिए जो दुधारू पशु द्वारा उपलब्ध किया जाता है या जो कृषि के उपयोग के पशु से प्रयोग किया जाता है।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और गुमानमल लोढा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं उन्होंने यह विधेयक लाक रहम सब लोगों को इस पर बोलने का अवसर दिया। यह प्रस्ताव लाकर उन्होंने हमारी संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प दोहराया है।

श्री बाबूभाई मेघजी शाह (कच्छ) : सभापति महोदय, श्री गुमानमल लोढा जी जो रैजोल्यूशन लाये हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं और इसको लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। आज देश के कई भागों में गाय की हत्या की जा रही है। अगर हम गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाते हैं तो देश के सभी लोग इसका स्वागत करेंगे। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने इस सम्बन्ध से जो कुछ भी कहा वह सही है। गाय की नस्ल इस देश के अन्दर से धीरे-धीरे कम होती जा रही है। हमारे गुजरात में काकरोच और गीर ब्रिड की गाय होती हैं। बम्बई में एक कब-खाना है। वहां इस किस्म की नस्ल की गायों को बहुत नुकसान पहुंचा है। खेती के लिए जो बैल इस्तेमाल होते हैं वह बैल राजस्थान और गुजरात में बहुत बढ़िया मिलते हैं। अगर गौहत्या पर प्रतिबन्ध न लगाया गया तो पूरी नस्ल इनकी खत्म हो जायेगी। साठे जी मेरी इस बात से सहमत होंगे।

विनोबा जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने गौहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए बहुत प्रयास किया। अगर हम इस प्रस्ताव को मंजूर करके इसे स्वीकार कर लेंगे तो विनोबा जी के प्रति इससे अच्छी श्रद्धांजलि और कोई नहीं हो सकेगी। यह केवल धर्म या संस्कृति का मामला नहीं है, इसके साथ देश हित जुड़ा हुआ है। गाय एक कामधेनू के रूप में मानी जाती है। बैलों के द्वारा खेती बहुत अच्छी होती है जिससे हमें अरबों रुपये की आय होती है। इस कारण इनकी हत्या करने की बात सोची नहीं जानी चाहिए।

आज सदन में बहुत कम सदस्य उपस्थित हैं। गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने की बात का हर भारतीय को समर्थन करना चाहिए। इसमें हिन्दू मुस्लिम का कोई भेद नहीं समझना चाहिए। देश की संस्कृति को बचाये रखने के लिए ही लोढ़ा जी यह प्रस्ताव लेकर आये हैं। यह प्रस्ताव लाने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका आभारी हूं।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं श्री लोढ़ा जी द्वारा प्रस्तावित गौ-हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगाने के संकल्प का हार्दिक समर्थन करता हूं और यह संकल्प लाने के लिए उन्हें बधाई देता हूं।

स्वामी दयानन्द सरस्वती जो वर्तमान युग के बहुत बड़े समाज सुधाकर थे उन्होंने गोकरूणा-निधि ग्रंथ के अन्दर बताया है कि गौ का आर्थिक दृष्टि से और कृषि की दृष्टि से क्या महत्व है ? इन सब बातों पर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्होंने उसमें कहा है कि गाय का अंग-प्रत्यंग हरेक चीज काम में आती है जबकि मनुष्य के मरने के बाद उसका शरीर फूंक दिया जाता है, जमीन में गाढ़ दिया जाता है। गाय को माता कह मर पुकारा जाता है। उसका अंग-प्रत्यंग जीते-जी और मरने के बाद भी काम में आता है। ऐसे उपयोगी पशु की स्वतंत्र भारत के अन्दर हत्या हो, इससे बढ़कर अभिशाप और क्या हो सकता है।

जब मैं विद्यार्थी था तो मैंने पढ़ा था कि आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर प्रातःकाल कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े नगरों में वहां बड़े-बड़े कत्लगाह है वहां 30-30 हजार गायों को एक लाइन में खड़ा करके हरी घास डाल दी जाती है। उसके बाद स्वचालित मशीनों के द्वारा बटन दबा कर एक आरा मशीन की तरह उन्हें दबा दिया जाता है। ऐसे में उन सब गायों की गरदनें कट-कट कर अलग हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चा पैदा करने वाली जो गायें होती हैं उनके पेट से बछड़ों को निकाल कर उनको पानी में डाला जाता है। उसके बाद डंडों और दूसरे औजारों से कैमिकल मिला कर चमड़ा तैयार किया जाता है जिसका काफ लैदर तैयार करके तथाकथित पूंजीवादी लोग और पाश्चात्य संस्कृति के लोग··· (व्यवधान) ···या गौमांस का भक्षण करने वाले लोग अपने पैरों में काफ लैदर का जूता पहन कर आये हैं और अपनी शान बघारते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिन वेदों में ईश्वरीय ज्ञान है उन वेदों में गाय को "गौ विश्वस्य मातरः" कहा गया है, गौ विश्व की माता है और जिस वेद के अन्दर मानव धर्म का उपदेश देते हुए यह कहा गया "सहृदयम् सौमनस्यम् अविद्वेषम् कृणोमेवइव, अन्योअन्यम् अविहार्यतः जातम् वत्सइव अघन्याः"। जिस प्रकार से गऊ अपने पैदा होने वाले बछड़े के प्रति प्यार करती है, मनुष्य को मनुष्य के प्रति उसी प्रकार से प्रेम से रहना चाहिए तो जो गाय हमारी भारतीय संस्कृति का आदर्श हैं, जो गाय हमारी भारतीय आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही, हिन्दुस्तान जैसे कृषि प्रधान देश के अन्दर, जहां दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है और गाय के गोबर को लीपकर आंगन के अन्दर सुशोभित करके माताएं अपने घर को गौरवान्वित समझती हैं, ऐसी गौ के ऊपर आज आजाद भारत के अन्दर हत्या का कलंक लगा देना वास्तव में इससे बढ़कर स्वतन्त्र भारत के लिए क्या अभिशाप होगा। भारत माता आंखों में आंसू बहाती है कि उसकी गोद के अन्दर पलने वाली कोटि-कोटि जो गऊएं होती थीं, मैं गांव का रहने वाला किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं, किसान के लिए गाय का कितना महत्व है तो गाय जब चर कर आती है, रम्भाती हुई घर को वापस लौटती है, उस समय उसका प्यार और दुलार देखने लायक होता है। जिस समय किसान उसका दूध निकालता है उस समय वह जो आनन्द का अनुभव करती है और गाय के दूध का सेवन करने से, गाय के दूध के बने हुए पदार्थों का सेवन करने से आरोग्य बनता है, हमारा जो अच्छा स्वास्थ्य बनता है, जो पुष्टिकारक बन हमारे अन्दर आता है, हमारे मस्तिष्क का जो

विकास होता है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास जो होता है, वह अन्य किसी पदार्थ से नहीं होता लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, यहां डालडा जैसे पदार्थों का सेवन करने से या अन्य रासायनिक पदार्थों के द्वारा बने हुए अन्य पदार्थों का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जैसा खाओगे अन्न, वैसा बनेगा मन, जैसी होगी दृष्टि, वैसी होगी सृष्टि। आज गौ के घृत का सेवन नहीं करने से, गौ दूध का सेवन न करने से, जो पूर्ण भोजन कहलाता है, इसमें संतुलित भोजन के सारे में गुण मिलते हैं, आज इससे नाना प्रकार की बीमारियां दिलों में घर कर गई हैं, आज क्या कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर गेहूं की फसल इतनी ताजा-ताजा होती है, उसका कारण है कि माननीय स्वर्गीय प्रधान मंत्री चरण सिंह जी ने गाय के गोबर को महत्ता प्रदान कराई थी और वहां के खेतों के अन्दर यह नारा पहले लगा था किसानों के द्वारा कि "अमेरिका का ट्रैक्टर, इरान का तेल, हिन्दुस्तान के किसान का इनसे क्या मेल" हमारे यहां बैलों के द्वारा जो खेती की जाती थी, गाय का गोबर जो खेतों में मिलाया जाता था, उससे पैदा होने वाला गेहूं बड़ा स्वादिष्ट होता जा, उसको खाने से खाने के अन्दर आनन्द का अनुभव होता था लेकिन आज यूरिया गेहूं के द्वारा नाना प्रकार के फर्टिलाइजर्स के द्वारा खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई है, उनमें खार पैदा हो गया है और जो पैदा होने वाला अन्न है, नाना प्रकार की कीटनाशक औषधियों के द्वारा उसमें विषाक्त गुण आ गये हैं इसलिए मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि गुमान मल जी लोढ़ा के द्वारा प्रस्वावित यह गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने का जो प्रस्ताव है, सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाए और मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा, माननीय कृषि मंत्री जी से और इस देश की कोटि-कोटि जनता से जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नागालैण्ड तक, सारे देश की जनता जो यहां की भारतीय संस्कृति से प्रेरणा लेने वाली है, भारतीय धर्म में विश्वास करने वाली है, भारतीय आस्थाओं को मानने वाली है, भारतीय परम्पराओं को मानने वाली है, राजा दिलीप और नन्दिनी की बात को मानने वाली है, राम व कृष्ण की अनुयायी है, शिवा और प्रताप की बात मानने वाली है, विवेकानन्द और दयानन्द की बात को मानने वाली है तो उनका प्राथमिक कर्तव्य है कि आज गोहत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग गाय के मांस को खाते हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए। परमात्मा ने जो मनुष्य को बनाया तो उन्होंने मनुष्य के दांत दूसरे प्रकार के बनाये, गाय के दांत मनुष्य के दांत शाकाहार करने वालों के दांत अन्य प्रकार के हैं और मांसासारी जितने भी जानवर है, उनके दांत भगवान ने नुकीले और प्रकार के बनाये हैं, उससे ही साफ जाहिर होता है कि उन मांसाहारी जानवरों का खाद्य कैसा होगा और हमारे दांत जिस प्रकार से बनाये, वह मांसाहारियों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त हैं। आज तो पाश्चात्य वैज्ञानिक ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया है कि शाकाहारी भोजन मनुष्य के लिए आयुवर्धक, बलवर्धक और पुष्टिवर्धक और दीर्घायु प्रदान करने वाला है और मांसाहारी भोजन कैंसर जैसी बीमारियों को प्रदान करने वाला और उसके साथ रक्तचाप जैसी बीमारी को बढ़ाने वाला है और नाना प्रकार के रोगों को जन्म देने वाला है इसलिए भारत जैसे देश में तो जहां ऋषि और मुनि हुए और जिन्होंने शाकाहार का उपदेश दिया, यह तो बाद में कुछ पश्चातवर्ती लोगों ने प्रक्षिप्त अंग मिलाये जिसके आधार पर कुछ लोगों ने लिख दिया कि ऋषि मुनियों को भक्षण यह था, यह सब बेकार, असत्य और निराधार बातें हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि गोहत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

4.00 म० प०

चाहे धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और हम गो-पालक श्रीकृष्ण का नाम लेकर गर्व का अनुभव करते हैं और जय-जयकार करते हैं। आज कुत्ता-बिल्ली

पालने वाले लोग शाम को एलसेसियन कुत्ता लेकर शाम को कारों में घूमते हैं, इधर-उधर घूमते हैं, लेकिन गाय पालने के लिए उनके बंगलों के अन्दर, उनके घरों के अन्दर जगह नहीं है। अगर उनका नाम रख दिया जाए कुत्ता पाल बिल्ली पाल जी नमस्ते तो वे नाराज हो जायेंगे। यह गोपाल का देश रहा है, जहां गाय पालने वालों को धन्य माना जाता था और गाय आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी। गवेषणा शब्द आया, यानी गाय की खोज, गाय के बारे में अनुसंधान, लेकिन आज हम सारी मर्यादाओं को भूल गए हैं और उसके स्थान पर दूसरी चीजों का सेवन करके हम अपने आपको बहुत बड़ा मानकर बैठे हैं। मैं अधिक न कहते हुए, अंत में यह कहना चाहता हूं कि माननीय लोढा जी ने जो गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया है, उस संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए। केवल गैर-सरकारी ही नहीं, सरकार के जो नुमाइन्दे बैठे हुए हैं मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि हमारी भारतीयता का सम्मान करते हुए, धार्मिक सहिष्णुता का आदर करते हुए, इसको सर्व-सम्मति से लागू करें देश के अन्दर कि गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध रहेगा। जिन प्रान्तों के अन्दर ये कानून नहीं बने हुए हैं, मैं उन प्रान्तों के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि वे इस दिशा में कदम उठायें। एशियाड के समय में जब हमें यह देखने को मिला कि जो विदेशी आए थे, उनको खुश करने के लिए गौ-मांस परोसा गया। उन विदेशी मेहमानों को मांस खिलाकर हमारे कुछ अधिकारी जरूर प्रसन्न हो गए हों, लेकिन विदेशियों की बड़ी शर्म आई होगी कि हिन्दुस्तान जैसा धर्म परायण देश, दुनिया को ज्ञान का संदेश देने वाला देश, दुनिया का गुरु कहलाने वाला देश, वेदों का पाठ पढ़ाने वाला देश, उपनिषदों की विद्या का उपदेश देने वाला देश, गौ-मांस परोसता है। मैं कहना चाहता हूं कि गौ-हत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिए। सम्पूर्ण गौ-वध के ऊपर सभी प्रकार का प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए। जिस तरह से सूअर पालन, कुक्कट पालन जैसे कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है, यदि उसके स्थान पर गाय पालन को बढ़ावा दिया जाए, तो जिसको श्वेत-क्रान्ति कहा जाता है, उसको बल मिलेगा। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और लोग हृष्ट-पुष्ट बनेंगे। साउण्ड माइन्ड इन साउन्ड बॉडी—स्वस्थ मस्तिष्क का निवेश। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवेश होगा तो स्वस्थ होकर जोरशोर से दुनिया में भारत का नाम कमायें।

श्री नन्द कुमार साय (रायगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री गुमान मल लोढा जी द्वारा गोवंश की हत्या पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में जो संकल्प लाया गया है, उसका हृदय से समर्थन करता हूं और इस अवसर पर उनके संकल्प के समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

वास्तव में गंगा और गीता भारत राष्ट्र की शिनाख्त हैं, पहचान हैं। आजादी के बाद जिस तरह से गाय को संरक्षण और संवर्धन मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। पक्ष में कई मित्रों ने कहा है कि संकल्प में जो बातें कही गई हैं, उसको दूसरी दृष्टि से देखने का प्रयास हो रहा है। हिन्दुस्तान में गाय को मां कहा गया है, तो उसके पीछे उसकी उपयोगिता रही है। इसी कारण से मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि जन्म देने वाली मां हमको अधिक से अधिक ढ़ाई-तीन वर्ष तक दूध पिलाती है लेकिन गौमाता हमें जीवन के अन्तिम क्षणों तक दूध पिलाती है। इसीलिए हमने उसको मां कहा है। गाय का गोबर जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने की क्षमता रखता है। गाय का मत्र धनवन्तरी का साक्षात प्रसाद है। गाय का दूध तो साक्षात अमृत है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने कहा है कि गाय केवल गौ-माता ही नहीं है, केवल जानवर ही नहीं है, यह गौ-माता वास्तव में मां है। इसीलिए उन्होंने आल्हादित होकर गाय की प्रार्थना की और कहा कि—

यथा सर्वमिदं व्याप्तं; जगत स्थावर जंगमम् ।
तां धेनु शिरता वन्दे भूतमात्रस्य मातरम् ॥

माननीय सभापति महोदय, गाय का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि आज खेती की हालत जरजर हो रही है, पशु मिलते नहीं हैं, खेती को जमीन खाली पड़ी रहती है, आप सर्वे करके देखिए, किसान इसलिए खेती नहीं कर पाता है, क्योंकि मवेशी उसको नहीं मिलते हैं, हल बैल उसके पास नहीं हैं, जिसकी वजह से उसकी भूमि पड़ती रह जाती है । इसकी वजह से आज देश के अंदर अनाज का संकट गहराता जा रहा है । गाय के महत्व को नजर-अन्दाज नहीं किया जा सकता है । इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं । दानवीर कर्ण के पास कवच-कुण्डल लेने के लिए इन्द्र को भेजा गया भिक्षा मांगने के लिए तो कर्ण ने सर्वप्रथम कहा कि मेरे पास जो सबसे बड़ी चीज है वह मैं आपको देना चाहता हूं—

गुणवदमृत कल्पीक्षीर धाराभिवर्णों, द्विजवर रूचितं ते तृप्त व सानुयषम्,
तरूणमधिकमर्थी प्राथनीयं पवित्रं, निहित कनक श्रृंगं गोसहस्त्र ददामि ।

कर्ण ने कहा कि मैं ऐसी गाएं जो दूध में गुण लिए हुए हैं, अमृत समान जिनका दूध है, जिसको पीने से तरुण बलवान और विनम्र बनते हैं, जो श्रेष्ठ लोगों को रुचिकर है, जिन गायों के सींग सोने से मढ़े हुए हैं, ऐसी एक हजार गाएं मैं आपको देना चाहता हूं । माननीय सभापति जी, हमारा पौराणिक इतिहास, शास्त्रों में सब जगह गाय की ऐसी महत्ता बताई गई है । आज हम देखते हैं कि जहां-जहां, जिस-जिस देश में गाय के प्रति दुर्लक्ष किया गया है, गो हत्या को रोका नहीं गया है, वहां आने वाले दिनों में, जैसा कि हमारे कई मित्रों ने कहा कि एक संकट खड़ा होने वाला है । वहां पर खेती नहीं होगी, ट्रैक्टर और रासायनिक खादों के उपयोग से अनाज में विकृतियां पैदा होंगी, उनको खाने से लोगों में बीमारियां पैदा होंगी । अगर इस तरह से भविष्य को देखने का प्रयास किया जाए तो बड़ी भयावह स्थिति है ।

सभापति महोदय, समय बहुत कम है, आपने जो बोलने का समय दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरे सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि संकल्प को सर्व-सम्मति से पास करें । मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सम्पूर्ण भारत में गो-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए तुरन्त एक ताकतवर विधेयक लाया जाए, ताकि पूरे देश में गौहत्या को समूल बन्द किया जा सके ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय : जो समय निर्धारित था इस विषय के लिए, वह समाप्त हो गया है, उसके बाद एक घण्टे से भी अधिक समय और लिया जा चुका है । अब और आगे बढ़ाने के लिए सदन की अनुमति चाहिए ।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : सभापति महोदय, इसके बाद का प्रस्ताव भी उतना ही महत्व-पूर्ण है, किसान की रक्षा करने के लिए इस प्रस्ताव को भी मौका मिलना चाहिए ।

सभापति महोदय : आप उतावले हो रहे हैं । मुझे उस प्रस्ताव की चिंता है, इसलिए मैं सदन की राय जानना चाहता हूं । इस प्रस्ताव में एक सदस्य और बोलना चाहते हैं, उसके बाद मन्त्री जी का उत्तर और प्रस्ताव करने वाले सदस्य बोलेंगे ।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय, इसमें एक घण्टा और बढ़ाया जा सकता है।

सभापति महोदय : अगर सभा की यह सर्वसम्मति है तो क्या मैं इस चर्चा के लिए निर्धारित समय को 5.00 म० प० तक बढ़ा सकता हूं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : इस चर्चा के लिए समय 5.00 म० प० तक बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री उत्तम राठौड़ : मैं कहना चाहता हूं कि जैसे शाहबानो के केस में हुआ कहीं ऐसा ही न हो जाए। हम चाहते हैं कि काश्तकार की जिन्दगी का सवाल है, गाय-बैल से उसका संबंध है, यह महत्त्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : मैं पांच बजे इसको समाप्त कर दूंगा, आपको आधा घण्टा मिलेगा। आपके प्रस्ताव की मुझे उतनी ही चिन्ता है जितनी आपको है।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं अपने मित्रों से यह अपील करता हूं कि भारत ऐसा देश है जहां भिन्न-भिन्न जातीय वर्गों, धर्मों, मतों और विश्वासों के लोग भी रहते हैं। लोगों की खान-पान की आदतें भी भिन्न हैं।

मैं शिलांग के पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों का रहने वाला हूं और हमारे महान देश के इस भाग में रहने वाले 95% लोग अपने प्रतिदिन के खाने के लिए गौ-मास पर निर्भर हैं।

लोगों के खान-पान की आदत के अलावा, यह प्रस्ताव भी बहुत खतरनाक और अहितकारी है। यह प्रस्ताव देश के उन भागों में साम्प्रदायिक भाव भड़का सकता है जिनमें देश के अन्य भागों की अपेक्षा लोगों का खान-पान भिन्न है। विज्ञान की तरक्की के साथ, हमें यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि इसे ऐसे वैज्ञानिक तरीके से काटा जाये ताकि मांस को ढंग से पैक किया जा सके और लोगों में इस तरह बांटा जाए जिससे किसी की भी भावनाओं को चोट न पहुंचे। हमारे क्षेत्र, शिलांग में, हमने देखा है कि सभी बाजारों में गौ-मास बेचा जाता है किन्तु बाजार क्षेत्र से एकदम हटकर बेचा जाता है। इस प्रकार, हम किसी की भावनाओं को कष्ट नहीं पहुंचाते। मुसलमान गायों की हत्या करते हैं और खासी भी गायों की हत्या करते हैं। इसलिए, हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए कि क्योंकि हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं के अनुसार गाय एक पूजनीय जानवर है, अतः खान-पान की आदत बदल दी जानी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि गाय भारत के लाखों लोगों के खान-पान की आदत में शामिल है और परिणामस्वरूप, हमें उदार हृदय होना चाहिए। हमें गायों की देखभाल करनी चाहिए। आप यदि सड़क पर जाते हैं तो देखते हैं कि गायों को सड़कों पर खुला छोड़ा गया है। हमने देखा है कि गायें गति-अवरोधक बन गई हैं। आप राष्ट्रीय मार्ग पर जाते हैं, भारत में किसी भी राष्ट्रीय मार्ग पर आप पाते हैं कि गायें गति-अवरोधक बन गई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी उचित देखभाल की जानी चाहिए। गाय हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पीटर जी० मरबनिआंग : पूर्वोत्तर क्षेत्र से हम लोग गौ-हत्या पर रोक लगाने के आज के प्रस्ताव का तीव्र विरोध करते हैं।

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री महोदय।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं माननीय मन्त्री के उत्तर देने से पहले बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं सदा आपके निवेदन को मान लेता हूं। मैंने माननीय मन्त्री को बुलाया है। अब आप उनसे पूछें कि क्या वे मान जाएंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : वे मान जायेंगे।

सभापति महोदय : प्रो० रंगा, मैंने माननीय मन्त्री को पहले ही बुला लिया है। मैंने उन्हें पहले ही बुला लिया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : वे मान जायेंगे।

सभापति महोदय : यदि वे मान जायेंगे तो मैं अपनी सहमति दे दूंगा। मैं उन्हें बैठने के लिए नहीं कह सकता।

कृषि मन्त्रालय में कृषि और संहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : हां, मैं उनकी बात मान रहा हू।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : सभापति महोदय, मुझे सुनकर प्रसन्नता हुई कि पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों से मेरे माननीय मित्र ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि वे इस प्रस्ताव के विरुद्ध क्यों हैं। मैं काफी समय से यह जानना चाह रहा हूं कि हमारे राजनीतिज्ञों, जो सरकार चलाते हैं, ने अभी तक गौ-हत्या पर रोक लगाने की क्यों नहीं सोची है। आप देख सकते हैं कि क्यों वे अभी तक हिचकिचाते रहे हैं और एक अन्य कारण भी है। कुछ व्यक्ति इसे एक प्रकार के धार्मिक नारे के रूप में ले सकते हैं। इसलिए, यह अन्य धर्मान्ध व्यक्तियों को परेशान कर सकता है। किन्तु, इसी के साथ, इन सभी धार्मिक कट्टरताओं के अलावा मैं एक किसान भी हूं। जैसाकि आप जानते हैं, इस देश में किसान पशुओं, गायों, भेड़ों और बैलों से जुड़ा हुआ है। एक किसान के रूप में, मैं बैल को भी गायों के वर्ग का मानता हूं। हम अपने बैलों– नर बैल और मादा बैल—की सुरक्षा के प्रति बड़े चिन्तित रहते हैं। ट्रैक्टरों की उपस्थिति से भी किसानों के लिए पशु की उपयोगिता समाप्त नहीं हुई है। जहां तक किसानों का प्रश्न है किसानों के लिए पशु की अपेक्षा अन्य कोई वस्तु इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसके साथ जुड़ी हुई धार्मिक भावना के अलावा हमें किसान की आवश्यकताओं के बारे में भी सोचना है। यदि, भाग्यवश, पूर्वोत्तर राज्यों के लोग गौ-हत्या से उतने ही जुड़े हुए हैं जितने अन्य लोग इसके विरोध में हैं, तो इसका एक ही समाधान होगा, कि जब यह संसद का कर्त्तव्य बन जाता है कि वह इस सम्बन्ध में विधान पारित करे, उन्हें लोगों के बहुमत और उनकी इच्छाओं, किसानों के अधिक बहुमत और उनकी आवश्यकताओं पर विचार करना होगा। इस मामले में राज्य सरकारों और राज्य विधानों को स्वतन्त्रता देना ही एक उचित समाधान होगा। पूरे भारत के लिए एक ही विधान होना चाहिए और राज्यों के पास इसे मानने या न मानने का विकल्प होना चाहिए। आखिरकार, यदि सामान्य बहुमत के लोगों द्वारा अपने विचार कुछ राज्यों के लोगों पर थोपना गलत है तो देश में अत्यधिक बहुमत वाले लोगों की तुलना में कुछ राज्यों द्वारा, जहां जनसंख्या बहुत कम है, यह जोर डालना कि उनके राज्य में गौ-हत्या पर रोक नहीं होनी चाहिए, भी गलत है। इसलिए, जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का या अन्य राज्य का प्रश्न है, उनके लिए उचित समाधान होगा, कि यदि वे ऐसी कोई रोक नहीं लगाना चाहते तो उन्हें इसकी स्वतन्त्रता दें। किन्तु जहां तक शेष भारत का प्रश्न है, हमें इसकी पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि हम गौ-हत्या पर रोक लगा सकें। इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम सब इस महान मातृ-भूमि के नागरिक हैं, यही सबसे उचित समाधान होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोग लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं और इस समाधान का समर्थन

करेंगे। और यदि ऐसा समय आता है जिसमें सरकार को सम्पूर्ण भारत के लिए इस प्रकार का विधान अपनाना पड़ता है, तो राज्य सरकारों और राज्य विधानों को इस बारे में स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोग लोकतान्त्रिक भावना को ध्यान मे रखते हुए हमें इस प्रकार का विधान बनाने में सहयोग देंगे। कठिनाई कहां है ? हम यह विधान क्यों बनाएं ? कई सदस्यों ने पहले ही इसके कारण दे दिए हैं। मुझे उस विषय पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु एक बात स्पष्ट है। पशु हमारे किसानों के लिए बहुमूल्य हैं और इसी कारण वह भी पशुओं से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में पशु और किसान एक साथ रहते हैं और इसलिए बालकृष्ण और गाय, गौ-माता आदि पर इतनी कविताएं बनी हैं। यह इसलिए नहीं है कि हमारी महिलाएं पागल थीं जो उन्होंने गाय की पूजा की या हमारी माताएं इतनी अनभिज्ञ थीं कि उन्होंने हमारे घरों से फर्श को गोबर की सहायता से बहुत साफ बनाया। ऐसा आर्थिक आवश्यकता के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी था। इसलिए, मैं माननीय मन्त्री को यह सुझाव देना चाहूंगा कि राज्यों को इसे मानने या न मानने की छूट दे, और बाकी सबके लिए वे कहें कि सरकार की ओर से वे इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं।

मैं आश्चर्य में हूं कि मैं कांग्रेस से सम्बन्ध क्यों रखता हूं। हम सब एक समय कांग्रेस से सम्बन्धित थे। कृपया यह याद रखें। इनमें से कई युवक तब पैदा नहीं हुए थे और तब उनके माता-पिता कांग्रेसी थे। हम सब एक साथ थे। किन्तु ऐसा क्यों है कि जब हम कांग्रेस सरकार से मिली-जुली सरकार या कोई अन्य सरकार से सम्बन्धित थे तब ऐसी कोई रोक नहीं थी। यह एक बेवकूफी थी या राजनैतिक अनभिज्ञता थी।

जिस प्रकार से हमने राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्बन्ध में विधान पारित करने के सम्बन्ध में विचार नहीं किया उसी प्रकार हमने इस पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में भी विचार नहीं किया। यह एक प्रकार से अक्षम्य भूल है। मैं यह नहीं कह सकता कि यह हम सभी की गलती है। अब मुझे खुशी है कि मेरे माननीय मित्र इस संकल्प को लाये हैं तथा हमारे मित्र जिसमें वे भी शामिल हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तथा जो अत्यधिक ईमानदारी, दृढ़ता तथा स्वतंत्रतापूर्वक अपनी भावनायें व्यक्त कर रहे हैं तथा इस सदन में जो इस सम्बन्ध में चर्चा हो रही है उसको देखते हुए मैं यही कह सकता हूं कि हम सभी इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं।

यदि हमारे कुछ मित्र इसके विपक्ष में जाना चाहेंगे यदि उनका स्थानीय विधानमंडल भी उन्हें ऐसा करने की स्वतंत्रता देता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इसके विपरीत एक देश, एक राष्ट्र के रूप में हम बहुमत सहित इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं। हम चाहेंगे कि इस संबंध में एक राष्ट्रीय विधान बनाया जाना चाहिए तथा जो राज्य इस प्रकार के प्रतिबन्ध को लागू न करना चाहें उन्हें छूट दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (दुर्ग) : सभापति जी, मैं कुछ·····

सभापति महोदय : मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मैं अपील करना चाहता हूं। यह जो प्रस्ताव का संकल्प प्रस्तुत किया गया है, वह गौ-वंश उस पशु-धन के साथ शामिल किया जाये जो काश्तकारी से सम्बन्धित है ताकि माननीय रंगा साहब ने जो विस्तार से कहा है, उसको कार्यरूप दिया जा सके। दूसरी बात एक और है। यह आप और हम सब जानते हैं कि यहां जितने हिन्दू हैं, गाय को धार्मिक मां के रूप मानते हैं और इसका मांस नहीं खायेंगे लेकिन वही हिन्दू लोग जो विदेशों में जाते हैं तो वही गाय का मांस

खायेंगे लेकिन कहेंगे कि यह विदेशी गाय है। क्य वे हमारी उसी गाय का मांस नहीं खाते हैं ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गाय का धार्मिक आधार न होकर आर्थिक आधार होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मैं इस सम्बन्ध में बोलने के लिए केवल एक मिनट का समय चाहती हूं।

सभापति महोदय : समय काफी कम है। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहियेगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, मैं इस प्रस्ताव से असहमत हूं क्योंकि मेरे विचार से गौ-हत्या पर रोक लगाने से यह आवश्यक नहीं है कि अनिवार्यत: वर्तमान पशु-धन में कोई सुधार होगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे देश जैसी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में पशु-धन का काफी महत्त्व है परन्तु अन्य कई और भी तरीके हैं जिनसे इसे बढ़ाया जा सकता है। मैं नहीं समझती कि यदि पशु-धन कम होता जा रहा है तो इसका मुख्य कारण गौ-हत्या है।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि किसान तथा उसकी गाय अथवा भैंस के बीच में एक विशेष सम्बन्ध है। इन पशुओं के साथ कुछेक निश्चित सम्बन्ध जुड़े हुए हैं। यह ठीक है परन्तु जब कोई किसान इतना अधिक निर्धन होता है कि वह अपनी गाय अथवा भैंस की देखभाल भी ठीक से नहीं कर सकता है तथा जब उसे उस गाय अथवा भैंस को बेचना पड़ता है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जब कृत्रिम तरीके से दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए गाय पर कितनी अधिक अमानवीय क्रूरतायें की जाती हैं तथा इसी के साथ-साथ गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की मांग की जा रही है। मैं नहीं समझती कि स्थिति पर गौर करने का यही ठीक तरीका है।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि एक समय हमारे हिन्दूवाद में इस गौ-हत्या की भी अनुमति दी गई थी। उसके पीछे कुछेक आर्थिक कारण थे। तत्पश्चात् एक ऐसा समय आया जब गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाया गया। उसके पीछे भी पुन: कुछेक सामाजिक-आर्थिक कारण थे कि गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। अब वे कारण पुराने हो गए हैं। अन्य और भी तरीकों से हम अपने पशु-धन को बढ़ा सकते हैं। अत: उस रूप में गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाना कोई अनिवार्य नहीं है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगी कि गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के पीछे भावनात्मक कारण हैं।

यह ठीक है कि कुछ व्यक्तियों की भावनायें इनसे जुड़ी हुई है तथा ये व्यक्ति निश्चित रूप से गौ-हत्या पर रोक लगाना चाहेंगे। मैं नहीं समझ पा रही कि केवल इसी कारण से इस पर प्रतिबन्ध क्यों लगाया जाना चाहिए जबकि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनकी भोजन सम्बन्धी आदतें भिन्न हैं। मैं नहीं समझती कि यह ठीक है। हमारे देश में कुछेक सम्प्रदाय हैं जो सूअर के मांस को खाना अधार्मिक समझते हैं। अत: क्या यह वैध कारण है कि अन्य सम्प्रदायों के लिए भी सूअर-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए ?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री गुमान मल लोढ़ा जी के संकल्प पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन में प्रकट किये हैं।

सभापति महोदय : क्या मैं आपको एक मिनट बीच में दखल दे सकता हूं। आप कितना समय चाहेंगे।

श्री नीतीश कुमार : आप जितना कहेंगे, उतनी देर में मैं बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय : मैं इसलिये पूछ रहा था क्योंकि इस संकल्प के लिए सिर्फ आधे घण्टे की अनुमति है, आधा घण्टा शेष है, जिसे आप और श्री गुमान मल लोढा जी आपस में मिलकर बांट लीजिए।

श्री नीतीश कुमार : ठीक है, मुझे उतने समय की जरूरत नहीं है। ज्यादा समय आप गुमान मल लोढा जी को दे दीजिये।

कुछ सदस्यों ने इस संकल्प पर विचार प्रकट करते हुए यह कहा कि पूरे देश में गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये, मैं एक तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जहां तक गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध का सवाल है, पशुधन को बचाने का सवाल है, यह राज्यों का विषय है। पूरे देश में गौवंश की हत्या करने की इजाजत सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्ष्यद्वीप में है। बाकी जितने राज्य हैं या संघ शासित प्रदेश हैं, उनमें या तो गौवंश की हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लागू है या आंशिक रूप से प्रतिबंध लागू है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस विषय की चर्चा किसानी या खेती के साथ जोड़कर की है परन्तु उसके साथ जो लगाव है गौ-वंश या पशुधन का, वह करीब-करीब बाकी राज्यों में कत्तर हो जाता है। कहीं भी किसी स्वस्थ पशु की हत्या करने का या वध करने का, गौ-हत्या का प्रावधान नहीं है। इन पांच राज्यों में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। पूर्ण रूप से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़, दिल्ली और दादरा नगर हवेली में गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध लागू है। आंशिक रूप से कुछ शर्तों पर, आन्ध्र प्रदेश, गोआ, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा, तमिलनाडु, बिहार, सिक्किम, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, अण्डमान निकोबार, पांडिचेरी और दमन-दीव में गौ-हत्या की छूट है। तीन राज्यों में कोई कानून नहीं है लेकिन फिर भी काफी प्रतिबंध लगाये गये हैं, गौ-हत्या पर। वे राज्य हैं असम, केरल, और पश्चिम बंगाल। जिन पांच राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में गौ-हत्या के सम्बन्ध में खुली छूट है और जैसा यहां अभी एक माननीय सदस्य ने शिलांग की चर्चा करते हुए नौर्थ ईस्ट की फीलिंग का जिक्र किया, वहां लोगों की फूड हैबिट का सवाल है, सभापति महोदय, मैं यहां किसी की फूड हैबिट की वकालत करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। फिर भी, इस मामले में सफाई देना जरूरी है। मैं स्वयं मांस नहीं खाता हूं, इसलिये नहीं कि मेरे धार्मिक विचार ऐसे हैं, बल्कि इसलिए कि मेरी जीभ पर चढ़ता ही नहीं है और किसी जीव की हत्या मुझे नागवार गुजरती है, इसलिए मैं मांस नहीं खाता हूं लेकिन सवाल यह है कि दूसरों की फूड हैबिट को चुनौती भी नहीं दी जा सकती। बहुतेरे लोग, जो गौ-हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, मुझे क्षमा करेंगे, मैं किसी पर एस्पर्शन नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन निश्चित रूप से वे जमकर मांस खाते होंगे, कई प्रकार के मांस खाते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी का मांस खाते होंगे, लेकिन जब धार्मिक विचार सामने आते हैं, जैसा श्री बसंत साठे जी ने इस संकल्प पर चर्चा आरम्भ करते हुए कहा था कि सारी चीजों की गड़बड़ तभी शुरू होती है जब हम इस विषय को धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं, धार्मिक आधार पर सोचना आरम्भ कर देते हैं। कई माननीय सदस्यों ने माता की बात की, वह धार्मिक भावनाओं के वशीभूत होकर। किसी का अपना विश्वास हो सकता है, मैं उस पर कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, लोगों की अलग-अलग मान्यताएं हो सकती हैं, अलग-अलग सम्प्रदाय हैं, उस पर किसी तरह का प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है लेकिन देश में जो एक वातावरण बना है, जहां तक गौ-हत्या का आर्थिक रूप हमारे सामने आता है, वहां पूरे पशु-धन की हत्या पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए, चाहे कोई भी पशु हो, फिर गाय का ही सवाल नहीं रह जाता, बफैलो या भैंस की हत्या पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, केमल की हत्या पर भी प्रतिबंध

लगना चाहिए और खेती के काम में आने वाले जितने पशु हैं, जिनका खेती से सीधा सम्बन्ध है, उनकी हत्या पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए और देश में कहीं किसी पशु की हत्या की इजाजत नहीं होनी चाहिए, ऐसा माहौल देश में रहना चाहिए। लेकिन कई चीजें हैं। असली सवाल है कि यहां पर हम विचार करते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि गौ-वध पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए, अब जैसा कि मैंने बताया कि प्रतिबन्ध तो लगा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस में ऐसा हो रहा है, जो गलत है। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि गाय का अबॉर्शन कर के, जो गर्भ के अन्दर बच्चा होता है, उसको निकालकर, उससे चमड़ा बनाया जाता है। अगर ऐसी प्रैक्टिस है, तो क्या किया जाए। कानून है, फांसी का प्रावधान है, फिर भी ऐसी प्रेक्टिस है, तो प्रतिबन्ध लगाने से भी इस समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरा तो कहना यह है कि समस्त पशु-धन की रक्षा का प्रश्न है। अब एक तो भावनात्मक दृष्टि से गौ-वध के ऊपर रोक लगा दी जाए, यह बात ठीक है, लेकिन जैसा श्योपत सिंह जी ने कहा कि लोग बूढ़ी गायों को सड़कों पर छोड़ देते हैं तथा शिलांग के माननीय सदस्य ने कहा कि सड़कों पर ये गायें रोड-ब्रेकर का काम करती हैं। तो क्या इन सब गायों के लिए गौ-शाला बना देना शासन का काम है ? आप कौन-कौन सा काम शासन के द्वारा कराना चाहते हैं ? क्या सारा काम शासन के द्वारा किया जा सकता है ? क्या यह सम्भव है ? जितनी गायें घर से निकाल दी जाती हैं, उनको रहने और खाने की व्यवस्था करना क्या सरकार का काम है ? मैं नहीं समझता कि गुमान मल लोढा जी को अगर प्रधान मंत्री बना दिया जाए, तो भी वे ऐसा कर पाएंगे। ···(व्यवधान)

किसी के भी हाथ में शासन और शक्ति दे दी जाए, तो भी यह सम्भव नहीं है। यहां से गुमान मल लोढा जी का नाम हटा भी दिया जाए, तो कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए यह सम्भव नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने चर्चा में भाग लेते हुए बताया कि कैटल की पापुलेशन घटती जा रही है। 1951 में जो सैंसस हुआ था उसके अनुसार 1982 में जो सैंसस हुई है, उसमें कैटल की संख्या में 23.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जहां तक खेती पर इसके नुकसान की बात है, जैसा-जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा है, लाइव स्टॉक की पापुलेशन जो रजिस्टर्ड की गई उसके हिसाब से। प्रति पशु पर खेती का क्षेत्र 0.37 हे०से घटकर 0.15 पर आ चुकी है। यानी इतने पशुओं की संख्या ज्यादा हुई है, अर्थात खेती पर निर्भरता पशुओं के माध्यम से कम हुई है। इस प्रकार से पशुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसकी वकालत कर रहा हूं कि अंधाधुंध पशुओं को काटा जाए। मैं तो समस्त पशु-धन की रक्षा की वकालत करना चाहता हूं। ···(व्यवधान)

मेरा कहना यही है कि पशु-धन की वृद्धि हुई है, कमी नहीं। गौ-वध पर आंदोलन चले 1966 में या बाद में, आचार्य विनोबा भावे ने घोषणा की और आंदोलन किया, उसके बाद 1979 में इसके बारे में प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाया गया, लेकिन पार्लियामेंट भंग हो गई और उस दिशा में कोई प्रस्ताव पास नहीं हो सका। उसके बाद लगातार कांग्रेस का शासन रहा। उस बीच में यह सवाल आया, तो उस वक्त इस आधार पर इसको टाला गया कि अभी जो स्थिति है वह साम्प्रदायिक स्थिति है, उसके मद्दे नजर, ऐसे वातावरण के चलते उसको लाना सम्भव नहीं है। उस परिस्थिति में अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। जो परिस्थिति उस वक्त विद्यमान थी वही परिस्थिति आज भी विद्यमान है। जो परिस्थिति है, गौ वंश की हत्या के साथ जो सैंटीमैंट जुड़ गया है या जो कुछ भी हो गया है, जिस प्रकार से इस मुद्दे को अब उठाया जा रहा है उसमें जो वातावरण बना है उसमें अभी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून लाने की स्थिति तत्काल नहीं दिखती है। लेकिन जहां तक इस सम्बन्ध

में सवाल है, नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़कर अधिकांश राज्यों में इस पर किसी न किसी प्रकार का रिसट्रिक्शन है। आर्थिक रूप से नुकसान होने का जो सवाल है वह बहुत हद तक दूर होता है लेकिन बावजूद इसके सन्तोषजनक स्थिति यह नहीं है। जहां तक व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात कहूं तो मैं मानता हूं कि सन्तोषजनक स्थिति नहीं है, पशुधन की रक्षा के लिए प्रतिबन्ध होना चाहिए।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। मंत्री जी अपनी व्यक्तिगत राय यहां पर बता रहे हैं, हम तो सरकार की राय जानना चाहते हैं, मंत्री जी सरकार की राय बताएं।

सभापति महोदय : आप स्थान ग्रहण कीजिए। यह सही बात है कि आप व्यक्तिगत रूप से यहां पर बहस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, मंत्री के रूप में सरकार की राय दें।

श्री नीतीश कुमार : कहने का अर्थ यह है कि व्यक्तिगत रूप से कोई विचार होने के बावजूद भी जो माहौल है उसमें अभी तत्काल इसको ला पाना मुनासिब नहीं होगा, उचित नहीं होगा। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी की यह निजी राय है कि देश में इस प्रकार का प्रतिबन्ध फिलहाल सम्भव नहीं है।

सभापति महोदय : मैं आपकी व्यवस्था का प्रश्न समझ गया। सदन को चलाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, मुझे चलाने दीजिए।

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, सरकार का जो स्टैंड है उस पर मैं कह रहा हूं कि अभी फिलहाल इसको करना सम्भव नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : यह आपकी व्यक्तिगत राय है या सरकार की राय है?

श्री नीतीश कुमार : मैं सरकार की राय बता रहा हूं कि फिलहाल यह सम्भव नहीं है, इसको मैं जोर देकर कहना चाहता हूं। इसके बाद भी पशुधन की रक्षा के लिए मैं सरकार की तरफ से अपील करना चाहूंगा कि सभी पक्ष के लोगों को सोचना चाहिए कि पशुधन की रक्षा के लिए हिफाजत किस प्रकार से की जाए, न सिर्फ उसकी उनकी अंधाधुंध हत्या पर रोक लगे बल्कि वह बाद में जिस प्रकार से अनकेयर्ड रहते हैं उसका भी इन्तजामात किया जाए। यह सबकी चिन्ता का विषय है और सभी को मिलकर एक राष्ट्रीय जनमत तैयार करना चाहिए और उस जनमत के आधार पर इसके बारे में आगे के दिनों में जो भी मुनासिब होगा, समझा जाएगा। एक नैशनल, कनसैन्सस के आधार पर इस पर कोई लैजीसलेशन बनाना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ लोढ़ा जी से अनुरोध करूंगा कि इस संकल्प पर जोर न दें।

श्री सूर्य नारायण यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी मंत्री जी ने कहा कि गऊ हत्या पर प्रतिबन्ध लगाना अभी सम्भव नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में हाथी, सर्प, जंगली जानवरों को मारने पर प्रतिबन्ध है तो गौ हत्या पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं होगा?

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न है।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : सभापति महोदय, इस सदन में गौ वंश की हत्या पर प्रतिबन्ध के लिए विचार प्रकट किए गए। अधिकांश सदस्यों ने अपने विचारों में आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, सांस्कृतिक व अन्य कारणों से, इसका समर्थन किया है, मैं उनका आभारी हूं। कुछ सदस्यों ने कुछ शंकायें भी प्रकट की हैं। एक शंका जो माननीय मंत्री महोदय ने भी प्रकट की और अन्य सदस्यों ने भी प्रकट की वह यह थी कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने से राष्ट्र के साम्प्रदायिक माहौल में अन्तर आयेगा। मैं उनसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा और मुझे इस बात का

अफसोस है कि माननीय मंत्री महोदय सदन में भाषण देने से पहले अगर लाइब्रेरी के रिसर्च विंग से इतना पूछ लेते कि इस विशिष्ट प्रश्न के ऊपर आज तक क्या विचार व्यक्त हुआ है तो उन्हें सब चीज का ज्ञान हो जाता।

हमारे यहां जिस समय संविधान बना था, संविधान सभा में इस प्रश्न को जब लाया गया तो सैयद मोहम्मद साईदुल्ला और जैड० एच० लारी जो कि दोनों अल्पसंख्यक समुदाय के थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा और पुरजोर शब्दों में जो कहा, मैं उन्हीं शब्दों को यहां दोहराना चाहूंगा। सैयद मोहम्मद साईदुल्ला ने कहा कि—

[अनुवाद]

"जैसा कि हर व्यक्ति जानता है मैं एक मुसलमान हूं। मेरी धार्मिक पुस्तकों में, पवित्र कुरान में मुसलमानों के बारे में कहावत है—"ला इफरब्बा फिद्दिन" अथवा धर्म के नाम पर कोई जबर्दस्ती नहीं की जानी चाहिए। अत मैं इसके खिलाफ नहीं जा रहा कि जब मेरे हिन्दू भाई धार्मिक दृष्टिकोण से हमारे संविधान में इस मामले को रखना चाहते हैं।

मैं अपने संविधान-निर्माताओं के मार्ग में भी बाधायें डालना नहीं चाहता। मेरा तात्पर्य संविधान सभा से है यदि वे सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि यह हमारे धर्म का हो एक भाग है। गाय का वध नहीं किया जाना चाहिए तथा इसीलिए हम मूलभूत अधिकारों में अथवा नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसका प्रावधान चाहते हैं।"

[हिन्दी]

इसी प्रकार से जैड० एच० अंसारी ने कहा कि स्पष्ट रूप से हम इसका विरोध नहीं करेंगे। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ और जबकि इस पूरे सदन में इस विवाद के अन्दर किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया। हमारे कुछ व्यक्ति यह कहकर इसका विरोध कर रहे हैं कि इससे माहौल बिगड़ जायेगा। रफी अहमद किदवई और सुल्तान अहमद खां व अन्य महान मुस्लिम नेताओं ने कहा कि हम इसका विरोध नहीं करना चाहते हैं। परन्तु हमारे मंत्री जी यह कहते हैं कि इससे माहौल बिगड़ जायेगा क्या यह एक तुष्टिकरण की नीति का परिचायक नहीं है? डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जो कि हमारे राष्ट्र के महान राजनेता ही नहीं राष्ट्र रत्न थे उन्होंने कहा था कि गाय और कन्या ईश्वर के अधिक निकट हैं क्योंकि दोनों का अपना कोई धर्म नहीं है। लाला लाजपत राय जी ने कहा जा कि जब से गाय और भैंस की निर्मम हत्या प्रारम्भ हुई है हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिन्ता सताने लगी है।

आर्थिक दृष्टि से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर्थिक दृष्टि से यदि गौ-वंश की रक्षा होती है, तो यह हमारे राष्ट्र की कृषि के लिए सबसे अधिक लाभप्रद होगा। हमारे प्रधान मंत्री ने लाल किले पर खड़े होकर के कहा है कि मैं यह दशक काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए, देश की कृषि के लिए समर्पित करता हूं और उनकी प्रगति के लिए मैं इस दशक में इस राष्ट्र के समस्त व्यक्तियों से कार्य करने की अपील करता हूं। प्रधान मंत्री तो यह अपील लाल किले से राष्ट्र के नाम करें और हमारे मंत्री जी यहां पर इसका विरोध करें, मुझे इस बात का आश्चर्य है।

सभापति महोदय, मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह एक अवसर है, जिस प्रकार से अभी कुछ समय पहले मन्त्री महोदय ने पहले विरोध किया, इलेक्टोरल रिफोर्म्स का, उसके बाद में उन्होंने सदन में विचारों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट रूप से कहा कि यदि सदन चाहता है, यदि राष्ट्र की यह मांग है तो मैं इसके विरोध में खड़ा होना नहीं चाहता।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका समर्थन किया जाए और इसको पारित किया जाए। जहां तक प्रोफेसर साहब ने जो बात कही है।

4.51 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वह बात निश्चित रूप से जिस समय कानून बनाया जायेगा, यह केवल संकल्प है, जब कानून बनाया जायेगा, कानून इस सदन में लाया जायेगा, उस समय जो बात प्रोफेसर साहब ने कही है अथवा किसी भी विशिष्ट स्थान के लिए आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से राष्ट्रहित में उस पर विचार किया जा सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इस संकल्प को राष्ट्र के हित में पारित किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोढ़ा, क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं अथवा इस पर जोर देना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने इनसे अनुरोध किया है कि कि इस पर व्यापक-विचार विमर्श कर लें, सभी फ्रन्ट पर···

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मुझे स्मरण है कि पिछले सत्र में एक गैर सरकारी प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया था और वह था चुनाव सुधार के बारे में और उस विषय में भी जब मंत्री जी ने उत्तर दिया, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि आप प्रस्ताव वापस ले लें, वैसे भी सरकार इस पर विचार कर रही है। मैंने आग्रह किया था कि यह एक प्रकार से परिपाटी-सी बन गई है कि जिन मामलों में हम पूरी तरह से सहमत हैं, उसमें भी आग्रह किया जाता है कि आप वापस ले लें। इस बार हम नई परम्परा बनायें, उस दिन सर्वसम्मति से उसको पास किया था, मैं जानता हूं कि इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन का जब सवाल आयेगा, बिल आयेगा, तब बिल के साथ दो मत हो सकते हैं, अन्यथा जो इसमें बात कही गई है कि सरकार बिल लाये, ऐसी सदन की राय है, इच्छा है तो उस पर तो दो मत हो ही नहीं सकते। क्योंकि, वह तो संविधान का ही एक हिस्सा है, संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसीपल है। इस कारण मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में सदन को विभाजित न करे और सदन में सर्वसम्मत राय के रूप में यह प्रस्ताव श्री गुमान मल जी लोढा, मेरे मित्र, जिन्होंने प्रस्ताव रखा है, उसको पारित होने दें। सरकार जिस समय इस सम्बन्ध में विधेयक लायेगी या विधेयक प्रस्तुत करेगी तब इस पर विचार किया जा सकेगा कि इसका स्वरूप क्या हो, क्या न हो। यह मेरा विरोध है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री लोढा जी।

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, मैं चाहूंगा कि इसे पारित किया जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय। मैं श्री लोढा तथा श्री आडवाणी से एक निवेदन करना चाहूंगा। इस समय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि सरकार इस मसले पर विचार करेगी तथा यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार-विमर्श, परामर्श तथा चर्चा की जानी

चाहिए क्योंकि इस मसले पर विभिन्न दृष्टिकोण हैं। जब किसी विधेयक को लाने का वादा किया जाता है और इस पर चर्चा शुरू होती है तब कठिनाइयां भी उत्पन्न होती हैं। आज प्रातः ही आडवाणी जी ने कहा था कि सरकार के किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले इस पर चर्चा की जानी चाहिए। अतः सरकार के इस विधेयक को लाने से पूर्व इस पर चर्चा की जानी चाहिए तथा इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इस मसले पर विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त किए गए हैं। अतः मैं प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर जोर न डालें। उन्हें सरकार द्वारा किये गये आश्वासन पर भरोसा रखना चाहिए कि इस विषय पर···उनके विचारों को भी कुछ ध्यान में रखा जाएगा। अतएव, इस पर जोर न डाला जाये तथा इस मसले पर सभा में मत-विभाजन नहीं होना चाहीए। मेरा उनसे यही अनुरोध है।···(व्यवधान)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : मैं भी कुछ कहने की अनुमति चाहता हूं। यह कोई चर्चा नहीं है, प्रश्न मतदान के बारे में है। उन्होंने पहले ही अपनी बात कह दी है। उन्होंने तथा श्री आडवाणी जी ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। मैं इस सम्बन्ध में उन्हें अपने विचार बताना चाहूंगा। (व्यवधान) मैं समझता हूं कि सरकार के लिए यह उत्तम होगा कि वह सभा के विचारों से अवगत होने के पश्चात ही इस प्रतिबन्ध को लगाने के सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत करे। मैं श्री आडवाणी से पूरी तरह सहमत हूं कि जबकि विधेयक पर चर्चा हो उसी के साथ-साथ हम यह भी विचार कर लें कि इसमें किस प्रकार की छूट दी जानी चाहिए···(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस प्रकार का मत अभिव्यक्त करने के लिए नहीं बल्कि इस विधेयक को बनाने के लिए मैं सहमत हूं।···(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : अतः इस विधेयक को लाने से पूर्व आप सभी दलों को विश्वास में ले सकते हैं। हम बुरा नहीं मानेंगे। परन्तु विधेयक को लाने के लिए वादा किया जाना चाहिए। यदि ऐसा वादा किया जाता है तब हमें कोई आपत्ति नहीं है। अन्यथा हम संकल्प के पारित किए जाने का समर्थन करेंगे।

[हिन्दी]

श्री हेमन्त सिंह बनेड़ा (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय आडवाणी जी और दूसरे सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनके साथ मैं अपने आप को जोड़ते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले में देश आजाद होने के बाद से कितनी ही बार भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि ऐसा बिल लाया जाएगा, जिससे गौ वंश की पूर्ण हत्या समाप्त कर दी जाएगी। यदि सरकार की ऐसी मंशा है कि वह ऐसा बिल लाना चाहती है, तो हम इस सरकार की मंशा का परीक्षण लेना चाहते हैं। केन्द्रीय सरकार के हाथ में गौ-मांस का एक्सपोर्ट करने के अधिकार क्षेत्र की परिधि की बात है···(व्यवधान)···सरकार यह घोषणा कर दे कि गौ-मांस का एक्सपोर्ट आज से नहीं होगा।···(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय गुमान मल लोढा जी और माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी से, कि इस समय इस संकल्प पर मत-विभाजन के लिए जोर न डाला जाए। जहां तक सदन की भावना का सवाल है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए, पार्टियों के साथ विचार-विमर्श करके एक सहमति के आधार पर इस सम्बन्ध में कोई बात होनी चाहिए और कोई प्रस्ताव आना चाहिए···(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : कुछ टाइम-बाउंड होना चाहिए।···(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : मैं साठे साहब से एक बात अनुरोध करना चाहता हूं···(**व्यवधान**)

श्री बसंत साठे : मैंने पहले भी सन् 1978 में कहा था। (**व्यवधान**)

श्री नीतीश कुमार : मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में सत्ता इनके हाथ में थी, एशियाड का सवाल अभी उठाया गया, शासन में थे···(**व्यवधान**)···मैं यह कहना चाहता हूं कि वे इस बात को क्यों जोर दे रहे हैं। मैं एक सहयोगी पार्टी होने के नाते भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस पर जोर न दें। माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी से भी मैं यही कहना चाहता हूं। इस पर व्यापक विचार-विमर्श करके जो मुनासिब समझेंगे, निष्कर्ष निकलेगा, तो उस पर सरकार निश्चित रूप से सोचेगी और विचार करेगी।···(**व्यवधान**)···आज इस पर जोर न दिया जाए।··· (**व्यवधान**)

श्री गुमान मल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय बिल लाने का प्रश्न होगा, उस समय जैसा माननीय मन्त्री जी ने जो बात कही है और कुछ साथियों ने जिस प्रकार से बात कही है और प्रोफेसर साहब जो कि हमारे बहुत ही बुजुर्ग हैं, जो उन्होंने कहा है, उन सब बातों को ध्यान में रख कर विचार-विमर्श करके, हम आम सहमति से कन्सैंसस बिल लायेंगे। आज यह केवल संकल्प है, इस संकल्प को पूरा कर दिया जाए, यही मेरी प्रार्थना है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"इस सभा की यह राय है कि सरकार सम्पूर्ण देश में पूर्ण गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक उपयुक्त विधान लाये।"

दीर्घायें खाली कर दी जायें —

5.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : अब दीर्घायें खाली हो गयी हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय मंत्री महोदय द्वारा स्पष्ट रूप से यह कहे जाने पर कि इस मुद्दे पर आगे चर्चा की जायेगी और यह मुद्दा सम्पूर्ण देश से सम्बन्धित है, को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर मैं श्री आडवाणी जी से अनुरोध करूंगा कि अभी वे इस मुद्दे पर दबाव नही डालें। अब सभा में सदस्यों की संख्या भी कम हो गयी है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर अभी दबाव नहीं डाला जाए और माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गये आश्वासन के आधार पर इस पर दबाव नहीं डाला जा सकता है

श्री बसंत साठे : इस संकल्प को पारित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी), मैं निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जाये। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह सरकार के लिए एक निर्देश के समान होगा। इससे गम्भीर जटिलतायें उत्पन्न हो जायेंगी···(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, इन्सानियत के नाते मैं प्रस्तुतकर्त्ता से इस संकल्प को वापस लेने का अनुरोध करूंगा। मैं इस संकल्प के प्रस्तुतकर्ता से अनुरोध करूंगा कि सभा का विभाजन न करें क्योंकि हमारे पास इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण अन्य मुद्दे हैं। हमारे देश में नर-

संहार हो रहा है। हमें पहले उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हमें नरसंहार के बारे में अधिक चिंता करनी चाहिए··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब दीर्घायें खाली हो गयी हैं। हम मतदान करने वाले हैं। प्रश्न यह है :

"इस सभा की यह राय है कि सरकार सम्पूर्ण देश में पूर्ण गौ-वंश की हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक उपयुक्त विधान लाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

मत विभाजन संख्या—2

समय 5.36 म० प०

पक्ष में*

अर्गल, श्री छविराम

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

कटारिया, श्री गुलाब चन्द्र

कापसे, प्रो० राम गणेश

खुराना, श्री मदन लाल

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

जनार्दनन्, श्री कादम्बुर एम० आर०

जसवन्त सिंह, श्री

जांगड़े, श्री रेशम लाल

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी

तारवाला, श्री अमृतलाल वल्लभदास

देशमुख, श्री चन्दूभाई

धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार

नाईक, श्री राम

पटेल, डा० ए० के०

पाटीदार, श्री रामेश्वर

बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह

भक्त, श्री मनोरंजन

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महेश्वर सिंह, श्री

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों द्वारा 'पक्ष में' मत दिया :

श्री गुमान मल लोढ़ा, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री बाबूभाई मेघजी शाह, श्री जी० एस० वासवराज, श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर।

मीणा, श्री नन्दलाल

यादव, श्री सूर्य नारायण

यादवेन्द्र दत्त, श्री

रंगा, प्रो० एन० जी०

राघवर्जी, श्री

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राम अवध, श्री

राम सागर, श्री (बाराबंकी)

राम सागर, श्री (सैदपुर)

राव, श्री के० एस०

रावत, प्रो० राजा सिंह

लोधी, श्री गंगा चरण

वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद

शर्मा, श्री धर्म पाल

शाक्य, डा० महादीपक सिंह

साठे, श्री वसंत

साय, श्री नन्द कुमार

सिंह, श्री राधा मोहन

विपक्ष में*

अली, श्रीमती सुभाषिनी

खां, श्री सुखेन्दु

गिरि, श्री सुधीर

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चौधरी, श्री दसई

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

जायनल अबेदिन, श्री

डोम, डा० राम चन्द्र

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों द्वारा विपक्ष में मत दिया :
श्री भागेय गोवर्धन, श्री युवराज, श्री हेत राम, डा० एस० पी० यादव, श्री मानधाता सिंह, श्री ए० एन० सिंह देव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि यादव, श्री रामशरण यादव, श्री भवानी शंकर होटा, श्री रवि नारायण पाणि, श्री बंगाली सिंह, सरवर हुसैन, श्री राम नरेश सिंह, श्री पी० सी० थामस, श्री हीरा भाई ।

थापा, श्री नन्दू

दत्त, श्री अमल

दास, श्री अनादि चरण

नीतीश कुमार, श्री

पचेरेवाल, श्री गोपाल

पटनायक, श्री शिवाजी

पांडे, श्री राजमंगल

पासवान, श्री छेदी

पुरुषोत्तन, श्री वक्कम

बुलारा, श्रीमती राजिन्द्र कौर

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

मरबनिआंग, श्री पीटर जी०

मलिक, श्री मंगाराज

महाले, श्री हरि शंकर

मिश्र, श्री बालगोपाल

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

रामकृष्ण, श्री वाई०

राय, श्री एम० रमन्ना

राय, श्री लालबाबू

रायप्रधान, श्री अमर

सिंह, श्री धनराज

सिंह, श्री राम प्रसाद

सोढ़ी, श्री मानकूराम

हसदा, श्री मतिलाल

हन्नान मोल्लाह, श्री

हान्डू, श्री प्यारे लाल

उपाध्यक्ष महोदय : मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 42

विपक्ष में : 50

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

5.15 म०प०

किसानों के हितों की रक्षा के लिए उपायों के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा श्री दिलीप सिंह भूरिया द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले किसानों के हितों की रक्षा के लिए उपाय से संबंधित संकल्प पर चर्चा करेगी। इससे पहले कि मैं श्री दिलीप सिंह भूरिया को संकल्प प्रस्तुत करने के लिए कहूं, हमें संकल्प पर चर्चा का समय निर्धारित करना है। क्या हम इस संकल्प पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित करें ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, यह चार घंटे का होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी हम तत्काल में दो घंटे का समय निर्धारित करना···।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : नहीं, यह अच्छी बात नहीं है। चार घंटे का समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम इस पर चार घंटे की चर्चा करेंगे। अब श्री दिलीप सिंह भूरिया अपना संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> 'इस सभा की यह राय है कि देश में किसानों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से सरकार को बुवाई मौसम से कम से कम तीन महीने पूर्व विभिन्न फसलों के मूल्यों की घोषणा करनी चाहिए, उचित मूल्य पर कृषि आदान और उपकरण उपलब्ध करने चाहिएं तथा किसानों की समस्त उपज खरीदनी चाहिए।"

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सदन में बहुमत किसानों का है। आदरणीय रंगा जी यहां मौजूद हैं, वे सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और किसानों का नेतृत्व करते हैं। आजादी के बाद किसानों ने इस देश में जो उत्पादन किया है 1988-89 में 172 मिलियन टन का उत्पादन हुआ, 1989-90 में 175 मिलियन टन का उत्पादन हुआ और सन् 2000 तक हम 225 मिलियन टन तक पैदा करेंगे। यह किसानों की तरक्की का परिचायक है। परन्तु आज भी अगर देखा जाये इस देश का जो सबसे गरीब आदमी है वह किसान ही है। हमारे देश में 90 प्रतिशत किसान गरीबी रेखा से नीचे हैं। आज सुबह हमारा प्रश्न था जिसके जवाब में वित्त मंत्रीजी ने बताया कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का करीब 15 हजार 82 करोड़ रुपए और इतना ही रुपया सहकारी समितियों का लोन के रूप में किसानों पर बकाया है, किसान इससे दबा हुआ है। किसान इतना अनाज पैदा करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी गरीब है। उसकी पत्नी भी मेहनत करती है, उसके बच्चे भी मेहनत करते हैं। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, या बरसात हो वह रात-दिन अपने खेतों के अन्दर लगा रहता है और उसके बाद भी किसान गरीब का गरीब ही है।

पिछली सरकार ने बहुत सी कल्याणकारी योजनायें किसानों के लिए बनाईं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद एक किसान हैं। किसानों के कई नेता बनते हैं, भाषण करते हैं और किसीकानों बातें करते हैं मगर वे खुद खेती करना नहीं जानते हैं। मैं हाउस में यह रिजोल्यूशन इसलिए लाया हूं कि इस सदन में देश के सारे किसानों के बारे में चर्चा हो और एक एग्रीकल्चर पालिसी हो कि हम किसान को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं ताकि वह और अधिक उत्पादन करे

जिससे देश मजबूत हो। आज किसानों को खाद किस भाव पर मिलती है? आज से दस साल पहले खाद किस भाव पर मिलती थी? अब तो उसके दाम कई गुना बढ़ गये हैं। पहले ट्रेक्टर बीस हजार में आता था जो अब बढ़कर डेढ़ लाख का हो गया है। खाद के दाम दस गुना बढ़ गये हैं। खेती में काम आने वाले सभी सामानों के दाम भी कई गुना बढ़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को किसी न किसी तरीके से इसका वैलूएशन करके किसान को बीच के रास्ते पर लाना नहीं चाहिये। वह ईमानदारी से काम करता है। वह अन्नदाता है। आज भी वह झोंपड़ी में रहता है। उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक टाईम का पेट भर भोजन नहीं कर सकता है। झोंपड़ी में वही गर्मी की हवा लगती है। उसमें बरसात का पानी भी घुसता है। सब तरह से उसका राजनैतिक शोषण होता है और वह राजनीति में फंसा हुआ है। इस देश की 43 साल की आजादी के बाद भी वह उसी झोंपड़ी में रह रहा है। न उसके पांव में सड़क है, न अस्पताल है, न उसके गांव में स्कूल ही है। सारी की सारी चीजों को ताकतवर आदमी अपने पास रखे हुए हैं जो राजनीति में हस्तक्षेप करते है और अपनी शक्ति बनाकर रखते हैं। वही किसान उस आदमी के पास जाता है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में किसानों द्वारा 175 लाख टन अनाज पैदा करने के बाद भी वह भरपेट भोजन नहीं कर पा रहा है। यही देश के किसानों की हालत है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी। हमें इस बात की खुशी है कि देश के लोगों ने परिवर्तन चाहा और वह आया और वह एक अच्छे रास्ते से जायेगी। उन्होंने किसानों के कर्जे माफ करने की बात कही। हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं। शायद इनको मालूम नहीं होगा कि आज तक एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया गया। अगर किसान का कर्जा माफ कर दिया जाये तो जो हमारे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 16 हजार करोड़ का जिक्र किया है, इस पार्लियामेंट में हमारे क्वश्चन का रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। किसान डिफाल्टर हुआ है। किसानों को दूसरी जगह से खाद नहीं मिली, पैसा नहीं मिला। हम लोगों ने तो किसानों का शोषण करने वालों से इनको छुड़ाया था, कमर्शियल बैंकों से जोड़ा था, सहकारी आन्दोलन से हमने जोड़ा था लेकिन आज क्या हुआ? आज देश में 15 करोड़ ऐसे लोग हैं। अगर किसान डिफाल्टर हो जाये और वह उसके पास अपना खेत, भैंस, बैल सब गिरवी रख दे तो उसका क्या होगा। इस सरकार ने उस व्यापारी के पास इन गरीब किसानों का शोषण करने के लिए भेज दिया। इसलिए यह आज स्थिति हो गयी है। न तो सरकार ने उसको कुछ दिया, न बैंक ने उसको कुछ दिया। आखिर किसान किसके पास जायेगा? वह आज उसी शोषण करने वाले के पास ही जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में अब और ज्यादा शोषण किसानों को नहीं करने देंगे। यदि किसानों का शोषण किया गया तो इस देश में विस्फोटक स्थिति पैदा हो जायेगी क्योंकि आज हमारे देश में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जब हम सन् 2000 तक जायेंगे तो हमारे देश की आबादी क्या होगी? यह वही किसान था जिसने ईमानदारी के साथ मेहनत करके इस देश की 80-85 करोड़ आबादी की जरूरत के लायक अन्न पैदा किया। जब हम आजाद हुए थे, इस देश की आबादी 36 करोड़ थी और हम बाहर के देशों से अन्न मंगा कर देश के लोगों का पेट भरते थे। आज हमारी आबादी 80-85 करोड़ के लगभग है परन्तु हमें बाहर से अन्न मंगाना नहीं पड़ता। आज हम अपने देश में 175 मिलियन टन अनाज पैदा करने में समर्थ हो गये हैं, इसका सारा श्रेय इस देश के किसान को जाता है। किसान की वजह से आज हम इस स्थिति में पहुंच गये हैं कि अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद, विदेशों में जहां कहीं क्राइसेज पैदा हो जाता है, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हम उन देशों की मदद भी करते हैं। मतलब यह है कि किसान के मेहनत करने की वजह से, अन्नदाता की मेहनत के कारण ही आज हमारा सिर दुनिया

में ऊंचा हुआ है, हमारे अंदर कितनी ताकत पैदा हुई है, हमें मान और सम्मान मिला है। यह किसान की मेहनत का ही परिणाम है। इसलिए अब हम उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसानों की तरफ हमारे बैंकों का जितना ऋण है, कर्ज है, आप ही बताइये कि क्या कोई किसान अपना ऋण चुकाता है। आज किसान कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती है। उससे इंटरैस्ट वसूल किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम देश में अनाज का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, किसान की मदद करना चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी होगी कि उससे नौमिनल इंटरैस्ट, कम से कम ब्याज लिया जाये। उससे किसी तरह का ब्याज न लिया जाये, इसकी व्यवस्था करनी होगी और इस तरह का लोन किसान को मिलना चाहिए। सरकार द्वारा कर्ज माफ करने की घोषणा से किसानों का हित होने वाला नहीं है, इससे किसान का भला नहीं हो सकता, यह मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कहता हूं क्योंकि मैं स्वयं एक किसान हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन सरकार की ओर से यह घोषणा हुई, उस दिन कपास का भाव 1200 रुपए प्रति क्विंटल था। मैं स्वयं कपास की खेती करता हूं और अच्छी तरह जानता हूं। उस दिन मेरा दिल सरकार की घोषणा से बहुत दुखा, किसानों के प्रति मेरा मन द्रवित हो गया। मैंने स्वयं इस बात को यहां उठाया। इस हाउस से जाने के बाद मैं यही सोचता रहा कि इस घोषणा से हमारी क्या स्थिति बन सकती है। क्या हम इसी तरह से किसान को ताकतवर बना सकते हैं। आपको, उपाध्यक्ष महोदय, यह सुनकर ताज्जुब होगा कि सरकार की घोषणा के बाद व्यापारियों ने एकदम भाव डाउन कर दिये और कपास का मूल्य बाजार में 500-600 रुपय प्रति क्विंटल रह गया। जब किसान की पैदावार, उत्पादन या अनाज पैदा होता है तो उस जिन्स का मूल्य बाजार में आधा रह जाता है, ऐसा सिर्फ हिन्दुस्तान में ही होता है, किसी दूसरे देश में नहीं होता। यदि आप जापान का उदाहरण देखेंगे तो वहां 6 महीने पहले उत्पाद का सपोर्ट प्राइस, उत्पाद का मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, हर चीज का मूल्य डिक्लेअर कर दिया जाता है कि गेहूं का मूल्य इतना होगा, दूसरी जिन्स का मूल्य इतना होगा। यदि वे किसान को गेहूं का मूल्य 500 या 600 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करेंगे तो उसके बाद कन्ज्यूमर्स को सबसिडाइज करेंगे, भले ही उन्हें 200 या 250 रुपए के हिसाब से अनाज देना पड़े। बीच का प्रौफिट सरकार सबसिडाइज करेगी, मगर हमारे देश में उल्टा होता है, हम उससे गेहूं 150 रुपए की दर से खरीदेंगे और बेचेंगे 300 रुपए की दर से। हम कपास का मूल्य 10-12 रुपए किलो देंगे जबकि कपड़ा बनने के बाद 150 रुपए किलो की दर से उसे बेचा जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह कितना जबर्दस्त मार्जिन है, यह शोषण है, अन्याय है। मैंने चौधरी देवीलाल जी से आज ही कहा कि आप किसानों के नेता बनते हैं, आप ही बताइये इस देश के किसानों को कैसे ताकतवर बनाया जाये, मगर वे बोले कि मुझे तो कोई सीट ही एलॉट नहीं हुई है, मैं कैसे बोलूंगा। मैंने कहा कि आप इधर आकर बोलिये, सदन में कहीं से बोलिये, हमारी सीट पर आ जाइये, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो नेता बनने की होड़ लगी हुई है, उसे खत्म करके हमें किसानों की वैल्फेयर पर ध्यान देना चाहिए और वैसी ही योजना बनानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जब बिजली का प्रश्न आता है तो इस देश में बिजली उद्योगपतियों को दिन में दी जाती है।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, संसद की भूतपूर्व सदस्या, कुमारी ममता बनर्जी का देहान्त हो गया है।

श्री ब्रह्म दत्त (टिहरी गढ़वाल) : क्योंकि पुलिस द्वारा उनकी पिटाई की गयी थी।

श्री के० एस० राव : यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। सुबह जब हमने मुद्दा उठाया···

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : अभी होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, कन्फर्म करना जरूरी है।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। वे इसकी जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

श्री के० एस० राव : यह सत्यापित हो चुका है और राज्य सभा स्थगित कर दी गयी है।···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : आप जाइये और कन्फर्म करके आइये। फिर सदन को सूचना दीजिए।

श्री संतोष मोहन देब : मेरी सलाह है कि उन्हें 10 मिनट का समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें किसी की मृत्यु के समाचार की पुष्टि करने दीजिए। हमें उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए।

श्री के० एस० राव : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सभा स्थगित की जा चुकी है।

श्री संतोष मोहन देब : महोदय, आप कृपया उन्हें इसकी पुष्टि करने का निर्देश दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर भूरिया, आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखेंगे।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, हमको जो जानकारी मिली है, वैस्ट बंगाल के चीफ सैक्रेट्री से बात करने के बाद, उसके अनुसार वे बिल्कुल ठीक हैं, [अनुवाद] वे बिल्कुल ठीक हैं और वे स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनकी बात पर विश्वास करता हूं और अब मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचूंगा। मैं किसी जिम्मेदार सदस्य को माननीय मन्त्री महोदय के कार्यालय से इस बात की पुष्टि करने के लिए उस क्षेत्र के मुख्य सचिव और जिलाधीश से बात करने के लिए कहूंगा।

श्री सत्यपाल मलिक : महोदय, 10 मिनट के अन्दर ही इस बात की पुष्टि के सम्बन्ध में एक और खबर आने की आशा है।

5.31 म० प०

आधे घंटे की चर्चा

महाराष्ट्र में अलग-अलग विकास बोर्डों की स्थापना

उपाध्यक्ष महोदय : आज के लिए रखे गये आधे घंटे की चर्चा सम्बन्धी मुद्दा उठाने से पूर्व मैं संक्षेप में सम्पूर्ण प्रक्रिया की चर्चा करना चाहूंगा। जैसा कि इस मुद्दे के नाम "आधे घंटे की चर्चा" से स्पष्ट होता है, कि इस चर्चे को आधे घंटे में ही समाप्त करना है।

माननीय प्रो० राम गणेश कापसे जी जिनका नाम आज चर्चा किये जाने के लिए है, वे कृपया उन बातों के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त वक्तव्य तैयार कर लें जिनका स्पष्टीकरण वे माननीय मन्त्री महोदय से चाहते हैं।

जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है और जिनके नाम प्रकाशित किये गये हैं वे इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं जो कि चर्चा के सन्दर्भ में हों और संक्षिप्त हों। फिर मैं माननीय मन्त्री महोदय को उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आमन्त्रित करूंगा।

मैं पुनः यह बात दुहराता हूं कि ये सारी प्रक्रियाएं आधे घंटे के अन्तर्गत ही पूरी हो जानी चाहिए।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : चूंकि हमें इस प्रक्रिया से भिज्ञ नहीं हैं इसलिए हमें प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया यह है कि आप सूचना दीजिए और अन्य सदस्य भी प्रश्न पूछने की अनुमति चाहेंगे। यदि आपके नाम सूची में सम्मिलित हैं सिर्फ तभी आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायेगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : महोदय, हमारे एक अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव से बात भी है और उन्होंने कहा है कि वह ठीक हैं और स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं।

[हिन्दी]

उसके बावजूद दुबारा हम फिर कन्फर्म करेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सभा में श्री रत्नाकर पांडेय ने अनाउन्स किया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जो दूसरे सदन में हुआ है हम उस पर विश्वास नही करेंगे। हम केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहेंगे कि वह स्वस्थ हैं। अतः इसकी पुष्टि होनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्टर साहब को कुछ पता नहीं है। होम मिनिस्टर साहब जब तक पूछेंगे नहीं, तब तक बोलेंगे भी नहीं।

(व्यवधान)

आधे घंटे की चर्चा—जारी

महाराष्ट्र में अलग-अलग विकास बोर्डों की स्थापना

प्रो॰ राम गणेश कापसे (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस विषय पर आज यहां चर्चा करना चाहता हूं उस विषय में निर्णय तो अभी शासन ने घोषित किया है। शासन ने 15 अगस्त को यह निर्णय जाहिर किया है कि महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण, ये जो पिछड़े हुए इलाके हैं, इनके लिए वैधानिक विकास मण्डल की स्थापना करेगा। मैं शुरुआत में ही उनका इस घोषणा के लिए स्वागत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि संसद् के चलते हुए इस तरह की घोषणा सर्वप्रथम संसद में होती तो अधिक उचित होता। फिर भी जो निर्णय है, उसका मैं स्वागत करता हूं। विशेषकर अपनी घटना की दृष्टि से मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए तो स्टेटूटरी बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय 1956 से चला आया है। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए बहुत कोशिश भी की है। यहां वसंत साठे जी बैठे हैं, उनका भी बिल्ल था संयोग से वह लाटरी में नहीं आया। लेकिन फिर भी वह कोशिश करते रहे और आज हम सब लोगों की तमन्ना जो थी उसके अनुसार निर्णय हो रहा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र की विधानसभा ने जुलाई, 1984 में सर्वसम्मति से एक निर्णय किया था, बहुत देरी हो गई फिर भी यह निर्णय सोच-विचार कर किया था कि इस तरह स्टेटूटरी बोर्ड की रचना करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? जब ज्वाइंट सलेक्ट कमेटी इस पर काम कर रही थी 1956 में तब क्लौज नम्बर 22 में जो कहा गया वह मैं पढ़कर बताऊंगा :

[अनुवाद]

> "समिति के समक्ष विदर्भ के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया की सितम्बर, 1953 में किया गया समझौता, जिसका नाम नागपुर समझौता है उसको व्यावहारिक सीमा तक संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्र के सदस्यों ने इस प्रस्ताव का पूरा-पूरा समर्थन किया। अतः महाराष्ट्र के सदस्यों की सहमति से अनुच्छेद 371 में एक नया खंड जोड़ दिया गया है।"

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के सब इलाकों में इसका समर्थन हुआ था कि नागपुर ऐग्रीमेंट का अमल जल्द से जल्द हो, फिर भी नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी॰ उपेन्द्र): मेरा विचार है कि माननीय सदस्य गण कुछ जानकारी चाहते थे। मैंने अभी पश्चिम बंगाल के मुख्य-मंत्री से बात की है। उन्होंने मुझसे कहा है कि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। वह अस्पताल में हैं। किंतु उन्हें देखने बहुत लोग जाते हैं और इससे किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है। किंतु वह स्वस्थ हैं।

श्री वसंत साठे (वर्धा): हम उनकी लम्बी आयु की कामना करते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम गणेश कापसे : हम प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो।

आधे घंटे की चर्चा—जारी

महाराष्ट्र में अलग-अलग विकास बोर्डों की स्थापना—जारी

श्री राम गणेश कापसे : 6 सितम्बर के दिन लोक सभा में जो बहस हुई उसका जवाब देते हुए तब के विधि मंत्री श्री पाटस्कर ने कहा था :

[अनुवाद]

"मैं यह बात आरंभ में ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि विघटनकारी तत्वों अथवा राज्य में बाहरी हस्तक्षेप के कारण ऐसा नहीं किया गया है अपितु यह लोगों के दिमाग से ऐसी किसी आशंका को दूर करने के लिए किया गया है जो उनके मन में ऐतिहासिक कारणों से उत्पन्न हुई हों।"

[हिन्दी]

मराठवाड़ा और विदर्भ पिछड़े हुए इलाके थे, इसका कारण ऐतिहासिक था और महाराष्ट्र से दूर होने की इच्छा तो कोई भी नहीं रखता था, आज भी नहीं रखता। लेकिन हम जरूर चाहते थे कि महाराष्ट्र में से विदर्भ, कोकण और मराठवाड़ा के लिए अलग स्टैटूटरी बोर्ड हो, बैकलाग बहुत है इस दृष्टि से कुछ न कुछ विचार हो। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि कुछ भी नहीं हुआ। दिन-प्रतिदिन बैकलाग बढ़ता गया। डांडेकर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, पांडे कमेटी की रिपोर्ट, चक्रवर्ती कमेटी की रिपोर्ट देखिए। इन तीन इलाकों के हर जिले में नौकरी हो, रास्ते हों, इंडस्ट्री हो, तांत्रिक शिक्षा हो, कोई सा भी विषय देखा जाए तो बैकलाग बढ़ता जा रहा है यानि जिस आशा से, जिस विश्वास से विदर्भ के लोग महाराष्ट्र में आए मध्य प्रदेश से, आन्ध्र से मराठवाड़ा के लोग जिस आशा के साथ आए, वह आशा सफल नहीं हुई। तब के मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण ने जब महाराष्ट्र राज्य का स्वागत किया था तब यह कहा था कि हम इस पर अपल करेंगे, स्टैट्यूटरी बोर्ड के बारे में जो प्रावधान थे, लेकिन फिर भी नहीं किया गया। 6 बरस बीत गये हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। खैर, देर आयद, दुरुस्त आयद। इतना जरूर है कि आगे चल कर कुछ विषयों पर लोगों के दिल में आशंका जरूर रहेगी कि यह स्टैट्यूटरी बोर्ड होने के कारण क्या इन विषयों में राष्ट्रपति शासन चलेगा? इसके अलावा वैधानिक विषयों की जब रचना होगी तब इसमें शामिल किये जाने पर यह आशंका दूर हो सकती है। आप स्थानीय प्रतिनिधियों और विकास से जुड़े हुए लोगों को साथ में लेकर इस स्टैट्यूटरी बोर्ड का निर्माण करें। ऐसा करने के बाद उनकी आशंका दूर हो जायेगी।

आज "हिन्दू" के ऐडिटोरियल में आया है कि यह बहुत जरूरी है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना चाहिये। मैं ऐसा समझता हूं कि यह बिल्कुल जरूरी नहीं है।

महाराष्ट्र शासन यह चाहता है कि चार बोर्ड बनाये जायें। हमारा कोकण का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार के साधन नहीं हैं। वह हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मराठवाड़ा की स्थिति आप हमसे ज्यादा जानते

हैं। विदर्भ की भी वही स्थिति है। इसको जानने वाले वसन्त साठे और बनवारी लाल पुरोहित जी बैठे हुए हैं। मैं कोकण का हूं। यहां की स्थिति पुणे और बम्बई से अलग है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में कुछ न कुछ सोचना चाहिये लेकिन केवल बोर्ड का निर्माण करके ही नहीं।

भारत के प्रधान मंत्री, केन्द्र के गृह मंत्री, वित्त मंत्री और वहां के सांसदों को बुला कर इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करें। इसके अलावा महाराष्ट्र विधान सभा में अलग-अलग पार्टियों के जो नेता हैं, उनको बुला कर सर्वसम्मति से बहुत जल्दी इसका निर्माण करना चाहिये। इस सैशन में ही अगर चाहें तो इसका निर्माण हो सकता है। हमने बहुत दिनों तक इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं कर सकते। मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में राज्य शासन के विचार जरूर जाने जायें। वहां के संघर्ष को समाप्त करने के लिए जल्द से जल्द इसका निर्माण करना चाहिए। मुझे आशा है कि शासन इस सम्बन्ध में प्रयास करेगा।

मैंने "महाराष्ट्र टाइम्स" में से जो कुछ पढ़ा है उसका उल्लेख यहां करना चाहता हूं। उसका हिन्दी अनुवाद मेरे पास है, उसकी जानकारी मैं आपको कराना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि रचना के बारे में हमारे पास महाराष्ट्र शासन ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है, वहां के अर्थ मंत्री श्री रामराव आदिक कहते हैं कि हमने वह प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा है और राज्यपाल का आफिस कहता है कि हमने वह प्रस्ताव दिल्ली को भेज दिया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपके पास इस विषय की रचना के बारे में महाराष्ट्र शासन ने कोई प्रस्ताव भेजा है या नहीं? यदि भेजा है तो आप इस विषय में निर्णय किस प्रकार करेंगे? एक सवाल के जवाब में आपने कहा था कि हम जरूर आप लोगों को बुला कर कोई इस सम्बन्ध में निर्णय लेंगे। मुझे आशा है कि आप अगले हफ्ते हमें बुलायेंगे और सर्वसम्मति से कोई निर्णय लेने के लिये हम सब इकट्ठे होंगे। महाराष्ट्र शासन इस पर कोई विवाद खड़ा नहीं करेगा इसी उम्मीद के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस विषय से मैं भी इसलिए सम्बद्ध हूं क्योंकि, मेरे अपने क्षेत्र में भी इसी प्रकार की समस्या है और जो बोर्ड···(व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं अभी इस मुद्दे के संबंध में बोलता हूं। मुझे इस विषय में रुचि है।

[हिन्दी]

हमारे यहां भी जो बोर्ड बनाया गया, आज उस बोर्ड के इफैक्टिव न होने के कारण कई प्रकार की शिकायतें हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, मैं अभी माननीय साठे साहब से इसी विषय पर चर्चा कर रहा था और आपने जिन बिन्दुओं को बताया, वास्तव में आज वे बिन्दु इतने रेलेवेण्ट हैं, इस सारे इश्यू के साथ कि मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आर्टीकल 371 (2) के अन्तर्गत यह क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें प्रेसीडेंशियल आर्डर के जरिये आप इसको बनायेंगे, इसका गठन करेंगे तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आफ्टर आल आप इसका गठन करेंगे, विदर्भ की जनता को संतुष्ट करने के लिए ताकि उनकी जो डवलपमेण्ट के विषय में भावनायें हैं, जो उनकी इच्छा है, जो उनकी आकांक्षायें हैं, उनकी पूर्ति हो सके लेकिन यदि आपने उनको हर चीज में, हर क्लाज के विषय में कान्फीडेंस में नहीं लिया, वहां के रिप्रेजेण्टेटिव्ज को कान्फीडेंस में नहीं लिया, वहां की पब्लिक को बाइ एन लार्ज कान्फीडेंस में नहीं लिया तो उसमें कल को कई प्रकार

के काम्पीकेशंस खड़े हो सकते हैं। हो सकता है, जो प्रोवीजंस आप उसमें रखने जा रहे हैं, जो डिटेल्स हैं, उनमें कुछ ऐसी कमियां हों, जिसको विदर्भ के लोग महसूस करें कि नहीं इसमें अमुक-अमुक चीज होनी चाहिए थी, अमुक-अमुक प्रोवीजंस भी होने चाहिए थे तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ड्राफ्ट आर्डर है, उसको आप सर्कुलेट करेंगे, उसके विषय में आप सभी पब्लिक रिप्रेजेण्टेटिव्ज को कान्फीडेंस में लेंगे, क्योंकि एक फाइनल स्वरूप लाकर यदि आप महाराष्ट्र असेम्बली के सामने उसको रखेंगे, उसमें तो कोई फायदा होने नहीं जा रहा है तो मैं आपसे यह चाहता हूं कि उसकी डिटेल, जो बारीकियां हैं, उसमें आप वहां के पब्लिक रिप्रेजेण्टेटिव्ज को, जनता के लोगों को कान्फीडेंस में लेंगे? आखिर वहां के लोग इसकी मांग क्यों कर रहे हैं, सवाल यह उठता है। मांग इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि, वह एरिया अण्डर डवलप्ड है। वहां के लोगों की शिकायत यह है कि जितना डवलपमेण्ट के लिए पैसा लगना चाहिए था, फण्ड लगना चाहिए था, वह फण्ड नहीं लग पाया, किसी कारणवश वह दूसरे एरियाज के बनिस्बत पिछड़ गये, एक असंतुलित विकास हुआ उसको दूर करने के लिए जो 30 साल, 40 साल में कमी रह गई, उसको दूर करने के लिए भी कदम उठाने का काम आपका है, गवर्नमेण्ट का है और यह आर्टीकल भी उसके विषय में आपको डायरेक्ट करता है, 371 (2) का पार्ट बी आपको डायरेक्ट करता है। यह कहता है :

[अनुवाद]

अनुच्छेद 371 (2) (ख) में लिखा है :

'(स) सम्पूर्ण राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, उक्त क्षेत्रों के विकास व्यय के लिए निधियों का साम्यापूर्ण आवंटन···"

[हिन्दी]

इसमें सवाल केवल आज के लिए नहीं है, भविष्य के लिए आप कितना देंगे, जो बैकलॉग है, माननीय साठे साहब ने अपना जो बिल प्रस्तुत किया था, उसमें इसका जिक्र भी किया था तो मैं उनकी भाषा में आपसे कहना चाहता हूं कि जो बैकलाग है, डवलपमेण्ट का, उसको दूर करने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं, उसके लिए आप प्लानिंग कमीशन को, गवर्नमेण्ट को, गवर्नमेण्ट ऑफ महाराष्ट्र को कान्फीडेंस में लेकर उसके विषय में भी कुछ कदम उठायेंगे, उसके लिए भी कुछ बातचीत करेंगे?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : कुछ न कुछ शुरूआत करनी चाहिए, हर बात की। आपने तो बैकलॉग की बात भी कह दी, 30-40 साल की बात भी कह दी।

श्री बसंत साठे : आप समझे नहीं, वह प्रेसीडेंशियल आर्डर में जो रखेंगे, उसी पर आयेगा, सब कुछ होगा। मेहरबानी करके, आगे कुछ करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता फिर, एक बार आर्डर हो गया तो। तो हमसे पूछ तो लीजिए।

श्री हरीश रावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने टोका भी। मैंने कहा कि मैं भुक्त-भोगी हूं। इस बात का हमारे एरिया के विषय में भी जो कदम उठाया गया, आज उसमें कई प्रकार का शिकायतें पैदा हो गईं···

उपाध्यक्ष महोदय : सबजैक्ट क्या है, मैं पढ़कर बताता हूं।

[अनुवाद]

"(एक) महाराष्ट्र में सांविधिक बोर्डों को स्थापित करने में विलम्ब; और

(दो) केन्द्रीय गृह मंत्री और वित्त मंत्री, महाराष्ट्र सरकार द्वारा परस्पर विरोधी वक्तव्य।"

विषय यह है।

श्री हरीश रावत : फिर भी उस प्रश्न से इसका सीधा संबंध है।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : हाफ एन ऑवर पर डिस्कस करना है, विदर्भ में सम्बन्ध में।

श्री हरीश रावत : मैंने करीब-करीब खत्म कर दिया। तो मैं माननीय मंत्री जी से इसीलिए अनुरोध कर रहा था कि यदि उसमें कोई कमजोरी आज रह जायेगी तो उसका असर आने वाले दिनों में पड़ेगा और वह लोग जो वर्षों से फस्ट्रेटिड हैं, आज वह बोर्ड की तरफ बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, यदि उसमें बुनियादी तौर पर आपने कुछ कमियां रख दीं, ऐसी कमजोरियां रख दीं, बिना वहां के पब्लिक रिप्रेजेण्टेटिव्ज को कान्फीडेंस में लिए हुए कोई काम जल्दबाजी में कर दिया, जैसी आपकी सरकार करने की आदी है, उस कमी को कैसे रैक्टिफाई करेंगे, बल्कि बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जायेंगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पहले सावधानी बरतिए! मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप इसका जवाब आज ही दें, आज कोई जरूरी नहीं है, कल बता दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने पन्द्रह अगस्त को विदर्भ मराठवाड़ा और कोंकण डवेलपमेंट बोर्ड्स बनाने के बारे जो घोषणा की है, हम उसका स्वागत करते हैं। परन्तु आज भी विदर्भ की जनता के मन में, मराठवाड़ा की जनता के मन में कुछ शंकायें हैं। पिछड़े हुए जो इलाके हैं और वहां की जनता के मन में जो शंकायें हैं, मैं चाहूंगा कि उन शंकाओं का निवारण हो और माननीय गृह मंत्री महोदय करें।

आर्टिकल-371 में विदर्भ-मराठवाड़ा के लिए 1956 में कान्स्टीचूशन अमेंडमेंट होकर आया था। जैसाकि हमारे माननीय वक्ता ने बताया कि 1984 में महाराष्ट्र की विधान सभा के दोनों सदनों में एक मत से प्रस्ताव पारित करके यहां लाया गया। परेशानी इस बात की हुई कि जो ड्राफ्ट वहां से भेजा जाता था, उसमें कुछ खामियां होती थीं और यहां से ड्राफ्ट वापिस हो जाता था। दो-तीन बार ऐसा हुआ, जिससे वहां की जनता बहुत नाराज है और आन्दोलन की तैयारी में है। आखिर में महाराष्ट्र के वित्त मंत्री जी ने सरकार की तरफ से यह कहा कि हम केन्द्रीय सरकार को पूरी छूट देते हैं, यदि हमारा ड्राफ्ट मंजूर नहीं होगा संविधान की धारा 371 (2) के अंतर्गत और केन्द्रीय सरकार हमारे ड्राफ्ट को रद्दी की टोकरी में फैंक देती है, तो धारा 371 (2) के हिसाब से वहां की जनता को न्याय देने के लिए जैसा भी ड्राफ्ट बनाना चाहती है, वह संविधान का प्रारूप बना दें, हम उसको मंजूर कर लेंगे। मतलब यह कि महाराष्ट्र सरकार की भूमिका स्पष्ट हो गई। मेरा आपको पुनः यह कहना है कि पिछड़े विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण इलाकों के लिए जो बोर्डस बन रहे हैं, जो घोषणा हुई है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारी जानकारी यह है कि कुछ लोग केन्द्रीय सरकार करे प्रैशराइज करना चाहते हैं कि पश्चिमी महाराष्ट्र का जो बहुत ही विकसित इलाका है, उसका भी बोर्ड बनाओ जबकि अन्याय इसलिए हुआ था कि वहां सारा पैसा लगा। इसलिए मैं जनता की भावना आपके सामने रखना चाहता हूं कि यदि ऐसा कर दिया तो तीनों बोर्ड बनाने की जो आपकी भावना है, वह नलिफाई हो जाएगी। जनता शान्त नहीं रहेगी।

बैकलॉग की बात भी कही जा रही है। जैसी कि फिगर्स हैं, उनके मुताबिक अन्दाज से मोटे रूप में विदर्भ का दस हजार करोड़ रुपए से ऊपर का बैकलॉग है। इस बैकलॉग को भी दूर करना होगा, तभी तो न्याय मिलेगा। वे बराबरी में तभी आयेंगे, जब उनको पैसा मिलेगा। आप आज आदेश निकालिए, आर्डर निकालिए और इसका प्रावधान करिए। धारा 371 (2) में तीन चीजें और हैं—पहली, इक्विटेबल डिस्ट्रिब्यूशन आफ फण्ड; दूसरा – टैक्नीकल एजूकेशन यानि इंजीनियरिंग कालेज में टैक्नीकल एजूकेशन, इसमें भी न्याय मिलना चाहिए; तीसरे—सरकारी नौकरियों में जो बैकलॉग है, उसका भी न्याय मिलना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं – महाराष्ट्र राज्य में 137 सब-इन्सपैक्टर चुने गए। विदर्भ की आबादी के हिसाब से यह प्रतिशत 23.8 होना चाहिए था, परन्तु चुने गए सिर्फ छः यानि 137 में से विदर्भ को खाली सब-इन्सपैक्टर की छः पोस्ट मिली। इस तरह के अन्याय और इस तरह की वस्तुस्थिति को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस बारे में आप जवाब दें कि आप इसको आर्डर में इन्कापोरेट करेंगे या नहीं?

मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें कि यह अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय कौन कर रहा है? अन्याय तो बरसों से महाराष्ट्र की सरकार करती आई है। पश्चिमी महाराष्ट्र का वर्चस्व रहा है, इसलिए ये इलाके पिछड़े हुए रहे। मैं आपको एक बात स्पष्ट कहता हूं, जैसी कि हमको जानकारी मिली है, महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर्स मैम्बर्स कोनोमिनेट करे। यह चीज हमको मंजूर नहीं है, आप इसका खुलासा करें। हम क्या चाहते हैं हम यह चाहते है कि उस रीजन के चुने हुए जनता के प्रतिनिधि, जैसे विदर्भ रीजन के एम.एल.एज हैं और यदि आपको तीन मेम्बर वहां के लेने हैं तो विदर्भ रीजन, एम.एल. ए. पार्टी की स्ट्रेंथ के हिसाब से लें। उस रिजन के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके हाथ में इसको देना चाहिये। उनकी संख्या आप पचास परसेंट से कम न रखें और बाकी 40 परसेंट उसमें दूसरे मेम्बर हों, वह लोग भी बहुत विद्वान हों जो कि डेवेलपमेंट के बारे में पूरी जानकारी और अनुभव रखते हों। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट नोमिनेट करे। यदि जिसने अन्याय किया उसके ऊपर ही आप इसको सौंप देंगे कि चीफ मिनिस्टर नोमिनेट करे तो वे किसी भी अपने ऐरे-गैरे-नत्थू-खैरे, अपने जानने वाले को ही उसमें लगा लेंगे, तो फिर न्याय कहां से मिलने वाला है। जहां तक न्याय की बात है इसको आप नलीफाई न करें, इसके लिये चाहे ऊपर कितना भी प्रेशर आये उसके दबाव में आप न आयें। (व्यवधान) सजेशन्स मैंने पूरे के पूरे दे दिये हैं। (व्यवधान) गवर्नर नोमिनेट करे, जैसे कि प्लानिंग कमीशन में जो बहुत बड़ा विद्वान है, जिनको बहुत जानकारी है ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि एबव बोर्ड उनको कोई प्रेशराइज न कर सके। ऐसा करके ही आप लोगों को न्याय दे सकते हैं। उसमें आप 50-60 परसेंट जनता के चुने हुए प्रतिनिधि रखें, एम-पीज लोगों को भी उसमें रखिये, ऐसे लोगों को आप 40 परसेंट रखिये। ऐसे लोग जो बहुत बड़े विद्वान हों, जो बहुत जानकारी और अनुभव रखते हों, बेकलोग निकाल कर हर तरह से जनता को आप न्याय दें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

जैसा कि आपका आदेश था, इसलिये मैंने महत्वपूर्ण बातें ही आपके सामने रखी हैं। अब जनता को आशा हुई है इसलिये जल्दी से जल्दी इसको करना है। मैं तो यह कहूगा कि यदि कोंकण के लिये अमेंडमेंट में अगर देरी हो तो इसको जल्द से जल्द कीजिये। यह सत्र खत्म होने से पहले कम से कम कोंकण, विदर्भ, मराठवाड़ा की जनता को वोट मिल जाये, इस तरह से आप इस काम को करिये। क्या आप इस सत्र के समाप्त होने से पहले इस कार्य को कर पायेंगे? यदि आप ऐसा कर पायें तो बड़े आनन्द की बात होगी। ··· (व्यवधान)

श्री राम नाईक: मुझे दो मिनट बोलने का समय दे दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपको दो मिनट का समय दे दूं तो औरों को भी देना पड़ेगा नहीं तो मैं आपको समय जरूर दे देता।''' (व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैं पहले भी कह चुका हूं कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पांच जून को यहां आये और उनके साथ रामाराव आडिक जी भी थे और सीनियर्स आफिसर्स थे। उन्होंने एक प्रपोजल लाया था, उस प्रपोजल में जो कांस्टीन्यूशनल प्रोविजन था, वह उनको पूरा नहीं करता था। उसमें मुख्य मंत्री को बोर्ड का चेयरमैन होना था और जो केबिनेट के सीनियर मेम्बर थे उनको भी। तो मैंने कहा कि इसको तो आप खुद कर सकते हैं।

[अनुवाद]

यह संविधान के उपबंधों को पूरा नहीं करता है।

[हिन्दी]

तो उन्होंने भी कह दिया और हमने भी कह दिया कि इसमें कांस्टीच्यूशनल एक्सपर्ट्स की एडवाइज लें कि ये कैसे किया जा सकता है? लेकिन मुझे खुशी है कि अब की बार उन्होंने जो आईन में, कांस्टीच्यूशनल में लिखा है, जिसमें गवर्नर को स्पेशल पावर दी गई है।

[अनुवाद]

विधियों के साम्यापूर्ण आबंटन तथा अन्य मामलों की निगरानी करना।

[हिन्दी]

उनका जो प्रपोजल है इसी के आधार पर केबिनेट के पास भी प्रपोजल जाना है, पूरे कांस्टीच्यूशन प्रोविजन को फुलफिल करके तीन बोर्ड हों—पहला विदर्भ डेवेलपमेंट बोर्ड, दूसरा मराठवाड़ा डेवेलपमेंट बोर्ड और तीसरा दी डेवेलपमेंट बोर्ड फार दी रेस्ट आफ महाराष्ट्रा। इसका भी उनका ऐम था।

[अनुवाद]

6.00 म०प०

विभिन्न विकास बोर्डों का कार्यक्षेत्र निम्नवत होगा :

(क) विदर्भ विकास बोर्ड के अंतर्गत नागपुर और अमरावती राजस्व खण्ड क्षेत्र आएंगे।

(ख) मराठवाड़ा विकास बोर्ड के अंतर्गत औरंगाबाद राजस्व खण्ड क्षेत्र आएंगे।

(ग) शेष महाराष्ट्र क्षेत्र के विकास बोर्ड में पुणे, नासिक और कोंकण क्षेत्र आएंगे।

[हिन्दी]

इसमें हमें कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट लाना है और इसी सेशन में केबीनेट प्रपोजल लाना है, कल-परसों की केबीनेट में वह प्रपोजल चला जाएगा, उसके बाद फौरन हम कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे और इसमें यह भी शामिल हो जाएगा। प्रपोजल जो हमारा होगा, जो राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने प्रपोजल बना दिया है, जैसा साठे साहब का था, अब की दफा इन्होंने मेंबरों की कुछ तादाद रखी है, यह सही है कि जो मेंबर होंगे इस बोर्ड के, इनको गवर्नर अपाएंट करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह से। इसमें यह भी लिखा है कि जो लोग चुने जाएंगे, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, नान पब्लिक मैन होने चाहिए, मैन आफ इंटेग्रिटी, तो तादाद के हिसाब से पब्लिक रेप्रजेंटेटिव नहीं रखे हैं, एम पीज या दूसरों को नहीं रखा है। (व्यवधान)

मैं कह रहा हूं, यह सोचने की बात है, उनसे इंटरएक्शन करना होगा। कांस्टीट्यूशनल प्रावीजन के लिए कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा। अगर आपका कोई सजेशन होगा, बेसिक प्रपोजल तो राज्य सरकार का है, जो उन्होंने भेजा है, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करना होगा, आपका कोई संजेशन होगा तो इसके लिए महाराष्ट्र के जो एमपीज हैं, उनसे भी बात करूंगा, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से भी बात करूंगा, अगर कोई अमेंडमेंट है। लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि ज्यादा अख्तियारात गवर्नर के हैं, इसमें जो रिप्रजेंटेटिव गवर्नमेंट है, वह कैसे रीकंसाइल होगा, आर्गनाइज होगा, उन्होंने बड़ी बात की है, चीफ मिनिस्टर ने एग्री किया है, अपने पावर्स को डाइल्यूट करके किया है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : धनराशि के बारे में आपने क्या सोचा है ?

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : फण्ड्स के बारे में यह है कि इक्वीटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर एक एरिया पोटेंशियल के मुताबिक उसकी भी गाइडलाइंस बताई हैं, उसमें गवर्नर को अख्तियारात दिए गए हैं, वह देखेगा कि कैसे होगा, क्या होगा।

जैसा हरीश रावत जी कह रहे थे कि पास्ट 40 साल का बैकलाग, चाहे 10 हजार करोड़ हो या 20 हजार करोड़ हो, मैं कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं से शुरूआत तो होनी चाहिए, चाहे अब से हो, शुरू तो हो जाए। अब आप कहते हैं कि बैकलाग चाहे 4000 करोड़ का हो, या 5000 करोड़ का हो, मैं चाहूंगा कि रेसोर्सेस के आधार पर इसको किया जा सकता है, किस एरिया में कितनी बैकवर्डनेस है, उसके हिसाब से एलोकेशन होगा। इसमें हमारी तरफ से कोंकण एरिया को इन्क्लूड किया गया है, उसके लिए संविधान में संशोधन करके प्रपोजल लाएंगे, इस बीच जो वहां के मेंबर्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे, चीफ मिनिस्टर को भी बुला लेंगे, जो भी तजवीज होगी, इसको ठीक करने के लिए, उसको करेंगे।

श्री बसन्त साठे : दो चार रोज में कर दीजिए।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : दो चार रोज में ही कर रहे हैं, केबीनेट में ला रहे हैं।

अब आनरेबल मेंबर्स ने कहा कि मैंने क्या बयान दिया, उन्होंने क्या बयान दिया, हमने उनसे कह दिया था कि जल्द से जल्द आप यह तजवीज लाएं। उन्होंने जो प्रपोजल सबमिट किया है, गवर्नर ने जो सबमिट किया है, यहां भेजने में कुछ देरी हो गई है, लेकिन उससे कुछ खास अन्तर नहीं पड़ता है। खासकर उन्होंने लीगल एडवाइज ली है, उनके अटार्नी जनरल ने यह राय दी है कि अगर कांस्टीट्यूशनल प्रावीजन को फुलफिल करना है तो कांस्टीट्यशन के मुताबिक ही बोर्ड कांस्टीट्यूट करना होगा, अगर नहीं करना चाहते हैं तो अलग बात है। मैं कहना चाहता हूं 4-5 दिन में हम इसको फाइनालाइज कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : इसी सेशन में लायेंगे ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : इसी सेशन में लायेंगे, इसमें तो कोई कंट्रावर्सी नहीं है, इसी सेशन में अमेंडमेंट लायेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० राम गणेश कापसे : कृपया प्रस्ताव की प्रति का परिचालन कीजिए। हम इसकी प्रति पढ़ना चाहते हैं। इस पर चर्चा करने से पूर्व हम इसे देखना चाहते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं डिसकस करूंगा, जब बुलाऊंगा तो कापी भी दे दूंगा, चीफ मिनिस्टर को भी बुला लेंगे।

श्री वसन्त साठे : ठीक है, हमें भी बुला लीजिए, कापी भी दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री छोटूभाई देवजीभाई गामित (माण्डवी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं··· (व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने अन्य सदस्यों को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा सोमवार, 20 अगस्त, 1990 को 11.00 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.05 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 20 अगस्त, 1990/29 श्रावण, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० प० के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्री राम मार्ग, दक्षिणी मौजपुर, दिल्ली-53